राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] दसवीं विधान सभा के सातवें सत्र का सत्ताइसवां दिवस [संख्या : 18

मंगलवार,

23 जुलाई, 1996

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्रीमती बीना काक।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको एक स्थगन प्रस्ताव दिया है और आपसे क्वेश्चन ऑवर स्थगन की प्रार्थना की है। दौसा जिले में....

श्री अध्यक्ष : मैंने उसका सरकार से जवाब मांगा है।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, इससे गम्भीर कोई बात नहीं हो सकती कि उस महिला की हत्या करके दोनों आंखें निकाल लीं, दोनों स्तन काट लिये, दोनों पैर काट लिये और उसके बाद हत्या करके कुएं में डाल दिया। सरकार मौन बैठी हुई है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसलिये क्वेश्चन ऑवर सस्पैण्ड करके इस पर चर्चा की अनुमति दें। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, उन पर प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है।...

श्री अध्यक्ष : विराजें। मैंने यह व्यवस्था दी है...

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के साथ बहुत भयंकर अत्याचार हुए हैं बहुत गम्भीर मामला है। उसकी आंखें निकाल लीं, उसके स्तन काट दिये उसके पैर काट दिये ...(व्यवधान)

श्रीमती कमला (बैराठ) : उसके पहले उसके पति की हत्या कर दी गयी........ (व्यवधान) यह जघन्य अपराध है और यह बर्बरतापूर्वक जो कार्यवाही हुई है...... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अपराधी आज तक फरार है। निर्ममता से महिला की आंखें निकाली गयी हैं, उसकी हत्या की गयी है, उसके पैर काटे गये हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अपराधी आज तक फरार है। (व्यवधान) इसी गांव में एक महीने पहले एक और हत्या हुई है। हत्याओं का सिलसिला जारी है, पुलिस सो रही है। और अपराधी फरार है... (व्यवधान) कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी से कहिये कि वे आज ही स्टेटमेंट दें।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं . (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : महिला के हाथ–पैर काट दिये, सिर काट दिया.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कानून–व्यवस्था भंग हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, कोई व्यवस्था नहीं है। महिलाओं पर गम्भीर अत्याचार हो रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : राजस्थान में लॉ एण्ड ग्रार्डर की कोई स्थिति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपने जो दिया है उस पर मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में महिलाओं के साथ इस तरह के जघन्य हत्याकाण्ड बहुत जगह हो रहे हैं.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, महिलाओं पर उत्पीड़न की बात करते हैं, महिलाओं पर उत्पीड़न की बात आती है तो उसको दबाने का काम भी विपक्ष के माननीय सदस्य ही करते हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (बल्लभनगर) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है और कई सारे माननीय सदस्यों ने इसको उठाया है इसलिये आप सरकार से कहिये कि इस पर आज ही स्टेटमेंट दे।

श्री अध्यक्ष : अभी बात करके.... अभी समय देखकर... आज ही ... आज ही.... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : सरकार की तरफ से आज ही स्टेटमेंट दिलवाइये।

श्रीमती बीना काक : सरकार का स्टेटमेंट दिलवाइये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सदन के दो दिन और रहे हैं, ऐसी स्थिति में सरकार के प्रति .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री अमराराम (धोद) : इस सरकार के आने के बाद राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। यह इस बात का द्योतक है और यह स्वयंसिद्ध है कि यह सरकार और पुलिस निष्क्रिय है, कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। बुरी तरह से हत्याएं की जा रही हैं, स्तन काटे जा रहे हैं, हत्यारे फरार हैं, यह सरकार की निष्क्रियता है।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : इनके राज में अत्याचार बढ़ रहे हैं, अन्याय बढ़ रहे हैं। दो दिन का समय और बचा है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अभी–अभी चर्चा करवाइये।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : महिला की दोनों आंखें निकाली गयी हैं, स्तन काटे गये हैं, उसके दोनों पैर काटे गये हैं फिर हत्या

(श्री परसादीलाल मीणा)

करके कुएं में डाला है। इससे एक महीने पहले भी वहां पर एक महिला की हत्या हुई है, अपराधी फरार हैं और उनको पुलिस ने आज तक नहीं पकड़ा है इसी का नतीजा है कि इस महिला की जघन्य हत्या हुई है पुलिस चुप बैठी है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इससे नृशंस हत्या कोई हो नहीं सकती।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : हत्या ही नहीं की, बल्कि फरार कर दिया पुलिस ने मुलजिमान को (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें। मैं मना नहीं कर रहा हूं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह मर्डर का केस है। इससे ज्यादा कोई हीनस ऑफेंस नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये। कोई अंकित नहीं करें। बैठ जाइये आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी . × × ×

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : अभी कोई आधा घण्टा पहले ही तो सूचना मिली है। सरकार को भी घण्टा दो घण्टा समय तो लगेगा.... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : × × ×

श्री सुरेन्द्र गोयल : × × ×

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : मुझे अभी पौने ग्यारह बजे ही तो मिला है। मैंने सरकार से इसका जवाब मांगा है। आप चाहते हैं तो आज ही जवाब दिलवा देंगे पर मिनिस्टर कन्सर्ड को समय तो लगेगा एक घण्टे। एक मिनट आप विराजें। मैं इस बात की गम्भीरता को कम नहीं कर रहा हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्रीमती कमला : × × ×

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : × × ×

श्री अध्यक्ष : विराजिये। मैं आपको मना थोड़े कर रहा हूं। आप जवाब सुनना चाहते हैं ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : × × ×

श्री अध्यक्ष : आपकी बात सुनकर गृह मन्त्रीजी कुछ कहने के लिये खड़े हुए हैं, आप उन्हें कुछ कहने देंगे ? इसका जवाब भी देना है। कृपया आप विराजें। इसका जवाब तो गृह मन्त्रीजी को देना है। (व्यवधान) कृपया विराजें। (व्यवधान) गृह मन्त्रीजी खड़े हो रहे हैं। बात तो सुन लें पहले।

श्री हरिसिंह (महुआ) : × × ×

श्री अध्यक्ष : आंखों में आंसू आ जाय तो मैं तो जोर से बोल भी नहीं सकता। धीरे बोलें आप। (व्यवधान) एक मिनट सुनें आप। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया सुनें।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की एक अपराध घटित हो गया उसके ऊपर चिन्ता है। वह चिन्ता सरकार की भी चिन्ता है और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया आप मुझे नोटिस भिजवा दें, मैं आज ही 4 बजे या 4.30 बजे स्टेटमेन्ट दे दूंगा इसके ऊपर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें, विराजें आप। (व्यवधान) एक मिनट। विराजें, विराजें। गृह मन्त्रीजी ने कहा है कि घटना हो गयी। दुर्भाग्यपूर्ण है इसमें कोई सन्देह नहीं है। अब एक घंटा जल्दी हो जाए या एक घंटा देर से हो जाए उससे भी उस घटना पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इनको पूरा समय तो देंगे, सारी इन्फार्मेशन तो कलेक्ट करने देंगे। और आज के लिये ही कहा है। 4 बजे नहीं देकर मैं गृह मन्त्रीजी से अनुरोध करूंगा कि इनकी भावना का आदर करते हुए 3 बजे दे दें आप। (व्यवधान) विराजें आप।

श्रीमती कमला : मैं एक और निवेदन यह करना चाहती हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि गृह विभाग की मांग के वक्त में एक मांग यह भी की गयी थी हमारी तरफ से कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को दृष्टिगत रखते हुए सरकार उनके इन्वेस्टीगेशन के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स कायम करे, समरी ट्रायल की स्पेशल कोर्ट्स कायम करे। तो आपने यह कहा था मुझे कि मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से बात करके इसके बारे में कुछ व्यवस्था करने का प्रस्ताव करूंगा। तो मैं यह भी चाहूंगी कि अपना स्टेटमेन्ट देते समय यह भी बताएं कि मुख्य मन्त्रीजी से इस सम्बन्ध में आपकी सलाह हो गयी हो तो आप महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को तत्परता से और प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए इस तरह की व्यवस्था करेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। 3 बजे सारी बातें आ जाएंगी।

श्रीमती बीना काक।

अतिरिक्त निदेशक, पर्यटन का पदोन्नति प्रकरण

732. **श्रीमती बीना काक** (सुमेरपुर) : क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने दिनांक 17 अप्रेल, 1995 को निदेशक, पर्यटन विभाग की नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यताओं में संशोधन किया था ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जुलाई, 1995 में एक अधिकारी विशेष को अतिरिक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति दी गयी ताकि उनकी निदेशक के पद पर पदोन्नति हो सके ?

(3) क्या यह सही है कि संशोधन के कुछ माह पूर्व ही अतिरिक्त निदेशक, पर्यटन के पद को भी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के पद के स्थान पर विभागीय पदोन्नति का पद बनाकर उप निदेशक के पद के पांच वर्ष के अनुभव के नियम में संशोधन कर तीन वर्ष के अनुभव पर उक्त व्यक्ति विशेष को पदोन्नत किया गया ?

(श्रीमती बीना काक)

(4) क्या विभाग ने अनुसूचित जाति के एक मात्र अधिकारी को वर्षों के अनुभव के बावजूद सहायक निदेशक से उप निदेशक के पद पर पदोन्नति का लाभ देने के लिए नियमों में शिथिलता इसलिए नहीं दी कि उससे दूसरी जाति के व्यक्ति विशेष को पदोन्नति का लाभ मिल सके।

(5) क्या यह सही है कि विभाग के वरिष्ठतम अनुसूचित जाति के अधिकारी की पदोन्नति नजरंदाज की गयी ? क्या उसका अनुभव वर्तमान में कार्यरत अतिरिक्त निदेशक से दुगुना है ? यदि हां, तो उनके विभिन्न पदों के अनुभवों को जोड़कर उन्हें पदोन्नति नहीं दिये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मन्त्री, पर्यटन (श्रीमती नरेन्द्र कंवर) : (1) जी हां, निदेशक, पर्यटन विभाग के पद पर नियुक्ति हेतु राजस्थान पर्यटन सेवा नियम, 1976 के नियम 6 (1) (11) में किये गये संशोधन का विवरण संलग्न परिशिष्ट-"क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं, अतिरिक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के आधार पर मई, 1995 में नियमानुसार की गयी है।

(3) प्रशासनिक दृष्टि से विभागीय आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए नियमों में संशोधन किया गया था। किसी अधिकारी विशेष की पदोन्नति का प्रश्न इसमें निहित नहीं है। विभाग की आवश्यकतानुरूप तथा पर्यटन क्षेत्र में हो रहे नवाचार को दृष्टिगत रखते हुए पर्यटन सेवा के अधिकारी को अतिरिक्त निदेशक के पद पर लगाया गया था।

(4) जी नहीं।

(5) नियमों के तहत अतिरिक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु उप निदेशक के पद पर तीन वर्ष का कार्यानुभव होना अनिवार्य है। वर्तमान में कार्यरत अनुसूचित जाति के अधिकारी का उप निदेशक के पद पर तीन वर्ष का अनुभव नहीं होने के कारण अतिरिक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु विचार करना विभागीय पदोन्नति समिति में नियमानुसार सम्भव नहीं था।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, कल तो देवर भाभी का झगड़ा था, आज महारानियों का झगड़ा है क्या ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न पहले भी आ चुका है और काफी समय तक चला था, मुझे जहां तक ध्यान है और पता नहीं कैसे हुआ यह ? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह प्रश्न पहले आ चुका था और आने के बाद भी इसमें जो खामियां दिखायी गयी थीं उसके बाद में इस सदन को सरकार ने अनदेखा किया, परवाह नहीं की....

श्री अध्यक्ष : विराजें, विराजें आप। अंकित नहीं हो। विराजें, विराजें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : × × ×
(व्यवधान)

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : विराजें, विराजें, विराजें। प्रश्नकर्त्ता को प्रश्न करने दें। (व्यवधान), विराजें, माननीय। मूल प्रश्नकर्ता को प्रश्न करने दें।

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ आज मैं आपकी तरफ ही मुखातिब हूं। तेज आवाज से डर लगता है, दिल बैठता है मेरा। आपकी तरफ मुखातिब होकर इस सवाल के जवाब मैंने देखे हैं। यह जितने भी तथ्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, दिये गये हैं, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर, गोलमाल, सदन को गुमराह करने वाले हैं और मूल प्रश्न में पहले नहीं देकर पीछे संलग्न पत्रों में देकर पूर्वाग्रह से ग्रसित, पूर्व नियोजित, गैर-जिम्मेदाराना उत्तर है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछें।

श्रीमती बीना काक : आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री महोदया से और आप से निवेदन करना चाहूंगी कि मेरा बहुत पाइण्टेड सवाल है और उसका पाइण्टेड उत्तर मैं आपके माध्यम से चाहूंगी। मान-अध्यक्ष महोदय, आज इधर ही मुखातिब रहें आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, डायरेक्टर के पद पर पदोन्नति हेतु जैसा कि इसके परिशिष्ट में संलग्न किया गया है कि अगर निदेशक के पद पर 5 वर्ष का अनुभव हो, जिसमें उप-निदेशक के पद पर भी अनुभव सम्मिलित है यानि कि दोनों अति-रिक्त निदेशक और उप-निदेशक के पदों को क्लब कर दिया गया, मानीय अध्यक्ष महोदय। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह पूछना है, एडशिनल डायरेक्टर के एक्सपीरिएंस और डिप्टी डायरेक्टर के एक्स-पीरिएंस को क्लब किया गया, क्या इससे पहले भी 1956 से लेकर 1996 तक, डिपार्टमेन्ट के 40 वर्ष के इतिहास में इस प्रकार के एक्सपीरिएंस कभी क्लब किये गये? अन्य पदों पर असिस्टेन्ट ट्यूरिस्ट्स आफिसर्स या ट्यूरिस्ट आफिसर्स या डिप्टी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर अन्य पर्यटन की सर्विसेज के लिए इस प्रकार के एक्स-पीरिएंस को क्लब क्यों नहीं किया गया? केवल इसी पद के लिए इसी व्यक्ति के लिए यह एक्सपीरिएस क्लब क्यों किया गया? नम्बर-एक। इसी में इन्होंने परिशिष्ट में लिखा है कि राज्य के पर्यटन विभाग में या ख्याति प्राप्त वाणिज्यिक पर्यटन एजेन्सी में किसी उत्तरदायित्व पद पर 12 वर्ष का अनुभव। इन्होंने योग्यता बताई है अपने संलग्न किये गये पन्नों में सिर्फ 12 वर्ष। मेरा दूसरा सवाल है कि 12 वर्ष का ही अनुभव क्यों रखा? 10 वर्ष, 13 वर्ष, 15 वर्ष, 17 वर्ष, 23 वर्ष, 25 वर्ष जिसके करीब 17 अधिकारी लाइन में बैठे हैं 10 और 13 वर्ष क्यों नहीं सिर्फ 12 ही क्यों? 1985 से लेकर 1997 तक इस अधिकारी के 12 वर्ष पूरे होते हैं। तो योग्यता 12 वर्ष रख दी और 23 से 25 वर्ष के लोग जिसमें शिड्यूल्ड कास्ट के लोग भी हैं उन्हें नजरंदाज क्यों किया गया? एक सवाल और है, माननीय अध्यक्ष महोदय। फिर यह कहते हैं तीसरे सवाल में कि प्रशासनिक दृष्टि से विभागीय आवश्यकताओं को मद्दे-नजर रखते हुए नियमों में संशोधन किया गया है। बहुत दबा-दबा कर स्ट्रेस करके माननीय मन्त्री महोदय ने कहा, विभागीय आवश्यकताओं को देखते हुए किया है। हम भी मान रहे हैं, किया है। तो क्या इस विभाग के अन्य कागज में यह आवश्यकताएं प्रतीत नहीं हुयी, केवल इसी अधिकारी के

(श्रीमती बीना काक)

लिए आवश्यकता क्यों प्रतीत हुयी ? इनके क्या सुरखाब के पर लगे हैं ?

आप कहते हैं, इफेक्टिविटी इस अधिकारी की है, आवश्यकता इस अधिकारी की है तो क्या डायरेक्टर टूरिज्म ने इनकी इफेक्टिविटी को चैलेंज करते हुए 5-7 दिन पहले कोई शो-कॉज नोटिस दिया है ? तीन सवाल हैं ।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपका हमें संरक्षण है ।

श्री अध्यक्ष : मैं हाउस का संरक्षण करता हूं, व्यक्तिगत नहीं ।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस को जवाब देना चाहूंगी, मेरी हिन्दी इतनी हाई नहीं है ।

श्रीमती बीना काक : लो ही बोल लो कोई बात नहीं है । अंग्रेजी में जवाब दे दें ।

श्री किशन मोटवानी : क्या आपको याद है कि पहला सवाल क्या था ?

श्री अध्यक्ष : मोटवानी साहब, विराजें ।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : माननीय सदस्या ने जो पूछा है, यह सब एक ही में लम्बा-चौड़ा जवाब है, सारा एक ही में बता देती हूं ।

श्रीमती बीना काक : सारा एक ही नहीं, पाइंटेड सवाल है । आपकी तरफ मुखातिब हूं ।

श्री अध्यक्ष : पहले बात सुनें फिर कोई एम्बिग्युटी हो तो....

श्रीमती बीना काक : मैंने नाम नहीं लिया है ।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : मैं भी नाम नहीं ले रही हूं । जिस व्यक्ति के लिए यह बोल रही हैं वह सोशल वैलफेयर डिपार्टमेंट में 1973 के पहले काम करते थे । 1973 में वह हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट में एज टी.ओ. आए । वह कैसे आए वह तो यह ही बता सकती है । पर वह जब टी. ओ बनकर आए तो वह टी. ओ. के पद पर काम कर रहे थे । उनको 1987 में टी ओ. पर रेगुलराइजेशन दिया गया । फिर डी.पी.सी. की गयी और इनको रिवाइज करके पोस्ट टी. ओ. के अगेंस्ट 1987 में किया गया । लेकिन उनको फायदा 1973 में जब उन्होंने जोइन किया तब से दिया गया । अब वह कोई भी हो । उसके बाद में इनकी रिवाइज डी.पी.सी. करनी चाहिए थी 1991-92 में, लेकिन उसके विरुद्ध एक आफिसर ने कोर्ट से स्टे ले लिया इसलिए इनकी रिवाइज डी.पी.सी. नहीं हो पाई । उसके बाद में जब अभी अपनी बी. जे. पी. की सरकार आई तो 1995 में हमने इसकी रिवाइज डी. पी. सी. करवाई । तारीख नोट कर लें, 28.10.95 को रिवाइज डी.पी.सी. करवाई जिसमें इनको एडवांटेज दिया गया और इनको 1991-92 के बेसिस पर मैरिट पर और रिजर्व पोस्ट एस. सी. की होने के नाते प्रमोशन दिया गया, एज असिस्टेंट डायरेक्टर उसी तारीख को इनको दूसरा एक और प्रमोशन दिया गया, 28.10.95 को ही वैकेन्सी अगेंस्ट 95-96 और इनको दो साल

(श्रीमती नरेन्द्र कंवर)

का रिलेक्सेशन भी मिल गया क्योंकि इनकी सर्विसेज क्वालीफाइंग सर्विसेज थीं। यह तो जिनके लिए ये फरमा रही हैं वह हैं।

इसके विरुद्ध जिनके लिए यह कह रही हैं कि हमने एडवांटेज देने की कोशिश की है वह डिपार्टमेंट में आर. पी. एस. सी. की सर्विसेज से आए He was selected from R. P. S. C. services on 2nd March, 1985 first as Assistant Director. उसके बाद में इनको 31.3.92 को गवर्नमेंट आर्डर से, 1991-92 के अगेंस्ट में वैकेंसी थी, इसलिए डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया। हो गया तीन साल का एक्सपीरिएंस उसके पहले यह 85 से 92 कितना हो गया ?

श्री अध्यक्ष : सेवन ईयर्स।

श्री नरेन्द्र कंवर : साहब, मेरी मैथेमेटिक्स भी कमजोर है। उसके बाद में अभी 1995 में हमने दुबारा डी.पी.सी. करवाई। उसका एडवांटेज, जिनके लिए यह कह रही हैं उनको हमने दो बार दिया है। उसी डी. पी. सी. के अन्दर वह है, 31.5.95 को की है। यह 31.5.95 को जब डी. पी. सी. की थी तब इनको एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट दी थी। This person was only a T. O. How could I make him Assistant Director straight away ?

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, मैं नयी हूं और हिन्दी में बहुत कमजोर हूं, मैथेमेटिक्स में भी बहुत कमजोर हूं और यह समझने में कमजोर हूं इसलिए आपके माध्यम से ...

श्री राजेन्द्र पारीक : आप तो इसको फायदा पहुंचाने में मजबूत रहो बाकी में कमजोर ही रहो।

श्री अध्यक्ष : विराजिए। कृपया सुनें।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : बात तो सुन लें। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं, माननीय सदस्या जो पूर्व में भी मन्त्री रह चुकी है, इन्हें अनुभव भी है, मैं इनके अनुभव से लाभ उठाना चाहूंगी। माननीय सदस्या ने पूछा है कि वरिष्टतम अनुसूचित जनजाति के अधिकारी का अनुभव अतिरिक्त निदेशक से दुगुना होने पर उन्हें विभिन्न पदों के अनुभवों को जोड़कर पदोन्नति नहीं दिये जाने का कारण बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी में है, पदोन्नति हेतु पिछला, यानि क्वालिफाइंग पद है उस पद के कार्यानुभव को ही पदोन्नति के समय देखा जाता है, न कि उनके सम्पूर्ण सेवा काल को, कम्प्लीट सर्विसेज को। यदि माननीय सदस्या की जानकारी में ऐसा कोई नियम हो तो वह मेरी व साथियों की, सदन की जानकारी में लाएं ताकि मैं अपनी भूल सुधार सकूं। साथ ही अपने ज्ञानवर्धन हेतु माननीय सदस्या से जानना चाहूंगी कि अपने मन्त्रित्वकाल में उन्होंने इस आधार पर कितनी पदोन्नतियां की हैं ?

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, सारा का सारा जवाब अधिकारियों ने लिख कर भिजवाया है। केवल फंसने से डरते हैं इसलिए सारा का सारा रिप्लाई अधिकारियों की ओर से लिखित में आया है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। पूरी बात सुनें।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : आप पूरा सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह भी स्पष्ट करना चाहूंगी कि नियमों में संशोधन पर्टिकुलर पर्सन को लाभ हेतु नहीं किये गये बल्कि विभाग के कार्य को सुचारू रूप से निपटाने हेतु किये गये। यहां किसी पर्टिकुलर पर्सन को लाभ पहुंचाने हेतु ...

श्री राजेन्द्र पारीक : केवल एक पोस्ट के लिए यह किये गये।

श्री अध्यक्ष : पूरी बात तो सुनें आप।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : किया गया होता तो अनुसूचित जाति के जिस अधिकारी हेतु माननीय सदस्या चिन्तित हैं उस व्यक्ति की क्वालीफाईंग सर्विस में दो साल की कमी होते हुए भी उप निदेशक के पद पर उन्नति कैसे सम्भव थी। आपने जो प्रश्न किया है इसमें इन्होंने फरमाया कि पांच साल वह तो पांच साल का ही है, एडिशनल को we have just given a name to the post.

श्री राजेन्द्र पारीक : कृपया जवाब लिखकर भेजें।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति बनाए रखें।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : डिप्टी डायरेक्टर से पहले था कि सीधा डायरेक्टरशिप के लिए। वह 5 साल का गेप था उसमें हमने खाली एडिशनल को जोड़ा है, समय तो वही पांच साल है, उल्टा इसको तो 15 दिन का और घाटा हुआ है जिसको यह प्रमोशन दिया है। अब आप फरमाते हैं कि मैंने अपने डिपार्टमेंट में कोई चिट्ठी लिखी। तो वह तो मेरे और डिपार्टमेंट के बीच में है, मेरे अधिकारियों के बीच में है।

श्रीमती बीना काक : किसने कहां चिट्ठी लिखी ? अपने आप ही बोल रही हैं। किसने कहां चिट्ठी लिखी ? यह सवाल ही नहीं था। अपने आप ही बोल रही हैं। किसी ने आपको पहले ब्रीफ कर दिया, बोल गयी। मैंने कहा कि क्या डायरेक्टर ने कोई शो-कॉज नोटिस दिया ? आपकी चिट्ठी का अभी जिक्र आया ही नहीं, थोड़ी देर में आएगा, बाद में आएगा। अभी पहले जवाब दे दो आप।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : मैं पहले ही दे देती हूं। यह सुपरसोनिक जेट एज है और हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट सुपरसोनिक जेट से ही काम करें। डिपार्टमेंट में इन्होंने वह चिट्ठी तो देख ली और यह चिट्ठी नहीं देखी जो मैंने इनकी तारीफ में लिखी है, मेरे डिपार्टमेंट की। बाकी अब आप जाने।

श्री अध्यक्ष : अब क्या बाकी रह गया।

श्री राजेन्द्र पारीक : क्वेश्चन का जवाब आया ही नहीं। लिखा हुआ भिजवा दिया।

श्रीमती बीना काक : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे करबद्ध कहा था इतनी लम्बी कहानी सुनने की मेरी मन्शा नहीं थी। पाइंटेड सवाल था, पाइंटेड उत्तर आ जाए। अभी भी मेरी विनती है, मेरा पहला सवाल है कि डिप्टी डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट को क्लब किया गया क्या ? 1956 से लेकर 1996 तक के टूरिज्म डिपार्टमेंट के इतिहास में कभी इस प्रकार का 40 वर्षों में हुआ था क्या ?

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : जवाब दे चुकी हूं। यह तो पोस्ट ही नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, हमने तो वह पोस्ट क्रिएट करायी है। पांच साल का था। यह तो क्रिएट करायी है। वे सुनना ही नहीं चाहती तो मैं क्या करूं ? मैं तो पूरी सफाई दे चुकी हूं। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : Hon'ble member, You create problems for her. यह जो चिट्ठी का आपने फरमा दिया है, चिट्ठी का हमने जिक्र ही नहीं किया, वह सफाई देकर उन्हें क्यों फंसा रहे हो बेकार में ही। हम तो बोल ही नहीं रहे हैं चिट्ठी का। आप अपने लोग ही करवा रहे हो उनसे। आई मीन, ख्याल रखो, we have not even mentioned that letter. New I will produce and table it because I didn't even mention. माननीय अध्ययक्ष महोदय, लास्ट टाइम में यही हुआ था। मैंने व्यक्ति का नाम नहीं लिया और मंत्री महोदया को गुमराह कर दिया आप लोगों ने। उन्होंने पहले ही नाम बोल दिया। तो यह सब नहीं होना चाहिए, I am trying to be...... (व्यवधान) हम परेशान हैं।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : कोई लोजिक नहीं है जो आप बोल रही हैं। मैंने जवाब दे दिया है। सब डेट्स दे दी हैं। अब आप देखिये और अगर जिस व्यक्ति विशेष के लिए आप फरमा रही हैं, वह कोर्ट में जा सकते हैं जैसे पहले लोगों ने किया है लेकिन (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : लेकिन आपकी सरकार में न्याय कब मिलेगा ?

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : अगर नियमों के अनुसार नहीं हो तो आप बोल लीजिए।

श्रीमती बीना काक : आपकी सरकार में न्याय कब मिलेगा ? कोर्ट में तो जाते रहेंगे लोग। यूं नहीं बौखलाएं, सवाल का जवाब इस तरह से नहीं दिया जाता। परेशान नहीं होते हैं। आप पहले से ही क्यों परेशान हो रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय....

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : मैं परेशान नहीं हो रही हूं, यह तो मेरा तरीका है ऐसा बोलने का। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये।

श्रीमती बीना काक : उसका क्लब क्यों नहीं किया गया, केवल इसी पोस्ट के लिए क्यों क्लब किया गया ? क्या डायरेक्टर, टूरिज्म की तरफ से इनको शो-काज नोटिस मिला ? (व्यवधान)

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : अध्यक्ष महोदय, यह क्लब नहीं किया गया है, मैं बोल चुकी हूं। नियमानुसार इस पद को मिलाया गया लेकिन नया पद है यह जिसकी अनुमति ली गयी है। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : अनुसूचित जाति, जनजति के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, अध्यक्ष महोदय, 23-23 साल के एक्सपीरिएंस के लोग बैठे हुए हैं और इनके चहेते, अब मैं आरोप लगाना चाहती हूं, इनके चहेते को 10 साल का अनुभव करके, सबको सुपरसीड करवाकर डायरेक्टर, आई. ए. एस. अधिकारी को हटाकर, उसको डायरेक्टर बनाने की तैयार कर दी है, अध्यक्ष महोदय। यह बिलकुल सत्य आरोप है। (व्यवधान)

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : यह गलत है। आप गलत आरोप लगा रही हैं। (व्यवधान) सरकार के पास में इसका अधिकार है कि डायरेक्टर पर कौन आएगा जिसको सरकार चाहेगी वह आएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये।

श्री अरुण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पाइंटेड सवाल है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये। (व्यवधान) जुबेरखान जी, यह आपका प्रश्न नहीं है। बिराजिये आप।

श्री अरुण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पाइंटेड सवाल है।

श्री जुबेर खान : एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जिसको (व्यवधान) रखकर और सवर्ण जाति के व्यक्ति जो माननीय मंत्री महोदया की जाति के हैं, डायरेक्टर बनाने के लिए बार-बार सशोधन किया गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री जुबेर खान : यह सीधा मामला नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय अरुण सिंह जी (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जुबेर खान जी, बैठ जाइए। (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह (डीग) : अध्यक्ष महोदय, यह जो एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट स्पेशली क्रिएट हुई, that is a humiliation for the I. A. S. lobby.

श्री अध्यक्ष : यह पहले हो चुका है।

श्री अरुण सिंह : आई. ए. एस. को हटाने जा रहे हैं। डायरेक्टर पद को एक आई. ए. एस. जो स्टील फ्रेम है इस देश का, पर्यटन विभाग एक आई. ए. एस. अधिकारी को हटाकर ...... (व्यवधान)

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : इसका जवाब मैं दे चुकी हूं। आप अपने लफ्जों को घुमाकर जबरदस्ती हाउस को गुमराह नहीं करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह जी।

श्री रघुबीर सिंह : प्रश्न संख्या 733

श्रीमती बीना काक : अध्यक्ष महोदय, यह सरासर अन्याय है। आवाज तेज करके मुझे भी बोलना आता है, बाकी को भी बोलना आता है। पाइंटेड सवाल का पाइंटेड जवाब आना चाहिए, अध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के........ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : क्या मन्त्री महोदया दूसरी बार (व्यवधान) इस तरह से अवेयरनेंस लाएंगी ? (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : पाइंटेड सवाल का पाइंटेड जवाब आना चाहिए। (व्यवधान) जवाब स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री अरुण सिंह : प्रतिनियुक्त करने का निश्चय कर लिया, जिस बात की........ (व्यवधान)

(12)

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये।

श्रीमती बीना काक : जवाब नहीं आया, अध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : एस. सी के आफीसर के साथ अन्याय हुआ है। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : और मन्त्री महोदया कह रही हैं आप हाई कार्ट में चले जाइए। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : बार-बार यह सवाल असेम्बली में उठता आया है, उसके बाद ज्यादती हो रही है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये, विराजिये। दूसरा प्रश्न पुकारा है मैंने। विराजिये आप। काफी हो गया लम्बा चौड़ा।

श्रीमती बीना काक : पाइंटेड प्रश्न ... (व्यवधान) क्या इतिहास में क्लब किया गया है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंहजी।

श्रीमती बीना काक : कभी किसी सर्विस के अन्दर नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह जी। आप विराजिये। आज बहुत हो चुका है।

श्रीमती बीना काक : एस. सी. के लोगों के अधिकारों का हनन है, अध्यक्ष महोदय। कोर्ट का हवाला देते हैं, यह सरकार किसलिए है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये। रघुवीर सिंह जी। अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : × × ×

श्रीमती बीना काक : × × ×

श्री परसराम मोरदिया : × × ×

श्री डी. पी. सिंह : × × ×

श्री राजेन्द्र पारीक : × × × ... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है। रघुवीर सिंह जी। ..(व्यवधान)..

होटल देवदर्शन, उदयपुर का अनुबन्ध प्रकरण

733. **श्री रघुवीर सिंह** (सराड़ा) एवं **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग द्वारा संचालित होटल देवदर्शन, उदयपुर को राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा अनुबन्ध पर लिया जा रहा है ? यदि हां, तो किन शर्तों पर ? शर्तों की प्रति सदन में मेज पर रखें।

(2) देवस्थान विभाग द्वारा होटल को अनुबन्ध पर देने हेतु पर्यटन विकास निगम को क्या प्रस्ताव भेजा गया था ? भेजे गये प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से होटल देवदर्शन के किराये का निर्धारण भी करा कर भेजा गया है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रघुवीर सिंह)

(4) क्या राजस्थान पर्यटन विकास निगम सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किये गये किराया निर्धारण पर होटल को अनुबन्ध पर लेने को सहमत है ? यदि नहीं, तो देवस्थान विभाग का कितने किराये का प्रस्ताव था ? प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या सरकार ने होटल देवदर्शन में कार्यरत स्टाफ को पर्यटन निगम में देने का कोई प्रस्ताव रखा है ? यदि हां, तो किस आधार पर ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त प्रस्ताव रखने का विचार रखती है ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, वैसे यह प्रश्न पूर्व में आ चुका था.....

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न तीन दिन पहले तो आया है चार दिन हुए होंगे ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : देवदर्शन होटल का जो प्रश्न है एक बार पहले इसी सत्र में इसका वर्णन आ चुका है । माननीय सदस्य चाहें तो फिर दुबारा पढ़ देता हूं । वैसे यह प्रश्न आ चुका था और इसके सारे जितने भी कंटेन्ट्स हैं, मैं सारे कंटेन्ट्स पढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष : इसमें कोई पूछना ही नहीं है । अब क्या पूछना है । विराजिये आप ।

श्री रघुवीर सिंह : मैं तो पूछ लूं, वे समय बरबाद नहीं करें तो मैं पूछ लूं मुझे जो पूछना है ।

श्री अध्यक्ष : अतिशीघ्र ठीक किया जाएगा इसको, सरकार व्यवस्था कर देगी ।

श्री रघुवीर सिंह : पहले जो नहीं आया है, वह पूछ लूं मैं ।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री का अधिकार तो है ही, जब पिछला आ गया है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप । श्री रामकिशन जी ।

श्री रघुवीर सिंह : मैं पूछ रहा हूं कि...

श्री रामकिशन वर्मा : प्रश्न संख्या 734.

श्री अध्यक्ष : अभी तीन दिन पहले आया है । क्या पूछ रहे हैं आप ?

श्री रघुवीर सिंह : मैं पूछ रहा हूं कि...

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह विषय पहले आ चुका है, ज्यों का त्यों आ चुका है । (व्यवधान) जब आ चुका है तो समय बरबाद करने की आवश्यकता नहीं है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जब टेबल पर आ गया है तो सप्लीमेंट्री का अधिकार तो उनका है ।

श्री अध्यक्ष : बोलने तो दें आप उन्हें । (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह : प्रश्न के भाग एक में यह निवेदन किया गया है कि शर्तों की प्रति सदन की पटल पर रखी तो क्यों नहीं रखी ? दूसरी बात, इस होटल के अन्तर्गत ही फतेह मेमोरियल धर्मशाला है, क्या

(श्री रघुवीर सिंह)

इसको भी आर. टी. डी. सी. को दे दिया गया है ? यदि हां, तो वहां का क्या किराया है ? क्या गरीब आदमी वहां ठहर जाएगा ? यह मेहरबानी करके बता दें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, केवल एक कमरा पर्यटकों की गाइडेंस के लिये आर. टी. डी. सी. को दे रखा है। बाकी सारा का सारा फतेह मेमोरियल धर्मशाला का है व उसी प्रकार से आने वाले यात्रियों को ठहरने की सुविधा दी जा रही है। यात्रियों को नहीं रोका गया है। केवल एक कमरा आने वाले टूरिस्टों के लिये है। वह ठीक स्थान पर है और लोकेशन अच्छा है इसके कारण से एक कमरा जरूर उनको दे दिया गया है बाकी पूरी की पूरी फतेह मेमोरियल धर्मशाला जितनी भी है, वह सारे के सारे कमरे यात्रियों को बिलकुल कम से कम दर से ठहरने की सुविधा उपलब्ध है।

श्री अध्यक्ष : अब आपको इसमें क्या पूछना है उदयपुर की फतेह मेमोरियल धर्मशाला के बारे में ? श्री रामकिशन जी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, मेरा अलग से प्रश्न है, मुझे पूछना है।

श्री अध्यक्ष : अब कोई बात नहीं है। सारी की सारी बात पहले हो चुकी है, उसमें कम से कम 20 मिनट लगे हैं।

श्री रघुवीर सिंह : शर्तों की प्रति नहीं रखी है, जवाब अधूरा है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी मैं बोली थी।

श्री रघुवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, शर्तों की प्रति सदन के पटल पर रखी नहीं है तो इसमें कम से कम जो पूछा है वह तो पूरा आना चाहिये। शर्तों की प्रति सदन के पटल पर क्यों नहीं रखी गयी ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : जब प्रश्न लगा है तो सवाल पूछने दीजिये, अध्यक्ष महोदय। मेरा तो यह कहना है, पिछली बार भी यह जब सवाल आया था तो यह कहा था कि देवस्थान यह चलाता है तो आप इसको सही कराने की बजाय, जैसा कि उन्होंने कहा था इसको पर्यटन विभाग को दे रहे हैं, इसको ठीक नहीं कर रहे हैं। मैंने यह कहा था कि पर्यटन विभाग के पास में तो पहले से ही बहुत होटल हैं पैसे वालों के खर्च करने के लिये। यह अगर सस्ते दामों का है तो आप ठीक करके चलाएं बजाय पर्यटन विभाग को देने के। उस दिन भी यही सवाल पूछा था और वही सवाल आज मैं फिर पूछ रही हूं कि आप पर्यटन विभाग को क्यों दे रहे हैं, देवस्थान विभाग के द्वारा क्यों नहीं ठीक कराकर इसको चला रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : कृपया आप विराजिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : शर्तों की प्रति सदन के पटल पर नहीं रखी है, उसके बारे में पूछा है उन्होंने कि यहां शर्तों की प्रति सदन के पटल पर क्यों नहीं रखी ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जो भी जानकारी इसमें चाही है,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

खण्ड दो के परिशिष्ट (एक) में संलग्न किया गया है और खण्ड तीन के परिशिष्ट (दो) में संलग्न किया गया है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

यह केवल अभी तक पी. डब्ल्यू. डी. का असेसमेंट आया है । आर. टी. डी. सी. के द्वारा कहा गया कि हम इतने पैसे नहीं देंगे । उन्होंने 1.27 लाख रुपये का कहा । हमने दुबारा इसको पी. डब्ल्यू. डी. को भेजा है कि आपका असेसमेंट ठीक नहीं है । उन्होंने फिर दुबारा असेसमेंट करके 2.5 लाख इसको किया है । अभी भी हम यह मानते हैं कि 2.5 लाख भी ठीक नहीं है । अब हमको एक साल इस सारे प्रोसीजर में हो गया है, आर. टी. डी. सी. को देने और नहीं देने में, आपस में प्रस्ताव आने और नहीं आने में । इसलिये अब यह है कि हम जल्दी से जल्दी इसको ओपन आक्शन के द्वारा ही जो भी सक्षम जिसकी बोली होगी उसको देने का काम शुरू करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : रामकिशनजी । (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैंने जो पूछा था, अध्यक्ष महोदय, कि आप क्यों दे रहे हैं, देवस्थान से क्यों नहीं चला रहे हैं, मैं इस सवाल का जवाब चाहती हूं कि देवस्थान से क्यों नहीं चला रहे ?

श्री अध्यक्ष : अब हो गया न । विराजें आप । दूसरा प्रश्न आने दें । रामकिशनजी । यह प्रश्न समाप्त हो गया । हो गया, विराजें आप । (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : गरीब लोगों के ठहरने का स्थान है तो क्यों दे रहे हैं, इसका जवाब नहीं आया । अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सवाल पूछा ...

श्री अध्यक्ष : बात हो गयी उसमें । अब एक घंटा हो गया, विराजें आप । विराजिये न आप ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब नहीं आया । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका फतेह मेमोरियल है सस्ता रहने के लिये, विराजिये आप ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : देवस्थान से क्यों नहीं चला रहे हैं ? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि देवस्थान से क्यों नहीं चला रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : कृपया समय जाया नहीं करें, इन्दिराजी । (व्यवधान) विराजिये आप । कृपया बात सुनें ।

सी. ए. डी. कोटा में स्थापित मशीनें

734. श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सी. ए. डी कोटा में कितनी मशीनें हैं तथा उनमें कितनी चालू हालत में हैं ? मशीनों का प्रति घण्टा कितना किराया वसूल किया जाता है ? यह किराया बाजार में उपलब्ध मशीनों की दरों से अधिक है या कम ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(16)

(श्री रामकिशन वर्मा)

(2) पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक मशीन द्वारा किये गये कार्य का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक मशीन पर सरकार द्वारा कितना-कितना खर्चा किस-किस मद पर किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या काडा की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार नहरों पर मशीनें सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, क्षेत्रीय विधायक व पंचायत प्रधान तीनों की सहमति लगाई जाएंगी ? यदि हां, तो इस निर्णय की पालना कहां-कहां की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, सिंचित क्षेत्रीय विकास (श्री ज्ञानसिंह चौधरी) : (1) सी. ए. डी. के फील्ड मशीनरी खण्ड में इस समय 96 मशीनें हैं जिनमें से वर्तमान में 93 मशीनें चालू हालत में हैं। संलग्न (परिशिष्ट-1) इन मशीनों की प्रति घंटा रेट संलग्न परिशिष्ट-2 में अंकित है। बाजार में उपलब्ध मशीनों की दरों से विभाग की मशीनों की दरें कम हैं।

(2) पिछले तीन वर्षों में मशीनों द्वारा किया गया कार्य का विवरण घंटों में संलग्न परिशिष्ट-3 के अनुसार है।

(3) मशीनों पर पिछले तीन वर्षों में मदवार किये गये खर्चे का विवरण संलग्न परिशिष्ट-4 "(अ व ब") के अनुसार है।

(4) ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है। काडा की मीटिंग में ड्रेनों की खुदाई हेतु निर्णय लिया गया था व उक्त ड्रेनें कृषि अभियन्ता द्वारा खुदवाया जाना प्रस्तावित था। नहरों के रख-रखाव व आवश्यक संचालन हेतु प्रत्येक खण्ड में जे. सी. पी. मशीनें, डोजर, ईडर मशीनें उपलब्ध करवाकर कार्यों को करवाया जा रहा है, जो सहायक अभियन्ता, क्षेत्रीय विधायक, प्रधान महोदय पंचायत समिति की जानकारी में है। यह कार्य उन्हीं वितरण प्रणालियों पर करवाया जाना सम्भव है जिन पर तकनीकी दृष्टि से टेल पर पानी पहुंचने हेतु आवश्यक है और बजट उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय मन्त्री महोदय, जब सी. ए. डी. के पास करोड़ों रुपये की मशीनें खुद की मौजूद हैं तो फिर बाहर से मशीनें लाने का, किराये पर देने का क्या औचित्य है ? एक। बाहर के ठेकेदार को बुलाकर हम लोगों ने काम दिया और वह लीड देकर जो मिट्टी मंगवाई उससे, धोरों पर डलवाई और सड़क पर डलवाई, अगर यह कार्य विभागीय मशीनों द्वारा नहर की खुदाई करके धोरों पर डलवाते तो नहर की सफाई भी होती, नहरें गहरी होतीं। यह सारा लाभ हमें अपने विभाग द्वारा मिलता। लेकिन ठेकेदारों के मनमाने तौर तरीकों से 60 प्रतिशत का ज्यादा लाभ ठेकेदारों को दिया गया। यह बिलकुल भ्रष्टाचार हुआ है, यह बात मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय सदस्य ने बताया, वैसे तो हमारे विभाग के द्वारा करीबन 27 मशीनें ड्रेनेज का और रखरखाव का काम कर रही हैं और इनकी सूचना के लिए मैं बताना चाहता हूं कि पिछले साल सिर्फ दो मशीनें किराये पर ली गयीं जिसका करीबन तीन लाख रुपये खर्चे का भुगतान हुआ है और उसके बाद भी यह समझते हैं कि इस प्रकरण की जांच होनी चाहिये तो सी. ए. डी. से इसकी पूरी जांच करवा कर अगर कहीं कोई कमी है, अगर किसी अधिकारी की गलती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। क्या पूछना रह गया अब।

श्री रामकिशन वर्मा : अध्यक्ष महोदय, काडा की मीटिंग में तय किया गया था कि काश्तकार, क्षेत्र के विधायक, प्रधान मिल करके इस बात की चर्चा करेंगे, उनसे सहमति लेने के बाद यह कार्य हम करवाएंगे। इस मीटिंग से न तो किसी का सरोकार रखा और न अधिकारियों ने इस मीटिंग को बुलाने की आवश्यकता समझी। क्षेत्रीय विधायक को न बुलाने की वजह से ही अपने मनमाने काम करवाए, तो 77 गांवों को डी कमाण्ड करना पड़ा। अगर आज उनकी सलाह ले ली जाती, उनसे इस कार्य में सहयोग लिया जाता तो यह 77 गांव डी-कमाण्ड नहीं होते, काश्तकार को पानी मिलता, नहरों का रख-रखाव ठीक हो जाता, नहरों की सफाई हो जाती और बहने वाले पानी की बचत होकर काश्तकार को पानी मिलता।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवराय पाटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ प्रश्न पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष : आपको क्या पूछना है? एक मिनट।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा। मंत्रीजी, क्या यह जो निर्णय हुआ है कि विधायकों की सहमति से मशीनें लगाई जाएंगी, वह आपकी उपस्थिति में आपकी अध्यक्षता में हुई मीटिंग में भी हुआ था और इसकी पूरी चर्चा होने के बाद आदेशित किया गया था कि विधायकों से पूछ कर मशीनें लग जाएं? एक। दूसरा, मन्त्रीजी, आपने टेल एरिया को देखा है, 77 गांव निकाले गये हैं, जान-बूझकर निकाले गये हैं और विभाग की, सरकार की कमजोरी से निकाले गये हैं। आज मशीन एक ही ड्रेन पर बार-बार चलती है। आपके निर्देश के बावजूद भी नहरों को ठीक नहीं किया गया और जो मशीनें सी. ए. डी. की हैं उनको दूसरे विभागों में भी किराये पर दिया गया और जो ठेकेदार उस क्षेत्र के मन्त्रियों के चहेते हैं उन्हीं को ठेका दिया जा रहा है और वह काम करते नहीं हैं। काम करते हैं दो मीटर का ...

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। मांगीलालजी।

श्री रामनारायण मीणा : और उसका बिल बनता है दो किलोमीटर का। मंत्रीजी, आप उन कामों को ठेकेदारों को देते हैं, क्या आप उन मामलों की जांच कराएंगे और एक कमेटी बनाकर जांच करा कर टेल तक पानी पहुंचाएंगे?

(18)

श्री अध्यक्ष : विराजें अब। मांगीलालजी।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवराय पाटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, क्या यह सही है कि चम्बल कमाण्ड एरिया में सीडा वर्क्स, कैचमेंट वर्क्स, नहरें और ड्रेनों के काम केवल मात्र अप्रेल, मई और जून तीन महीनों में ही होते हैं ? क्या यह भी सही है कि पहली प्राथमिकता सीडा वर्क्स और कैचमेंट वर्क्स को देकर के ...

श्री अध्यक्ष : अभी तो यह मशीनों की बात हो रही है कि कोटा में कितनी मशीनें हैं, कितनी चालू हैं, मशीनों का प्रति घण्टा क्या हुआ ?

श्री मांगीलाल मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण है। जो नहरे हैं उनके लिए मशीनें काम में नहीं ली जा रही हैं और उसी का परिणाम है कि आज 77 गांवों को डी-कमाण्ड करना पड़ा। अगर इन मशीनों का उपयोग मई, जून, जुलाई में सीडा, कैचमेंट के अनुपात में नहरों और ड्रेन पर किया जाए तो कुछ काम होगा। प्राथमिकता उनको दी जा रही है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय की जानकारी में यह लाना चाहूंगा कि बार-बार आपने वहां दौरा किया, आपकी सारी जानकारी में है, हमने यह कहा है, इन मशीनों का काम सब डिवीजन स्तर पर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : अब आप प्रश्न पूछें। माननीय, प्रश्न।

श्री मांगीलाल मेघवाल : क्या यह सही है कि डी-कमाण्ड बड़े किसानों का नाम लेकर कर दिया गया कि हमने बड़े किसानों की बात मानी है ? क्या यह भी सही है कि डी-कमाण्ड करने में अधिकारियों ने जवाब दिया है कि जन प्रतिनिधियों की मांग थी ? क्या यह भी सही नहीं है कि जन-प्रतिनिधि बार-बार मांग कर रहे हैं कि सीडा वर्क्स और कैचमेंट के अनुपात में, जो वह प्रोजेक्ट है उसमें नहरों को ठीक करने के लिए सब डिवीजन स्तर पर हमको दीजिए ? यह मांग क्यों पूरी नहीं की जा रही है ? माननीय मन्त्री महोदय यह जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी रामकिशनजी ने जिक्र किया कि काडा की बैठक में कुछ निर्णय हुए या नहीं हुए, जहां तक हमारी कमांड एरिया डवलपमेंट अथारिटी का प्रश्न है, उसमें एम. एल. ए. प्रधान, पंचायत समिति और कुछ काश्तकार लोग हैं और समय-समय पर बैठक करने की भी उनको हिदायत है और बैठक करके जो भी कमाण्ड एरिया डवलपमेंट अथारिटी के निर्णय हैं, उनकी राय से निर्णय किये जाते हैं। जैसे अभी मांगीलाल जी ने कहा कि इस स्तर पर मशीनों का बंटवारा हो, मशीनों की देखरेख हो, मैं इस बात से सहमत हूं कि वास्तव में जो कार्य हैं उनमें जन-प्रतिनिधियों की भागीदारी होनी चाहिए। काडा स्तर पर, हमारे प्रोजेक्ट स्तर पर तो कमेटी है ही, और जैसा कि मैं महसूस करता हूं, सहायक अभियन्ता स्तर पर भी हमारे एम एल. ए. प्रधान को, जो टेल के काश्तकार हैं उनको सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे वर्ष में काम शुरू होने से पहले वह बैठ कर यह तय कर सकें कि सब डिवीजन में कहां-कहां

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

काम होने हैं। तो मैं मेरी ओर से अगले एक महीने के अन्दर ए ईएन. स्तर पर, सब डिवीजन स्तर पर कमेटियों का गठन करूंगा। उसमें प्रधान, एम. एल. ए. और दो टेल के काश्तकार और एक अन्य काश्तकार पोगा जिससे कि वह अपने उसकी पूरी देखरेख कर सकें, उनके काम पूरे कर सकें। जहां तक हमारी अन्य बातों का प्रश्न है, जहां तक हमारी सफाई का, ड्रेनेज का मसला है, पहले इस ड्रेनेज का काम वैसे हौच-पोच तरीके से होता था, इस बार हमने निर्णय किया है कि हमने जोन तय किये हैं और पिछले साल जोनवाइज दो सौ किलोमीटर की हमारी ड्रेन की सफाई हुई है। जहां हमारी ड्रेनेज पर 50-55 लाख रुपये खर्च होते थे सफाई पर, पिछले साल एक करोड़ रुपये खर्च हुए। 46 लाख रुपये हमारे ड्रेनेज की, नहरों की सफाई पर, मरम्मत पर खर्च हुए।

श्री रामनारायण मीणा : मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। हमारी मांग है कि नहरों की सफाई क्यों नहीं होती है, ड्रेन का ही नाम क्यों आता है बार-बार। नहरों की सफाई नहीं होने से ही टेल पर पानी नहीं जाता और उनको डी-कमाण्ड करना पड़ा। यह आप तो कृपा करके ...

श्री अध्यक्ष : इसीलिए तो सफाई करा रहे हैं। आपको उसमें मैम्बर रखेंगे। विराजें आप।

श्री रामनारायण मीणा : इतना करिये, हमें तो यह आश्वस्त करिये कि नहरों की ज्यादा सफाई होगी। नहरों की सफाई नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष : मैम्बर, मैम्बर। विराजिये। पूरी बात सुनें।

श्री मांगीलाल मेघवाल : मन्त्री महोदय, आपको भी गुमराह किया गया है। यह सफाई वहीं हुई है जहां सीडा वर्क्स हैं। वहीं हुई है जहां कैचमेंट वर्क्स हैं।....

श्री अध्यक्ष : आप तो गुमराह नहीं हो और मन्त्री गुमराह हो गये। विराजिये आप। विराजें अब।

श्री मांगीलाल मेघवाल : वहां केवल कागजों में प्रोजेक्ट बनाया गया है, मशीनों से सफाई नहीं की गयी है और जो बताया गया है वह केवल बड़े काश्तकारों के लिए है। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये। मांगीलालजी, विराजिये न आप। जवाब तो पूरा सुनें। कृपया जवाब सुनें।

श्री रामनारायण मीणा : बड़े काश्तकारों का नाम लेकर, मान्यवर, गरीबों के खिलाफ काम हो और, मन्त्रीजी, आप तो नहीं चाहते कि गरीबों के खिलाफ काम हो।....

श्री अध्यक्ष : कृपया जवाब सुनें, नहीं तो मैं आगे प्रश्न बुला रहा हूं। जो काम की बात हो वह सुन लें आप। यों तो डिबेट कर ही सकते हैं अपन।

श्री रामनारायण मीणा : आप तो गरीब किसानों के हितैषी हैं। जो बड़े किसानों के नाम पर डी-कमाण्ड हो रहा है इस पर रोक लगाइए, आप कुछ करिये।

श्री अध्यक्ष : आप कृपा करके विराजें। ये फिर खड़े हो गये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवराय पाटन) : मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि ... (व्यवधान) ... इसकी जांच करवाएं यह कहां हुई है।

श्री अध्यक्ष : मतलब आजकल सदन में ऐसा हो गया कि मन्त्रियों का जवाब नहीं सुनना है। विराजिये अब आप। कम से कम उनका जवाब तो पूरा सुनें। काम उनसे लेना है और आप जवाब ही नहीं सुनना चाह रहे हैं और बार-बार खड़े होकर अपनी राय दे रहे हैं।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : जहां तक टेल पर पानी पहुंचने का प्रश्न है, हमारे टेल पर वास्तव में पानी नहीं पहुंचता उसके लिए उस क्षेत्र के लोग भी जानते हैं कि उसके कारण क्या हैं। उनमें तो मैं नहीं जाना चाहता लेकिन जिस प्रकार से हमने नहरों की सफाई करने का ड्रेनेज की सफाई करने का अभियान चलाया है, हमारा निश्चित रूप से यह प्रयास होगा कि हमारे टेल पर, आखिरी छोर तक काश्तकार के पास पानी पहुंचे। इसके लिए मांगों का साइड भी दुरुस्त किया जा रहा है और जो भी कार्यक्रम हैं हम उसमें तत्काल लागू कर रहे हैं। जो अन्य दो बातें मैंने कहीं, अब जैसे कि ड्रेनेज की सफाई के लिए मांगीलालजी कहते हैं कि नहीं हुई तो मैं खुद इसके लिए मौका देखूंगा और जहां पर अगर कहीं गड़बड़ हुई है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। आगे से मैं इस बात के लिए अधिकारियों को पाबन्द करूंगा ए. डी. सी. को कि वास्तव में जो कमेटी ए. ईएन. स्तर पर गठित कर रहे हैं उसकी राय से ही आगे कार्य लिए जाएंगे, उसी को प्राथमिकता दी जाएगी। यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। इससे नहरों की सफाई भी होगी और टेल तक पानी पहुंचेगा।

श्री रामकिशन वर्मा : एक मिनट, साहब, एक मिनट। माननीय मन्त्री महोदय ....(व्यवधान) ..

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। समाप्त। श्री जगदीपजी धनखड़। नो, नोट अलाउड।

प्रश्न संख्या 735

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मन्त्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद, जवाब तो पूरा दे देते हैं और मन्त्रियों की तरह नहीं हैं। आप कांग्रेस में रह चुके हैं इसलिए....

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री रामकिशन वर्मा : एक मिनट। मैं, माननीय मंत्रीजी, आपसे यह चाहता हूं कि अभी भी नहरों के रेगुलेशन का कार्य हम ठेकेदारों से करवा रहे हैं। अभी तक तो हमारे विभागीय अधिकारी करते थे, कर्मचारी करते थे। क्या इसे फिर आप चालू करवाएंगे ? मैं यह बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि बाहर के ठेकेदार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। जो भ्रष्टाचार हुआ है इसी कारण से हुआ है। इसे रुकवाने के लिए मैं आपसे यह बात कह रहा हूं ताकि आपकी जानकारी में आ जाए और आप इसको दुरुस्त करवाएं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, बात हो गयी।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, कृपया नियम 41 (3) में मुझे आज्ञा प्रदान करें। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 735।

श्री अध्यक्ष : यह तो इसमें आपका तो कहीं....

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : नहीं, अध्यक्ष महोदय, रूल 45 में लिखित परमिशन की जरूरत है और 44 (3) में आपकी आज्ञा से महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। नियमों में प्रावधान है। आर. पी. एस. के प्रमोशंस का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कोई लिख करके तो भेजा नहीं है।....

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : 44 (3) में प्रावधान है। संक्षेप में पूछूंगा, मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा। आर. पी. एस. के प्रमोशंस का ही है।

श्री अध्यक्ष : यह तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। यह इस तरह से नहीं। वो लिख कर के भेजते तो मैं कर देता। माननीय खेतसिंह जी।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आपके डिस्क्रिशन पर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्यमंत्री चिकित्सा) : अध्यक्ष महोदय, यह गलत परम्परा होगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय खेतसिंह जी।

प्रश्न संख्या 736

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें।)

माननीय श्री हरिसिंह जी, कुम्हेर।

विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर के राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण

737. **श्री हरिसिंह (कुम्हेर)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर के सभी ग्राम विद्युतीकरण घोषित किये हुए हैं? यदि हां, तो उन गांवों की क्या स्थिति है जो इस वर्ष या पिछले वर्ष राजस्व ग्राम घोषित किये गये हैं?

(2) अब कौन-कौनसे ग्राम इस क्षेत्र के विद्युतीकरण हेतु घोषित होने हैं और वह कब तक घोषित कर दिये जाएंगे?

ऊर्जा मन्त्री (श्री रघुवीर सिंह कौशल) : (1) जी हां, विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर के सभी ग्राम विद्युतीकरण घोषित हैं। इसके बाद विद्युतीकरण ग्रामों से पृथक् होकर नये बने राजस्व ग्रामों को भी मण्डल आदेश सं. 935 दिनांक 21-9-87 के अनुसार स्वतः ही विद्युतीकृत मानते हुए उनमें मांगे जाने पर कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान है।

(2) चूंकि विधान सभा क्षेत्र के सभी ग्राम विद्युतीकृत घोषित हैं, अतः उपरोक्त आदेशानुसार कोई ग्राम विद्युतीकृत घोषित किये जाने हेतु शेष नहीं है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : बस एक ही सवाल है, अध्यक्ष महोदय, कि जो नये राजस्व ग्राम घोषित हुए हैं उनमें आप ट्रांसफार्मर रखेंगे और जो लोग वहां से उन गांवों के कनेक्शन लेना चाहेंगे उनको उस गांव में रखे हुए ट्रांसफार्मर से लेकर के अपने

(श्री हरिसिंह)

घर तक कनेक्शन का चार्ज देना पड़ेगा डिमाण्ड नोटिस में ? एक प्रश्न । दूसरा यह है कि उन गांवों में जो अनुसूचित जाति की बस्तियां हैं क्या उन्हें भी आप विद्युतीकृत करेंगे ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति की बस्तियों के लिए समाज कल्याण विभाग में प्रोविजन होता है । हम जब किसी रेवेन्यू गांवों को विद्युतीकृत करते हैं तो उस गांव का पूरा रेवेन्यू एरिया माना जाता है और उस समय भी कोई यदि डिमाण्ड करता तो उनको कनेक्शन दिये जा सकते थे । अब वो अलग हो गये हैं लेकिन हमारे यहां वो विद्युतीकृत हैं इसलिए कोई भी यदि कनेक्शन के लिए एप्लाई करेगा तो नियमानुसार उसको कनेक्शन दिया जाएगा ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : नहीं, यह सवाल नहीं है । सवाल मेरा साफ है अध्यक्ष महोदय, कि उस गांव में जो नया गांव घोषित हुआ है उसमें आप ट्रांसफार्मर रखेंगे, आप पुराने घोषित गांवों से दो किलोमीटर की दूरी से कनेक्शन अब भी देना चाहेंगे क्या ? नया रेवेन्यू विलेज घोषित करने का मतलब यह हुआ कि अलग एक स्थिति हो गयी । इस प्रकार से पहले आपने अलग गांव में ट्रांसफार्मर रखे थे, क्या अब इन गांवों में ट्रांसफार्मर रख करके लोगों को कनेक्शन देने का फायदा देंगे अथवा नहीं देंगे ? यह बताइये आप ।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : मन्त्री महोदय, डांगावास से गांव गणेशपुरा...

श्री अध्यक्ष : डांगावास की बात नहीं है, कुम्हेर की बात है ।

श्री भंवरसिंह डांगावास : हां, यही है राजस्व ग्राम घोषित हुआ है, बात वो की वो है ।

श्री अध्यक्ष : हां तो वो तो आ जाएगा । अभी तो कुम्हेर पर आएं आप ।

श्री भंवरसिंह डांगावास : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि अब वहां पर 5–5 हजार रुपये के डिमाण्ड नोट भेज दिये कनेक्शनों के लिए जबकि राजस्व गांव पूरा इलेक्ट्रिफाइड घोषित था । उसका भाग गणेशपुरा बना और उसके बाद पांच हजार रुपये ...

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये । डांगावास का प्रश्न आएगा तब आ जाएगा ।

श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) : अध्यक्ष महोदय, जो नया गांव इलेक्ट्रिफाइड किया जाता है, जिन गांवों को इन्होंने इलेक्ट्रिफाइड किया है और पहले भी यह नियम है कि जिस गांव को इलेक्ट्रिफाइड किया जाएगा वहां पर 11 के. वी. लाइन ले जाकर के ट्रांसफार्मर लगा करके वहां पर इनको लट्टू लगाना होगा । यह इनके जवाब में सही नहीं आ रहा है । यह आप कह रहे हैं, मन्त्री महोदय, बिलकुल गलत है । ये स्थिति को क्लियर नहीं करना चाहते । इसके अन्दर भेद है । ये जो भी गांव इलेक्ट्रिफाइड किये जाते हैं उसके लिए यह नियम है और उस नियम के आधार पर यह होना चाहिये मन्त्री जी को यह साफ जवाब देना चाहिए कि इलेक्ट्रिफाइड होने पर उस गांव तक 11 के. वी. की लाइन ले जाकर ट्रांसफार्मर लगा करके लट्टू लगाना होगा ।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अब क्या प्रश्न पूछना है, यह तो कुम्हेर तक ही सीमित है।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : इसका पालन नहीं हो रहा है अध्यक्ष महोदय, इसलिए जितने मजरे राजस्व गांव बन रहे हैं उन सबको इस परिधि में लाते हुए एक आदेश स्पष्ट तौर से निकाला जाए। (व्यवधान)... इससे अलग ट्रांसफार्मर.... (व्यवधान) अलग लाइन के खर्चे वसूल किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। पहले मन्त्रीजी का जवाब सुनिये नहीं तो समय चला जाएगा। माननीय मन्त्रीजी। समय होगा तो बाद में देखा जायेगा।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न तो यह है कि जब आपने गांव को इलेक्ट्रिफाइड घोषित कर दिया तो वहां की सीमा तक आपको इलैक्ट्रिक लाइन पहुंचानी चाहिए और फिर देना चाहिए। एक तो यह और दूसरा जो मजरे और गांव के साथ मजरे हैं उनका क्या होगा? इन दोनों बातों पर आपका क्लेरीफिकेशन मुझे चाहिए। आप इन दोनों के लिए थोड़ा-सा अपना पालिसी डिसीजन बता दें।

श्री दलीचंद (दानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसी प्रश्न पर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में इतने सारे गांव विद्युतीकृत हैं, आज तक उन गांवों में लाइन नहीं खींची गई है लेकिन आप हमें बता रहे हैं कि ये विद्युतीकृत गांव हैं। कम से कम चालीस गांव ऐसे हैं जो पांच साल से विद्युतीकृत घोषित किये हुए हैं लेकिन एक भी गांव में आज तक बिजली की लाइन नहीं गयी है। क्या, मंत्री महोदय, गांव विद्युतीकृत घोषित करके ही आप उसको छोड़ देते हैं या उस गांव को लाइन पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं? यह, मंत्रीजी, जरा बता दें।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। हां, माननीय लक्ष्मणसिंह जी।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : मंत्री महोदय बहुत संवेदनशील हैं। यह समस्या सब जगह पर है। पहले इसी प्रकार ट्रांसफार्मर लगा करके लाइन खींची जाती थी जैसा खारची से आने वाले सदस्य ने कहा। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन और प्रश्न है कि अब जो नये रेवेन्यू विलेज पुराने विलेजस में से निकलते हैं और जहां पर उनके पुराने रेवेन्यू विलेज से 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर है क्या बोर्ड वहां पर भी इलैक्ट्रिफाइड घोषित करने के बाद ट्रांसफार्मर लगा कर लाइन खींच कर लट्टू जला करके उसको वास्तव में व्यावहारिकता में बोर्ड इलैक्ट्रिफाइड घोषित करेगा?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। विराजिये, हरिसिंहजी, विराजिये। जवाब सुनें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि ये गांव की ढाणियां है। जैसा अभी खारची से आने वाले माननीय विधायक कह रहे थे, गांव तो इलैक्ट्रिफाइड वैसे ही होते हैं जैसे आपने

(24)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

फरमाया। पर यह दूर-दूर की ढाणियां हैं और यह रेवेन्यू विलेज अभी घोषित हुए हैं। तो बोर्ड वहां से इन गांवों को बिजली पहुंचाने के लिए जो नियम हैं उसके अनुसार करेगा और बोर्ड का यह घोषित किया हुआ है कि जो गांव अलग से बने हैं, पहले किसी गांव की ढाणी थी तो उसको विद्युतीकृत माना गया है। लेकिन मुझे यह महसूस हो रहा है कि ऐसे गांव ज्यादातर शिड्यूल्ड कास्ट के हैं, गरीबों के हैं, जो ढाणियां हैं, तो इस पर विचार किया जाए। मैं यह सोचता हूं कि ऐसे गांवों का रिवाइज्ड एस्टीमेट बनाकर आर. ई. सी. के पास भेजा जाए और आर. ई. सी. की स्कीम स्वीकृत करायी जाए उनके नियमों में वो आ जाते हैं तो। रिवाइज्ड स्कीम....(व्यवधान).... आप पूरी बात तो सुन लो। आप बात को समझ ही नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : पूरी बात सुनें। कृपया बीच में टोकाटोकी नहीं। आपको और कुछ कहना है ?

श्री खंगारसिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपको कहना है कि उसके कोड नम्बर लगना चाहिए। अगर आपको रेवेन्यू विलेज घोषित किया जाता है तो कोड नम्बर लगाना तो लाजिमी हो गया है और वो तो लगेगा ही। उसके बाद में आप जो फरमा रहे हैं कि इसकी कार्यवाही आपका विभाग पूरी करेगा या वहां पर रहने वाले पूरी करवाएंगे ?

श्री अध्यक्ष : विराजिये अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ। आप बात नहीं सुनना चाह रहे हैं। विराजिये, आप। (व्यवधान)

(12.00)

मंत्री महोदय जवाब देने के लिए तैयार हों तो कोई भी माननीय सदस्य इस तरह.... (व्यवधान) आप विराजें। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने 23 तारीख के लिए वादा किया था... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : आज तक जयपुर की फोगिंग के बारे में चर्चा नहीं हुई। आपने कहा था कि नगर निगम द्वारा फोगिंग हुई है, फोगिंग के बारे में 23 तारीख को चर्चा होगी, आपने यह कहा था। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, आप तो समय दे दें अभी। (व्यवधान) फोगिंग के बाद पीलिया और हो गया है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब दे रहे हैं, वह तो सुन लें। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, जवाहर नगर में तो पीलिया और हो गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब दे रहे हैं। हां, उसका जवाब भी सुन लें (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : 23 तारीख को बताने के बावजूद भी सदन में चर्चा नहीं करायी जबकि आपने कहा था कि 23 तारीख को फोगिंग पर चर्चा होगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने 23 तारीख को फोगिंग पर चर्चा के लिए कहा था। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने कहा था कि 23 तारीख को फोगिंग पर चर्चा होगी किन्तु उसके बावजूद भी आज चर्चा होने का कोई नहीं है। अब आप ही घोषणा कर दीजिए.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

(12-00)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति

735. **श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) :** क्या मुख्य (कार्मिक) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में राजस्थान पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में हुई पदोन्नतियों का गत पांच वर्षों का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में राज्य में भारतीय पुलिस सेवा के कितने पद रिक्त हैं और उनको भरने की क्या कार्यवाही किस स्तर पर विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) भारतीय पुलिस सेवा में राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों के पदोन्नति के मामले वर्तमान समय में किस स्तर पर, कब से और क्यों लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य में भारतीय पुलिस सेवा व राजस्थान पुलिस सेवा के कौन-कौन से अधिकारी कब से निलम्बित हैं एवं क्या वर्तमान में उनके विरुद्ध जांच जारी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में राजस्थान पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में गत पांच वर्षों में कोई पदोन्नति नहीं हुई।

(2) वर्तमान में राज्य में भारतीय पुलिस सेवा के पदोन्नति कोटा के 19 पद रिक्त हैं, इनको भरे जाने के सम्बन्ध में मामला राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विचाराधीन है।

(3) वर्तमान समय में भारतीय पुलिस सेवा में राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। क्योंकि कुछ राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों द्वारा वरिष्ठता सूची के सन्दर्भ में अभ्यावेदन दिये हैं।

(4) भारतीय पुलिस सेवा के श्री आर. पी. नाग दिनांक 27-1-94 से निलम्बित चल रहे हैं इनके विरुद्ध जांच पूर्ण हो चुकी है तथा जांच प्रतिवेदन व श्री नाग द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन राज्य सरकार के विचाराधीन है।

राजस्थान पुलिस सेवा के श्री रविकांत मित्तल व श्री नेमीचन्द गुप्ता दिनांक

(26)

(मुख्य (कार्मिक) मंत्री)

14-2-96 से निलम्बित हैं तथा इन्हें आरोप विवरण पत्र जारी किया जा चुका है। श्री भंवरसिंह दिनांक 27-6-96 से निलम्बित चल रहे हैं तथा इनके विरुद्ध जांच प्रस्तावित है।

तहसील शेरगढ़ (जोधपुर) के पशु चिकित्सालय

736. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील शेरगढ़ में कितने पशु चिकित्सालय किस-किस श्रेणी के वर्तमान में संचालित हैं? उक्त चिकित्सालयों से कितने-कितने गांव किस-किस चिकित्सालय से लाभान्वित हैं एवं क्या उनमें सम्पूर्ण प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के अन्य ग्रामों में भी पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौन से ग्रामों में?

उत्तर

(1) तहसील शेरगढ़ में सामान्य श्रेणी के 10 पशु चिकित्सालय क्रमशः शेरगढ़, ढेचू, सेतराबा, भूगढ़ा, गिलाकोट, चामू, बलेसर, आगोलाई, नाथराव, खुडियाला एवं एक उपखण्ड चल पशु चिकित्सा इकाई, शेरगढ़ संचालित है। उपरोक्त चिकित्सा संस्था के 8 किलोमीटर की परिधि में आने वाले सभी ग्राम पशु चिकित्सा सुविधा से लाभान्वित हो रहे हैं।

(2) इस तहसील के अन्य ग्रामों में पशु चिकित्सालय राज्य के सीमित वित्तीय साधनों के कारण खोलना सम्भव नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को विभागीय चिकित्सा सुविधा

718. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर): क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1991 में वित्त विभाग द्वारा जुलाई, 1991 में जारी आदेश क्रमांक एफ 1 (6) एफ-डी ग्रुप-2/78/ सेवा निवृत्त राज्य कर्मचारियों को ईलाज के लिए पेंशनर्स रियायती चिकित्सा सुविधा के अन्तर्गत 25 रु. प्रतिवर्ष वसूल करने का निर्णय करते हुए चिकित्सा पर व्यय सीमा हटा दी गयी थी? यदि हां, तो वर्ष 1992 में 1500 रु. की वार्षिक सीमा निर्धारित क्यों की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पेंशनरों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु और उनकी समस्याओं पर विचार कर राय देने के लिए माननीय श्री ललित किशोर चतुर्वेदी की अध्यक्षता में कोई समिति गठित की गयी थी? यदि हां, तो उस समिति ने क्या सुझाव दिए और सरकार ने उन सुझावों पर क्या कदम उठाए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने रिट याचिका नं. 4284/1989 दिनांक 8

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

अक्टूबर, 1990 द्वारा पेन्शनरों को राजस्थान के समस्त अस्पतालों एवं औषधालयों में राजकीय व्यय पर निःशुल्क दवा, ईलाज और परीक्षण की सुविधा देने का फैसला किया गया था ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस रिट की पालना में क्या व्यवस्था की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार ने पेंशनरों के लिए वर्ष 1991 से 1993 के मध्य विभिन्न आदेशों के द्वारा राजकीय अस्पतालों, मेडिकल कालेजों को ऐसे आदेश दिये हैं कि अस्पताल में भर्ती पेंशनर्स को निःशुल्क दवाइयां दी जाएं ? यदि हां, तो उक्त आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(5) सरकार ने पेन्शनर को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने के लिए जिलेवार वर्ष 1990 से 1995 तक बजट में कितनी-कितनी राशि का आबंटन किया और उसके मुकाबले कितना व्यय हुआ तथा कितने पेन्शनरों को लाभ पहुंचा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि पेन्शनर्स रियायती चिकित्सा के अन्तर्गत श्री जी.के. जोशी, उदयपुर ने उपभोक्ता संरक्षण मंच में वाद नं. 182/93 राशि रु. 10,544 मय खर्च के प्रस्तुत किया है और सरकार ने उपभोक्ता मंच के निर्णय के विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग में, (रिविजन पिटीशन) पुनरीक्षित याचिका प्रस्तुत की है ? यदि हां, तो उसका क्या निर्णय हुआ ? क्या सरकार इस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर रही है ? यदि हां, तो इस संबंध में कुल कितना कानूनी व्यय हुआ है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या वर्ष 1981 से जारी पेन्शनर्स रियायती योजना में जमा हुयी राशि और वास्तव में व्यय होने वाली राशि का कभी हिसाब मिलान किया गया ? यदि हां, तो वर्ष 1990-91 से 1994-95 तक के लेखे जोखे का विवरण सदन की मेज पर रखें, जिसमें सरकार की कितनी मेचिंग ग्राण्ट है?

(8) पेन्शनर्स रियायती योजना के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी कौन-कौन हैं और ट्रस्ट की बैठक वर्ष 1992-93 और 1993-94 में कब-कब हुयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार इसे सार्वजनिक ट्रस्ट बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, जुलाई, 1991 में पेंशनर्स रियायती चिकित्सा योजना के अन्तर्गत पेन्शनरों को दी गयी मेडिकल डायरी के वार्षिक नवीनीकरण हेतु 25/- रु. की राशि लेने एवं 500/- रु. से अधिक की दवाई के लिए विशेषज्ञ की अभिशंसा की शर्त को हटाया गया। यह एक स्व वित्त घोषित योजना है जिसमें सेवारत कर्मचारियों के वेतन से मासिक अंशदान प्राप्त होता है तथा इस राशि से पेन्शनरों को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध करायी जाती है। बढ़ते चिकित्सा व्यय एवं पेन्शनर्स मेडीकल फण्ड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए 1992 में 1500/- रु. की वार्षिक सीमा निर्धारित की गयी। इससे अधिक की दवा के लिए जिला स्तर पर गठित समिति को 3000/- रु. तक एवं

(28)

(मुख्य (वित्त) मंत्री)

अधिक राशि की दवा के लिए राज्य स्तर पर गठित समिति को अधिकार प्रदत्त किये गये। विशेष बीमारी की स्थिति में जिला स्तरीय समिति को 3000/– रु. से अधिक की दवाएं अधिकृत किये जाने की व्यवस्था है जिसकी राज्य स्तरीय समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति दे दी जाती है।

(2) जी नहीं। यह समिति राज्य कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में सुझाव देने हेतु गठित की गयी थी।

(3) मा. उच्च न्यायालय ने रिट याचिका सं. 4284/1989 में दिनांक 8-10-90 के निर्णय द्वारा राज्य पेन्शनरों को केन्द्रीय सरकार के पेन्शनरों को उपलब्ध चिकित्सा सुविधा प्रदान करने अथवा राजस्थान के समस्त अस्पतालों एवं औषधालयों में राजकीय व्यय पर निःशुल्क दवाई, इलाज और परीक्षण सुविधा देने का निर्णय करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिये जिसकी पालना में राज्य सरकार ने दिनांक 12-7-91 को आदेश जारी किये। प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(4) जी हां। राज्य सरकार द्वारा जारी सम्बन्धित आदेश दिनांक 2-5-91 एवं 6-6-91 की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गयी हैं।

(5) राज्य सरकार द्वारा जिलेवार बजट आबंटन नहीं किया जाकर ट्रस्ट फण्ड में समय-समय पर अनुदान दिया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है :—

(राशि (लाख रुपयों में)

वर्ष	अनुदान की राशि	व्यय	पेन्शनरों की संख्या
1990-91	15.00	199.92	डायरी नवीनीकरण की व्यवस्था नहीं होने से स्कीम से लाभार्थी पेन्शनरों की संख्या अंकित करना सम्भव नहीं है।
1991-92	20.00	381.08	
1992-93	146.65	550.08	49,863
1993–94	50.00	571.06	53,229
1994–95	200.00	639.20	65,045
	431.65	2342.02	

(मुख्य (वित्त) मंत्री)

(6) जी हां। राज्य सरकार ने इस वाद में राशि 10,544/- के लिए नहीं बल्कि पेन्शनरों को उपभोक्ता माने जाने के प्रश्न पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग में रिवीजन पिटीशन प्रस्तुत किया जो खारिज हो गया। राज्य सरकार ने इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। इस सम्बन्ध में अब तक कुल 10,600 रुपये कानूनी व्यय हुआ है।

(7) जी हां। पेन्शनर रियायती योजना में कर्मचारियों के वेतन से मासिक अभिदान की राशि जमा होती है, जिसकी जांच के के उपरान्त ही कोषालयों द्वारा वेतन बिल पारित किये जाते हैं। प्रत्येक जिला स्तर पर योजना का पी. डी. खाता खुला है। जिसमें फण्ड का वर्ष 1990-91 से 94-95 का लेखा-जोखा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	फण्ड की आय	राजकीय अनुदान	योग	पेन्शनरों को उपलब्ध करायी औषधियों की राशि
1990-91	224.12	15.00	239.12	199.52
1991-92	318.55	20.00	338·55	381·08
1992-93	389·30	146·65	535·95	550·76
1993-94	435·90	50·00	485·90	571·06
1994-95	459·40	200·00	659·40	639·20
योग :	1827·27	431·65	2258·92	2342·02

राज्य सरकार द्वारा मेचिंग ग्राण्ट नहीं दी जाती है बल्कि सहायतार्थ अनुदान दिया जाता है।

(8) पेन्शनर रियायती योजना के बोर्ड आफ ट्रस्टीज में मुख्य सचिव अध्यक्ष, वित्त सचिव, स्वास्थ्य सचिव, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, निदेशक कोष एवं लेखा, अध्यक्ष राज. पेन्शनर समाज, श्री श्रीपाल जैन, श्री डी. के. दत्ता सेवा निवृत्त कर्मचारीगण सदस्य एवं निदेशक पेन्शन एवं पेन्शनर्स वेलफेयर सदस्य सचिव है। ट्रस्ट की बैठक सत्र 92-93 में दिनांक 18-1-92 एवं 22-6-92 को एवं सत्र 1993-94 में दिनांक 12.4.93 को हुई। राज्य सरकार ने इसे सार्वजनिक ट्रस्ट बनाने के बारे में अभी तक विचार नहीं किया है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

(30)

राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लम्बित प्रकरण

719. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही कब से चल रही है ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि इनमें से कोई अधिकारी निलम्बित है ? यदि हां, तो कौन-कौन, कब-कब से ?

(3) उक्त अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कितने समय में पूर्ण होगी, इसके लिए क्या समय सीमा नियमों में है ? यदि हां, तो निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण क्यों नहीं हुई ? नियमों की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें ।

(4) नियमों में निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण हों, इसके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो के प्रकरणों में आर.ए.एस. अधिकारियों के विरुद्ध चल रही कार्यवाही की नामवार सूची परिशिष्ट-"क" एवं क-1 सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(2) जी हां । परिशिष्ट-"क" में अंकित अधिकारियों में से निलम्बित अधिकारियों की सूचना परिशिष्ट-"ख" पर प्रस्तुत कर दी गयी है ।

(3) जी नहीं । नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ।

(4) राज्य सरकार का सदैव यह प्रयास रहा है कि विभागीय जांच के किसी भी स्तर पर अथवा स्टेज पर अनावश्यक विलम्ब नहीं हो अतः विभागीय जांचों को त्वरित गति से निपटाने हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही सम्पादित किये जाने के लिए समय सीमा परिपत्र क्रमांक प. 9 (2) (35) कार्मिक/क-3/93 दिनांक 22-1-94 के द्वारा निर्धारित की गयी है । उक्त परिपत्र की प्रति परिशिष्ट-"ग" पर प्रस्तुत कर दी गयी है ।

(सूची एवं सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्न संख्या 720

(स्थगित)

अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच पूर्ण करने हेतु निर्धारित सीमा

721. श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियम, 1958 के तहत अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच कार्यवाही में सुनवाई बाबत कार्मिक विभाग ने दिनांक

(श्री श्रवण कुमार)

1 अगस्त, 1979 व 26 मार्च, 1980 को परिपत्र जारी किये हैं ? यदि हां, तो उक्त परिपत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रारम्भिक जांच में दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध पाये गये तथ्यों के सम्बन्ध में उसे सम्बन्धित रिकार्ड का अवलोकन करवाया जाकर उसका आवश्यक रूप से स्पष्टीकरण प्राप्त करना, व्यक्तिगत सुनवाई करने व बयान लेने का स्पष्ट प्रावधान है ?

(3) क्या उक्त परिपत्र की अवहेलना को सरकार गम्भीरता से लेती है ? यदि हां, तो किस-किस विभाग में कब-कब उक्त परिपत्रों की अवहेलना किये जाने पर जांच अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें। उक्त परिपत्रों की पालना बाबत सरकार क्या इरादा रखती है ?

(4) क्या प्रारम्भिक जांच पूर्ण किये जाने बाबत सरकार ने जांच अधिकारी के लिए कोई सीमा निर्धारित की है ? यदि हां, तो कितनी ?

उत्तर

(1) जी हां। परिपत्र दिनांक 1-8-79 व 26-3-80 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) उक्त परिपत्रों में प्रारम्भिक जांच किये जाते समय दोषी अधिकारी/कर्मचारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या बयान देने का अवसर प्रदान किये जाने के निर्देश हैं।

(3) लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों को निपटाने व तथ्यों का पता लगाने के लिए प्रारम्भिक जांच कराने के सम्बन्ध में सभी राजकीय विभागों में समान प्रक्रिया अपनाये जाने के आशय से परिपत्र दिनांक 26-3-80 में विस्तृत रूप से निर्देश प्रसारित किये गये हैं। प्रारम्भिक जांच करने वाला अधिकारी सम्बन्धित शिकायत पर सभी उपलब्ध साक्ष्य एकत्रित कर जांच करता है इस प्रक्रिया में लोगों के बयान लेना व जिस अधिकारी के विरुद्ध शिकायत है, वह यदि अपने पक्ष को लिखकर स्पष्ट करना चाहता है तो उसको लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या बयान देने का अवसर प्रदान किया जाना सम्मिलित है। उल्लेखनीय है कि हर शिकायत के तथ्य एवं परिस्थितियां अलग-अलग होती हैं और प्रारम्भिक जांच करने वाले अधिकारी को उक्त परिपत्र दिनांक 26-3-80 के निर्देशों के अनुसार प्रारम्भिक जांच सम्पादित करनी होती है। इस परिपत्र में यह प्रतिपादित किया गया है कि सक्षम अधिकारी किसी लोक सेवक के विरुद्ध जो भी शिकायत प्राप्त हो तो उस पर अविलम्ब समुचित कार्यवाही करे व सत्य का पता लगाएं। आवश्यक हो तो मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रारम्भिक जांच की जा सकती है परन्तु सभी प्रकरणों में प्रारम्भिक जांच किया जाना आवश्यक नहीं है।

(4) जी हां। तीन माह की सीमा निर्धारित की हुई है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बिचून हाउस (जयपुर) की सम्पत्ति का विक्रय प्रकरण

722. **श्री बाबूलाल बछेर (दूदू)** : क्या मुख्य (सम्पदा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बिचून हाऊस (मार्केट) किशनपोल बाजार, जयपुर स्थित सम्पत्ति का मूल रूप से मालिक कौन था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सम्पत्ति का विक्रय किया गया है ? यदि हां, तो उक्त सम्पत्ति का विक्रय किसके द्वारा किसको किया गया ? रजिस्ट्री कब व कितनी राशि की करवायी गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सम्पत्ति का इन्द्राज महकमा खास एवं बिल्डिंग रजिस्टरों में किया गया है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में पत्रावली पुरातत्व अभिलेखागार में जागीर आयुक्त द्वारा जमा करायी गयी है ?

(5) क्या सरकार अब भी इस सम्पत्ति को अपने कब्जे में लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? इस सम्बन्ध में जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती है, उनके विरुद्ध सरकार क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जागीर विभाग में बिचून हाउस (मार्केट) किशनपोल बाजार, जयपुर नाम की कोई सम्पत्ति होना नहीं पाया जाता है। श्री मानसिंह, भूतपूर्व जागीरदार बिचून तहसील दूदू जिला जयपुर ने उप जिलाधीश जागीर, जयपुर के कार्यालय में अपनी जिस निजि सम्पत्ति की सूची पेश की थी उसमें बिचून हाउस (मार्केट) किशनपोल बाजार, जयपुर के नाम से कोई सम्पत्ति अंकित नहीं की है बल्कि निजी सम्पत्ति की सूची में जयपुर शहर में हवेली दरोबस्त तीन चौक की एक, जिसमें कब्जा दादीजी साहिबा दुकान 7 व जनाना मर्दाना मकान 22 कब्जा दादीजी का होना बताया। इस संपत्ति के बारे में राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 23 के अन्तर्गत जागीरदार ने उक्त सम्पत्ति को निजी सम्पत्ति घोषित कराने के सम्बन्ध में कोई सबूत पेश नहीं किया। जागीर आयुक्त ने भी उनके आदेश 18-1-65 के द्वारा यह मिसल न. से खारीज कर दी। जागीरदार द्वारा प्रस्तुत की गयी सूची के जांच के दौरान सम्पदा अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक 9283 दिनांक 4-11-70 से उपरोक्त जायदाद को अते राज होना बताते हुए इसे जागीरदार की निजी संपत्ति होना नहीं बताया। पत्रावली पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि बिचून हाउस का वास्तविक मालिक कौन था ?

(2) इस सम्पत्ति के विक्रय के बारे में सब रजिस्ट्रार जयपुर द्वारा भेजा गया विवरण संलग्न है।

(3) सामान्य प्रशासन (सम्पदा) विभाग के अनुसार इस सम्पत्ति का इन्द्राज सबंधी

(श्री बाबूलाल)

रजिस्ट्रार एवं प्रापर्टी रजिस्टर में होना नहीं पाया जाता है।

(4) जी हां।

(5) इस सम्पत्ति के बारे में फिलहाल पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायी है। पूरी स्थिति की जांच कराई जा रही है और इसमें यह पाया गया कि किसी अधिकारी ने लापरवाही की है तो उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

ग्राम ढेलपुरा (नैनवां) की चरागाह भूमि की किस्म परिवर्तन प्रकरण

723. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विगत तीन वर्षों में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट नियमों में चरागाह भूमि को बारानी भूमि में तब्दील करने के सम्बन्ध में कोई संशोधन किये गये हैं ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त संशोधन के पश्चात् चरागाह भूमि बारानी/सिवाय चक में तब्दील करने के अधिकार जिला कलक्टर को प्राप्त हो गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन शर्तों के अधीन ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ग्राम ढेलपुरा (तहसील नैनवां) की पूर्व में आवंटित सिवाय चक भूमि को बन्दोबस्त विभाग द्वारा किस्म चरागाह अंकित किये जाने पर उक्त भूमि की किस्म वापस सिवाय चक काबिल काश्त दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। संशोधन की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त संशोधन के पश्चात् 4 हैक्टेयर चरागाह भूमि को सिवाय चक में तब्दील करने के अधिकार जिला कलक्टर को हैं। चरागाह भूमि को चरागाह से पृथक करने हेतु नियम-7 के प्रावधान अन्तर्गत सम्बन्धित ग्राम पंचायत से परामर्श आवश्यक है। साथ ही इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के यह भी स्पष्ट निर्देश है कि चरागाह भूमि को चरागाह से पृथक करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि उस गांव में पर्याप्त चरागाह भूमि पशुओं की संख्या के आधार पर उपलब्ध है अथवा नहीं। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19-5-93 में उप नियम-2 में यह भी प्रावधान किया गया है कि कलक्टर अनाधिमुक्त खेती योग्य सरकारी भूमि का उतना ही क्षेत्र यदि उपलब्ध हो तो उसी ग्राम में चरागाह भूमि के रूप में पृथक रख सकेगा।

(3) जी हां।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

(34)

जिला भीलवाड़ा में नई तहसीलों का गठन

724. **श्री कालूलाल गूजर** (मांडल) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भीलवाड़ा जिले में नई तहसील के गठन के कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितने प्रस्ताव कहां-कहां के और उन पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया ?

(2) क्या ग्राम करेडा की उप तहसील को तहसील बनाने की मांग जनता व जनप्रतिनिधियों द्वारा की जाती रही है ? यदि हां, तो सरकार कब तक करेडा को तहसील बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जिला भीलवाड़ा की वर्तमान दो उप तहसील बिजौलिया एवं करेड़ा को तहसील का दर्जा देने की मांग है।

(2) जी हां। उप तहसील करेड़ा को तहसील का दर्जा देने की मांग जनता व जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्राप्त हो रही है, परन्तु निर्धारित नार्म्स के अनुसार पटवार मण्डल नहीं होने के कारण इस उप तहसील करेड़ा को तहसील का दर्जा दिया जाना सम्भव नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्रामों की चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

725. **श्री रामचन्द्र रावत** (कोटपूतली): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में पिछले दो वर्षों में दस ग्रामों की चरागाह भूमि पर अतिक्रमण हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि चरागाह भूमियों पर अतिक्रमण के मामले में कारागार की सजा का प्रावधान है ? यदि हां, तो उपरोक्त मामलों में कितने लोगों को सजा दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या कानून में यह भी प्रावधान है कि यदि अधिकारी इसमें कोताही बरतेंगे तो उन्हें भी सजा दी जा सकती है ? यदि हां, तो क्या किसी अधिकारी को सजा दी गई ?

(4) क्या सरकार उक्त ग्रामों में चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमियों व इस मामले में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है।

(2) जी हां। यह सही है। निम्नांकित 18 अतिक्रमियों के विरुद्ध उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही कर तीन माह के सिविल कारावास की सजा दी गयी :—

1. श्री हरिसिंह पुत्र ख्याली अहीर सा. चूरी
2. श्री रिछपाल पुत्र कालू अहीर सा. चूरी
3. श्री अर्जुन पुत्र उमराव गूजर साकिन पाछोडाला।

(राजस्व मन्त्री)

4. श्री माना पुत्र हनुमान अहीर साकिन देवता
5. श्री बनवारी पुत्र भूरा अहीर सा. देवता
6. श्री इन्द्राज पुत्र भूरा अहीर सा. देवता
7. श्री मोतीराम पुत्र मानाराम अहीर साकिन देवता
8. श्री शेरसिंह पुत्र मानाराम अहीर साकिन देवता
9. श्री रोताश पुत्र मानाराम अहीर साकिन देवता
10. श्री ओंकार पुत्र भूराराम अहीर साकिन देवता
11. श्री हजारी पुत्र भूराराम अहीर साकिन देवता
12. श्री मातादीन पुत्र घूड़ाराम अहीर सा. देवता
13. प्रभातीलाल पुत्र घूड़ाराम अहीर साकिन देवता
14. श्री ताराचन्द पुत्र प्रभातीलाल अहीर साकिन देवता
15. श्री दाताराम पुत्र मातादीन अहीर सा. देवता
16. श्री प्रताप पुत्र मूली अहीर साकिन देवता
17. श्री यादराम पुत्र मूला अहीर साकिन देवता
18. श्री बक्सीराम पुत्र रूडादास स्वामी साकिन देवता

(3) जी हां । राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 संशोधित अधिनियम की धारा 91 (6) ख के अन्तर्गत अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध भी सजा दिये जाने का प्रावधान है । इस नियम के तहत किसी भी अधिकारी को सजा नहीं दी गयी है ।

(4) प्रश्न के बिन्दु संख्या 2 के जवाब अनुसार 18 अतिक्रमियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गयी है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

किशनगढ़ (अजमेर) की भूमि

726. **श्री बनवारी लाल भिण्डा (फतेहपुर) एवं श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि किशनगढ़ (अजमेर) के हरमाड़ा रोड स्थित सांवतसर पटवार हल्का में खसरा नम्बर 246 की सरकारी भूमि पर अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायतें विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये ?

(2) इस प्रकरण में सरकार को कितने रुपये की राजस्व हानि होने अनुमान है ?

(3) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच करवाई थी ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे ?

उत्तर

(1) जी हां । प्राप्त शिकायतों की जांच संभागीय आयुक्त, अजमेर से करवायी गई, जिसमें प्रथम दृष्टया पीठासीन अधिकारी श्री देवानन्द माथुर, उपखण्ड अधिकारी

(राजस्व मन्त्री)

किशनगढ, रीडर श्री हुकमीचन्द सेठी, सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार श्री रामेश्वर दयाल हाल नायब तहसीलदार पीलवा दोषी पाये गये।

(2) राजस्व रेकार्ड के अनुसार विवादग्रस्त भूमि की बाजारू दर से कीमत 10 लाख आंकी गई है

(3) जी हां, जांच में प्रथमदृष्टया पीठासीन अधिकारी श्री देवानन्द माथुर, उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ रीडर श्री हुकमीचन्द सेठी सरकारी पैरोकार, नायब तहसीलदार श्री रामेश्वर दयाल हाल नायब तहसीलदार, पीलवा दोषी पाये गये।

भीलवाड़ा जिले के मजरों का राजस्व ग्राम में परिवर्तन

727. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ढाणियों और मजरों को राजस्व ग्राम घोषित करने के मानदण्ड निर्धारित हैं ? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मानदण्डों में आने वाले भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा/रायपुर तहसीलों के मजरों (उपग्राम) को भी राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के अपेक्षित निर्देश भीलवाड़ा जिलाधीश को दिए गए हैं ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मानदण्डों में आने वाले मजरों (उपग्राम) को कब तक राजस्व ग्राम घोषित कर दिए जाएंगे ?

(4) विगत दो वर्षों में प्रदेश में कितने राजस्व ग्राम घोषित किए गए ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार ने दिनांक 1-8-84 को परिपत्र जारी कर मजरें/ढाणियों को नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने के मानदण्ड निर्धारित किए हुए हैं, प्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं, केवल सहाड़ा, रायपुर तहसीलों के लिए अलग से कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं परन्तु प्रश्न के भाग एक के अनुसार समस्त जिलों के मजरे/ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये हुए हैं।

(3) निर्धारित मानदण्डों में आने वाले मजरे/ढाणियों को नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने के प्रस्ताव राजस्व मण्डल अजमेर के मार्फत प्राप्त होने पर राजस्व ग्राम घोषित किये जाते हैं यह एक सामान्य प्रक्रिया निरन्तर चल रही है।

(4) विगत दो वर्षों में राज्य में कुल 816 नये राजस्व ग्राम घोषित किये गये जिलेवार आंकड़ों की सूची संलग्न है।

(प्रति एवं सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

मन्दिर श्री गोपाल जी कुण्डवाला श्री माधोपुर (सीकर) की भूमि पर अतिक्रमण

728. श्री भरतसिंह (खानपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भरत सिंह)

(1) क्या यह सही है कि मन्दिर श्री गोपाल जी कुण्डा वाला, श्री माधोपुर जिला सीकर के अधीन कृषि भूमि है ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कृषि भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है ? यदि हां, तो कब से ? अवैध प्रतिक्रमणकर्ताओं की सूची मय अतिक्रमण की गई भूमि की नाप के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस अतिक्रमण को हटाने बाबत सरकार को शिकायतें प्राप्त हुँ ? यदि हां, तो किसके द्वारा एवं कब-कब ? शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त शिकायतों पर किस अधिकारी द्वारा क्या-क्या आदेश कब-कब प्रसारित किये गये ? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) सरकार उक्त अतिक्रमण को हटाने बाबत क्या कार्यवाही कर रही है ? अब कब तक अतिक्रमण हटा दिये जायेंगे ?

(6) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब, क्या-क्या आदेश दिये गये एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(7) सरकार उक्त प्रकरण से अतिक्रमण हटवाने में नियुक्त कर्मचारियों की शिथिलता पर क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है। राजस्व रेकार्ड के अनुसार 3.12 हैक्टेयर कृषि भूमि है।

(2) जी हां, यह सही है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार उक्त भूमि पर कुछ लोगों का नाजायज कब्जा है। यह भूमि सरकारी नहीं होने के कारण अतिक्रमण की अवधि का उल्लेख राजस्व रेकार्ड में नहीं है। अतिक्रमणकर्ताओं की सूची मय भूमि की नाप के संलग्न है।

(3) जी हां, यह सही है कि श्री मोतीलाल ठठेरा, अध्यक्ष मन्दिर श्री गोपालजी कुण्डवाला ट्रस्ट ठठेरा समाज श्रीमाधोपुर एवं मन्त्री श्री रामदीन ठठेरा द्वारा शिकायतें की गई है जिनका ब्यौरा संलग्न सूची में अंकित है। शिकायतों की प्रतियां भी संलग्न है।

(4) उक्त शिकायतों पर विभिन्न अधिकारियों के द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों की प्रति संलग्न है।

(5) प्रश्नगत आराजी माफी मन्दिर की हैं जिससे अतिक्रमी को बेदखल करने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के तहत प्रावधान है। पीड़ित पक्षकार इस सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

(6) तहसीलदार, श्रीमाधोपुर को जिला कलक्टर, सीकर एवं उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना द्वारा दिये आदेशों की प्रति जवाब के बिन्दु संख्या 4 के प्रस्तुत अनुसंलग्नकों के साथ संलग्न हैं। तहसीलदार, श्रीमाधोपुर द्वारा इस सम्बन्ध में प्रेषित रिपोर्ट्स की प्रति संलग्न है।

(38)

(राजस्व मन्त्री)

(7) प्रकरण सरकारी भूमि का नहीं होने के कारण पीड़ित पक्षकार इसमें अनुतोष पाने हेतु सक्षम हैं। इस सम्बन्ध में किसी भी नियुक्त कर्मचारी की शिथिलता प्रमाणित नहीं है। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची एवं प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के ग्रामों की गोचर भूमि पर अतिक्रमण

729. श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के विभिन्न राजस्व ग्रामों में कितनी-कितनी गोचर भूमि है ? प्रत्येक गांव का रकबा मय खसरा नम्बर के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भूमि में कहां-कहां पर किस-किस व्यक्ति का अनधिकृत कब्जा है ?

(3) उक्त अनधिकृत कब्जा कब तक हटा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के 145 ग्रामों में 38,750 बीघा 11 बिस्वा चरागाह भूमि स्थित है। इसी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत तहसील रेलमगरा के 54 ग्रामों में 26,585 बीघा 3 बिस्वा चरागाह भूमि स्थित है। प्रत्येक गांव के रकबे का विवरण मय खसरा नम्बर के परिशिष्ट-1 सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के अन्तर्गत तहसील राजसमन्द एवं तहसील रेलमगरा के ग्रामों में स्थित चरागाह भूमियों पर अतिक्रमियों का विवरण ग्रामवार ख. नं., रकबा सहित परिशिष्ट–2 संलग्न है।

(3) समस्त अतिक्रमियों के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान-भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बारानी भूमि पर कृषि कर की वसूली

730. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने बारानी कृषि भूमियों का लगान माफ कर दिया है ? यदि हां, तो कब व किस आदेश के तहत ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस बारानी भूमि का सरकार द्वारा लगान माफ करने के उपरान्त भी लगान पर कृषि कर लगता है ? यदि हां, तो कितना ? इसका क्या औचित्य है ?

(3) क्या सरकार कृषकों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए इस कृषि कर को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार ने बारानी कृषि भूमियों का लगान माफ कर दिया है। उक्त लगान खरीफ संवत् 2048 (वित्तीय वर्ष 1991-92) में राज्यादेश क्रमांक प–5 (4) राज/ग्रु.प-477/5 दिनांक 30 मार्च, 1991 से माफ किया गया है। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जब लगान पर कोई कर ही नहीं लगता है, तो उसे हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

तहसील जहाजपुर की सड़कों पर अवैध कब्जे

731. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील जहाजपुर में मांडलगढ़–जहाजपुर, देवली–जहाजपुर व शाहपुरा–जहाजपुर तथा अन्य सड़कों के दोनों किनारों पर अवैध कब्जे तथा निर्माण कार्य सरकारी भूमि में हुये हैं? यदि हां, तो अवैध निर्माण का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विभाग ने इन अवैध कब्जों एवं अवैध निर्माण को हटाने बाबत कब-कब क्या-क्या कार्यवाही किसके विरुद्ध की है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, पंचायत विभाग का सामंजस्य बनाकर अवैध निर्माण व अतिक्रमण कानून के विरुद्ध नहीं है के बाबत कोई समन्वित नीति निर्देश तथा अनापत्ति पत्र जारी करने पर ही निर्माण हो, इसकी कानूनी प्रक्रिया तथा कठोर दण्डनीय प्रावधान आदि बनाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि तहसील जहाजपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित सड़कों के किनारों पर अतिक्रमण हुए हैं। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों का पूर्ण विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा परिशिष्ट "अ" में अंकित अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत दिनांक 22-6-96 को अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी किये गये हैं। जिसकी कार्यवाही जारी है।

(3) सड़क के किनारे अतिक्रमणों को हटाने बाबत सार्वजनिक निर्माण विभाग व राजस्व विभाग के सामंजस्य से कार्यवाही करने के सम्बन्ध में परिपत्र दिनांक 18-1-96 को जारी किया है जिसकी प्रति संलग्न है। परिशिष्ट "ब"

(विवरण एवं प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम दौलतपुरा (आमेर) की खातेदारी भूमि का परिवर्तन

732. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम दौलतपुरा (बैनाड़) तहसील आमेर के खसरा नम्बर 462 की खातेदारी किसके नाम है ? खतौनी नकल सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस खसरा नम्बर की उत्तरी भूमि को आबादी में परिवर्तित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्कूल मैदान को आबादी में परिवर्तित कर सकती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राजस्व विभाग ने जयपुर विकास प्राधिकरण एवं शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया था ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त अवैध स्वीकृति को निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध जांच करवाकर दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम दौलतपुरा मय बैनाड़ के खसरा नम्बर 462 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा गै. मु. आ. व 462 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा गै. मु. स्कूल मैदान वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। नकल खतौनी (जमाबन्दी) की प्रति सदन के पटल पर रख दी है।

(2) जी हां, यह सही है कि खसरा नम्बर 462 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा (उत्तरी भाग) को जिला कलक्टर, जयपुर के आदेश 21-6-86 द्वारा आबादी हेतु सेटअपार्ट किया गया है। मौके पर कदीम समय से रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा पर आबादी बसी होने के बावजूद सेटलमेंट ने भूलवश सम्पूर्ण रकबे को स्कूल के खेल मैदान हेतु रिकार्ड में दर्ज कर दिया जिसका उन्हें अधिकार नहीं था। वर्ष 1975 में इन्द्रा आवासीय योजना के तहत कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को पट्टे भी जारी किये हुए हैं। अतः मौका स्थिति एवं राजस्व अधिकारियों की अभिशंसा को ध्यान में रखकर प्रकरण में सेट-अपार्ट के आदेश पारित किये गये हैं।

(3) जी नहीं।

(4) स्वीकृति अवैध नहीं है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

(5) जी नहीं, उपरोक्त परिस्थितियों में कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं है।

(प्रति अस्पष्ट होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जय जवान कालोनी, आयकर कालोनी, लालबहादुर नगर, जयपुर की कृषि भूमि

733. श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बाबूलाल वर्मा)

(1) क्या यह सही है कि जय जवान कॉलोनी, आयकर कॉलोनी, लाल बहादुर नगर, जयपुर में स्थित है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? प्रत्येक कॉलोनी कुल कितनी-कितनी भूमि पर बसी हुयी है ?

(2) उक्त तीनों कॉलोनियां कृषि भूमि के किस-किस खसरा नम्बर में बसी हुयी हैं? उक्त भूमि का खसरा नम्बर, खातेदारों का नाम, रकबा, जाति आदि का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । जय जवान गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की स्कीम नम्बर 1, 2, 3 किसान गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर की आयकर (इनकम टैक्स) कॉलोनी एवं रामजीपुरा हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी लि. जयपुर की स्कीम नम्बर 1, 2, 4 लाल बहादुर नगर कॉलोनी—ये सभी कॉलोनियां टौंक रोड एवं जवाहर लाल नेहरू मार्ग के बीच में राजस्व ग्राम दुर्गापुरा व रामजीपुरा में स्थित है । जिस भूमि स्थित है उसका विवरण संलग्न है ।

(2) उक्त तीनों कॉलोनियों के खसरा नम्बर खातेदारों के नाम, रकबा, जाति आदि का विवरण खण्ड-1 के उत्तर में संलग्न सूची में है जो सदन की मेज पर रख दी गयी है

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

आमेर (जयपुर) के मन्दिरों की सम्पत्ति पर अवैध कब्जे

734. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आमेर कस्बे (जयपुर) में कुल कितने मन्दिर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त मन्दिरों में कितने मन्दिरों के ट्रस्ट हैं ? क्या सरकार शेष मन्दिरों का ट्रस्ट बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इन मन्दिरों की व्यवस्था, उन पर होने वाले व्यय से सन्तुष्ट है ? यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या उक्त मन्दिरों की सम्पत्ति मन्दिरों के अधीन है अथवा दूसरों ने उन पर कब्जे कर लिये ? क्या सरकार उक्त सम्पत्तियों पर से अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या प्राचीनतम मन्दिरों की देख-रेख के अभाव में मन्दिर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ? सरकार ऐसी राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु क्या विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) आमेर कस्बे में कुल 38 मन्दिर हैं । सूची संलग्न है ।

(४२)

(देवस्थान मन्त्री)

(2) आमेर स्थित 38 मन्दिरों में से राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के तहत पंजीकृत निम्न 2 मन्दिर सार्वजनिक प्रन्यास है :—

1. मन्दिर श्री शीलामाता जी आमेर

2 श्री दिगम्बर जैन मन्दिर नेमीनाथ जी सांवला जी तथा निम्न 11 मन्दिर देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियन्त्रित है :—

क्रम सं.	नाम मन्दिर		श्रेणी
1.	मन्दिर श्री रामेश्वर जी		राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार
2.	मन्दिर श्री माताजी मावलियान परियों का बाग		राजकीय आत्म-निर्भर
3.	मन्दिर श्री मंशा माताजी आमेर घाट		राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी
4.	मन्दिर श्री नरसिंहजी आमेर महल		,,
5.	मन्दिर श्री अम्बकेश्वर जी पुरोहित पाड़ा सागर रोड		,,
6.	मन्दिर श्री हर्षनाथ भैरूजी	,,	,,
7.	मन्दिर श्री दादू का भैरूंजी	,,	,,
8.	मन्दिर श्री भूतेश्वर जी सागर रोड पहाड़ी पर		,,
9.	मन्दिर श्री बटूक भैरूंजी	,,	,,
10.	मन्दिर श्री विरही माताजी व हनुमानजी विरही माताजी दरवाजे के पास		,,
11.	मन्दिर श्री जगतेश्वर महादेवजी उर्फ जगत शिरोमणिजी महलों के नीचे		,,

शेष रहे 25 मन्दिरों में से किसी भी मन्दिर के सार्वजनिक प्रन्यास के अन्तर्गत पंजीयन का मामला देवस्थान विभाग में विचाराधीन नहीं है। अराजकीय मन्दिरों का सार्वजनिक प्रन्यास में पंजीकृत कराने हेतु मन्दिर में हित रखने वाले व्यक्ति द्वारा प्रपत्र 6 प्रस्तुत किये जाने तथा निरीक्षक देवस्थान द्वारा सर्वे कर रिपोर्ट करने पर धारा 70 के तहत पंजीयन की कार्यवाही की जाती है।

(देवस्थान, मन्त्री)

(3) राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के मन्दिरों में भोगराग की राशि पर्याप्त नहीं होने के कारण भोगराग आरोगण नैवेद्य की राशि (अन्य प्रभार) में 16 लाख के स्थान पर 84.00 लाख अनुपूरक मांगों में सम्मिलित किये जाने हेतु विभाग द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई है। जिसके अनुसार मंदिरों की भोगराग राशि में आवश्यक वृद्धि की जायेगी। आत्म-निर्भर श्रेणी मन्दिर पर होने वाला व्यय मन्दिर की आय पर निर्भर करता है व सुपुर्दगी श्रेणी के मन्दिर की पूर्ण व्यवस्था सम्बन्धित सुपुर्दगार पुजारी/महन्त स्वय करता है। अराजकीय मन्दिरों में भोगराग की व्यवस्था का उत्तरदायित्व देवस्थान विभाग का नहीं है।

(4) देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित राजकीय मन्दिरों में से राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी मन्दिर श्री नृसिंहजी व श्री जगतेश्वर जी (जगत शिरोमणिजी) के कुछ भाग पर अतिक्रमण किया हुआ है। उक्त अतिक्रमण सम्बन्धी जांच के बाद बेदखली की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी। अराजकीय मन्दिरों तथा पंजीकृत प्रन्यासों की सम्पदा पर अतिक्रमण होने की जानकारी विभाग को नहीं है।

(5) जी हां। यह सही है कि प्राचीनतम मन्दिर खण्डहर अवस्था में है। इन मन्दिरों की मरम्मत और सुरक्षा का दायित्व सम्बन्धित पुजारी/प्रन्यासी एवं पुरातत्व विभाग का है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

किसानों को जनरेटर की खरीद पर अनुदान

735. **श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :** क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि काश्तकारों को जनरेटर खरीदने पर उद्योगों की भांति अनुदान देने की मांग सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ? इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

(2) क्या सरकार ने इस प्रकार की योजना बनाकर भारत सरकार को भेजी है ? यदि हां, तो कब व क्या तथा नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इस योजना में अनुदान देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितना व कब तक, और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं दिया गया है, इसलिये अनुदान देय नहीं है।

(3) इस प्रकार की योजना विचाराधीन ही नहीं है अतः भारत सरकार को भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सीकर जिले की कृषि उपज मण्डी समितियों से आय

736. **श्री बनवारीलाल भिण्डा (फतेहपुर) :** क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बनवारीलाल मिण्डा)

(1) सीकर जिले की कृषि उपज मण्डी समितियों की गत तीन वर्षों में कितनी आय हुयी ?

(2) उक्त कृषि मण्डी समितियों द्वारा दिसम्बर, 1993 से मई, 1996 तक कितनी सड़कों का निर्माण करवाया गया ? इनमें से कितनी पूर्ण हो चुकी एवं कितनी अभी तक अपूर्ण हैं ? सड़कवार विवरण मय लागत के सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) सीकर जिले में कृषि उपज मण्डी समिति, सीकर, श्रीमाधोपुर, नीमकाथाना तथा फतेहपुर आती है । उनका गत तीन वर्षों में कुल आय का विवरण निम्न प्रकार हैं :—

क्र. नाम मण्डी समिति	आय वर्ष 1993-94	(राशि लाख रुपयों में) 1994-95	1995-96
1. सीकर	82.56	102.29	108.13
2. श्रीमाधोपुर	55.69	87.12	78.91
3. नीमकाथाना	16.66	23.37	18.38
4. फतेहपुर	17.56	14.69	1 '.80

(2) दिसम्बर, 1993 से मई, 1996 तक सीकर जिले के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी समितियों में 25 सम्पर्क सड़कों का निर्माण कराया गया । सड़कवार विवरण मय लागत परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

भरतपुर कृषि उपज मण्डी समिति की निर्माणाधीन सड़कें

737. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भरतपुर कृषि उपज मण्डी समिति भरतपुर की गत तीन वर्षों में कुल कितनी आय थी ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) दिनांक 31 मार्च, 1996 को उक्त मण्डी की क्या देनदारियां थीं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) दिनांक 31 मार्च, 1996 को निर्माणाधीन सड़कों पर मण्डी को क्या भुगतान करना शेष था तथा निर्माणाधीन सड़कों के निर्माण कार्य पूरा करने में कितनी धनराशि की आवश्यकता थी और मण्डी के पास कितना धन उपलब्ध था ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, भरतपुर की गत तीन वर्षों की कुल आय निम्न प्रकार है :—

क्र.सं	वर्ष	कुल आय (लाख रु. में
1.	93-94	148.03
2.	94-95	195.72
3.	95-96	180.39

(राज्य मन्त्री, कृषि)

(2) अधिशासी अभियन्ता, विपणन बोर्ड को 4.40 लाख रुपये निर्माण कार्यों का दिया जाना शेष था।

(3) दिनांक 31-3-96 को स्थिति निम्न प्रकार थी :—

1. निर्माणाधीन सड़कों पर शेष भुगतान 4.40 लाख रुपये।
2. निर्माणाधीन सड़कों को पूरा कराने हेतु आवश्यक धन राशि 215.23 लाख रुपये।
3. मण्डी के पास उपलब्ध धन राशि 105.37 लाख रुपये।

कृषि उपज मण्डी समिति सुमेरपुर (पाली) द्वारा स्वीकृत कार्य

738. **श्रीमती बीना काक** (सुमेरपुर) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मण्डी, सुमेरपुर (पाली) द्वारा वर्ष 1993-94 से 1996-97 तक पंचायत समितिवार विकास कार्यों के अन्तर्गत कितने कितने कार्य स्वीकृत किये गये ? सूची मय राशि दर्शाते हुये सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त विकास कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो गये, कौन-कौनसे अधूरे हैं तथा कौनसे प्रारम्भ नहीं हुये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) मण्डी समिति द्वारा कितनी सम्पर्क सड़कें पंचायत समितिवार स्वीकृत की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें। सम्पर्क सड़कों का जो निर्माण कार्य करवाया गया है उनकी अलग–अलग तखमीना रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें। क्या सम्पर्क सड़कों का तखमीना के अनुसार कार्य नहीं होने की दशा में सरकार जांच करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति सुमेरपुर के अन्तर्गत वर्ष 1993–94 से 1996–97 तक पंचायत समितिवार स्वीकृत विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त कार्यों में से पूर्ण, अधूरे एवं प्रारम्भ नहीं हुए कार्यों का विवरण परिशष्ट ब (1) एवं ब (2) पर संलग्न है।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति, सुमेरपुर के अन्तर्गत पंचायत समितिवार स्वीकृत एवं निर्मित सड़कों एवं तखमीना रिपोर्ट की प्रतियां परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। निर्माण कार्य तखमीना अनुसार ही कराये गये हैं।

(विवरण एवं प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

कृषि उपज मण्डी समितियों के खुदरा व्यापारी

739. **श्री मीमराज भाटी** (पाली) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिर्फ पांच सौ रुपयों का किराणा सामान या कृषि जिन्सों की

(श्री भीमराज भाटी

खरीद करने पर उसके व्यापार करने के लिये कृषि उपज मण्डी समिति का लाइसेन्स लेना अनिवार्य है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार कृषि उपज मण्डी के खुदरा व्यापारियों को राहत प्रदान करने के लिये इस क्रय सीमा को बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो नई अधिकतम सीमा क्या प्रस्तावित है और कब तक इसे लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान कृषि उपज विपण अधिनियम, 1961 एवं नियम 1963 व उपविधियों के अन्तर्गत विज्ञप्त कृषि जिन्सों की खरीद एवं विक्रय करने हेतु कृषि उपज मण्डी समिति का लाइसेन्स लेना अनिवार्य है। परन्तु पांच सौ रुपये की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

(2) जब पांच सौ रुपये की कोई सीमा ही निर्धारित नहीं है तो इसे बढ़ाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

कोटा बेराज से निकलने वाली नहरों की सफाई व्यवस्था

740. **श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी)** : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा बेराज से निकलने वाली नहरें वर्ष 1960 में बनाई गई थी ? यदि हां, तो कितनी भूमि को नहरों द्वारा सिंचित करने का लक्ष्य था ? इन नहरों की मियाद कब तक की थी ?

(2) क्या यह सही है कि नहरों के बाद में ड्रेनों का निर्माण कराया गया ? यदि हां, तो बूंदी जिले में कितनी लम्बी नहरें, ड्रेनें हैं ? प्रत्येक पंचायतवार (नहर, ड्रेन) लम्बाई, कब बनाई एवं खुदाई हुई का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नहरों की अवधि केवल मात्र 30 वर्ष के लिये थीं ? यदि हां, तो अवधि समाप्त होने के बाद सरकार इनका नवीनीकरण कब तक करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि नहरों एवं ड्रेनों की स्थिति बड़ी नाजुक है ? पानी नहरों के ऊपर से निकल जाता है ? यदि हां, तो मार्च, 1991 से 30 जून, 1996 तक बूंदी जिले की बांई मुख्य नहरों एवं ड्रेनों की सफाई के लिये वर्षवार स्वीकृत राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि मशीनें पुरानी हो गयी हैं जिससे कार्यक्षमता भी कम हो गयी हैं ? क्या सरकार नई मशीनें लाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी और प्रत्येक सहायक अभियन्ता को कितनी-कितनी मशीनें जुलाई, 1996 से 30 जून, 1997 तक देने का विचार है ? यदि नहीं, क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि कोटा बैराज से दांयी व बांयी मुख्य नहर निकलती है इन नहरों का निर्माण 1960 तक पूर्ण कर लिया

(राज्य मन्त्री, सिंचित क्षेत्रीय विकास)

गया था। इन दोनों नहर प्रणालियों से 2.29 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को 76% इरीगेशन इन्टेंसिटी पर सिंचित करने का लक्ष्य था। नहरों की मियाद लगभग 100 वर्ष मानी गयी है।

(2) जी हां। कुल 1.67 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र हेतु ड्रेनों का निर्माण किया गया था। बूंदी जिले में 1248 कि. मी. नहर प्रणाली है तथा 1091 कि.मी. लम्बाई में ड्रेनें हैं। ड्रेन निर्माण हेतु बांयी मुख्य नहर को 24 जोनों में विभाजित कर निर्माण कार्य मुख्यत: वर्ष 1974 से वर्ष 1981 तक कराया गया था। ड्रेनों की खुदाई जोनवाइज की जाती है अत: पंचायतवार इनकी लम्बाई देना सम्भव नहीं है क्योंकि ड्रेन एक से अधिक पंचायत क्षेत्र से गुजरती है।

(3) जी नहीं। नहरों व वितरण प्रणालियों का आवश्यकतानुसार रख-रखाव कराया जाता है।

(4) यह सही नहीं है कि नहरों एवं ड्रेनों की स्थिति नाजुक है और न ही पानी नहरों के ऊपर से निकलता है।

(5) जी हां। यह सही है कि फील्ड मशीनरी खण्ड में उपलब्ध 96 मशीनों में से केवल 12 मशीनें नई है शेष मशीनें पुरानी हैं। अधिकांश मशीनों ने तकनीकी रूप से अपनी स्थापित कार्यकाल पूर्ण कर लिया है इसलिए क्षमता का कम होना स्वाभाविक है।

मुख्य नहरों एवं ड्रेनों के कार्य हेतु एक करोड़ रुपये लागत की नई मशीनें क्रय करने के प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। विभाग में उपलब्ध सभी मशीनों का आवंटन कार्य की महत्ता एवं बजट की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है व इसी प्रकार जुलाई, 1996 से जून, 1997 की अवधि में भी किया जायेगा।

कोटा टेल पर पानी पहुंचाने की व्यवस्था

741. श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा कोटा टेल पर पानी पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विभाग के पास स्थाई व वर्कचार्ज कर्मचारी कितने-कितने हैं ? इनके वेतन व भत्तों पर कितनी राशि व्यय की जाती है ? इनके द्वारा रेगूलेशन व क्लोजर की अवधि में क्या कार्य करवाया जाता है ? खण्डीय व उपखण्डीय वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विभागीय कर्मचारी द्वारा रेगूलेशन न करवा कर ठेकेदारों द्वारा व टेण्डर द्वारा रेगूलेशन करवाने के क्या कारण हैं ? प्रत्येक खण्ड व उपखण्ड द्वारा कितना-कितना खर्च किया गया ?

(4) ठेकेदारों द्वारा किस-किस क्षेत्र में कब-कब रेगूलेशन करवाये गये ? इससे किन–किन क्षेत्रों में समय पर पानी पहुंच सका ?

(5) क्या टेल पर पानी समय पर पहुंच गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(48)

(राज्य मन्त्री, सिंचाई क्षेत्रीय विकास)

क्या सरकार सम्बन्धित ठेकेदारों व अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कोटा क्षेत्र की नहरों की टेल पर पानी पहुंचाने हेतु नहरों वितरिकाओं की बीडक्लियरेन्स, पल्वराइजेशन, बैंड कटिंग एवं आवश्यक मरम्मत का कार्य करवाया गया है। इसके साथ अनधिकृत आउटलेटों को हटाना, पानी के सीपेज द्वारा बर्बादी रोकने के लिए आवश्यक रीचों में नहरों को लाइनिंग द्वारा पक्का करवाने तथा आउटलेटों को पक्का करवाने की व्यवस्था भी की है। नहरों के रिसेक्सनिंग कार्य मशीन से करवाने की व्यवस्था की गयी हैं। चीरे एवं ड्रेन के क्रोसिंग पर मिसिंगलिंक का कार्य करवाया गया है एवं कमाण्ड क्षेत्र में कृषकों की भागीदारी के माध्यम से नहरों के सुधारीकरण कार्य किये गये हैं।

उपरोक्त कार्य के साथ-साथ विभाग द्वारा सिंचाई की अवधि में सिंचाई अभियन्ताओं सहित अन्य प्रशासकीय अधिकारियों को नहर की छोर पर पानी पहुंचाने की सतत् समीक्षा कर उचित प्रबन्ध करने के निर्देश दिये हुये हैं व उनकी पालना की जा रही है।

(2) स्थाई वर्कचार्ज कर्मचारी उपखण्ड के अन्तर्गत कार्य करते हैं। इस वृत के अधीन तीन खण्ड दांई नहर प्रथम, दांई नहर खण्ड द्वितीय एवं बांई नहर खण्ड कार्यरत हैं। इन खण्डों में जो वर्कचार्ज के कर्मचारी कार्यरत हैं उनकी संख्या क्रमशः 445, 441 एवं 318 (कुल 1174) हैं। खण्डवार इनके वेतन भत्तों पर वार्षिक व्यय क्रमशः 116 लाख, 134 लाख एव 115 लाख रुपये हैं। रेगूलेशन की अवधि में 5 क्यूसेक्स से कम पानी वाली माइनर्स का रेगूलेशन कार्य स्थाई वर्कचार्ज कर्मचारियों से करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त मुख्य नहर की दिन-रात पेट्रोलिंग हेतु सुरक्षा की दृष्टि से दिन-रात की पारी में कर्मचारियों की टोली बनाकर जिसमें 4 कर्मचारी होते हैं, से निगरानी करायी जाती है।

एक कर्मचारी 2 कि. मी. की निगरानी करता है ताकि नहरों की तोड़-फोड़ न हो तथा नहर की स्थिति की जानकारी 24 घंटे मिलती रहे। इसके अलावा नहरों पर स्थित हैड रेगूलेटर, क्रोस रेगूलेटर, स्केपंस, साइफस स्टोर की चौकीदारी पर वर्कचार्ज कर्मचारियों को लगाया जाता है। नहरों के क्लोजर अवधि में नहरों पर चल रहे कार्यों का सुपरवीजन, जनरल सफाई, वृक्षों की चौकीदारी तथा नहरों के छोटे-मोटे कार्य स्थायी वर्कचार्ज कर्मचारियों द्वारा करवाये जाते हैं। इसके अलावा आउटलेट्स को हटाना, सर्वे करना तथा स्टोर, रेस्ट हाउस एवं कॉलोनी की चौकीदारी पर लगाये जाते हैं।

(3) रेगूलेशन कार्य उपखण्ड स्तर से करवाये जाते हैं। वर्ष 1983 तक इस वृत की नहरी व्यवस्था सम्भालने हेतु 2605 वर्कचार्ज कर्मचारी थे जो वर्ष 1983 में ही छटनी के पश्चात् 1394 रह गये। इसके अलावा प्रति वर्ष कर्मचारी रिटायर होने के

(राज्य मन्त्री, सिंचित क्षेत्र विकास)

फलस्वरूप इनकी संख्या में उत्तरोत्तर कमी हो गई एवं वर्तमान में कुल 1174 श्रमिक कार्यरत हैं। पूर्व में मस्टर-रोल प्रणाली पर अस्थायी लेबर लगाकर आवश्यक कार्य एवं नहरों के रेगूलेशन का कार्य कराया जाता था, किन्तु राज्य सरकार द्वारा मस्टर-रोल प्रणाली बन्द कर देने से रेगूलेशन के कार्य टेण्डर पर करवाये जाते हैं। क्योंकि वर्तमान में नहरों पर कार्यरत विभागीय कर्मचारी नहरों पर स्थित हैड रेगूलेटर, क्रोस रेगूलेटर एस्केप, साइफन, रेस्ट हाउस, कॉलोनीज एवं स्टोर्स की चौकीदारी कार्यों हेतु ही पर्याप्त हैं। इसके उपरान्त रेगूलेशन हेतु कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। अतः ठेकेदार द्वारा रेगूलेशन करवाया जाता है जिसके अन्तर्गत दाईं मुख्य नहर क्षेत्र के कोटा उपखण्ड के 29 हजार, केथून उपखण्ड में 28 हजार, दीगोद उपखण्ड में 40 हजार, सुल्तानपुर उपखण्ड में एक लाख चार हजार इटावा उपखण्ड मे एक लाख बीस हजार, मांगरोल उपखण्ड में एक लाख 17 हजार, अन्ता उपखण्ड में 20 हजार, डिस्ट्रीब्यूटरी उपखण्ड अन्ता में एक लाख 27 हजार एवं बाईं नहर खण्ड क्षेत्र में बूंदी उपखण्ड में 65 हजार, के. पाटन उपखण्ड में 97 हजार, कापरेन उपखण्ड में 93,000 एवं कोटा उपखण्ड में 59,000/– रुपये व्यय किये गये।

(4) ठेकेदारों द्वारा रेगूलेशन का कार्य कोटा, केथून, दीगोद, सुल्तानपुर, अन्ता इटावा मांगरोल, डिस्ट्रीब्यूटरी उपखण्ड अन्ता, बाईं जल उपखण्ड, कोटा, के. पाटन कापरेन एवं बूंदी क्षेत्र में करवाया गया था तथा इसके फलस्वरूप उक्त समस्त क्षेत्र में पानी पहुंच सका है।

(5) दाईं नहर क्षेत्र से सम्बन्धित नहरों पर समय पर पानी पहुंचा था। बाईं नहर क्षेत्र में सुदर टेल पर स्थित स्थानों पर दूसरा पानी थोड़ा विलम्ब से पहुंचा था, परन्तु रेगूलेशन की पर्याप्त अथवा अपर्याप्तता के अतिरिक्त इस विलम्ब के अनेक कारण हैं जैसे कि शीर्ष भाग के कृषकों द्वारा मनमानी पूर्ण ढंग से पानी का दुरुपयोग, नहरों की काट डालना, ओढे लगाना, पाइपों को तोड़ना, अवैध मोघों का प्रयोग, नहरों में बीड की बढ़ोतरी तथा नहरी रास्तों की बर्बादी आदि-आदि। चूंकि ठेकेदार की रेगूलेशन लेबर इनमें से बहुत से कारणों पर कोई प्रभाव नहीं रखती है। अतः केवल उन्हीं को पूर्ण दोष देकर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की सार्थकता नहीं है।

तहसील डेगाना (नागौर) के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पद

742. श्री रिछपालसिंह (डेगाना) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील डेगाना जिला नागौर में कुल कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्यरत हैं? इनमें से कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय कितने हैं? विवरण ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद लम्बे समय से रिक्त हैं?

(श्री रिछपालसिंह)

यदि हां, तो कुल कितने पद रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार रिक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) नागौर जिले में वर्तमान शिक्षा सत्र 1996–97 में कुल कितने उच्च प्राथमिक शालाओं, माध्यमिक शालाओं को क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है ? विवरण तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डेगाना तहसील जिला नागौर में राजकीय उच्च प्राथमिक स्तर के 41 विद्यालय हैं। जिसमें 36 छात्र तथा 5 छात्रा विद्यालय संचालित हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी नहीं। विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्वीकृत पद भरे हुए हैं। वर्तमान में कोई भी पद स्वीकृत नहीं हैं।

(3) पद भरे हुये हैं। अतः किसी प्रकार की कार्यवाही वर्तमान में अपेक्षित नहीं हैं।

(4) नागौर जिले से विद्यालयों के प्राप्त क्रमोन्नत प्रस्तावों में से मानदण्डों की पूर्ति, क्षेत्र की मांग एवं आवश्यकता उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों की परिसीमा में गुणावगुण के आधार पर राज्य सरकार, विद्यालय क्रमोन्नति पर विचार करती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

पंचायत समिति अन्ता (बारां) के उच्च प्राथमिक विद्यालय विहीन पंचायत मुख्यालय

743. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति अन्ता जिला बारां में कितने पंचायत मुख्यालय हैं ? उक्त पंचायत मुख्यालयों में से कितने पंचायत मुख्यालयों में सरकार की नीति के अनुरूप उच्च प्राथमिक विद्यालय तक की शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवा दी गई ? पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में ऐसे कितने पंचायत मुख्यालय शेष हैं, जिनमें उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर की सुविधा अब भी उपलब्ध नहीं है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) शेष पंचायत मुख्यालयों पर अब कब तक उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर की शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति अन्ता जिला बारां में 38 पंचायत मुख्यालय हैं। जिसमें से निम्नानुसार 31 पंचायतों में उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध है :—

1. बमोरीकलां, 2. ईश्वरपुरा, 3. मऊ, 4. भालीबमोरी, 5. बाहेत, 6. भटवाड़ा, 7. रायथल, 8. जलोदा तेजाजी, 9. सिसाय, 10. सीसवाली, 11. अचपुरिया, 12. बड़गांव, 13. पाटोन्दा, 14. बालदड़ा, 15. बालाखेड़ा, 16. मोज्याखेडी, 17. कांचरी,

(शिक्षा मन्त्री)

18. पचेलकलां, 19. मिर्जापुर, 20. नियना, 21. खजूरनाकलां, 22. पलायथ, 23. बमूलियामाताजी, 24. अमलासरा, 25. बडवा, 26. जयनगर, 27. ठीकरिया, 28. बिजोरा, 29. पलसावा, 30. बमूलियाकलां, 31. सोरसन।

(2) निम्न सात पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध नहीं है :—

1. जारेला, 2. महलपुर, 3. हिंगोनियां, 4. किशनपुरा, 5. महुआ, 6. शाहपुरा, 7. सोरखण्ड कलां।

(3) प्रश्न के भाग संख्या-2 में उल्लेखित पंचायतों पर उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध समिति वित्तीय साधनों के तहत निर्धारित मानदण्ड की पूर्ति करने वाले विद्यालयों को गुणावगुण के आधार पर क्रमोन्नत किये जाने पर विचार किया जायेगा।

शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल के प्रिंसिपल का रिक्त पद

744. **श्री मोहनलाल बारूपाल** (जायल) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल में प्रिंसिपल का पद गत एक वर्ष से रिक्त है? क्या इसके कारण प्रशासनिक व्यवस्था ठप्प है? क्या सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रिंसिपल ऐकेडेमिक साइड का होगा? यदि हां, तो अब कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी?

उत्तर

जी नहीं। गत वर्षों में प्रधानाचार्य सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर के पद पर निम्न अधिकारी कार्यरत रहे :—

श्री हरगोविन्द गुप्ता 11–5–94 से 17-1-96 श्री एम एल. मिश्री 18-1-96 से 19-1-96 श्री ओमप्रकाश व्यास 16-2-96 से निरन्तर प्रधानाचार्य शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल के पद पर ऐकेडेमिक साइड का ही व्यक्ति लगाया जाये ऐसा कोई निर्णय राज्य सरकार ने नहीं लिया है।

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के विद्यालयों की क्रमोन्नति

745. **श्री कमल** (हिण्डौन) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में वर्ष 1995–96 में किसी उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है?

(2) सरकार इस वर्ष उक्त क्षेत्र के कितने उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) राज्य सरकार अपने सीमित वित्तीय साधनों के तहत प्राप्त प्रस्ताव पर निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति करने वाले विद्यालयों के

(52)

(शिक्षा मन्त्री)

प्रस्तावों पर राज्य के अन्य प्रस्तावों के साथ गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाकर क्रमोन्नत किया जाता है।

उदयपुर जिले के विद्यालयों में कृषि विज्ञान विषय

746. **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उदयपुर जिले के विद्यालयों में कृषि विज्ञान विषय पढ़ाया जा रहा है ? यदि हां, तो किन-किन विद्यालयों में ? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले के विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत अधिकतर विद्यार्थी किसान परिवारों के हैं ? यदि हां, तो इन विद्यार्थियों को कृषि विज्ञान विषय पढ़ाया जाने हेतु सरकार की क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। निम्न विद्यालयों में पढ़ाया जाता है :—

1. रा. सी. मा. वि. फतेह, उदयपुर
2. रा. सी. मा. वि., मावली
3. रा. सी. मा. वि., सलुम्बर
4. रा. सी. मा. वि., भीण्डर
5. रा. सी. मा. वि., फतेह नगर

(2) जी नहीं। कृषि विज्ञान में अध्ययन हेतु कृषि परिवार का ही होना आवश्यक नहीं है यह सुविधा सभी के लिये उपलब्ध है। सरकार क्षेत्र की आवश्यकता कृषि विज्ञान से सम्बन्धित मापदण्डों की पूर्ति तथा उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों की परिसीमा में कृषि विज्ञान विषय की सुविधा उपलब्ध कराती है।

विधान सभा क्षेत्र खण्डार के विभिन्न विद्यालयों के अपूर्ण/क्षतिग्रस्त भवन

747. **श्री हरिनारायण बैरवा** (खण्डार) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय सारसोप जिला सवाई माधोपुर के 6 कमरे क्षतिग्रस्त हो गये हैं एवं विद्यालय 4 वर्षों से बंद हैं ? जिससे विद्यार्थियों को काफी असुविधा हो रही है ? क्या सरकार इन कमरों की मरम्मत शीघ्र करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय पांचोलास में भी भवन की कमी है जिससे विद्यार्थियों को अध्ययन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस विद्यालय में नवीन भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि राजकीय संस्कृत विद्यालय (वरिष्ठ उपाध्याय) चौथ का बरवाड़ा में भी भवन निर्माण कई वर्षों से अधूरा है ? अब तक इस अधूरे निर्माण कार्य में कितनी राशि व्यय हो चुकी है व अब कितनी लागत और आयेगी ? क्या

(श्री हरिनारायण बैरवा)

सरकार इस अधूरे भवन निर्माण को पूरा कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय खण्डार पुराने भवन में चलता है, जिसकी दीवारें मिट्टी से चुनाई की हुई व छत लटकी हुई तथा दीवारें भी जगह–जगह से फटी हुई होने से कभी भी अनहोनी घटना घट सकती है?

(5) क्या यह भी सही है कि सरकार ने उक्त विद्यालय का सर्वे भी कराया है? क्या सरकार खण्डार में नया भवन निर्माण करवाना चाहती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सारसोप के 5 कमरे क्षतिग्रस्त हो गये हैं। छात्रों की निकट के प्राथमिक विद्यालय में बैठाने की अन्तरिम व्यवस्था कर दी गई हैं। भवन मरम्मत के प्रस्ताव प्राप्त कर उपलब्ध प्रावधानान्तर्गत मरम्मत कराने का प्रयास किया जायेगा।

(2) जी हां। राजकीय माध्यमिक विद्यालय पांचोलास में आंशिक रूप से कमरों की कमी है। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त निर्माण कार्य व अपूर्ण कमरों को पूर्ण कराने के लिये जन सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा। जन सहयोग व अन्य किसी योजना से राशि उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य कराया जा सकेगा।

(3) जी हां। राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, चौथ का बरवाड़ा में 65 × 23.1/2 फीट का एक हॉल का निर्माण कार्य सत्र 1988-89 से अधूरा है। शाला विकास समिति एवं जन सहयोग से पंचायत द्वारा 8 फीट की ऊंचाई तक निर्माण कार्य करवाया गया है। इस अधूरे निर्माण कार्य में तात्कालीन समय में 33,000/– रुपये व्यय किये गये। वर्तमान में इस अधूरे कार्य को पूर्ण कराने में लगभग 5 लाख रुपये से अधिक की लागत आयेगी। अधूरे हॉल का निर्माण कार्य शाला विकास समिति द्वारा जन सहयोग, जिला विकास अभिकरण द्वारा संचालित योजनाओं व जिला कलक्टर के अधीन संचालित योजनाओं के तहत राशि प्राप्त कर पूर्ण कराने का प्रयास किया जायेगा।

(4) राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, खण्डार, पुराने भवन में चल रहा है जो काफी पुराना है। इस विद्यालय में 8 कमरों का निर्माण कार्य शुरू किया गया था जिनमें से 4 कमरे पूर्ण हो चुके हैं। छात्रों के शिक्षण की व्यवस्था बने हुए 4 कमरों तथा विद्यालय परिसर में अन्य स्थानों पर की गयी है। पुराना भवन छात्रों के बैठने योग्य है या नहीं इसके सार्वजनिक निर्माण विभाग से भवन का निरीक्षण करा-कर आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

(5) जी हां। शाला में 8 कमरे निर्माणाधीन थे, जिनमें 4 कमरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। दो कमरों के निर्माण हेतु जिला कलक्टर (सहायता) सवाईमाधोपुर को प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं।

अजमेर सम्भाग में अध्यापकों की नियुक्ति प्रकरण

748. श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या किसी विषय के वरिष्ठ अध्यापकों की नियुक्ति सामान्य अध्यापकों के पदों पर की जा सकती है ? यदि हां, तो कितनी नियुक्तियां द्वितीय वेतन श्रृंखला के विषय अध्यापकों की सामान्य अध्यापकों के विरुद्ध की गयी ?

(2) अजमेर सम्भाग में वर्ष 1995-96 में सामान्य अध्यापकों के पदों के विरुद्ध कितने व किस विषय के वरिष्ठ अध्यापकों की नियुक्ति की गयी ?

(3) क्या उपरोक्त नियुक्तियां नियम विरुद्ध हैं ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के प्रति की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अजमेर मण्डल में वर्ष 1995-96 हेतु वरिष्ठ अध्यापकों की नियुक्ति हेतु बनाई गई वरियता सूचियां विषयवार/श्रेणीवार/एससी/एसटी/ओबीसी/अन्य की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(5) उपरोक्त वरियतानुसार दी गयी समस्त नियुक्तियों की संख्या सूची व आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अधिकांश विद्यालयों में 5 वरिष्ठ अध्यापकों के पद स्वीकृत होते हैं। वरिष्ठ अध्यापक के पद विषयवार स्वीकृत नहीं किये जाते हैं। विद्यालयों में स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापकों के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में दर्शाये गये विषयों अर्थात् गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषय के अध्यापक के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापित पदों पर विषयवार नियुक्तियां दी जाती है तथा इन पदों पर विषय अध्यापक ही नियुक्त किये जाते हैं। शेष दो पदों पर विद्यालय में संचालित हिन्दी, सामाजिक विज्ञान विषय के अध्ययन हेतु सामान्य अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है। तृतीय भाषा पंजाबी, उर्दू, सिन्धी, गुजराती, संस्कृत के रूप में संचालित विषय का अध्यापन उन वरिष्ठ अध्यापकों सामान्य तथा उन तृतीय श्रेणी अध्यापकों से करवाया जाता है जिनके बी. ए. में उक्त विषय में से कोई एक विषय रहा हो। उपरोक्त उल्लेखित तृतीय भाषा शिक्षा हेतु विद्यालयों में पद सृजित नहीं किये गये।

(2) जी हां। 3 उर्दू अध्यापकों को सामान्य अध्यापक के पद के विरुद्ध नियुक्त किये गये हैं। केवल दो आशार्थियों ने कार्य-ग्रहण किया। इनका पदस्थापन उर्दू विषय के अध्यापन हेतु किया गया है।

(3) जी नहीं। राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 में संलग्न अधिसूची के अनुसार विषय अध्यापक सामान्य अध्यापक की श्रेणी में आते हैं। विद्यालयों में विषयवार पद स्वीकृत नहीं होते हैं। विद्यालय में विषय मांग एवं कालांश भार के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है। अतः किसी को दोषी ठहराये जाने का औचित्य नहीं है। उपरोक्त नियुक्तियां नियम विरुद्ध नहीं हैं।

(शिक्षा मन्त्री)

(4) अजमेर मण्डल में सत्र 95-96 हेतु वरिष्ठ अध्यापकों की नियुक्ति हेतु बनाई गई विषयवार/श्रेणीवार/एससी/एसटी/ओबीसी/अन्य की वरियता सूचियों के निर्माण में अत्यधिक व्यय होने तथा स्टेशनरी का अभाव होने के कारण प्रतियां सदन के पटल पर रखा जाना सम्भव नहीं है। एक प्रति अवलोकनार्थ प्रेषित हैं।

(5) उपरोक्त वरियतानुसार दी गई नियुक्तियों का विषयवार विवरण निम्न प्रकार से हैं :—

विषय	दी गई नियुक्तियों की संख्या
1. अंग्रेजी	120
2. उर्दू	6
3. संस्कृत	73
4. जीव विज्ञान	81
5. गणित	108
	388

विषयवार नियुक्ति आशार्थियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बस्सी (गंगरार) कस्बे के सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में ऐच्छिक विषय

749. श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गंगरार के बस्सी कस्बे में सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित हैं? यदि हां, तो उसमें कौन-कौनसे ऐच्छिक विषय पढ़ाये जाते हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विद्यालय के विज्ञान संकाय में जीव विज्ञान विषय व कला संकाय में अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृत विषय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय बस्सी (चित्तौड़गढ़) में निम्नानुसार संदाय एवं उसके विषयों की शिक्षण व्यवस्था है :—

1. कला संकाय–विषय हिन्दी, भूगोल, राजनीति विज्ञान।
2. वाणिज्यक संकाय–वित्तीय लेखांकन, व्यावसायिक संगठन, मुद्रा बैंकिंग एवं विनियम।
3. विज्ञान संकाय–भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित।

(2) अतिरिक्त विषय/वर्ग खोलने हेतु वित्तीय प्रावधान की उपलब्धता पर मानदण्डों की पूर्ति करने वाले विद्यालयों में पर्याप्त छात्र संख्या की स्थिति को ध्यान में रखते हुये समग्र रूप से विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(56)

बांसवाड़ा जिले के विद्यालयों में स्वीकृत पद

750. श्री दलीचन्द (दानपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में कुल कितने राजकीय उच्च प्राथमिक/माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन सभी विद्यालयों में सभी प्रकार के पद स्वीकृत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विद्यालयों में 30 जून, 1996 तक जो पद स्वीकृत नहीं हैं, उनको स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में निम्नानुसार विद्यालय संचालित हैं :—

	उ. प्रा. वि.	मा. वि.	सी. मा वि.
छात्र	303	58	24
छात्रा	37	13	05
योग	340	71	29

सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) निम्न विद्यालयों को छोड़कर सभी विद्यालयों में नोर्म्स के अनुसार पद स्वीकृत हैं :—

1.	रा.मा.वि.,	बड़ालिया	1 पद	प्र. शा.स.
2.	रा.मा.वि.,	निचला घुटाला	1 पद	प्र. शा.स.
3.	"	खोरा	1 पद	पु.प्र.
4.	"	मोटागांव	1	"
5.	"	पडोली राठौड़	1	"
6.	"	छोटी सरवा	1	"
7.	"	डडूका	1	"
8.	"	घटाली	1	"
9.	"	नौगामा	1	"
10.	"	मंगड़ा	1	"
11.	"	बोरी	1	"
12.	"	चान्दरवाड़ा	1	"
13.	"	छींछ	1	"

कुल प्रयोगशाला सहायक के 2 एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के 11 पद स्वीकृत नहीं हैं।

(3) जी नहीं। निर्धारित स्टाफिंग पैट्रन एवं वित्तीय प्रावधानों की परिसीमा में पद सृजन किया जाता है। इन पदों का भी अतिरिक्त कार्य करने वाले कर्मचारियों को विशेष भत्ता दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति सुनेल (झालावाड़) के माध्यमिक कन्या शाला की क्रमोन्नति

751. श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

क्या सरकार पंचायत समिति मुख्यालय सुनेल (झालावाड़) के माध्यमिक कन्या शाला को सीनियर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

वित्तीय वर्ष 1996-97 में 70 माध्यमिक विद्यालयों को सीनियर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने का प्रावधान है। इसके विरुद्ध 39 माध्यमिक विद्यालय को सीनियर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने के आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं।

वर्ष 96-97 में उपलब्ध वित्तीय सीमा में मानदण्डों की पूर्ति करने वाले अन्य विद्यालयों के साथ राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय सुनेल (झालावाड़) को मानदण्डों की पूर्ति करने पर सीनियर माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने पर समग्र रूप से विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय खेरोद (उदयपुर) में प्रथम श्रेणी पी. टी. आई. का पद

752. श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम श्रेणी पी. टी. आई. पदस्थापित करने के क्या मानदण्ड हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिला उदयपुर के राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में इस प्रकार के पद स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो किस-किस विद्यालय में किस-किस आधार पर कब से तथा उस पर कौन व्यक्ति कब से पद स्थापित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, खेरोदा (उदयपुर) में उक्त पद स्वीकृत है, जबकि छात्रों की संख्या 700 से अधिक नहीं थी ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि एक ही व्यक्ति को लाभ देने के लिये उसे द्वितीय ग्रेड से पदोन्नति होने के कारण उक्त पद को द्वितीय ग्रेड से प्रथम ग्रेड में परिवर्तित किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? जबकि इसी प्रकार के अन्य विद्यालय झाड़ोल, फलासियां, भीण्डर, सलुम्बर, धरियावाद, मावली व वल्लभनगर में उक्त पद सृजित नहीं है यदि हां, तो क्यों ? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार समान नीति लागू करने एवं दोषियों को दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक (पी.टी आई.) प्रथम श्रेणी का पद छात्र संख्या जहां अधिक होती है, जिले के द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक के अनुपात एवं खेल मैदान व साधन सुविधाओं की उपलब्धता को मध्य नजर रखते हुये सृजित किये जाते हैं।

(शिक्षा मन्त्री)

(2) उपरोक्त आधार पर उदयपुर जिले के निम्नांकित विद्यालयों में प्रथम श्रेणी शारीरिक शिक्षा का पद सृजित है :—

क्र. सं.	विद्यालय का नाम		पदस्थापित शा. शि. का नाम	कब से पदस्थापित है।
1.	गुरु गोविन्दसिंह सी. मा विद्यालय		श्री कन्हैयालाल भट्ट	6-12-90
2.	रा. सी. मा. विद्यालय जावर माइन्स		श्री मधुकान्त सनाढ्य	25-5-82
3.	"	खेरोदा	श्री रूपलाल कोठारी	20-7-88
4.	"	फतहनगर	रिक्त	"
5.	"	खैरवाड़ा	रिक्त	"
6.	"	फलासिया	रिक्त	"

(3) जी नहीं। रा. सी. मा. विद्यालय, खेरोदा में जब प्रथम श्रेणी के शारीरिक शिक्षक का पद सृजित किया गया था उस समय की छात्र संख्या के आधार व क्षेत्र की आवश्यकता के आधार पर पद सृजित किये गये थे। सी. मा. विद्यालय, फलासिया में प्रथम श्रेणी शारीरिक शिक्षक का पद सृजित है। पदों का सृजन किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से क्रमोन्नत नहीं किये जाते वरन् क्षेत्र के छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुये किये जाते हैं। रा.सी.मा. विद्यालय, झाडोला की छात्र संख्या 535, भीण्डर की छात्र संख्या 818, सलूम्बर की 740, धरियावाद की 604, मावली की 869, तथा बल्लभनगर 494 है। इन विद्यालयों में पद सृजन की मांग किये जाने पर विभाग अपने सीमित वित्तीय प्रावधानों के तहत पद सृजन की मांग के औचित्य को मध्य नजर रखते हुये पद सृजित कर सकेगा।

(4) सरकार द्वारा भेद-भावपूर्ण नीति नहीं अपनायी गयी है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

पद सृजन क्रमोन्नयन में कोई दोहरी नीति नहीं अपनाई जा रही है। पदों का सृजन छात्र हितों में किया जाता है। अतः किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

पिडावा (झालावाड़) न्यायालय में मजिस्ट्रेट का रिक्त पद

753. **श्री कन्हैयालाल पाटीदार** (पिडावा) : क्या विधि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

(1) क्या यह सही है कि पिड़ावा (झालावाड़) न्यायालय में मजिस्ट्रेट का पद रिक्त है ? यदि हां, तो कब से व क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पद को शीघ्र भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । पिडावा में मजिस्ट्रेट का पद दिनांक 6-6-95 से पीठासीन अधिकारी के स्थानान्तरण हो जाने से रिक्त है ।

(2) न्यायिक अधिकारियों के पदस्थापन का कार्य उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा नहीं ।

ग्राम भेरूंदा (डेगाना) का ग्रिड सब स्टेशन

754. श्री रिछपालसिंह (डेगाना) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि तहसील डेगाना के गांव और कृषि कुए भेरूंदा 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन से जुड़े हुए हैं ? यदि हां, तो इस सब स्टेशन पर वर्तमान में कितना लोड है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या भेरूंदा 132 के. वी. सब स्टेशन पर लोड की अधिकता को देखते हुए डेगाना में 132 के. वी. ग्रिड स्टेशन बनाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो यह ग्रिड सब स्टेशन कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) नागौर जिले में कुल कितने 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन वर्तमान में कार्यरत हैं ? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । तहसील डेगाना के गांव और कृषि कुएं 132 के. वी. जीएसएस भेरूंदा की कुल अधिष्ठापित क्षमता 32.5 एम. वी. ए. है, लेकिन अभी तक इस 132 के. वी. जी. एस. एस. पर केवल 26.5 एम. वी. ए. का पीक लोड रिकार्ड हुआ है ।

(2) 132 के.वी. जी. एस. एस. भेरूंदा की क्षमता 32.5 एम. वी. ए. है इसके सापेक्ष केवल मात्र 26.5 एम. वी. ए. ही अधिकतम लोड रेकार्ड किया गया है । अतः 132 के वी. जी. एस. एस., डेगाना में बनाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

(3) नागौर जिले में वर्तमान में कुल 8 132 के. वी. जी. एस. एस. प्रतिस्थापित हैं । तहसीलवार सूची निम्न प्रकार है :—

(ऊर्जा मन्त्री)

क्र सं.	जी. एस. एस. का स्थान		तहसील का नाम
1.	132 के. वी. जी. एस. एस. मेड़तासिटी		मेड़तासिटी
2.	"	गोटन	मेड़तासिटी
3.	"	कुचेरा	नागौर
4.	"	नागौर	नागौर
5.	"	मकराना	परबतसर
6.	"	कुचामनसिटी	नावां
7.	"	डीडवाना	नावां
8.	"	भेरूंदा	डेगाना

नये ग्रामों का विद्युतीकरण

755. **श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विद्युत मण्डल द्वारा गत वर्ष व चालू वर्ष में नये गांवों का विद्युतीकरण किया गया ? यदि हां, तो कौन-कौन से गांव का किस-किस योजना में कब–कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त अवधि में गांवों के विद्युतीकरण के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से ऋण प्राप्त किया गया है ? यदि हां, तो किस–किस कार्य के लिये कितना–कितना ?

(3) उपरोक्त अवधि में गांवों का विद्युतीकरण करने के कार्य में कितना-कितना खर्चा किस-किस मद से किया गया ?

(4) नये गांवों को विद्युतीकृत करने के बारे में इस समय क्या नीति है ? इस वर्ष कितने गांव विद्युतीकृत करने का लक्ष्य है ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1995–96 में ग्रामीण विद्युतीकरण के 750 ग्रामों के लक्ष्यों के तहत 750 ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है, जिसका जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-"अ" में संलग्न है। वर्ष 1996–97 में 700 ग्राम विद्युत मण्डल द्वारा व 50 ग्राम राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा विद्युतीकृत किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 1996–97 में जून, 96 तक 28 ग्रामों का विद्युतीकरण किया

(उर्जा मन्त्री)

जा चुका है जिसका जिलेवार विवरण भी परिशिष्ट-"अ" में दर्शाया गया है ।

(2) जी हां । ग्रामीण विद्युतीकरण निगम में मात्र गांवों के विद्युतीकरण के लिए अलग से कोई ऋण नहीं देता है अपितु उसके द्वारा स्वीकृत विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ऋण प्रदान करता है, जिसमें ग्रामों के विद्युतीकरण के अलावा कुओं के उर्जीकरण, हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण आदि कार्यों के लिए ऋण स्वीकृत किया जाता है ।

(3) चूंकि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम मात्र ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए अलग से कोई ऋण नहीं देता है, इसलिए इसके द्वारा स्वीकृत विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत खींची गई 11 के. वी. लाइन, एल. टी. लाइन एवं लगाये गये वितरण ट्रांसफार्मर आदि के अलग-अलग मदों में खर्चे का आंकलन करना सम्भव नहीं है ।

कुल मिलाकर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से ऋण वास्तविक खर्चे से बहुत कम मिलता है । यह भी उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत अधिकांश ऋण पुन उनकी बाकियात वसूली में ले लिया जाता है । फलस्वरूप शुद्ध राशि जो पिछले तीन वर्षों में प्राप्त हुई वह नीचे निम्नानुसार है :—

वर्ष	कुल ऋण (करोड़ों में)	पुरानी बाकियात (करोड़ों में)	शुद्ध उपलब्ध राशि
1993-94	72·22	53·41	18·81
1994-95	77·04	66·05	10·99
1995-96	70·65	82·85	12·20

विद्युत मण्डल का वार्षिक खर्च लगभग 3700 करोड़ है उसमें उपरोक्त 10–15 करोड़ की यह नगण्य राशि जो गत वर्ष (–) 12·20 करोड़ की हो गयी, ऊंट के मुंह में जीरा है । चूंकि पुरानी वाकियात की वसूली हर साल बढ़ती जा रही है, जबकि प्राप्त होने वाला ऋण करीब-करीब वही रहता है । इसलिए भविष्य में कोई शुद्ध राशि उपलब्ध नहीं होने की आशा है ।

(4) पिछले वर्ष की नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया है । ग्रामीण विद्युतीकरण निगम में स्वीकृत योजनाओं में सम्मिलित ग्रामों को प्रति वर्ष योजना मद में उपलब्ध वित्त एवं संसाधन तथा प्रत्येक पंचायत समिति के विद्युतीकरण स्तर को ध्यान में रखते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है । इसमें गांव की जनसंख्या तथा लोडपोटेन्शियल का ध्यान रखा जाता है । वर्ष 1996–97 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के माध्यम से विद्युतीकरण हेतु 700 ग्रामों का कार्यक्रम व राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण के माध्यम से 50 गांवों का लक्ष्य है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

विद्युत ठेकेदारों द्वारा नियम विरुद्ध वसूल राशि

756. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विद्युत निरीक्षणालय विभाग ने वर्ष 1994–95 से

62

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

मई 1996 तक बिना विद्युत कनेक्शन विद्युत ठेकेदारों की मार्फत प्रथम निरीक्षण शुल्क व टेस्टिंग फीस के बिना राज्यादेश एवं बिना राजकीय रसीद दिये अवैध राशि की वसूली की है व भारतीय विद्युत नियम 1956 के नियम 46 के राजस्व खाते में दर्शाया है ? यदि हां, तो विद्युत ठेकेदारों ने कुल कितनी राशि वसूल की व कितनी राशि राज कोष में जमा करवाई ? क्या सरकार उक्त राशि को लौटाकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि विद्युत निरीक्षणालय विभाग को भारतीय विद्युत नियम 1956 के नियम 10 के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के विद्युत कनेक्शन दिये जाने के बाद उन उपभोक्ताओं की सूची राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा दी जाती हैं ? यदि हां, तो विभिन्न श्रेणी के कुल उपभोक्ताओं की संख्या सूची के अनुसार व विद्युत निरीक्षणालय के द्वारा राज्य सरकार से निर्धारित भारतीय विद्युत नियम से 1956 के नियम 46 की फीस वसूली सारिणी के अनुसार वित्त वर्ष 1994–95 से 1996–97 के बजट में कुल निरीक्षण नोटिस जारी करने की संख्या व कुल रुपये तथा कुल निरीक्षण किये गये व कुल फीस प्राप्त की उसे राज्य सरकार को प्रेषित सूचना के आधार पर विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार को भारतीय विद्युत नियम 1956 के नियम 4-ए 1 में प्रत्येक नियुक्ति के व्यक्ति नाम व पद नाम से 4-ए-2 में प्राविकृत की व्यक्ति नाम व पद नाम से सूचना का प्रकाशन जरूरी है ? यदि हां, तो विद्युत निरीक्षणालय के गठन काल के नियम 4-ए-1 में सृजित व स्वीकृत निरीक्षण सहायक पर दिनांक 4 अक्टूबर, 1958 को प्रथम नियुक्ति में वरिष्ठता सूची के आधार पर जारी व प्रकाशित सूचनाओं का संकलन सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या नियम 4-ए-1 में जारी दिनांक 16 अप्रेल, 1985 की नियुक्ति सूचना जिसमें नियम 4-बी में लिखित अर्हताओं, आयु, जाति, धर्म निवास स्थान, मेडिकल व पुलिस रिपोर्ट का प्रयोग नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसे निरस्त कर सूचना का गजट प्रकाशन कर सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या श्री बी. एल. झा, मुख्य अभियन्ता राजस्थान, राज्य विद्युत मण्डल विद्युत निरीक्षण, राजस्थान नागरिक सेवा के सी.सी.ए. नियम 1958 के नियम 6(1) की अनुसूची-1 राज्य सेवाओं में से किसी एक सेवा में नियुक्त होने से व नियम-2 खण्ड (छ) की अनुसूची "क" विभागाध्यक्ष के क्रम संख्या 4 पर उल्लेखित विद्युत निरीक्षक घोषित किये गये होने के कारण तथा भारतीय विद्युत नियम 1956 की नियम 4 अर्हता पूरी करने से भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 की धारा 36 में भी विद्युत निरीक्षक नियुक्त व प्राधिकृत किये गये हैं ? यदि नहीं, तो इनकी नियुक्ति को निरस्त करके इनके द्वारा हस्तान्तरित सभी प्रकार के आदेश निरस्त कर प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) भारतीय विद्युत नियम 1956 के नियम 46 के अन्तर्गत विद्युत संस्थापनों का निरीक्षण करवाकर विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने का राज्य सरकार का दायित्व है जिसके अन्तर्गत ही विद्युत निरीक्षणालय द्वारा अधिकृत विद्युत ठेकेदारों के माध्यम से नये कनेक्शनों पर प्रथम निरीक्षण शुल्क प्राप्त किया गया है जिसके लिए अलग से राज्य सरकार के आदेशों की आवश्यकता नहीं है।

विद्युत ठेकेदारों ने सीधे राज्य कोष में कोई राशि जमा नहीं करवायी है परन्तु नये कनेक्शनों पर वर्ष 1994-95से मई, 1996 तक करीब 20 लाख रुपये की राशि प्राप्त की गयी। इस राशि को लौटाना नियमानुसार नहीं हैं इसलिए किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(2) हां। भारतीय विद्युत नियम 1956 के नियम 10 के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन दिये जाने के बाद उपभोक्ताओं की सूची विद्युत निरीक्षणालय को उपलब्ध कराना राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का कर्त्तव्य है। परन्तु व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं होता है विभाग अपने स्तर पर उपभोक्ताओं की जानकारी भारतीय विद्युत नियम 1956 के नियम 46 के अन्तर्गत विद्युत उपभोक्ताओं के सामयिक निरीक्षण सम्पादित करवाता है जिसके लिए निरीक्षणकर्त्ता अधिकारी/कर्मचारी निरीक्षण के समय पर ही आवश्यक नोटिस जारी करके फीस प्राप्त करते हैं। गत वर्षों में फीस निम्न प्रकार प्राप्त की गयी :-

क्र.सं.	वर्ष	राशि (लाखों में)
1.	1994-95	161.00
2.	1995-96	200.00
3.	1996-97	200.00

(लाख लक्ष्य) वित्तीय वर्ष 1996-97 में माह मई 1996 तक 21 लाख रुपये निरीक्षण शुल्क के प्राप्त किये।

(3) भारतीय विद्युत नियम 1956 के नियम 4-ए-1 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा ऑफिसर्स टू असिस्ट इन्सपेक्टर घोषित किया गया है एवं नियम 4-ए-2 के अन्तर्गत ऑफिसर्स टू असिस्ट इन्सपेक्टर के पद नाम से ऑफिसर्स टू असिस्ट इन्सपेक्टर के पद स्तर को ध्यान में रखकर कर्त्तव्य निर्धारित किये गये हैं (प्रति संलग्न है) इसलिए प्रत्येक अधिकारी के नाम एवं पद के साथ गजट नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है।

(4) भारतीय विद्युत नियम 1956 के नियम 4-ए-1 के अन्तर्गत ऑफिसर्स टू असिस्ट इन्सपेक्टर नियुक्ति हेतु इस प्रकार की प्रकाशन की आवश्यकता नहीं हैं। गजट नोटिफिकेशन दिनांक 16-4-95 प्रति संलग्न नियमानुसार हैं।

(5) भारतीय विद्युत नियम 1956 के नियम 4 के अन्तर्गत निर्धारित योग्यता के अन्तर्गत योग्य अधिकारी पाये जाने के कारण भारतीय विद्युत नियम 1910 की धारा 36 के अन्तर्गत श्री बी. एस. झा को राज्य सरकार द्वारा विद्युत निरीक्षक राजस्थान नियुक्त किया गया है एवं विद्युत निरीक्षक राजस्थान सरकार के द्वारा जिन-जिन नियमों

(उर्जा मन्त्री)

के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करने एवं कर्त्तव्यों का निर्वाहन करने के लिए अधिकृत है उन सबके अन्तर्गत आदेश प्रसारित करने हेतु श्री बी. एस. झा सक्षम है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

भीम/देवगढ़ (राजसमन्द) पंचायत समितियों के ग्रामों का विद्युतीकरण

757. श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1995–96 में राजसमन्द जिले की भीम व देवगढ़ पंचायत समिति के किन-किन नये गांवों को विद्युतीकृत करने का निर्णय लिया गया था ?

(2) उक्त वर्ष में घोषित किन-किन विद्युतीकृत ग्रामों में अभी तक ट्रान्सफार्मर नहीं लगाये गये हैं ? उक्त ग्रामों में ट्रान्सफार्मर कब तक लगा दिये जाएंगे ?

उत्तर

(1) राजसमंद जिले की पंचायत समिति भीम के सम्पूर्ण ग्राम वर्ष 1995–96 के पूर्व से ही शत-प्रतिशत विद्युतीकृत घोषित किये जा चुके हैं तथा पंचायत समिति देवगढ़ में वर्ष 1995–96 में निम्न 6 ग्राम विद्युतिकरण करने हेतु प्रस्तावित किये गये थे, जिनको विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है :-

क्र.सं. ग्राम का नाम	कोड सं.	पं.सं.	विद्युतिकृत की दिनांक
1. पूशालों का खेड़ा	21/2/16	देवगढ़	जन. 96
2. जाड़सा	119	,,	95–96 जन. 96
3. पीका खेड़ा	121	,,	दिस. 95
4. रघुनाथपुरा	80	,,	जन. 96
5. संसारिया	101	,,	दिस. 95
6. मालाजी का खेड़ा	27	,,	दिस 95

(2) वर्ष 1995–96 में उक्त विद्युतीकृत 6 गांवों में से प्रत्येक में 40 के.वी.ए. का एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है, अतः इनमें से अब किसी भी गांव में ट्रान्सफार्मर लगाना शेष नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा में अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को विद्युत कनेक्शन

758. श्री प्रभूराम गरासिया (पिण्डवाड़ा) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा में टाडा तथा माडा योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को वर्ष 1992 से 1995 तक कितने घरेलू एवं कृषि के कनेक्शन दिये गये ? वर्ष 1995–96 में कितने कनेक्शन दिये जाने लम्बित हैं ?

(2) एक पोल एवं सामूहिक कनेक्शन के कितने मामले अब तक लम्बित हैं ?

उत्तर

(1) सिरोही खण्ड के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा में टाडा व माडा योजनान्तर्गत वर्ष 1992 से वर्ष 1995 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 653 घरेलू कनेक्शन एवं 44 कृषि कनेक्शन दिये गये हैं। वर्तमान में उक्त योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के 613 घरेलू एवं 75 कृषि कनेक्शन विचाराधीन हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण, अधिक लम्बी लाइनें खेंचना तकनीकी दृष्टि से साध्य नहीं होने तथा एक आवेदनकर्त्ता को तखमीनानुसार मांग पत्र की अधिक राशि वहन करने में असमर्थ होने के कारण घरेलू कनेक्शन नहीं दिये गये। कृषि आवेदकों द्वारा मांग पत्र की राशि जमा नहीं करवाने तथा कुछ आवेदन दिनांक 31-3-94 के बाद होने के कारण विद्यमान कृषि नीति के अन्तर्गत कनेक्शन नहीं दिये जा सके।

(2) विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा में उक्त योजनान्तर्गत एक पोल योजना एवं सामूहिक योजना के अन्तर्गत कोई विद्युत सम्बन्ध लम्बित नहीं है।

कृषि कुओं पर कनेक्शन हेतु नर्सरी योजना

759. **श्री परसराम मोरदिया** (लक्ष्मणगढ़) एवं **श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** (श्री माधोपुर) : क्या उर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में कृषि कुओं पर कनेक्शन हेतु नर्सरी योजना कब प्रारम्भ की गई ? इस योजना के अन्तर्गत कितने कुओं पर कनेक्शन दिये गये हैं ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) नर्सरी योजना के अन्तर्गत कितने आवेदन पत्र कब से विचाराधीन हैं ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) कितने साधारण आवेदनों को नर्सरी योजना में परिवर्तित किया गया और क्यों ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन के विरुद्ध कितने प्रकरणों में न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश जारी किये गये ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नर्सरी हेतु कनेक्शन देना वर्ष 1989 से ही प्रारम्भ कर दिया गया था तथा इस श्रेणी को मण्डल की एन. डी. एस. (अघरेलू) टेरिफ में सम्मिलित कर लिया गया था। इसके लिए अलग से मिनिमम चार्जेज निर्धारित किये गये थे। यह कनेक्शन लेने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना था कि कनेक्शन जिस प्रयोजन हेतु लिया गया है उसका उसके लिए ही उपयोग हो। इस हेतु वन विभाग के अधिकारियों से प्रमाण-पत्र मांगा जाता था। परन्तु यह अनुभव किया गया कि इस योजना से अनियमितताएं बढ़ रही थी तथा वास्तव में नर्सरी लगाने के बजाय सीधा कृषि का कार्य करते थे। वन विभाग से प्रमाण लेने आदि में काफी कठिनाई होती थी तथा फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर खेती कर रहे कृषकों को मण्डल के कर्मचारियों द्वारा अक्सर उनकी अनियमितता के लिए ब्लेक मेल किया जाता था।

66

(उर्जा मन्त्री)

इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाने की दृष्टि से मण्डल के आदेश दिनांक 16-12-94 द्वारा नर्सरी के कनेक्शन के लिए वन विभाग के प्रमाण-पत्र की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है तथा इस कनेक्शन को नर्सरी तक सीमित नहीं रखते हुए सामान्य खेती की छूट कृषकों को दे दी गई है। इसके साथ ही सबसे बड़ी राहत यह दी गई कि पूर्व में जो पूरी एन.डी.एस. की दर पर राशि ली जाती थी उसके मुकाबले अब एन.डी.एस. की आधी दर कर दी गई है। इन सभी सुविधाओं के कारण नर्सरी योजना अब अत्यन्त लोकप्रिय हो गयी है तथा हजारों प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं व निरन्तर प्राप्त हो रहे हैं। यह योजना पूर्ण रूप से स्वेच्छिक है तथा ढाई लाख के करीब लम्बित आवेदकों की प्राथमिकता लांघकर जो कनेक्शन लेना चाहते हैं ले सकते है। नर्सरी योजना के अन्तर्गत माह जून, 1996 तक 13453 कनेक्शन दिये गये हैं, जिनकी जिलेवार सूची परिशिष्ट-"अ" संलग्न है।

(2) नर्सरी योजना में मार्च, 1996 तक 13621 आवेदकों ने डिमाण्ड नोटिस राशि जमा करायी थी। प्रगति बिन्दु 1 में है। योजना की लोकप्रियता के कारण कनेक्शन के लिए आवेदन लगातार आ रहे हैं। 30 जून, 1996 को आवेदकों की लम्बित जिलेवार सूची परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) साधारण एक पोल/दो पोल योजना से 2178 कनेक्शन नर्सरी श्रेणी में परिवर्तित किये गये हैं। जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट-'स' में संलग्न है। जांच के दौरान तकनीकी दृष्टि से असाध्य एवं गलत तरीके से दिये गये कनेक्शन या डिमाण्ड नोट जमा करा चुके आवेदकों को सूचित किया गया है कि वे इस योजना में कनेक्शन लेने के पात्र नहीं हैं। यदि चाहें तो वे अपनी राशि वापस ले सकते हैं। इस कारण जिन उपभोक्ताओं को गलत कनेक्शन हो चुके थे उनकी स्वेच्छा से कनेक्शन नर्सरी योजना में बदले गये हैं। एक/दो पोल योजना में गंभीर अनियमितताएं ध्यान में आयीं जिनके फलस्वरूप अधीक्षण/अधिशासी/सहायक/कनिष्ठ अभियन्ताओं आदि को निलम्बित किया गया व चार्ज शीट दी गई। कई जगह 4 या 5 पोल की दूरी होने पर भी उन्हें एक/दो पोल योजना में लेने का प्रयास किया गया। कई मामलों में दो पोल की अवधि में खड्डा खोद दिया तथा कनेक्शन मिलने पर पांच दिन बाद उस कनेक्शन को अन्यत्र फिट कराने का प्रयास किया गया। कई जगह ग्रुप योजना बना कर, दो पोल की दूरी की बजाय 5–7 पोल की दूरी वालों ने भी कनेक्शन लेने का प्रयास किया। वर्षों से प्रतीक्षारत कृषकों ने इस प्रकार के मामलों की शिकायत की जहां उनके बाद की वरीयता वाले उनकी वरीयता लांघकर पोल योजना में कनेक्शन ले रहे थे जब कि वे इस योजना के पात्र भी नहीं थे। कृषकों के अनुरोध पर राज्य व्यापी अभियान चलाकर ऐसे मामलों की जांच करायी गयी तथा पुनः नाप लेने पर दूरी भी दो पोल से अधिक पायी गई।

कई मामले अदालतों में भी चल रहे हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने भी निर्णय दिया है कि अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अनियमितताओं का पता लगाने पर वरिष्ठ अधिकारी ऐसे मामलों को पुनः खोल सकते

(ऊर्जा मंत्री)

हैं तथा उपभोक्ता यह तर्क नहीं दे सकता कि चूंकि डिमाण्ड नोट एक/पोल का दे दिया, अतः उस पर पुनः विचार नहीं किया जा सकता है।

(4) अधिकांश जिलों के उच्च न्यायालय में कोई भी मामलों में स्थगन प्राप्त नहीं हुआ है। सीकर जिले में जहां गम्भीर अनियमितताए थी तथा अधिशासी अभियंता व अधीनस्थ स्टाफ को निलम्बित किया गया तथा जिले में 31 मामले उच्च न्यायालय में स्थगित हैं। शेष केवल दो जिलों जयपुर में 9 एवं दौसा में 2 में स्थगन के मामले विचाराधीन हैं। काफी मामलों में रिट दायर करने के पश्चात् नियमानुसार राशि जमा करादी है। अतः उक्त मामले स्वतः ही नियमित हो गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा करौली क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

760. श्री हंसराम (करौली) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र करौली के 192 ग्रामों को विद्युतीकरण किया जा चुका है? क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र के ही करीब 18 गांव अभी भी विद्युतीकृत नहीं किये गये हैं और न ही, वहां पर कोई बिजली के खम्भे (पोल) खड़े किये गये हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्रामों को जो वर्ष 1992-93 में स्वीकृति प्रदान की गई थी, वहां अब तक कोई तार भी नहीं खींचे गये हैं? क्या उन ग्रामों में बिजली पहुंचाने का सरकार इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार विद्युतीकरण की समस्या को हल करने के लिये करौली में अलग से विद्युत कार्यालय खोलने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) विधान सभा क्षेत्र करौली के शेष रहे ग्रामों को सरकार कब तक विद्युतीकृत करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र करौली में पंचायत समिति करौली के 142 ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया है, जिनमें से 6 ग्रामों में विद्युत लाइन नहीं डाली गई है तथा 6 ग्रामों की लाइन आंधी-तूफान से क्षतिग्रस्त हो गई है।

(2) उक्त 12 ग्रामों में लाइन आदि बिछाने के लिये तखमीना मुख्य अभियन्ता के यहां विचाराधीन है। स्वीकृति एवं आवश्यक बजट उपलब्ध होने पर संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार इन ग्रामों में लाइन का कार्य पूर्ण किया जायेगा।

(3) विद्युतीकरण की समस्या को हल करने के लिये करौली में एक सहायक अभियन्ता का कार्यालय कार्यरत है तथा वर्तमान में अलग से एक और नया सहायक अभियन्ता कार्यालय सृजित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समिति, करौली के विद्युतीकृत ग्रामों का

(ऊर्जा मंत्री)

विद्युतीकरण निर्धारित नीति, आबंटित वित्त एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार शनैः-शनैः वर्षवार आबंटित लक्ष्यों के अनुरूप किया जाना सम्भव हो सकेगा। साथ ही यह बताना भी उचित होगा कि इन अविद्युतीकृत ग्रामों में से किसी भी श्रेणी में आवेदक/आवेदकों के समूह में आवेदन करने पर मण्डल द्वारा जारी कृषि निर्देशिका पुस्तिका की शर्तों के अनुसार विद्युतीकरण का कनेक्शन दिये जाने का भी प्रावधान है।

विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा के ग्रामों का विद्युतीकरण

761. श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा के 50–60 ग्रामों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा विद्युत प्रदाय किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार गांवों को विद्युत प्रदाय करने हेतु हेमड़ा (सुनेल) में 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो, क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के 61 ग्रामों को विद्युत आपूर्ति मध्यप्रदेश शासन के विद्युत उत्पादन केन्द्रों से विद्युत लाइनों के माध्यम से 33/11 के वी. सबस्टेशन पिड़ावा से अन्तर्राज्यीय अनुबन्ध के आधार पर बतौर राज्य के हिस्से के अनुसार की जा रही हैं। उक्त 61 ग्रामों की सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) वर्तमान में हेमड़ा (सुनेल) का विद्युत भार सिर्फ 3.15 एम. वी. ए. है। वर्तमान में हेमड़ा तथा पिड़ावा तक भवानी मण्डी जी. एस. एस. से सिर्फ एक 33 के. वी. लाइन द्वारा विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है। हालांकि वर्तमान में इस लाइन का वोल्टेज रेगूलेशन निर्धारित मापदण्डों से ज्यादा है लेकिन इसको सुधारने के लिये भवानी मण्डी से सुनेल तक एक दूसरी 13 कि. मी. की लाइन की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इस लाइन के बन जाने पर हेमड़ा व पिड़ावा क्षेत्र में वोल्टेज में काफी सुधार आ जायेगा।

इस क्षेत्र में वोल्टेज में और सुधार लाने के लिये डग में 132 के. वी. जी. एस. एस. बनाना प्रस्तावित है। इसके बन जाने पर सिर्फ सुनेल एवं हेमड़ा को विद्युत आपूर्ति भवानी मण्डी जी. एस. एस. से तथा पिड़ावा, डाब्लाभोज व खरप्पाकलां आदि सबस्टेशनों को डग 132 के. वी. जी एस. एस. से विद्युत आपूर्ति हो जाने पर इन क्षेत्रों में भी वोल्टज रेगूलेशन में काफी सुधार आ जायेगा। उपरोक्त तथ्यों के मध्येनजर अभी हेमड़ा में 132 के. वी. जी. एस. एस. बनाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

ग्राम पिपलाज/बोगला (केकड़ी) में पशु चिकित्सालयों का सृजन

762. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : क्या पशुपालन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के ग्राम पिपलाज एवं बोगला में भवन उपलब्ध होने के कारण वहां पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

वर्तमान में पशु चिकित्सालय खोलने का प्रावधान नहीं होने के कारण विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के ग्राम पिपलाज एवं बोगला में पशु चिकित्सालय खोलना संभव नहीं है।

करौली क्षेत्र में भेड़ों की चराई

763. श्री हंसराम (करौली) : क्या भेड़ व ऊन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा भेड़ों को चराने का परिमिट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या उक्त भेड़ें उन क्षेत्रों में नहीं जाकर करौली क्षेत्र में चराई हेतु जाती है जिससे करौली क्षेत्र के मवेशियों को चारा उपलब्ध नहीं हो पाता और हर वर्ष सैकड़ों मवेशी मारे जाते हैं ?

(2) क्या इस प्रकार की शिकायतें इस क्षेत्र के लोगों द्वारा सरकार को की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस पर कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इस प्रकार की एक शिकायत श्री केदार लाल अग्रवाल, सदस्य, भाजपा प्रदेश कार्य समिति द्वारा प्राप्त हुई है। करौली क्षेत्र में निर्धारित संख्या से अधिक भेड़ें इकट्ठी नहीं हों, इसकी पूर्ण व्यवस्था करली गई है।

कोनफेड में कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारी

764. श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोनफेड के कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कोकफेड के सेवा नियमों अथवा राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत की जाती है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कोनफेड में कौन-कौन कर्मचारी एवं विक्रेता कब-कब से किस-किस कारण निलम्बित चल रहे हैं ? क्या इनको निर्वाह भत्ता नियमों के अन्तर्गत दिया जा रहा है ? यदि हां, तो प्रत्येक को कितना-कितना, किन-किन नियमों के तहत ? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि निलम्बित कर्मचारियों को नियमानुसार 75% निर्वाह भत्ता प्रशासन की हठधर्मी के कारण छः

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

माह की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो किस-किस को, किस-किस कारण ? कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार छः माह से अधिक समय तक निलम्बित कर्मचारियों को नियमानुसार 75% निर्वाह भत्ता देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) संचालक मण्डल के निर्णय दिनांक 30-1-74 के मुताबिक अनुशासनात्मक कार्यवाही राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत की जा रही है। प्रस्ताव की फोटो प्रति परिशिष्ट "ए" पर संलग्न है ।

(2) जी हां, कोनफैड के वर्तमान में 3 कर्मचारी (विक्रेता मेडिकल) निलम्बित चल रहे हैं ।

1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, विक्रेता मेडिकल दिनांक 15-11-94 से निलम्बित किया गया ।

2. श्री सुरेश चन्द्र ओझा, विक्रेता, मेडिकल दिनांक 12-10-95 को निलम्बित किया गया ।

3. श्री जितेन्द्र कुमार शाह, विक्रेता मेडिकल दिनांक 20-1-96 को निलम्बित किया गया ।

1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा को दिनांक 15-11-94 से निलम्बित किया गया तथा आरोप-पत्र मय आरोप विवरण दिनांक 1-3-95 को जारी किया गया । निलम्बित किये जाने मुख्य कारण निम्न था :—

दवाइयों का स्टॉक होते हुए भी एन. ए. सी. जारी कर संघ को आर्थिक हानि पहुंचाना ।

2. श्री सुरेश ओझा को दिनांक 12-10-95 को निलम्बित किया गया । निलम्बन के पश्चात् सी. सी. ए. 16 के अन्तर्गत प्रथम आरोप-पत्र मय विवरण दिनांक 11-3-96 को दिया गया जिसमें निम्न आरोप थे :—

1. संघ के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से दवाईयां प्राप्त कर शाखा पर अनाधिकृत रूप से रखना तथा बेचना ।

2. शाखा पर दवाइयों का स्टॉक मौजूद होते हुए भी एन. ए. सी. जारी कर संघ को व्यावसायिक एवं आर्थिक हानि पहुंचाना ।

3. भौतिक सत्यापन के दौरान शाखा पर दवाइयों का रु. 1979.20 का स्टॉक कम पाया गया ।

4. एक्सपायरी, विक्रेज की दवाइयों पर गोदाम में जमा नहीं करवाना । द्वितीय आरोप व मय विवरण पत्र के दिनांक 18-3-96 को दिया गया जिसमें निम्न आरोप थे :—

1. निर्धारित सीमा से अधिक स्टाक शाखा पर रखकर कार्यालय आदेशों की

(सहकारिता मंत्री)

अवहेलना करना। सीमा से अधिक दवाइयां रखकर संघ को आर्थिक हानि पहुंचाना।

2. शोर्टेज की 64,912.79 रुपये राशि जमा नहीं करवाना।

3. उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बाद भी वेतन प्राप्त न करना।

3. श्री जितेन्द्र कुमार शाह को दिनांक 20-1-96 को निलम्बित किया गया जिनका मुख्य कारण श्री शाह को दुकान पर हुए भौतिक सत्यापन के दौरान स्टॉक में रुपये 79,089.00 की भारी कमी व अन्य गम्भीर अनियमिततायें पाई गई हैं। अतः स्टॉक में की गई कमी की राशि को जमा कराने के लिए श्री शाह को लिखा जा चुका है एवं आरोप पत्र दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त तीनों कर्मचारियों को राजस्थान सेवा नियम के नियम संख्या 53 (क) के अनुसार उनके वेतन का 50 प्रतिशत जीवन निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है।

(3) जी नहीं। निलम्बित कर्मचारियों को निर्वाह भत्ता राज. सेवा नियम के प्रावधानों व प्रदत्त अधिकारों के तहत दिया जा रहा है।

(4) राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के तहत निर्वाह भत्ता दिया जावेगा।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

राश्मी व गंगरार कस्बों में भूमि विकास बैंक

765. श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र गंगरार के राश्मी व गंगरार कस्बों में भूमि विकास बैंक की शाखायें थी। यदि हां, तो उनको बन्द करने के क्या कारण थे? उक्त दोनों बैंकों के आय-व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अब उक्त दोनों स्थानों का पुनः सर्वे करवाकर भूमि विकास बैंक खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र गंगरार के राश्मी व गंगरार कस्बों की शाखाओं को खण्डीय संयुक्त रजिस्ट्रार की अध्यक्षता में गठित समीक्षा, समिति द्वारा शाखाओं को आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने के कारण इन शाखाओं को बन्द किया जाकर गंगरार शाखा को चित्तौड़गढ़ शाखा तथा राश्मी शाखा को कपासन शाखा में सम्मिलित कर दिया गया है। राश्मी शाखा के वर्ष 1987-89 से 1991-92 तक के आय-व्यय परिशिष्ट "क" पर तथा गंगरार शाखा के आय-व्यय वर्ष 89-90 से 91-92 तक परिशिष्ट "ख" पर संलग्न हैं।

(2) जी नहीं। इन शाखाओं के आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने के कारण पुनः

(सहकारिता मंत्री)

खोलने का विचार नहीं है। गंगरार एवं राश्मी क्षेत्र के किसानों को ऋण उपलब्ध करवाने की वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गयी है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नाहरगढ़ एवं जयगढ़ हेतु रज्जू मार्ग (रोप-वे) का निर्माण

766. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या नाहरगढ़ और जयगढ़ पहुंचने के लिये (रोप-वे) रज्जू मार्ग बनाये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस प्रस्ताव को किस प्रकार व कब तक क्रियान्वित कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों।

उत्तर

राजस्थान रज्जू मार्ग विधेयक 1996 वर्तमान में राजस्थान विधान सभा के समक्ष विचाराधीन है। इस विधेयक के पारित होने के उपरान्त जो प्रस्ताव नियमानुसार प्राप्त होंगे उन पर विचार किया जा सकेगा।

नाहरगढ़ किले का जीर्णोद्धार

767. श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नाहरगढ़ किले का पुनरुद्धार कार्य पिछले एक वर्ष से भी अधिक समय से बन्द है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य भुगतान के अभाव में बन्द कर दिया गया है ?

(2) बरसात के पानी से नाहरगढ़ किले में हो रहे नुकसान को रोकने के लिए सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा श्री पी. के. लोरिया की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपना कार्य पूर्ण कर इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश की है ? यदि हां, तो क्या सिफारिश में पूर्व में कराये गये कार्य का भुगतान शीघ्र करने का उल्लेख है ? यदि हां, तो अब तक भुगतान नहीं करने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। किन्तु यह कार्य भुगतान के अभाव में बन्द नहीं है।

(2) संस्था से शीघ्र कार्य पूर्ण कराने हेतु प्रयास किये गये हैं।

(3) जी हां। सिफारिश में पूर्व में कराये गये कार्य का भुगतान शीघ्र कराने का उल्लेख नहीं है। संस्था को नियमानुसार भुगतान किया जा चुका है।

राज्य में संचालित ट्यूरिस्ट बंगले

768. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम राज्य में कहां-कहां किस-किस नाम से ट्यूरिस्ट

(श्री रघुवीर सिंह)

बंगले संचालित करती है ? प्रत्येक ट्यूरिस्ट बंगले के कमरों की श्रेणी एवं किराया दर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) राज्य के प्रत्येक ट्यूरिस्ट बंगले को गत एक वर्ष में किस-किस मद में कितनी-कितनी आय हुई और किस-किस मद में कितना व्यय हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) राज्य में संचालित कौन-कौन से ट्यूरिस्ट बंगले हानि में चल रहे हैं तथा कौन-कौन से लाभ में चल रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) राज्य में किन-किन स्थानों पर नये ट्यूरिस्ट बंगलों का निर्माण करवाना विचाराधीन है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या सरकार हानि में चल रहे ट्यूरिस्ट बंगलों को निजी क्षेत्र में देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किन शर्तों के तहत ? शर्त नामे की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है ।

(2) राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित प्रत्येक ट्यूरिस्ट बंगले की आय मदानुसार परिशिष्ट "ब" तथा व्यय परिशिष्ट "स" तथा वार्षिक मरम्मत एवं रख-रखाव पर व्यय जिसमें विद्युत उपकरण, उद्यान पर किया गया व्यय सम्मिलित है, परिशिष्ट "द" पर उपलब्ध है ।

(3) राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित ट्यूरिस्ट बंगले जो कि वर्ष 1994–95 की संचालित आय-व्यय के अनुसार लाभ एवं हानि में थे, उनका विवरण परिशिष्ट "य" पर उपलब्ध है ।

(4) जिन स्थानों पर नये ट्यूरिस्ट बंगलों का निर्माण विचाराधीन है, उनकी सूची परिशिष्ट "र" पर उपलब्ध है ।

(5) जी हां । प्रमुख शर्तें परिशिष्ट 'ल' पर उपलब्ध है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अरावली विकास योजना

769. श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य के किस-किस जिले को अरावली विकास योजना में सम्मिलित किया गया है ?

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत किस-किस जिले को कितनी-कितनी राशि किस-किस वर्ष में आवंटित की गई है ?

(3) सरकार का उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996–97 में क्या-क्या कार्य कराने का विचार है ?

उत्तर

(1) अरावली वृक्षारोपण परियोजना में राज्य के दस जिलों अलवर, सीकर, नागौर, चित्तौड़गढ़, झुन्झुनूं, पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही व जयपुर (दौसा सहित) को सम्मिलित किया गया है ।

(74)

(वन मन्त्री)

(2) वर्षवार, जिलेवार आवंटित की गई राशि का विवरण परिशिष्ट 'क' के अनुसार है।

(3) उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में निम्न कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं :—

1.	वृक्षविहिन पहाड़ियों पर वृक्षारोपण	4,900 हैक्टेयर
2.	परिभाषित वनों का पुनरोद्धार	
	(अ) वृक्षारोपण	25,600 हैक्टेयर
	(ब) अग्रिम कार्य	5,700 हैक्टेयर
3.	सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण	4,000 हैक्टेयर
4.	कृषि वानिकी	
	(अ) पौध वितरण	170 लाख
	(ब) पौध तैयारी (अग्रिम कार्य)	100 लाख
5.	वन्यजीव अभ्यारण्यों में परिस्थितिकी सुधार (एनीकट निर्माण कार्य)	46

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

ग्राम रामपुरा बड़ोद से ग्राम पंचायत मुख्यालय तिसाया (बारां) तक सड़क निर्माण कार्य

770. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी पंचायत समिति अन्ता (जिला बारां) द्वारा पत्रांक प. स अ /95/नि./329 दिनांक 13 जुलाई, 1995 के द्वारा रामपुरा बड़ोद से ग्राम पंचायत मुख्यालय तिसाया तक ग्रेवल रोड निर्माण के लिए प्रस्ताव अतिरिक्त कलेक्टर (विकास) बारां को प्रेषित किया गया है ? यदि, हाँ, तो इस बाबत अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त कार्य की स्वीकृति आश्वासित रोजगार योजनान्तर्गत या निर्बन्ध राशि के तहत प्रदान कर क्षेत्र के 5 गांवों के आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक तथा किस योजनान्तर्गत ?

उत्तर

(1) जी हां, विकास अधिकारी, पंचायत समिति अन्ता, जिला बारां के पत्रांक पअ/95/नि./329 दिनांक 13-7-95 के द्वारा ग्राम रामपुरा बड़ौदा से ग्राम पंचायत मुख्यालय तिसाया तक ग्रेवल सड़क निर्माण हेतु प्रस्ताव जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बारां को प्राप्त हुए थे।

ग्राम पंचायत मुख्यालय तिसाया पूर्व में ही सड़क से जुड़ा हुआ है। परन्तु राज्य सरकार की सड़क नीति के अनुसार ग्राम रामपुरा बड़ौद ग्राम पंचायत मुख्यालय नहीं होने तथा 1981 की जनगणना के अनुसार 1000 की आबादी नहीं होने के कारण रामपुरा बड़ौद में सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत करना सम्भव नहीं है।

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

(2) निर्बन्ध राशि योजनान्तर्गत राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 28-8-96 के सन्दर्भ में क्षेत्रीय विधायक की अभिशंसा प्राप्त होने पर विधायक काटे के अन्तर्गत विचार किया जा सकता है।

जिला भीलवाड़ा में संचालित योजनाएं

771. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले में वर्ष 1995-96 में निर्बन्ध योजना के अन्तर्गत कुल कितने कार्य स्वीकृत किये गये ? कार्यों का नाम, राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वर्ष में भीलवाड़ा जिले में तीस जिला तीस काम योजना के अन्तर्गत कुल कितने कार्य कितनी-कितनी राशि के कहां-कहां पर स्वीकृत किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) भीलवाड़ा जिले में 20 प्रतिशत जवाहर रोजगार योजना राशि के कुल कितने कार्य स्वीकृत किये गये ? विवरण मय काम के नाम व राशि के सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उपरोक्त स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण हो गये हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से और नहीं, तो कौन-कौन से ? क्या इन सभी कार्यों का सत्यापन जिला प्रशासन अथवा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से कराया गया है ? यदि हां तो कब व किससे और इसके क्या परिणाम रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में वर्ष 1995-96 के दौरान निर्बन्ध योजना में कुल 157 कार्य स्वीकृत किए गये, कार्यों की नामवार स्वीकृत राशि सहित विवरण परिशिष्ट–1 में संलग्न है।

(2) वर्ष 95–98 में भीलवाड़ा जिले में तीस जिला तीस काम योजना के अन्तर्गत कुल 335 कार्य स्वीकृत किए गये कार्य पर स्वीकृत राशि व स्थान का विवरण परिशिष्ट–2 में संलग्न है।

(3) भीलवाड़ा जिले में वर्ष 1995-96 के दौरान जवाहर रोजगार योजना में 20 प्रतिशत जिला रक्षित राशि के अन्तर्गत कुल रु. 130.386 लाख के कुल 87 कार्य स्वीकृत किए गये थे। कार्यों का विवरण परिशिष्ट–3 पर संलग्न है।

(4) उपरोक्त स्वीकृत किए गए कार्यों में से निर्बन्ध योजना में 80, तीस जिला तीस काम योजना में 310 एवं 20 प्रतिशत जवाहर रोजगार योजना में 60 कार्य पूर्ण हो गए हैं।

स्वीकृत कार्यों में से कुछ कार्यों का भौतिक सत्यापन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में कार्यरत अधिकारियों के द्वारा किया गया है जो संलग्न परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है। अन्य कार्यों का निरीक्षण प्रगति पर है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

76

जिला सीकर में पंचायतों द्वारा कराये गये कार्य

772. श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सीकर में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्राम पंचायतों द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में अनियमितताओं के बाबत किन-किन ग्राम पंचायतों की शिकायतें कब-कब प्राप्त हुई ?

(2) उक्त शिकायतों की जांच किस अधिकारी द्वारा कब की गई तथा जांच के क्या परिणाम रहे।

(3) किन-किन प्रकरणों की जांच पूर्ण होकर प्रकरण को समाप्त कर दिया गया तथा कौन-कौन सी जांच कब से किस स्तर पर विचाराधीन है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त प्रकरणों में कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गये एवं उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(5) जांच के लिये लम्बित प्रकरणों को कब तक निपटा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जिला सीकर में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्राम पंचायतों द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में अनियमितताओं के बाबत 43 ग्राम पंचायतों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई, जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त शिकायतों की जांच से सम्बन्धित जांच अधिकारी, जांच सम्पन्न कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा जांच के परिणामों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) अभिकरण में 59 शिकायत के प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 32 प्रकरणों की जांच पूर्ण की जाकर शिकायत तथ्यहीन पाये जाने पर उन्हें समाप्त कर दिये गये हैं तथा 23 प्रकरण विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं। पूर्ण एवं विचाराधीन प्रकरणों की सूची परिशिष्ट-3 (अ) व 3 (ब) पर संलग्न है।

(4) चार जांच प्रकरणों में दोषी पाये गये व्यक्तियों एवं उनके विरुद्ध विचाराधीन कार्यवाही की वर्तमान स्थिति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(5) लम्बित प्रकरणों की शीघ्र ही जांच पूर्ण करने के आदेश दिये गये हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्न संख्या 773

(स्थगित)

राज्य में बन्धुआ मजदूर

774. श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) एवं **श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** (श्रीमाधोपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1990 से 1996 तक प्रदेश में बन्धुआ मजदूरों का सर्वे करवाया

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

गया ? यदि हां, तो कब-कब एवं नहीं, तो क्यों ?

(2) प्रदेश में वयस्क तथा अवयस्क बन्धुआ मजदूरों की संख्या कितनी है ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बन्धुआ मजदूरों को मुक्ति दिलवाने बाबत उक्त अवधि में कितने प्रकरण प्रकाश में आये और उनमें से कितने बन्धुआ मजदूरों को मुक्त करवाया गया ?

(4) बन्धुआ मुक्ति हेतु वर्ष 1990 से 1996 तक कितनी राशि का व्यय किया गया।

(5) वर्ष 1990 से 1996 तक कितने बन्धुआ मजदूरों को मुक्त करवाकर उनका पुनर्वास करवाने में कितनी राशि का व्यय किया गया ? जिलेवार वार्षिक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष में दो बार बन्धुआ मजदूरों का सर्वेक्षण करवाने का स्थाई आदेश दिया हुआ है।

(2) राज्य में वर्ष 1990-91 से 1995-96 तक मुक्त हुए 743 बंधक श्रमिकों में से 81 अवयस्क हैं तथा 662 बंधक श्रमिक वयस्क हैं।

(3) इस अवधि में 306 प्रकरण सामने आवे जिनमें से 743 बंधक श्रमिक मुक्त हुए। इनमें से कोटा के बन्धक श्रमिक 114 राजस्थान उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से मुक्त हुए। 98 बन्धक श्रमिक तमिलनाडु भेजे गये।

(4) कुल 25000/– रु. मात्र

(5) इस दौरान 28 बन्धक श्रमिक बाहर से मुक्त होकर राज्य में पुनर्वास हेतु आये। जिलेवार बन्धक श्रमिकों की संख्या व व्यय की स्थिति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

सावर (केकड़ी) में होम्योपैथिक चिकित्सालय

775. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार सावर (केकड़ी) में होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। राज्य में वर्ष 1996-97 में कोई नवीन औषधालय/चिकित्सालय खोलने हेतु बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(मंगलवार, दिनांक 2 जुलाई, 1996)

ग्राम सेवा सहकारी समितियों में हुई अनियमितताएं

95. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

78

(श्री गोपीराम जाट)

(1) क्या सरकार अन्य विभागों की भांति ए. जी. लोकल फण्ड आडिट, चार्टेड एकाउण्टेन्ट्स से ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं अन्य सभी सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण कराने की व्यवस्था हेतु नियम बनाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि सहकार निरीक्षकों की ही एक शाखा अंकेक्षण करती है और वही पदोन्नति पाकर सहायक रजिस्ट्रार से अतिरिक्त रजिस्ट्रार तक पहुंच जाते हैं, जिसके कारण ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गबन घोटालों पर मिलीभगत आसानी से सम्भव हो जाती है ? वर्ष 1985-86 से अब तक आमेर एवं झोटवाड़ा, पंचायत समितियों में किस-किस समिति में कितना-कितना गबन हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत 10 वर्षों में कितने-कितने व्यवस्थापकों को निलम्बित किया गया एवं उनको वापिस दूसरी समितियों में लगाये जाने पर उनके द्वारा वहां पर भी पुन: गबन किया गया ?

(4) क्या सरकार अंकेक्षण अन्य संस्थाओं से न कराना ही इसका मुख्य कारण मानती है ? यदि हां, तो इसके सुधार हेतु सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सहकारी समितियों व आडिट राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 व राजस्थान सहकारी संस्था नियम 1966 के अनुसार किया जाता है जिससे लोकल फण्ड आडिट से आडिट कराने का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) जी नहीं। वर्ष 1985-86 से अब तक आमेर व झोटवाड़ा पंचायत समितियों की सहकारी समितियों में गबन के मामलों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न कर दिया गया है।

(3) विगत दस वर्षों में आमेर व झोटवाड़ा पंचायत समितियों में जिन व्यवस्थापकों को निलम्बित किया और उनको वापस दूसरी समितियों में लगाया गया और उनके द्वारा वहां भी गबन किया गया, की सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुयी है :—

(1) श्री परसादीलाल मीणा व 5 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा जिले की महुआ तहसील के ग्राम सांथा में श्रीमती ग्यारसी देवी की आंख निकाल कर हत्या करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। इस सम्बन्ध में आज गृह मन्त्री द्वारा वक्तव्य दिया जायेगा।

श्रीमती कमला (बैराठ) : फोगिंग के लिए 23 तारीख को लगाने का आपका निश्चय बताया था और आपने आश्वासन दिया था लेकिन आज के एजेंडा में वह कहीं भी लगा हुआ नहीं है इसलिए उस पर वक्तव्य आना चाहिए।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : व्यवस्था की बात है।

श्री अध्यक्ष : 3 बजे।

श्रीमती कमला : 3 बजे तो वह होम मिनिस्टर वाला स्टेटमेन्ट है।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बारां जिले की पंचायत समिति अन्ता के ग्राम हिंगोण्या, श्यामपुरा, हडसोली में पेयजल के गम्भीर संकट के सम्बन्ध में।

(2) श्री शैलेन्द्र जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सरकार से मान्यता प्राप्त जयपुर की निजी संस्थाओं में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(3) श्री हरिसिंह कुम्हेर, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति नदबई की ग्राम पंचायत बरोली घाट के सरपंच को जनहित में निलम्बित करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी, सदस्य, विधान सभा की ओर से माण्डलगढ़ नगरपालिका के ग्राम बिहारीपुरा को माण्डलगढ़ नगर से सड़क मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री रामचन्द्र रावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटपूतली के नगरपालिका पार्क की दुर्दशा के सम्बन्ध में।

(6) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर बूंदी के माछली बांध परियोजना के लिए अवाप्त भूमि का उचित मुआवजा निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री रामेश्वरलाल भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति सुजानगढ़ की ग्राम पंचायत आबसर के सरपंच द्वारा की जा रही कथित अनियमितताओं की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री प्रभुराम गरासिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिरोही जिले के आबू पिनवाड़ की ग्राम पंचायत नितोड़ा के सरपंच द्वारा अकाल राहत कार्यों में किये गये कथित भ्रष्टाचार की समुचित जांच नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री गोपीचन्द गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले की पहाड़ी तहसील के अन्दर राजस्व रिकार्ड में की जा रही कथित हेरा-फेरी के दोषियों को दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में मारगिया बांध की डूब में आई भूमि के काश्तकारों को राहत दिलवाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री रघुवीरसिंह (सराड़ा), सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र

(श्री अध्यक्ष)

सराड़ा के सलूम्बर हैडक्वार्टर में अतिरिक्त बस सेवाएं चलाये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री हरिनारायण, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजगढ़ (अलवर) के रेफरल अस्पताल में तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी व कर्मचारियों की मिलीभगत से टीकाकरण सामग्री बेकार हो जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री अमराराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर वृत्त के सहायक अभियन्ता कार्यालयों द्वारा पिछले तीन वर्षों में जारी विद्युत कनेक्शनों की टेक्निकल आडिट टीम द्वारा की गयी जांच में आयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(14) श्री हीरालाल (बामनवास), सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास की कतिपय सिंचाई समस्याओं का समाधान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्रीमती इन्दिरा मायाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य की कुछ तहसीलों में चकबन्दी का कार्य अभी तक भी पूर्ण नहीं होने से किसानों को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में।

(16) श्री कन्हैयालाल पाटीदार, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य की कुर्मी, सौंधिया, लोढ़ा व ढांगी समाज को अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में।

(17) श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील हनुमानगढ़ की ग्राम पंचायत पक्का सहारण के राजकीय प्राथमिक विद्यालय 33 एम. एम. एफ. में स्कूल के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित गेहूं के सम्बन्ध में।

(18) श्री अमरचन्द मिड्ढा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सूरतगढ़, तहसील के गांव पिपासर व अमरापुरा में प्रभावशाली लोगों द्वारा अधिकारियों की मिलीभगत से काश्तकारों की भूमि पर कब्जा करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(19) श्री राजेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर जिले के केसरियाजी गांव में राजकीय मन्दिर की कृषि भूमि पर ग्रीन मार्बल के लिए एन.ओ.सी. जारी करने के सम्बन्ध में हुयी अनियमितता के सम्बन्ध में।

(20) श्री कालूलाल गूजर, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम मेजा, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा की कृषि भूमि के खातेदार को सरकार द्वारा मुआवजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(21) श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर जिले के सिंचाई विभाग में हो रही कथित अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

(22) डा उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण की कतिपय आवासीय कालोनियों में पेयजल संकट उत्पन्न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(23) श्री रामेश्वर भारद्वाज, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर रेल्वे स्टेशन के समीप स्थित पंचायत राज भवन की सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(24) श्री भगवानदास डोसी, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील चौहटन की खसरा नं. 642 की भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा अधिकारियों की मिलीभगत से किये जा रहे अवैध अतिक्रमणों के सम्बन्ध में।

(25) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजकीय अस्पताल, चिड़ावा (झुंझुनूं) में कार्यरत डाक्टर दम्पति द्वारा किये जा रहे कथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

(26) श्री प्रतापसिंह सिंघवी, सदस्य, विधान सभा की ओर से छीपाबड़ौद सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में रिक्त चले आ रहे अध्यापकों के पदों के कारण जनता में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में।

उपरोक्त सभी प्रस्ताव पढ़े हुए मान लिये जाएंगे। (व्यवधान) एक मिनट।

(नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने यह कहा था कि 23 तारीख को फोगिंग पर चर्चा होगी और आपके इस विश्वास पर हम रहते गये। यह आपने आश्वासन दिया। आश्वासन के बावजूद भी आप कोई चर्चा नहीं करवा रहे हो... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अपन ही बात करेंगे। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने खुद भी कहा था कि 23 तारीख को मैं चर्चा करवाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने उठाया था, आप नहीं थे, बात करेंगे अभी। विराजें आप। चैम्बर में बात करेंगे। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : ओ. बी. सी. पर चर्चा नहीं हुयी, साहब। पिछड़े वर्ग के लिए भी जवाब दिया जाना चाहिए .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री भीमराज भाटी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, पीलिया फैलने लग गया फोगिंग के बाद में, इसलिए इस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री रामचन्द्र रावत : पिछड़े वर्ग के लिए चर्चा करायी जाए। ओ. बी. सी. के लिए भी कुछ (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने लगातार तीन बार चैम्बर में यह कहा कि 23 तारीख को

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

आवश्यक रूप से चर्चा होगी। आप व्यवस्था दीजिए कि अब चर्चा करवानी है.... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : अभी बात कर लेते हैं चैम्बर में। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : नगर निगम द्वारा जो फोगिंग हुई, तीन हजार लोग बीमार हुए ...

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान) आपकी रूलिंग थी यहां से कि अन्य पिछड़े वर्ग पर 131 के अन्तर्गत चर्चा कराऊंगा। चेयर का हम सम्मान करते हैं। चेयर के यहां से रूलिंग हो जाए ओ. बी. सी. के ऊपर और उस पर चर्चा नहीं हो....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (बल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, कल भी आपके चैम्बर में हम लोग मिले थे। इससे पहले भी हम लोग आपके चैम्बर में मिले थे और आपने हमको आश्वस्त किया था कि 23 तारीख को इस प्रश्न को चर्चा के लिए के लिए रखा जाएगा। आज 23 तारीख का जब हमने बिजनेस देखा तो उसमें कोई किसी तरह का उल्लेख नहीं है। मैं, माननीय अध्यक्षजी, आपसे पुनः प्रार्थना करता हूं कि आपने जिस तरह का आश्वासन हमको दिया था उस आश्वासन के अनुरूप मन्त्रीजी से आज ही इस विषय पर चर्चा करवाइये।

श्री रामचन्द्र रावत : ओ. बी. सी. के लिए आज ही चर्चा शुरू करने का मौका दीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। (व्यवधान)

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों पर जो लाठीचार्ज किया उसके बारे में भी मेरा स्थगन प्रस्ताव था, उसके बारे में जवाब दिलवाइये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि अन्य पिछड़ी जाति के ऊपर आपने एक स्टेटमेंट देने के लिए व्यवस्था की थी।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है। माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव लगाया। सरकार की उस पर स्टेटमेंट के लिए निवेदन किया था। आज तक उस पर स्टेटमेंट सरकार नहीं दे रही है। माननीय सदस्य ने कई बार इस मामले को उठाया।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं इसके ऊपर हमको आश्वासन दिया था कि 23 तारीख को जयपुर में हुए फोगिंग से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा होगी, सरकार वक्तव्य देगी। लेकिन बड़े खेद की बात है कि न तो आप निर्देश दे रहे हैं... (व्यवधान) आप निर्देश दीजिए कि आज उसके ऊपर वक्तव्य दिया जाय।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, जो कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के विद्यार्थियों.... (व्यवधान) मांग कर रहे थे... (व्यवधान).... बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय के वी. सी. द्वारा अनियमितता के सम्बन्ध में..... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, फोगिंग के बारे में कुछ व्यवस्था दीजिये। आपको बार-बार रिपोर्ट किया है, आप तो व्यवस्था दीजिये। आपने यह कहा था कि 23 तारीख को चर्चा करायी जायेगी। (व्यवधान) आपके आश्वासन के बाद भी 23 तारीख को चर्चा नहीं करवाई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक बजे बाद। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उससे तीन हजार लोग बीमार हुए और मरणासन्न स्थिति में आ गये। उस पर चर्चा करने के लिये आपने चैम्बर में कहा था।

श्री अध्यक्ष : 15 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ जायेगा। 15-20 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ जायेगा। अभी बात कर रहे थे हम.... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : आप व्यवस्था दे दीजिये, कल रखवा दीजिये। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप कल रखवा दीजिये। कल का समय तय कर दीजिये, व्यवस्था दे दीजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप कल का समय तय कर दीजिये, कल लास्ट डेट है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, दो विषयों पर स्टेटमेंट आने जरूरी हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कल विनियोग विधेयक पर बहस हो रही थी...... (व्यवधान) और बहस अधूरी रही . . (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमारे साथ धोखा-धड़ी हुई है। आपने यह कहा था कि 23 तारीख को आप चर्चा कराएंगे।

श्री अध्यक्ष : आज समय नहीं मिला, अभी बात करते हैं बाद में। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था देनी है आपको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक घण्टे में अभी।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : कल के लिये मूव कर दीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी बात करने दें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप कल के लिये एनाउंसमेंट तो कीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी विराजें आप। (व्यवधान) अभी एक घंटे में बात कर लेंगे। आप सारे सन्तुष्ट हो जाएंगे। विराजें आप।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, तीन बार चैम्बर में गये....

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, कल भी हम आपके चैम्बर में गये थे, आपने कहा था कि चर्चा .. (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : नेता आपसे मिल लिये, मुख्य सचेतक आपसे मिल लिये, हम लोग मिल लिये.... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, अन्य पिछड़ी जाति के ऊपर इस सदन में काफी बात हुई थी और आपने रूलिंग दी थी कि ओ. बी. सी. के ऊपर ध्यानाकर्षण

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

प्रस्ताव पर चर्चा होगी । अब, अध्यक्ष महोदय, आपकी रूलिंग की पालना आपके द्वारा नहीं हो तो इससे बढ़कर....

श्री अध्यक्ष : बात करते हैं अभी । एक घंटे में कौन सा फर्क पड़ जायेगा ?

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : दुःख की क्या बात होगी ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आने दें । (व्यवधान) मैं बात करता हूं अभी आपसे ।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : ओ. बी. सी. के ऊपर अगर आप चर्चा नहीं करवाएंगे, आपके द्वारा दी गयी रूलिंग की आपके द्वारा ही अवहेलना होगी.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी एक घंटे में बात कर लेना । विराजें आप । (व्यवधान) आप नहीं थे कल ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : फाइनली डिसाइड क्या हुआ ?

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप काम दूसरा शुरू कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप कल थे नहीं, मैं आपसे बात कर लेता । आप विराजें । (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैं मिला था आपसे । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्होंने प्रश्न उठाया था ।

श्री जुबेर खान : मैं कल आपसे मिला था । आपने मन्त्रीजी को बुलाया था और आपने कहा था कि इस पर विचार कर रहे हैं और पहले जब मिले थे हम सब तब आपने आश्वस्त किया था कि 23 तारीख को इस पर चर्चा करा देंगे ।

श्री अध्यक्ष : अभी बात करते हैं ।

श्री जुबेर खान : अब आप बता दीजिए कल चर्चा कराएंगे या नहीं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरा मानस तो बिलकुल क्लीयर है । (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, ओ. बी. सी. के ऊपर जब तक आप चर्चा का निर्णय नहीं देंगे तब तक हम पाइंट ऑफ नहीं होने देंगे । (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप अभी निर्देशित करें कि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के रिप्लाई के बाद सम्बन्धित मन्त्री उसके ऊपर वक्तव्य देंगे । (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप चर्चा कराना चाहते हैं या नहीं चाहते ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : स्टेटमेंट हो चुका, अध्यक्ष महोदय । मेरी भी इच्छा थी कि....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट बात सुनें आप ।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, स्वायत्त शासन मन्त्रीजी का स्टेटमेंट हुआ ही नहीं है ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह मामला तो स्वायत्त शासन मन्त्रीजी का है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। विराजें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, स्वायत्त शासन मन्त्री महोदय की तरफ से, दोनों तरफ से मुझे स्टेटमेंट देना था। सरकार कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी से चलती है। उस चीज का उत्तर सामान्यत: स्वायत्त मन्त्री जी देते या मैं देता, एक ही बात थी। पूरा इसमें स्टेटमेंट हो चुका है, अध्यक्ष महोदय।

श्री जुबेर खान : कब हो चुका? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, किसी मामले में, किसी प्रकरण में एक बार सरकार का वक्तव्य आ जाए, उस प्रकरण को वापस लिये जाने की परम्परा नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि इसमें स्टेटमेंट देने में सरकार कतराती है। सरकार वक्तव्य फिर दे सकती है .... (व्यवधान) एक बार वक्तव्य हो चुका है और उस दिन माननीय सदस्यों ने....... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह स्टेटमेंट नहीं हुआ था। सवाल–जवाब यह है कि चर्चा नहीं हुई। इस तरह सरकार क्यों भागना चाहती है। सरकार अपने आपको इस तरह बचा कर क्यों निकालना चाहती है? (व्यवधान) सरकार इस तरह क्यों बचना चाहती है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसलिये मेरा निवेदन है कि इस सदन में इस पर चर्चा हो चुकी है। दुबारा इस सदन में लाने की आवश्यकता कहां रह गयी? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : नगर परिषद, नगर निगम से सम्बन्धित मामला है। स्वायत्त शासन मन्त्रीजी का स्टेटमेंट होना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : याचिका हुई थी।

श्री परसादीलाल मीणा : क्यों पढ़ा हुआ माना गया है? कहीं स्टेटमेंट हुआ ही नहीं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह नगर निगम से सम्बन्धित मामला है। इसमें स्वायत्त शासन मन्त्री महोदय की जगह पहले नगर विकास मन्त्री जवाब दें।

श्री किशनाराम नाई : ठीक बात है। आयुर्वेद विभाग में 118 पद रिक्त थे, वे जस्ट भरा गिया है और तारीख भी चेंज की गयी है। वी में ओ. बी. सी. रो एक ही कैंडिडेट नहीं दीख्यो है। बड़ा दुख रो विषय है कि ई मामला में बहुत बड़ो भ्रष्टाचार हुयो है। ई वास्ते अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आज आपके और लीडर ऑफ अपोजिशन के बीच कुछ बातचीत हुई है ...

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, किशनाराम जी ने जो बताया, एक्जामिनेशन के बाद कुछ आश्वासन दिया था। ठीक तरीके से वो लिस्ट बनायी गयी.....

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्टेटमेंट भले ही आप पढ़ा–लिखा मान

(86)

(श्री खेतसिंह राठौड़)

लीजिये, मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसकी एक-एक कापी सर्क्यूलेट कर दी जाए सारे मैम्बरों में, ताकि उस पर क्वेश्चन पूछ सकें और चर्चा कर सकें। ऐसा कर दीजिये। आप आज नहीं रखना चाहो तो कल रख दीजिये और कल इस पर क्वेश्चन हो जाएं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : न्याय दीजिए। हम तो न्याय चाहते हैं (व्यवधान) नगर निगम का मामला और हैल्थ मिनिस्टर साहब जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) आप जवाब ही क्यों ले रहे हो इस पर। मामला तो नगर निगम का..... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप इस पर चर्चा करवाइये।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : जवाब देना चाहिये स्वायत्त शासन मन्त्री को।

श्री शैलेन्द्र जोशी : नॉन-टेक्निकल स्टाफ तो नगर निगम का और जवाब हैल्थ मिनिस्ट साहब देंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : नॉन-टेक्निकल लोगों ने फोगिंग की है। नगर विकास मंत्री से सम्बन्धित मामला था। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह नेग्लीजेंसी तो नगर की है, लोकल सैल्फ गवर्नमेंट की है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे विनम्र अनुरोध कर रहा हूं, आधे घण्टे में तय कर लेते हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, अन्य पिछड़ी जाति की समस्याओं के बारे में यहां पर चर्चा करना चाहते हैं। पूरे बजट सैशन में ओ. बी. सी. की समस्याओं के ऊपर चर्चा करने के लिये सरकार कतरा रही है। आपने यहां पर रूलिंग दी थी, अध्यक्ष महोदय।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आपने चैम्बर में लगातार तीन बार आश्वासन दिया है चर्चा करने का......... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आपने कहा था कि पिछड़ी जाति के ऊपर चर्चा करवाएंगे (व्यवधान) यह सरकार कतराना क्यों चाहती है ? यह सरकार अन्य पिछड़ी जाति पर अन्याय कर रही है। आपने रूलिंग दी थी यहां पर। 131 ... (व्यवधान) क्या तरीका है हमारे पास में, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : आधे घण्टे में.... आप विराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : नॉन-टेक्निकल तो उनका स्टाफ है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। अंकित नहीं किया जाए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन हो रहा है। इसलिए आधा घण्टे में बैठ कर बात कर लेते हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : पता ही नहीं लग रहा क्या कह रहे हैं आप ?

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : 15–20 मिनट देर ठहर कर आप बात कर लेना।

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : × × ×

श्री अध्यक्ष : 15–20 मिनट ठहर कर आप ...

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : एक मिनट विराजें तो वो सही।

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री शांतिलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन।

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं हो रहा है आप सबका।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं आ रहा हूं। मैंने मंत्री जी को बुलाया है।

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री जुबेर खान : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : × × ×

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : × × ×

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री भीमराज जी भाटी। कृपया बोलें आप।

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं....

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : यह तो उपस्थापित हो रहा है, होने दो फिर मैं....

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री भीमराज भाटी, सदस्य, विधान सभा याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

जिला पाली के फकारिया, मुरडिया, घोलेरिया, शासन घोलेरिया, जागीर आदि गांवों में जैतपुर से पीने के लिये मीठा पानी उपलब्ध कराने के संबंध में

श्री भीमराज भाटी (पाली) : (1) जिला पाली के फकारिया, मुरडिया, घोलेरिया शासन घोलेरिया जागीर आदि गांवों में जैतपुर से पीने के लिये मीठा पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में. एवं

खेतावास, सांपा, सोवणियां, निम्बला खेड़ा, पड़ासला, खुर्द, बोमादड़ा, मांगिसर आदि गांवों में जवाई नहर का पानी उपलब्ध कराना

(2) खेतावास, सांपा, सोवणियां, निम्बला खेड़ा, पड़ासला, खुर्द, बोमादड़ा, मांगिसर आदि गांवों में जवाई नहर का पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

श्रीमती कमला : × × ×

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री राजेन्द्र गहलोत।

जैसलमेर-जोधपुर मुख्य मार्ग पर वाया मथानिया रामपुरा से उम्मेदनगर बाईपास बनवाया जाना

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : (1) जैसलमेर जोधपुर मुख्य मार्ग पर वाया मथानिया रामपुरा से उम्मेदनगर बाईपास बनाये जाने बाबत एवं

विधान सभा क्षेत्र सरदारपुरा के मण्डोर क्षेत्र में उच्च जलाशय निर्माण कराया जाना

(2) विधान सभा क्षेत्र सरदारपुरा के मण्डोर क्षेत्र में उच्च जलाशय निर्माण कराये जाने बाबत।

श्रीमती कमला : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं सुन रहा हूं सारी बात। आप विराजें। एक मिनट। मैं अभी 15 मिनट में चल रहा हूं, जरा उपाध्यक्षजी आ जाएं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम आपने पुकारा याचिका के लिये। मैं याचिका उपस्थापित कर दूं फिर ये बोलते रहें।

श्री अध्यक्ष : आप बोलें ना।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित दो याचिकाएं उपस्थापित करती हूं :—

जयपुर में चार दरवाजे के चारों कोने पर बने पार्कों से अवैध अतिक्रमण हटाकर पार्कों का विकास करवाये जाने बाबत

(1) जयपुर में चार दरवाजे के चारों कोनों पर बने चार पार्कों से अवैध अतिक्रमण हटाकर पार्कों का विकास करवाए जाने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करती हूं।

लालपोश श्मशान के रास्ते में से अवैध बूचड़खानों से मुक्ति दिलाने बाबत

(2) जयपुर के लालपोश श्मशान के रास्ते में से अवैध बूचड़खानों से मुक्ति दिलाने बाबत 4 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करती हूं।

× × × शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष मैं अभी चल रहा हूं, वे आ रहे हैं।

श्रीमती कमला : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। आप सभी को अवसर मिलेगा। श्री गोपीरामजी।

ग्राम बदनपुरा तहसील आमेर से चीथवाड़ी वाया रिस्याली तक अधूरी पड़ी सड़क को पूरी करने बाबत

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम बदनपुरा तहसील आमेर से चीथवाड़ी वाया रिस्याली तक अधूरी पड़ी सड़क को पूरी करने बाबत 3 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय मदेरणा साहब, सभापति, राजकीय उपक्रम समिति, 1996-97 समिति के दो प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

समिति का प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति 1996-97 का 38 वां एवं 39 वां प्रतिवेदन

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) (सदस्य, राजकीय उपक्रम समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय उपक्रम समिति के निम्नांकित दो प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :—

(1) राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1975–76) से सम्बन्धित नवीं राजस्थान विधान सभा के 20वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक समिति का 38वां प्रतिवेदन,

(2) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत मण्डल के वित्त लेखे एवं अंकेक्षण) राजकीय उपक्रम समिति, 1984-85 के सातवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक समिति का 39वां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। एक मिनट, मैं सुनूं तो सही, आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री जुबेर खान : × × ×

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री जगदीप धनखड़, सदस्य विधान सभा थाना, अशोक नगर, जयपुर में मूर्ति चोरी के मामले में दर्ज अभियोग संख्या 405/93 में अनुसंधान से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। श्री जगदीपजी धनखड़। (अनुपस्थित) श्री महावीरजी मगोरा।

(12.21)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री राजेन्द्र चौधरी : × × ×

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री परसराम मोरदिया : × × ×

श्री अमराराम (धोद) : × × ×

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(90)

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया एक–एक करके तो बोलें जिससे पता लगे कि क्या कहना चाहते हैं। आप 4-4, 5-5 सदस्य एक साथ बोल रहे हैं, इसका अर्थ क्या होगा ?

श्री महावीर भगोरा : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत मैं माननीय परिवहन राज्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप अनुमति दें। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति (व्यवधान) यह तय हुआ, आसन से यह व्यवस्था हुई कि 131 में ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए, विराजिए। एक मिनट....

श्री हरिसिंह (महुआ) : ओ. बी. सी. के रिजर्वेशन के सम्बन्ध में 131 के तहत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को सदन में बहस के लिये लाया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, सदन सिर्फ एक दिन का रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय वेश्म में गये हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद कुछ निर्णय होगा। ... (व्यवधान). आप विराजिए।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करूं कि अध्यक्षजी के निर्देश के अनुसार हम कई बार अध्यक्षजी के यहां गये हैं ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : आपने कहा समय दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया व्यवस्था बनाने में सहयोग दें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : कोई समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस के साढ़े तीन हजार पद मरे जा रहे हैं, हम आसन की व्यवस्था मांग रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, अध्यक्ष महोदय वेश्म में गये हुए हैं, आप थोड़ा धैर्य रखिये, कृपया विराजिए। श्री महावीर भगोरा।

श्री महावीर भगोरा : मैं विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 में तहत माननीय परिवहन राज्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : हम आपसे व्यवस्था चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं (व्यवधान) मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपसे निवेदन कर दिया।

श्री राजेन्द्र चौधरी : ये दूसरी बात कह रहे हैं; मैं दूसरी बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : खेतसिंहजी राठौड़, जो आपके मुख्य सचेतक महोदय हैं, सुनिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं दूसरी बात कह रहा हूं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : वे फोगिंग के लिए गये हैं। हम आसन से व्यवस्था चाह रहे हैं कि हमारा 131 का प्रस्ताव पेण्डिग है।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिए, अब आप तीनों-चारों बोल रहे हैं, यह कौनसा तरीका है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : देखिये, मैं ओ. बी. सी. की बात बोल रहा हूं, वे अनुसूचित जनजाति के लिए बोल रहे है, एक अनुसूचित जाति के लिए बोल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, लाठी चार्ज के बारे में ... (व्यवधान) महाविद्यालय के छात्रों पर....

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, यहां ब्राह्मणों के लिए भी चर्चा करवा लीजिए ताकि यह भी काम ठीक रहे। (व्यवधान) ब्राह्मण, बनिये, कहां जाएंगे, इनके लिए भी हाउस में चर्चा करवा लीजिए। (व्यवधान) एस. सी., एस. टी. और ओ बी. सी. के लिए चर्चा हो रही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि ब्राह्मणों के लिए और बनियों के लिए भी हाउस में एक दिन चर्चा करवा लीजिए। (व्यवधान)

श्री परसराम मोरदिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 16-7-96 को ... (व्यवधान) ... एसी. सी. और एस. टी. के ....(व्यवधान) खतम कर दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ... (व्यवधान) रामनारायणजी, सुनिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : आप तिवारीजी से बात करके चर्चा कर लें। चौमूं से आने वाले माननीय विधायक और सीकर से आने वाले माननीय विधायक बैठकर बात कर लें ताकि ब्राह्मणों के लिए बात हो जाएगी। आप दोनों बात कर लें, सदन में ... (व्यवधान)

श्री परसराम मोरदिया : उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त पदों की संख्या एस. सी. के लिए 16 प्रतिशत, एस. टी. के लिए 12 प्रतिशत और ओ. बी. सी. के लिए....

श्री हरिसिंह (महुआ) : कोई हाई-कोर्ट के जज बनते हैं, आई. ए. एस. अफसर बनते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। ... अंकित न हो, अंकित न हो।

श्री परसराम मोरदिया : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। आपका बोलना निरर्थक हो रहा है, कोई मतलब नहीं है बोलने का। आप विराजिये। श्री महावीर भगोरा।

श्री अमराराम (धोद) : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, एक मिनट नहीं, एक सैकण्ड भी नहीं। आप विराजिये, आसन पैरों पर है।

श्री अमराराम (धोद) : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। अंकित न हो।

श्री अमराराम (धोद) : × × ×

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(92)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। आप आसन पर अपनी बात थोप रहे हैं। अंकित नहीं हो रहा है। आप विराजिये, माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। श्री महावीर भगोरा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

उदयपुर स्थित जिला मुख्यालय पर परिवहन निगम के अतिरिक्त डिपो की स्थापना

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : मैं परिवहन राज्य मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अमराराम (धोद) : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा हूं। मैं कोई व्यवस्था नहीं दूंगा। आप विराज जाएं, कोई अंकित नहीं हो रहा है। आप बैठ जाएं।

श्री अमराराम (धोद) : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आप विराज जाएं। आप लगातार आसन की अवमानना कर रहे हैं। आप बैठिये, आप विराज जाएं श्री महावीर भगोरा।

श्री महावीर भगोरा : ध्यान आकर्षित कर दिया, सर।

श्री रोहिताश्व (राज्य मन्त्री, परिवहन): उपाध्यक्ष महोदय, श्री महावीरजी भगोरा एवं अन्य 12 माननीय सदस्यों ने प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत मेरा ध्यान आकर्षित किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को तथ्यों की जानकारी देना चाहूंगा कि यह सत्य है कि उदयपुर सम्भाग मुख्यालय होने के साथ-साथ इस जनजाति सम्भाग का सबसे बड़ा जिला है जिसमें 10 तहसीलें, 11 पंचायत समितियां एवं 4 उपखण्ड क्षेत्र हैं।

वर्तमान में उदयपुर जिले में परिवहन निगम का एक ही आगार कार्यालय एवं कार्यशाला स्थापित है जिसके द्वारा दैनिक 120 अनुसूचित सेवाओं के जरिये 276 परिचक्र विभिन्न राष्ट्रीयकृत, अराष्ट्रीयकृत एवं अन्तरराष्ट्रीय मार्गों पर संचालित किये जा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिले के वर्तमान में राष्ट्रीयकृत मार्गों की सूची लम्बी है। यह मैं माननीय सदस्यों को व्यक्तिगत तौर पर उपलब्ध करवा दूंगा, क्योंकि इसमें ज्यादा समय खराब होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कुछ राष्ट्रीयकृत रूट्स पर बसें बढ़ाने की बात भी कही है। इन राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम द्वारा 63 अनुसूचित सेवाओं द्वारा 177 परिचक्र संचालित किये जा रहे हैं। इन मार्गों पर वर्तमान में 74 प्रतिशत औसत यात्री भार प्राप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में इन मार्गों पर अतिरिक्त बस सेवाओं की आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अन्तर्राज्यीय मार्गों की भी चर्चा की है। राष्ट्रीयकृत मार्गों के अतिरिक्त पड़ौसी राज्यों के साथ सम्पन्न पारस्परिक परिवहन

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रोहिताश्व)

अन्तरराज्यीय करार के अनुसार 19 अन्तरराज्यीय मार्गों पर 44 अनुसूचित सेवाओं द्वारा 58 परिचक्र संचालित किये जा रहे हैं जिनको वर्तमान में औसतन 94 प्रतिशत यात्रीभार प्राप्त हो रहा है। इन मार्गों पर पड़ौसी राज्यों के साथ हुए अन्तरराज्यीय समझौते के अन्तर्गत बस सेवाओं में बढ़ोतरी किया जाना सम्भव नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कुछ अन्य मार्गों के बारे में भी मेरा ध्यान आकर्षित किया है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा स्थानीय जनता की मांग को दृष्टि में रखते हुए 17 अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर अनुज्ञा-पत्र प्राप्त कर 13 अनुसूचित सेवाओं द्वारा 41 परिचक्र चलाकर बस सेवाओं की सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है। इन मार्गों पर संचालित बस सेवाओं को वर्तमान में औसतन 67 प्रतिशत यात्रीभार उपलब्ध हो रहा है, जिसको देखते हुए बस सेवाओं में बढ़ोतरी प्रस्तावित नहीं है।

निगम द्वारा संचालित बस सेवाओं से उदयपुर जिले के सभी तहसील मुख्यालय, पंचायत समिति मुख्यालय एवं उपखण्ड मुख्यालयों को जिला मुख्यालय उदयपुर से जोड़ा हुआ है। इन क्षेत्रों में सेवाओं की संख्या यातायात की मांग तथा उपलब्ध यात्रीभार पर निर्भर करती है।

उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति से स्पष्ट है कि उदयपुर आगार द्वारा वर्तमान में 120 अनुसूचित सेवाओं के जरिये 12 राष्ट्रीयकृत मार्गों एवं उनके हिस्सों पर, 19 अन्तरराज्यीय मार्गों एवं 17 अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसे देखते हुए वर्तमान में उदयपुर जिले में अतिरिक्त आगार की स्थापना करने का कोई विचार नहीं है।'

जहां तक जिले में अतिरिक्त वाहनों के संचालन के प्रस्तावों का प्रश्न है, मार्ग-वार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' में जो माननीय सदस्यों द्वारा चाहा गया है, उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय परिवहन मन्त्रीजी का पुनः ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उदयपुर जिला सम्भागीय मुख्यालय है।

श्री उपाध्यक्ष : आप कुछ सवाल पूछ लें। ध्यान आकर्षित तो हो गया, सवाल पूछिये आप।

श्री महावीर भगोरा : प्रश्न ही पूछ रहा हूं। आधार तो होगा न सवाल पूछने का।

श्री उपाध्यक्ष : केवल सवाल पूछिये।

श्री महावीर भगोरा : हां, सवाल ही पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें कायदा यही होता है कि सवाल पूछे जाते हैं। भाषण नहीं दिया जाता। (व्यवधान)

श्री महावीर भगोरा : बिलकुल। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसमें 120 शिड्यूल्ड बताए हैं। 120 शिड्यूल में से 10 शिड्यूल्ड

(श्री महावीर भगोरा)

तो मात्र भामर–कोटड़ा के हैं जो सिर्फ वहां के जो एम्प्लायज हैं उनको लाने-ले-जाने के लिए हैं।

नम्बर दो, तीन अतिरिक्त शिड्यूल बताए हैं, वे जावर-माइंस के कर्मचारियों को लाने और ले जाने के लिए हैं। यह जिला सम्भागीय मुख्यालय है जिसकी स्थिति मैं बता रहा हूं। इन्होंने कहा है कि तहसील मुख्यालय से जोड़ दिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी, आप सवालों को नोट कर लें, फिर आपको जवाब देना है।

श्री महावीर भगोरा : हां, मन्त्रीजी नोट कर लें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिले में 10 तहसील, 11 पंचायत समितियां, चार एस. डी. एम. हैड-क्वार्टर में विभक्त है। मैं आंकड़ा दे रहा हूं, इसमें करीब 2234 पचायत मुख्यालय हैं। इन्होंने कहा है कि हमने तहसील मुख्यालय से जिले को जोड़ दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोग गांवों में बसते हैं। गांव के लोगों को पंचायत मुख्यालय, पंचायत समिति मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, एस. डी. एम. मुख्यालय, इसके बाद जिले में आना पड़ता है। इन मुख्यालयों तक जाने के लिए आपके क्या प्रबन्ध हैं ? हमने जो मार्ग प्रस्तावित किये हैं, उन मार्गों के बारे में आपने लिख दिया है कि हम इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। विचार नहीं करने का क्या कारण है ? एक तो मैं यह जानना चाहता हूं।

नम्बर–तीन, राष्ट्रीयकृत सिर्फ बारह मार्ग हैं। राष्ट्रीयकृत 12 मार्गों में 63 शिड्यूल्ड चक्र गाड़ियां चलाने का इन्होंने बताया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो तहसील मुख्यालय हैं उन तहसील मुख्यालयों से एस. डी. एम. मुख्यालय, जैसा एक उदाहरण दे रहा हूं मेरे कोटड़ा का, कोटड़ा की पांच पचायतें जो वाकल क्षेत्र में हैं, उन्हें, एस डी. एम. हैडक्वार्टर तो है भाड़ोल, वहां जाने के लिए ओगणा होकर के जाना पड़ता है। कोई गाड़ी नहीं है। कोटड़ा के लोगों को बांसबलावड़ी, मादरा, उदयपुर होकर के 150 किलोमीटर राउण्ड काटकर के एस. डी. एम हैडक्वार्टर होकर के जाना पड़ता है। वाकल की पांच पंचायतों को सवा सौ किलोमीटर राउण्ड मारकर तहसील हैड क्वार्टर जाना पड़ता है। इसी तरह से, माननीय सदस्य यहां पर अपनी बात रखेंगे, धरियावद का एस. डी. एम. हैडक्वार्टर बल्लभनगर है, धरियावद से बल्लभनगर कोई भी सीधी बस सेवा नहीं है। लसाड़िया उनका विधान सभा मुख्यालय है, वहां से बल्लभनगर कोई बस नहीं है। सलूम्बर से धरियावद, तहसील मुख्यालय उनका एस. डी. एम. सलूम्बर है वहां कोई बस नहीं है। खैरवाड़ा तहसील मुख्यालय है वहां से एस. डी. एम. हैडक्वार्टर सलूम्बर, एक्स. ईएन. पी. एच. ई डी. सलूम्बर, एक्स. ईएन. आर. एस. ई. बी. सलूम्बर, एक्स. ईएन. पी. डब्ल्यू. डी. सलूम्बर, एक भी बस परिवहन निगम की सीधी नहीं है। तो उनको सारा उदयपुर राउण्ड करके जाना पड़ता है, 250 किलोमीटर। हमने जो प्रस्ताव किये हैं उनका माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी ने या इनके निगम ने जो उत्तर

(श्री महावीर भगोरा)

दिये हैं, मुझे बड़ी निराशा है कि बिना सोचे-समझे दिये हैं। पहली बात तो आपके अधिकारियों के पास नक्शा ही नहीं है, जिले का। नक्शा मैंने सामने बैठकर के बताया कि आप क्या करना चाहते हैं। 21 लाख की आबादी के लिए आपके पास परिवहन की क्या व्यवस्था है ? 120 लाख शिड्यूल। और अतिरिक्त बसें, जो हमने मांग की हैं, आपने दी हैं, मैं धन्यवाद देता हूं ...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप विराजिये।

श्री महावीर भगोरा : पर इन सब बसों को दूसरे डिपो में स्थानान्तरित क्यों किया ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री नारायण मीणा।

श्री महावीर भगोरा : उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं बात बता रहा हूं ...

श्री उपाध्यक्ष : श्री नारायण मीणा। सबकी तरफ से सारे सवाल आप ही पूछेंगे क्या ?

श्री महावीर भगोरा : सवाल ही तो पूछ रहा हूं मैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें दस-ग्यारह माननीय सदस्यों के नाम हैं, विराजिये आप।

श्री महावीर भगोरा : बिलकुल स्पेसिफिक प्रश्न तो पूछ लूं मैं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। मैंने श्री नारायण मीणा का नाम पुकार दिया। आप विराजिये। फिर दुबारा कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। आप विराजिये।

श्री महावीर भगोरा : ठीक है।

श्री नारायण लाल (लसाड़िया) : माननीय उपाध्यक्षजी, मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे, धरियावद के सभी एस.डी.एम. कोर्ट, बल्लभनगर तहसील पर जाते हैं, वे दो दिन के बाद वापस घर पहुंचते हैं, क्या इस एस.डी.एम. कोर्ट बस से जोड़ने का विचार रखते हैं ? यहां तहसील हैडक्वार्टर से जिला मुख्यालयों तक बसों की कोई व्यवस्था नहीं है। लसाड़िया विधान सभा क्षेत्र से जिला मुख्यालय तक आपकी बस की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या धरियावद से सीधी उदयपुर और लसाड़िया विधान सभा क्षेत्र से सीधी उदयपुर और धरियावाद से एस. डी. एम. कोर्ट बल्लभनगर बस सेवा कराने का आपका इरादा है ?

श्री उपाध्यक्ष : डा. शंकर भानूदा (अनुपस्थित)। श्री दलीचन्द। (अनुपस्थित)। श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि जो लेबर गोगुन्दा से, आस-पास के गांवों से, सलूम्बर से, झाड़ोल से काम करने के लिए आती है, भिन्डर से आती है, बल्लभनगर से आती है, इन सभी स्थानों से आती है और जब यह शाम को लोग लौटने लगते हैं तो आप किसी भी बस में देखें तो यह लोग ऊपर तक भरे हुए रहते हैं। उदयपुर में दो एक्सीडेंट हुए। जयसमन्द के पास में जो

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

एक्सीडेंट हुआ वह और आये दिन जो एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, इन एक्सीडेंट्स को देखते हुए भी वहां पर परिवहन की व्यवस्था आवश्यक है। यह शटल सेवाएं जिस तरीके से जयपुर में चलती हैं उसी तरह से उदयपुर भी एक मुख्यालय है वहां पर चलनी चाहिए। उदयपुर से उज्जैन पहले एक बस चलती थी, उसे बन्द कर दिया गया। आपने कहा इन्दौर चल रही है, भोपाल चल रही हैं। लेकिन यह सारी बसें ऐसी चल रही हैं कि इनमें एक भी डीलक्स बस नहीं है और इतने लम्बे सफर में जो जाने वाले लोग हैं वे इस बात की कोशिश करते हैं कि हमको अच्छी बस मिले। अहमदाबाद जब से आपने एक डीलक्स बस लगायी है, आप उसका रिकार्ड उठाकर देख लें, वह हमेशा फुल जाती है और सवारियां उदयपुर में रह जाती हैं। तो बड़ौदा, बाम्बे और सूरत जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए अगर आप डीलक्स बस लगाएं तो मेरे ख्याल से ज्यादा ठीक रहेगा। आपको यात्री ज्यादा मिलेंगे और जो आपकी खटारा बसें चल रही हैं, उन बसों में बैठकर के सूरत का आदमी, बड़ौदा का आदमी, अहमदाबाद का आदमी जो पैसा खर्च कर सकता है वह नहीं जाएगा। पहले उदयपुर से जयपुर के लिए एक दिन में डीलक्स बस चलती थी एक बजे के करीब, जो चित्तौड़ होकर आती थी। हम लोगों ने इस बात का आपको कई बार निवेदन किया है कि जयपुर से दो बजे आप डीलक्स बस उदयपुर के लिए चलाएं। एक डीलक्स बस आप वाया चित्तौड़गढ़ चलाएं और दूसरी आप वाया ब्यावर चलाएं लेकिन इस पर आपने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं सोचता हूं जितनी लम्बे रूट की बसें हैं अन्तर्राज्जीय, यानि मध्य प्रदेश के लिए, गुजरात के लिए उदयपुर से जाने वाले जो लोग हैं, महाराष्ट्र जाने वाले जो लोग हैं, इन्दौर और उज्जैन जाने वाले जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि आप अगर डीलक्स बसें और अच्छी बसों की व्यवस्था करें तो यह सवारियां नहीं मिलेंगी। ऐसा मेरा आग्रह है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उदयपुर और जोधपुर में क्या फर्क है? उदयपुर जोधपुर के... (व्यवधान) ...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं नहीं, जोधपुर का कहीं होगा इसमें। केवल उदयपुर से सम्बन्धित है। जोधपुर का नहीं होगा। कृपया विराजें आप। (व्यवधान) कृपया विराजें, माननीय सदस्या।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनसे सम्बन्धित बात कह रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : उदयपुर से।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मैं इनसे सम्बन्धित ही बात कह रही हूं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उपाध्यक्ष महोदय, इनके यहां जोधपुर जो बस जाती है उसकी यह चिंता कर रही हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सलूम्बर की की भी बात करने दो।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : यह उदयपुर से जोधपुर बस जाती है, रणकपुर होकर जाती है उसमें यह तीर्थ स्थान आते हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि जोधपुर से उदयपुर जाने वाली बसों की भी कमी है और जोधपुर से जयपुर आने वाली बसों की कमी है। दूसरा सवाल यह है, मैं पूछना चाहती हूं कि जोधपुर की संख्या को देखते हुए क्या मन्त्री महोदय जोधपुर बस स्टैंड का विस्तार करने का विचार रखते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से सवाल है, इस सवाल से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : सम्बन्ध कैसे नहीं है, जोधपुर और उदयपुर में क्या है ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर से बीकानेर दो बसें चलती हैं। वहां शिक्षा विभाग का मुख्यालय होने की वजह से काफी लोगों को, काफी आफिसर्स को एस. आई. आर. टी. ए. जाना पड़ता है, तो इनको एक डीलक्स बस बीकानेर के लिए भी चलानी चाहिए। सुपर डीलक्स ... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय।

श्री रोहिताश्व : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र के बारे में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस चलाने की जो चर्चा की है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहूंगा। जैसा कि मैंने पूर्व में भी विधान सभा में माननीय सदस्यों से निवेदन किया था, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में 1964 में 400 बसों से शुरूआत करके आज करीब 4500 बसों का बेड़ा बना है। अब उपाध्यक्ष महोदय, यह रोडवेज जनता को अच्छी सेवाएं देती है और इन अच्छी सेवाओं के कारण माननीय सदस्यों की मांग अधिक बढ़ती जा रही है। अब राजस्थान में सड़कें तो बढ़ती जा रही हैं, आज करीब 65,500 किलो-मीटर के लगभग सड़कें बढ़ गयी हैं और रोडवेज का बेड़ा वर्तमान में अपने जो भी संसाधन हैं उसके हिसाब से तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में हम करीब 16,500 किलोमीटर कवर अप करते हैं। अब माननीय सदस्यों ने बहुत सारे ऐसे रूट्स के बारे में चर्चा की है जो राष्ट्रीयकृत नहीं हैं। ऐसे रूट्स पर, उपाध्यक्ष महोदय, विधिवत रोडवेज को परमिट के लिए अप्लाई करना होता है, परमिट लेना पड़ता है नियमों के अनुसार।

माननीय सदस्य, महावीरजी भगोरा ने ग्रामीण क्षेत्र में रोडवेज की डिमाण्ड की है। उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर संभाग में उदयपुर जिले में जैसा कि इन्होंने कहा, तहसील हैडक्वार्टर को रोडवेज से उदयपुर को जोड़ा नहीं गया। उपाध्यक्ष महोदय, धरियावद को उदयपुर से जोड़ने के लिए 6 बसें संचालित हैं। कोटड़ा में हमारी 6 बसें संचालित हैं और 80 प्रतिशत यात्री-भार आ रहा है। सलूम्बर में हमारी 25 बसें संचालित हैं और 75 प्रतिशत यात्री भार आ रहा है। मावली में 14 बसें संचालित

(श्री रोहिताश्व)

हैं और 76 प्रतिशत यात्री भार आ रहा है। खैरवाड़ा में 40 बसें संचालित हैं और 65 प्रतिशत यात्री भार आ रहा है। भिण्डर में 20 वाहन संचालित हैं और 74 प्रतिशत यात्री भार आ रहा है। झाड़ोल में 8 बसें संचालित हैं और 73 प्रतिशत यात्री भार आ रहा है। गोगुन्दा में 20 बसें संचालित हैं और 72 प्रतिशत यात्री भार आ रहा है। सराड़ा का माननीय भगोराजी ने जिक्र किया था, उन्होंने कहा था कि सराड़ा में बसें नहीं चल रही हैं। सराड़ा में चार बसें चलती हैं और 76 प्रतिशत यात्री भार आ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्यों की डिमाण्ड बढ़ती जा रही है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जैसे-जैसे रोडवेज की बसों का बेड़ा बढ़ेगा हम ग्रामीण क्षेत्रों को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब तक जो राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं और जिन रूट्स पर माननीय सदस्यों की मांग बढ़ रही है, जनता की मांग बढ़ रही है, हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ते बेड़ा के साथ-साथ परमिट लेकर के अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर भी बसें संचालित की जाएं। इसलिये मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, मुझे विभाग ने, रोडवेज ने जो जानकारी दी है उसमें माननीय भगोराजी ने कहा कि, साहब, गलत सूचना दी है, मैं इसको पुनः दिखा लेता हूं, आप मुझसे मिल लीजिए और मैं अधिकारियों को बुला लूंगा, अगर कोई त्रुटि होगी तो चर्चा करके दूर कर ली जाएगी। ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें, माननीय सदस्य। मुख्य मन्त्री महोदय।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने ... (व्यवधान) ...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप विराजें। कृपया विराजें।

विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1996 पर विचार

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक पर दो दिन की चर्चा में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया मैं उन सब के प्रति आभार प्रकट करता हूं।

राजस्थान की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में कई प्रकार की आलोचना भी हुई है, वह स्वाभाविक है। विपक्ष यदि आलोचना नहीं करेगा तो सत्ता पक्ष को अपनी कमजोरियों की जानकारी नहीं मिलेगी। मैं इस दृष्टि से भी आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मोटे रूप से दो-तीन विषयों को लेकर इस विनियोग विधेयक पर कोई मुख्य चर्चा नहीं हुई।

आप सब जानते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार यह चार आज बीमारू राज्य कहलाए जाते हैं। इसका कारण स्पष्ट है कि हम न शिक्षा का पूरा प्रबन्ध कर पाए, न पेयजल की व्यवस्था कर पाए, न गांवों को हम सड़कों से जोड़ पाए और न जनता के लिए आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा पाए। यह बीमारू राज्य 1990-91 में भी बीमारू थे, उसके पहले भी बीमारू राज्य थे और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इसलिए अगर मुझे कोई सम्पत्ति के रूप में राजस्थान मिला है तो बीमारू राज्य के रूप में मिला है और इसके लिए हमारी सरकार जिम्मेदार नहीं है, राजस्थान की परिस्थितियां हैं। ..

श्री खेतसिंह राठौड़ : दोनों जिम्मेदार हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, अब आप मुझे शामिल कर लेओ। आपने बीमार किया, मैं उपचार कर रहा हूं। दोनों में कितना अन्तर है, इसका अन्दाज लगा लें। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं....

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अयां की खराब बात नै गले घाली ही क्यूं थे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा जी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज राजस्थान बीमारू राज्य रहे, इस पक्ष में तो इस सदन का कोई भी सदस्य नहीं होगा। सब चाहते हैं कि राजस्थान का विकास हो और इस बीमारू शब्द से कलंकित होने वाला राजस्थान इस कलंक से मुक्त हो।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : यह बीमारू नाम तो आपने ही दिया है, इससे पहले हमने नहीं सुना कहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपसे और रामनारायणजी से यह अपेक्षा करता था कि आप समाचार पढ़ते होंगे, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट को भी पढ़ते होंगे, हर बार इन चारों राज्यों को बीमारू राज्य की संज्ञा दी जाती है। अब इस बीमारू राज्य को मैंने 1990-91 में अपने हाथ में लिया है। मेरी एक इच्छा है कि यह बीमारू शब्द या बीमारियां जो भी हैं उनका निराकरण हो।

श्रीमती कमला : रिपोर्ट में बीमारू राज्य बताया है क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप भी ऐसी बात कर रही हो ? रोज समाचार-पत्रों में चारों राज्यों के बारे में ...

श्रीमती कमला : नहीं, वह रिकार्ड में लिखा है क्या, आप जो कह रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रिकार्ड में ही बता दूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था है कि समाचार-पत्रों के आधार पर कोई बात नहीं की जाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है।

श्री रामनारायण चौधरी : अगर वास्तव में कोई सरकारी रिपोर्ट है तो हमें बता दें। हम मान लेंगे। अखबारों की बात छोड़ो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बता देंगे। वह भी बता देंगे। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थिति इन चार राज्यों में है, आज कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन मेरी एक इच्छा है कि इस प्रकार की स्थिति राजस्थान में नहीं रहे। राजस्थान प्रगति करे और प्रगति के साथ-साथ जनता की समस्याओं का समाधान किस प्रकार से हो सकता है, उसकी व्यवस्था करें।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उपाध्यक्ष महोदय, इसके तीन ही तरीके हैं। इसके लिए साधन जुटाये जाएं और साधन जुटाने के चार तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि हम अपने साधनों से किस प्रकार से विकास कर सकते हैं, अपने साधनों की बचत करें और इस प्रकार से जनता के कल्याणकारी कार्यों में उनका उपयोग करें। दूसरा, यदि हमारे साधन कम होते हैं तो हम कर्ज लें। तीसरा, हमारे पास यह है कि साधन कम होते हैं तो हम टैक्स लगाए और चौथा उपाय यह है कि हमारे पास साधनों का अभाव हो तो उस दृष्टि से सरकारी खर्च में किसी प्रकार की कमी करें, जो सम्भव हो। इन चार उपायों के अतिरिक्त और कोई रास्ता मेरी समझ में तो आता नहीं। अब ऐसी स्थिति में राजस्थान का विकास जब ही होगा जब राजस्थान को योजनगत विकास के लिए अधिक से अधिक धनराशि उपलब्ध हो।

अब इस सदन के सभी माननीय सदस्य मानते हैं कि विकास की दृष्टि से और योजना की दृष्टि से हम पहले कहां थे और अब हम कहां पहुंच रहे हैं। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि केवल इस बात को ही हम देखें कि राजस्थान में सातवीं पंचवर्षीय योजना कुल 3,000 करोड़ रुपये की थी, वह योजना 3 से 4 हो जाती, 4 से 5 हो जाती तब भी इतने बड़े राजस्थान की समस्याओं का समाधान करना सम्भव नहीं होता। इसलिए हमने इस बात की कोशिश की कि राजस्थान में योजना का आकार ज्यादा से ज्यादा हो और मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि जिस समय योजना आयोग के सामने मैं गया था, इस पूरे विश्वास के साथ गया था कि राजस्थान में जितने भी योजना के लिए साधन उपलब्ध हो सकते हैं, वह साधन उपलब्ध कराऊंगा और यह योजना आयोग को विश्वास दिलाया कि साधन उपलब्ध कराने में मेरी तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, टैक्स लगाने की आवश्यकता होगी तो टैक्स लगाऊंगा, खर्चे में कमी करने की आवश्यकता होगी तो खर्च में कमी करूंगा, यदि और कहीं से कर्ज लेने की आवश्यकता हुई तो भारत सरकार से या योजना आयोग से स्वीकृत कराकर बाण्ड्स के रूप में कर्जा भी लेऊंगा लेकिन राजस्थान के विकास की गति नहीं रुके इसलिए योजना का आकार बढ़ाया जाए और मुझे इस बात की खुशी हुई कि 11,500 करोड़ रुपये की योजना मन्जूर हुई।

उपाध्यक्ष महोदय, अब यह जरूरी क्यों है इसके लिए भी विचार कर रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में एक आमूल-चूल परिवर्तन आया सन् 1990 से। 1990 के पहले आप लोग समाजवादी थे। समाजवाद की चर्चा करते थे। प्राइवेट पूंजी किसी भी क्षेत्र में नहीं लगे इस प्रकार की आपकी योजना थी और उसी समाजवाद के नाम पर दुनियां की गरीबी मिटाना चाहते थे।

मुझे याद है 1971-72 का इलेक्शन, उस इलेक्शन में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने मन से एक नारा लगाया था कि मैं तो देश की गरीबी मिटाना चाहती हूं लेकिन विरोधी दल मुझे मिटाना चाहते हैं। चुनावों में अच्छी विजय हुई। जनता चाहती थी कि गरीबी मिटे। लेकिन ईमानदारी से विचार कर लें कि सन् 1970-71 से लेकर 1990

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तक गरीबी घटी या बढ़ी। कोई नहीं कह सकता कि गरीबी घटी है। गरीबी निरन्तर बढ़ रही है। उपाध्यक्ष महोदय, आज सारे संसार में गरीबी मापने का मापदण्ड यह है कि एक आदमी की लाइफ कितने वर्षों की होती है, उसका एजुकेशन स्टैण्डर्ड किस प्रकार का है, उसका लीविंग स्टैण्डर्ड किस प्रकार का है। इन तीन बातों के आधार पर गरीबी का आकलन किया जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हिन्दुस्तान में आज गरीबी का आकलन इससे किया जाता है कि कितनी उसको खुराक मिलती है, उसकी कैलोरिक वैल्यू कितनी है। हम कैलोरिक वैल्यू पर जा रहे हैं। गरीबी के आकलन में उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है और उसके साथ उसका स्टैण्डर्ड ऑफ लीविंग क्या है, उसका एजूकेशन स्टेण्डर्ड क्या है उसके आधार पर गरीबी का आकलन करते हैं।

एक बात तो आपको बुरी लगेगी। मैं कह सकता हूं कि 40 वर्षों तक जो समाजवाद का नारा लगाकर गरीबी मिटाने का आपने संकल्प किया था, यह नारा बिलकुल थोथा था। गरीबी मिटी नहीं है बल्कि गरीबी बढ़ी है क्योंकि देश में जो विकास के काम हो सकते थे, वह विकास के काम आपने किये नहीं। आज उसी का नतीजा है ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आप बीच में नहीं बोलें।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : गलत बात कहेंगे तो बोलेंगे क्यों नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बाद में बोल लेना।

श्री चन्दनमल बैद : बाद में कब बोल लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : बाद में सवाल पूछ लेना आप।

श्री चन्दनमल बैद : पासिंग स्टेज के टाइम पर ? ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बाद में सवाल पूछने का समय देंगे। समय देंगे। आप बीच में नहीं बोलें।

श्री चन्दनमल बैद : टाइम देंगे न ?

श्री उपाध्यक्ष : जी हां, विराजें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं ....(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : सारे काम ही इन्होंने किये हैं। ....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप नाराज क्यों हो रहे हो ? आपने कुछ किया होता। आपको कोई एक-दो या तीन साल नहीं मिले थे, चन्दनमल जी, चालीस बरस मिले थे।

श्री चन्दनमल बैद : सारे देश का निर्माण ही 40 वर्षों में हुआ है। आपने तो कुछ न कुछ बरबाद ही किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिये, बार-बार बोलने की इसमें आवश्यकता नहीं है, अगर आप में सुनने की हिम्मत हो, मैंने भी कल सुना है, आप मुझे जहर पिला रहे थे, उसको भी पिया है और हंसते-हंसते पिया है।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने तो आज इजाजत ले ली है जब पासिंग स्टेज आएगी तो मैं बोलूंगा उस पर। मैंने तो इजाजत ले ली है। मैं तो बोलूंगा नहीं बीच में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बोलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इसमें कोई चिन्ता नहीं कि आप बोलें या नहीं बोलें। लेकिन जिस समय आप बोल रहे थे कि मैंने एक ऐसे साधु की तरह राज सम्भाला, जिसका राजा मर गया और उसके बाद में सड़क के एक साधु को पकड़कर ले आये, उसको राज करने के लिए बैठा दिया, वहां जो भी काम होता था, जैसे फौज आ गयी, कहना था, हलवा खाओ, फौज शहर में घुस गई कि हलवा खाओ, फौज हमला कर रही है हलवा खाओ और जब हमला हुआ तो अपना कमंडल लेकर चला गया। चन्दनमलजी, आपने तो मुझे जहर खिलाया था, मैं तो आपको हलवा खिला रहा हूं। कम से कम इसका तो आपको अहसान मानना चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : इनके लिए कमंडल की व्यवस्था जरूर करवा दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो भगवान ने ही कर दी, मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसलिए निवेदन कर रहा था अभी पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस हुई थी उस कान्फ्रेंस के अन्दर हमने मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के ऊपर प्रधान मन्त्रीजी से आग्रह किया कि विशेष ध्यान दिया जाए। यह मिनिमम नीड्स प्रोग्राम वर्षों से चलता आ रहा है। कई सैंट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम आप चालू कर रहे हैं। सैंट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम का इतना विस्तार हो गया कि कइयों में पूंजी ज्यादा है और उसकी एस्टेब्लिशमेन्ट कास्ट ज्यादा आती है और एस्टेब्लिशमेन्ट कास्ट ज्यादा आने से जिन लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, हम उनको लाभ नहीं पहुचा पाते। आवश्यकता इस बात की है कि इसमें स्टेट गवर्नमेन्ट का शेयर होना चाहिए।

आज हमारे राज्य की प्राकृतिक व्यवस्था क्या है, किस प्रकार की जलवायु है, किस प्रकार की चीज हमारे लिए सबसे पहले आवश्यक है, किस प्रकार का एपरेट्स हमें उसमें लगाना है उस स्थिति में आप इन सैंट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम को दो भागों में विभाजित करिए। एक जो मोटी समस्या है, उन स्कीम्स का संचालन भारत सरकार अपने हाथ में रखें लेकिन छोटी-छोटी स्कीम में आप राजस्थान को या बाकी के राज्यों को दें, उनको स्वतन्त्रता दें इस बात की जिसके आधार पर यह माना जा सके कि राज्य सरकार अपने इनीशिएटिव से, और आवश्यकता हो तो उसमें आर्थिक सहयोग कर उन उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके।

मुझे खुशी हुई कि उन सारी कान्फ्रेंस में सारे चीफ मिनिस्टर्स की एक इच्छा थी, मैंने अपनी तरफ से एक प्रस्ताव रखा था कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हिन्दुस्तान के अन्दर आबादी पर नियन्त्रण किया जाए उसके लिए प्रधान मन्त्रीजी कहने लगे अलग से चर्चा करेंगे, इस समय केवल मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के आधार पर चलेंगे। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के आधार पर उनका जो पत्र आया है उससे आप अंदाज लगा लेंगे कि उस सारे सिस्टम में हमने एक परिवर्तन कराने की कोशिश की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि कौन-कौनसी प्रायोरिटीज हैं, जिन प्रायोरिटीज को हम प्राथमिकता के आधार पर लें। मैंने उस समय भी कहा था राजस्थान में भी इस प्रकार की स्थिति है। हमने

(13.00)

राजस्थान का बजट एक बार शिक्षा को समर्पित किया, एक बार चिकित्सा को समर्पित किया, हमने एक बार बजट पेयजल को समर्पित किया। इसी तरह यदि हम भी एक साल का केन्द्रीय बजट किसी एक विशेष समस्या का समाधान करने में लगा दें तो मैं समझता हूं उसमें हमारा 100 प्रतिशत एचीवमेन्ट हो जायेगा। चाहे आप शिक्षा ले लें, चाहे चिकित्सा ले लें, चाहे पेयजल की व्यवस्था ले लें, चाहे गांवों को सड़कों से जोड़ने की बात ले लें लेकिन एक बार कन्संट्रेट करके केन्द्रीय सरकार अपना बजट समर्पित करे और समर्पित एक समस्या का समाधान करने के लिए करे तो निश्चित तौर पर उसका एचीवमेन्ट होगा। मैं इस पत्र की 15 लाइन आपको पढ़कर सुना देता हूं,

"Dear Shri Shekhawat, I am greatlul to you for your active participation in the Chief Ministers' Conference on basic minimum services, in new Delhi. Your contribution was extremely valuable in the unanimous adoption of the recommendations of the Conference. These recommendations are being sent to you separately for necessary follow. I have requested the concerned Ministers in Government of India and the Ministry of Planning & Programme Implementation to take steps for the immediate implementation of the recommendations relevant to the Central Government. I am sure you would be hearing from them soon." अब जो तय किया है। "....As you are aware during the discussions, we agreed that within the seven basic minimum services discussed in the Conference, we should concentrate on :

(a) 100% coverage of provision of safe drinking water in rural and urban areas,

(b) 100% coverage of primary health services facilities in rural and urban areas,

(c) universalization of primary education in the next 2-3 years."

अब बाकी का कह दिया कि जहां पर इन चीजों की कमी नहीं हो वहां स्टेट्स चुन लें कि वह पैसा किस जगह लगाएं, किस जगह नहीं लगाएं। उपाध्यक्ष महोदय, जब यह कान्फ्रेंस हुई, हम सब लोग इस बात की आशा करते थे कि अबकी बार जब केन्द्रीय सरकार का बजट पेश होगा उसमें इन तीनों बातों को एचीव करने के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी लेकिन कल बजट पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ। इसमें लगभग 2400 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। पहले स्पेशल स्कीम्स पर 10

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हजार करोड़ रुपया खर्च होता था। 10 हजार करोड़ रुपये में कई स्कीम्स ऐसी हैं जो छोटी-मोटी स्कीम्स हैं उनको पूल करने की आवश्यकता है। मेजर स्कीम्स के साथ ढाई हजार करोड़ रुपये का प्रावधान करना और आप यह कल्पना करके चलें कि हम 21 वीं सदी में प्रवेश करने के पहले सारे हिन्दुस्तान को साक्षर बना देंगे, सारे हिन्दुस्तान की चिकित्सा व्यवस्था कर देंगे, सारे हिन्दुस्तान में हम पेयजल की व्यवस्था कर देंगे और सारे देश के अन्दर गांवों को हम सड़कों से जोड़ देंगे, यह सम्भव नहीं है। यह बात रेफरेंस में इसलिए देना चाहता हूं कि जब केन्द्रीय सरकार भी इन सारी समस्याओं का समाधान करने के अन्दर जितनी धनराशि का प्रावधान करना चाहिए उतना प्रावधान नहीं करना चाहती तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप चाहेंगे कि राजस्थान इसी स्थिति में पड़ा रहे या राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़े, राजस्थान पेयजल की समस्या का समाधान करने में कार्यवाही करे या गांवों को सड़कों से जोड़ने की कार्यवाही करे ? केन्द्र सरकार से मदद पूरी नहीं मिलती तो इन लोगों को सहायता देने में, बच्चों को साक्षर करने में, लोगों की चिकित्सा का प्रबन्ध करने में, पेयजल की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार अपने साधनों से समस्या का समाधान नहीं कर सकती तो क्या कर्ज लेना कोई बुनियादी भूल हो गयी है ? कर्ज ऐसे कामों के लिए लिया जा रहा है जिस कर्ज से आम जनता को सुविधाएं मिलें और इस दृष्टि से मैंने आपसे यह निवेदन किया है।

मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अब आप यह कहें कि प्लान के अन्दर हमने जो प्लान साइज बढ़ायी है, राजस्थान की स्थिति उससे कोई अच्छी नहीं हुई ? मैं आज आपको कह सकता हूं कि पर केपिटा इन्वेस्टमेंट एक प्लान में 727 रुपया है जबकि सब राज्यों की औसत 524 है। अब आप कम से कम यह ताज्जुब करेंगे कि राजस्थान प्लान इन्वेस्टमेंट में बहुत पीछे था। यह आठवीं पंचवर्षीय योजना है जिसने राजस्थान को बूस्ट किया और बूस्ट करने के बाद आज हमारा आल इण्डिया एवरेज से पर केपिटा प्लान इनवेस्टमेंट ज्यादा है। इसका मतलब हम इन सारी सुविधाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय कि राजस्थान उन चार राज्यों में है। बाकी हिन्दुस्तान में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में, आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, जो प्लान एलोकेशन है या एनुअल प्लान है, उस एनुअल प्लान की पूर्ति नहीं होती, उतना खर्चा नहीं होता। राजस्थान में 100 पर्सेण्ट योजना का आकार पूरा किया है। आपको सुनकर खुशी होगी कि इस साल की योजना 3200 करोड़ रुपये की थी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चन्दनमलजी, सुनिये।

श्री चन्दनमल बैद : आप भी सुनें, मैं तो सुन ही रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 3200 करोड़ रुपये की। चार वर्ष की योजना खर्च होने के बाद राजस्थान में पांचवे वर्ष के लिए एनुअल प्लान, 3200 करोड़ रुपये का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और जो बची हुई धनराशि है वह लगभग 2850 करोड़ रुपये की है। अब मेरे सामने समस्या आती है कि मैं एक साल का एनुअल प्लान 2850 करोड़ पर लाऊं तो गए साल के 3200 करोड़ रुपये से 350 करोड़ रुपया कम होगा और यदि मैं 3200 करोड़ तक रखूं तो फिर मेरे पास कोई साधन नहीं हो सकते। अपने साधनों के अतिरिक्त यदि कहीं से कर्जा लेने की आवश्यकता हो तो कर्जा लेकर भी प्लान साइज को छोटा नहीं करूं ताकि प्लान के द्वारा जो राजस्थान की प्रगति हो रही है उस प्रगति में किसी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं हो। और यह किस हालत में कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय? मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि 1990–91 में केन्द्रीय मदद 72 प्रतिशत होती थी प्लान एक्सपेंडीचर में, यह 1995–96 में घटकर 43 प्रतिशत रह गयी है। सारी कोशिश के बावजूद उन्होंने जिस प्रकार के फार्मूले बनाए उन फार्मूलों से जहां 72 प्रतिशत की सहायता मिलती थी उसके मुकाबले में 95–96 में 43 प्रतिशत मिला। यदि इसमें से ऋणों का अंश निकाल दिया जाए तो 90–91 में केवल 19 प्रतिशत मिलती थी और 95–96 में 7.7 प्रतिशत मिलती है। इससे आप अन्दाज लगा लें कि राजस्थान में भारत सरकार से मिलने वाली सहायता का प्रतिशत फिर घटता जा रहा है और इस घटते हुए प्रतिशत के कारण यदि मैं फिर प्लान साइज को छोटा करने की कोशिश करूंगा तो मैं राजस्थान की जनता के साथ न्याय नहीं करूंगा और खास तौर से उन क्षेत्रों के साथ जो पिछड़े हुए हैं, मैं अन्याय करूंगा। इसलिए इसका रिस्क लिया। चाहे स्टेट बीमार हो सकती है, चाहे मैं स्वयं बीमार हो सकता हूं लेकिन राजस्थान को इस बीमारी से मुक्ति दिलाऊं, इस संकल्प के साथ यह सारा काम कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा, अभी आप कह रहे थे कि योजना के आकार में वृद्धि किस प्रकार से हुई, मैं आपका समय तो लेना चाहूंगा लेकिन आपको और सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 54.15 करोड़ रुपये की थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 102.73 करोड़ की, तृतीय पंचवर्षीय योजना 212.70 करोड़ की, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 308.79 करोड़ की, पांचवीं पंचवर्षीय योजना 856 करोड़ रुपये की, छठी पंचवर्षीय योजना 2120 करोड़ रुपये की, सातवीं पंचवर्षीय योजना 3106 करोड़ रुपये की थी और आठवीं पंचवर्षीय योजना 11,500 करोड़ रुपये की योजना हुई है। यह उसका नतीजा है कि आज हमारे सामने कई वित्तीय समस्याएं पैदा हुई हैं। मैंने जैसे कहा कि मैं 3200 करोड़ रुपये से अगर सीधा 2800 करोड़ के ऊपर ले आऊ, इस साल की वार्षिक योजना तो राजस्थान में न कोई कर्जा है और न राजस्थान में किसी प्रकार का डेफिसिट है लेकिन डेफिसिट से और कर्जे से डरकर भागने वाला मैं नहीं हूं। कर्जे का उपाय किस प्रकार से किया जाए, उसके उपाय मैं आपके सामने बताऊंगा और कर्जा कितना है, उसका भी बताऊंगा लेकिन कर्जे के डर से मैं सारी योजनाओं को छोड़कर भाग जाऊं, इस प्रकार का मैं कायर नहीं हूं। मैं हलवा आपको खिलाऊंगा और आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि कमण्डल आपके हाथ में दूंगा, मैं अपना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कमण्डल लेकर नहीं जाऊंगा। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी हालत में मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जैसा मैंने कहा कि कहां राजस्थान बढ़ा है इसका अन्दाज लगा लें। 1992–93 में राजस्थान का आठवां नम्बर था। उत्तर प्रदेश हमसे ज्यादा था, महाराष्ट्र हमसे ज्यादा था, आंध्र प्रदेश हमसे ज्यादा था, मध्यप्रदेश हमसे ज्यादा था, कर्नाटक, गुजरात ये ज्यादा थे और राजस्थान का नम्बर था आठवां। इस योजना के परिणामस्वरूप अब राजस्थान का जो नम्बर आया है, महाराष्ट्र पहले नम्बर पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे नम्बर पर है और आठवें नम्बर से राजस्थान तीसरे नम्बर पर पहुंचा है। इससे आप अन्दाज लगा लें कि राजस्थान जिस दिशा में बढ़ रहा है वह प्रगति की दिशा है और जनता की समस्याओं का समाधान करने की दिशा है।

मैं इसी आधार पर यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय चन्दनमल जी से कि आप कह रहे थे कि टैक्स लगाने की हिम्मत नहीं है। वह तो मैं आगे बताऊंगा लेकिन हिम्मत उस समय होनी चाहिए जिस समय हिम्मत करने की आवश्यकता हो। मैं सागड़ी प्रथा वाला आदमी नहीं हूं, आप जानते हैं कि मैं राजस्थान का किसान हूं, राजस्थान के गांव का रहने वाला हूं और इसलिए मुझे मालुम है कि किस समय जनता पर टैक्स लगाया जाए। साहस की कोई कमी नहीं है। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया है और उन चुनौतियों का सामना करने वाला व्यक्ति आज जनता का सहयोग लेना चाहे तो मेरा विश्वास है कि जनता उसमें सहयोग देगी। मैं आगे उसके बारे में आपको निवेदन करना चाहता हूं।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : हमारा सहयोग नहीं चाहते क्या आप ? जनता से हमको अलग समझ रहे हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको मैं अलग समझूं, यह कैसे हो सकता है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं हम किसके प्रतिनिधि हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जनता के।

श्री परसराम मदेरणा : तो फिर आप हमको इग्नोर कर रहे हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो भूल हो गयी।

श्री परसराम मदेरणा : आप इग्नोर मत कीजिए। यह तो पण्डितजी इग्नोर कर रहे हैं, वे ही बहुत हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह भूल हो गयी। मैं आपका भी सहयोग लूंगा, आपके माध्यम से राजस्थान की जनता का सहयोग लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात मैं इसलिए कह रहा था कि 11,500 करोड़ रुपये की योजना में मुझे 2827 करोड़ 55 लाख का ए. आर. एम. करना था। एडिशनल रेवेन्यू रिसोर्सेज मोबीलाइज करने थे। अब आप ताज्जुब करेंगे, आप तो कहते हैं मैंने टैक्स नहीं लगाए–ठीक है, आपने मेरी कमजोरी बतायी इसके लिए आपको बहुत-बहुत

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

धन्यवाद। आपके भाषण से मुझे ताकत मिलेगी इसमें भी किसी प्रकार का कोई सन्देह नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं किसी को मालूम नहीं होगा कि 2827 करोड़ 55 लाख रुपये की तुलना में इस प्लान में इसको पोषित करने के लिए 3,530 करोड़ रुपये का ए. आर. एम. राजस्थान ने इकट्ठा किया है।

अब आप कहें कि टैक्स लगाकर ही मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं इस विचारधारा का नहीं हूं। मैं ऐसा समझता हूं आप टैक्स लगाने की बात कहें। राजस्थान में माननीय मदेरणा साहब और आप सभी लोग जानते हैं कोई वर्ष नहीं जाता जब अकाल नहीं हो। अब इस अकाल के साथ-साथ बाढ़ की समस्या भी आती है। बाढ़ की समस्या के साथ ओलावृष्टि की भी आती है। कई बार बीमारियों का भी प्रकोप हो जाता है तो यह तो देखना पड़ेगा। राजस्थानी में एक कहावत है "राद में छुरी चलाना" मतलब मवाद में छुरी चलाना। मैं चन्दनमलजी, आपको विश्वास से कह सकता हूं, मैं भीख मांगकर राजस्थान का विकास कर सकता हूं लेकिन मवाद में छुरी चलाने की बात मैं आपके कहने से कभी स्वीकार नहीं करूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : बजाए जाओ तालियां। एक और कहावत भी है, माननीय मुख्य मन्त्रीजी, अभी मैं तालियों के बारे में भी बताऊंगा। हमारे उधर मारवाड़ी में कहावत है कि जो कर्जा लेकर गरीबों को लूटते हैं "कलम कसाई" आप कलम कसाई भी नहीं बनना चाहते हो क्योंकि टैक्स लगाएंगे तो आप कलम कसाई हो जायेंगे। अन्ततोगत्वा तो उसका यही मतलब होगा, टैक्स लगेगा, आप लिख करके उसको नोटिफिकेशन निकालेंगे और फिर कलम कसाई आप बनना नहीं चाहते। यह हमने आपको सलाह दी है। हमको यह पहले ही मालूम था कि आप कलम कसाई कभी नहीं बनने वाले हो और जाते-जाते कभी बन भी जाओ तो कोई ऐसी बात है नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बात कल चन्दनमल जी ने भी कही थी कि इनमें साहस नहीं है टैक्स लगाने का। यह बिलकुल सही है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान की आम जनता की स्थिति क्या है, यह मेरा मापदण्ड है, टैक्स लगाने का। जैसा मैंने कहा कि आज राजस्थान में कहीं अकाल पड़ रहा है और मैं टैक्स बढ़ाऊं, कहीं राजस्थान में और कोई समस्या खड़ी हो रही है और मैं टैक्स बढ़ाऊं, मेरे और आपके दिल में और सोच में यही अन्तर है। मैं गरीब की तरफ देखता हूं आप टैक्स की तरफ देखते हैं और किसी को नहीं देखते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मैं जौहरियों की तरफ देखता हूं, आप गरीबी की तरफ देखते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल सही है।

श्री चन्दनमल बैद : मेरे और आपके सोच में फर्क इतना ही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत फर्क है।

श्री चन्दनमल बैद : आप गरीब को देखकर टैक्स लगाना चाहते हैं और मैं

(108)

(श्री चन्दनमल बैद)

जौहरियों को देखकर टैक्स लगाना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप देखिये, अभी तो मुझे पूरा अच्छी तरह से याद नहीं है लेकिन जौहरियों पर टैक्स लगा था जिसकी आमदनी थी केवल पचास लाख रुपये साल की, अड़तालीस लाख और यह इनके जमाने से ही चली आ रही है। उस समय ठोक देते जौहरियों पर जितना भी दावा करना था। आज तो जौहरी याद आ गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उस समय तो बाजरे और मोठ पर लगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाजरे और मोठ पर तो गुस्सा आता है इनको। बाजरे पर गुस्सा आता है, मोठ पर गुस्सा आता है, इनको पैदा करने वालों पर गुस्सा आता है। यह तो स्वभाव की बात है, कोई ऐसी नयी बात नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : मैं आपकी बात पर गुस्सा नहीं कर रहा हूं। हमको तो बड़ा आनन्द आ रहा है कि हमारे मुख्य मन्त्री जी कैसा मजेदार भाषण दे रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इन्होंने जीरे पर टैक्स लगाया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल सही है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, ऐसी स्थिति में जब हमने एडिशनल रेवेन्यू रिसोर्सेज मोबीलाइज किया है, जितना कमिटेड था उतना हमने चार वर्ष में कर लिया, पाचवा वर्ष अभी बाकी है और हमारा अनुमान है कि पूरे पांच वर्षों में जो कमिटेड ए आर. एम. था उसके अगेंस्ट में हम लगभग 3,530 करोड़ रुपये का ए. आर. एम. इकट्ठा कर लेंगे। इसका मतलब एफर्ट्स तो हुए हैं, बीयेंसी हुई है, टैक्सेज की अच्छी वसूली हुई है, लीकेज को रोका है और लीकेज को रोक कर टैक्स सिस्टम में इस प्रकार के रिफार्म्स किये हैं जिन रिफार्म्स के आधार पर कुछ ऐसी व्यवस्था हो सके कि लोग टैक्स देने के लिये आयें।

कल कोटा के माननीय सदस्य, बूंदी वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही, मैं उनकी तारीफ करता हूं, जितना हम टैक्स रिडक्शन करते गये वह कंज़ूमर तक नहीं पहुंचा, बीच में लोग खा गये। यह निश्चित बात है, मैंने भी इसको बजट पेश करने के पहले अहसास किया था और अहसास करके बजट में ही इस प्रकार का प्रावधान रखा कि यह टैक्स का जो रिडक्शन हो रहा है, कई टैक्सेज को जो मैंने इस बजट में रिड्यूस किया है, उस सम्बन्ध में मैंने उस समय भी रखा था कि मैं इसकी परफारमेंस एक वर्ष तक देखूंगा, यदि एक वर्ष तक इस टैक्स रिडक्शन के कारण सरकार की आय नहीं बढ़े और टैक्स का लाभ कंज़ूमर को नहीं मिले तो आटोमेटिकली जो रिडक्शन किया है वह वापस उसी स्तर पर आ जाएगा और उन लोगों को भी यह पता लगेगा कि यह रिडक्शन धोखा देकर नहीं करवा सकते, रिडक्शन करवाने के पीछे उसका प्राफिट कंज़ूमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है, इस जिम्मेदारी का अहसास करते हुए इस प्रकार की व्यवस्था की है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

धारीवाल जी ने जो कुछ कहा इसके ऊपर मैं एक दो दिन में ही कुछ अर्थ-शास्त्रियों से, कुछ टैक्स के कंसल्टेंट्स से बात करके व्यवस्था करूंगा कि जो कुछ सरकार ने टैक्सेज में रिडक्शन किया है वह कंज़्यूमर के पास किस प्रकार से पहुंचे। मैं इस बात की तो दाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां प्रश्न यह आया कि राजस्थान की स्थिति किस प्रकार की है। इसी बजट के, इसी प्लान के परिणाम-स्वरूप मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं सारी बातें बताकर समय नहीं लेना चाहता हूं, जल ग्रहण विकास कार्यक्रम को पिछले तीन वर्षों से लगातार राष्ट्रीय उपभोक्ता पुरस्कार मिल रहा है, रासायनिक खाद की खपत वृद्धि पर पिछले पांच वर्षों में प्रवेश सबसे अधिक है और वन भू-भाग दो सौ किलोमीटर से अधिक वृक्षों वाले दो प्रदेशों में राजस्थान की गिनती जो है, पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा राजस्थान है। ऐसी स्थिति में राजस्थान इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ा है। बाकी पर मैं आपका समय नहीं लेना चाहता।

श्री परसराम मदेरणा : जल ग्रहण विकास कार्यक्रम सेंट्रली स्पान्सर्ड स्कीम है या स्टेट की स्कीम है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह दोनों ही है लेकिन उपलब्धि देखिये, सेंट्रल स्पान्सर्ड स्कीम हो, चाहे राजस्थान की योजना हो, यह तो काम करने पर निर्भर है। हमने तो काम किया है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपको चुनौती नहीं देता हूं। काम जरूर किया है और प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके पास में आयी है उसको पढ़ रहे हैं लेकिन यह स्कीम जल ग्रहण की फ्लाप हो गयी है और इसका रियलाइजेशन पांच साल के बाद, इस पर जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है वह डाउन टू दी ड्रेन जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं आपने यह भविष्यवाणी....

श्री परसराम मदेरणा : इवेल्यूएशन करवा लीजिए। पिछली दफा आई. आर. डी. पी. के इवेल्यूएशन का आपने कहा, हम करा लेंगे। आपने मुझे उड़ा दिया कोई बात नहीं। मैं चुनौती नहीं दे सकता मेरी वोइस थोड़ी बोल्डन नहीं है। आपकी बोल्डन वोइस जो है उस को किस समय रेज करना चाहिए, आप अपार्च्यून मूवमेंट उसको रेज पर करते हैं और तब यह बैठे-बैठे विवेक भूल जाते हैं और बुद्धि छोड़ करके क्लेपिंग करने लग जाते हैं।....

श्री शिवनाथ सिंह : आडिटर जनरल की रिपोर्ट में जो आप कह रहे हैं, इसमें उलटा है और घटा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो बढ़ा है, वह तो सारे घाटे का सर्वे करके कह रहा हूं। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। मेरा सर्वे नहीं है, अखिल भारतीय स्तर पर सर्वे हुआ है, यह मैं आपको बताऊं। वह भी हवाई जहाज से, रिमोट से हुआ है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, रिमोट सेंसिंग है। अब मदेरणा साहब ने जो बात कही, उन्होंने आज जो कही है, वह बड़े आदमी हैं....

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मन्त्रीजी देखो, वी आर मैन्टली आनेस्ट पिपुल, अण्डर दी टेबल मैं कोई बात नहीं करता। करीबन साल डेढ़ साल पहले अपन दोनों खड़े थे। जिस तरह से कोआपरेटिव की जो 100 हैक्टेयर की स्कीम थी भेड़पालकों की सोसायटी थी, मैं बराबर किसी मीटिंग में कह रहा था कि फ्लाप जा रही है। 30 हजार भेड़ों के लिए 100 हैक्टेयर, उसके प्रोडक्शन बढ़ेंगे और वह चौकीदार जो था वह रात को गाय डाल देता था पैसे ले करके। यह मैंने आपसे निवेदन किया था बाहर। मैं कोई अन्दर नहीं कह रहा। इनसे बाहर इसलिए कहा था कि आप इसका क्रिटिकल एक्जामिनेशन करके इस चीज को देखें। मैंने बाहर की बात कही है। Most probaly I told you in 1994.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सैण्ट्रल की स्पांसर्ड स्कीम है या कोई भी स्कीम है जो आप मुझे आज जानकारी दे रहे हैं, आज देवेगौड़ाजी से तो आपका सम्पर्क इतना नहीं होगा लेकिन नरसिंहरावजी से तो आपका पूरा सम्पर्क था, आप उनको बता सकते थे कि यह योजना बेकार है, इस योजना पर पैसा क्यों ....(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपसे कम था। एक बार हम आपके खिलाफ 40–45 आदमी मिलने गये तो चार रोज तक पड़े रहे, आप चुपचाप रात को जाकर मिल आए।

श्री परसराम मदेरणा : यह ब्यूरोक्रेसी जो है, स्टील फ्रेम आफ ब्यूरोक्रेसी, इवन आई वाज केबिनेट मिनिस्टर, सब आई. सी. एस. ऑफिसर थे गवर्नमेंट आफ इण्डिया में, यह तो राजस्थान का सौभाग्य है कि आपके केबिनेट में दो खींवसिंह जोकी हैं। एक पण्डितजी आपके पास बैठे हैं और एक चतुर्वेदी जी। यह कह रहे हैं कि हममें से ऐसे ब्यूरोक्रेसी पर जब बैठते हैं तो खींवसिंह जोकी हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा मशहूर जोकी हुआ है, इन दो जोकियों के अलावा तो बंटाधार।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल सही सही है। मुझे इस बात की खुशी है कि दो की तो आपने प्रशंसा की।

श्री परसराम मदेरणा : यह खुद कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी कब्जे में नहीं है। गवर्नमेंट आफ इण्डिया के कब्जे में नहीं है। वहां से प्लान बना करके फोरमेट भेजती है, इन लोगों ने माइण्ड अप्लाई नहीं किया। मैं इन पर भी दोषारोपण करता हूं भारत सरकार में। कांग्रेस सरकार ने भी भूल की है, ब्लंडर की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, यह है हिम्मत का काम। राज की बात यह है, चन्दनमलजी और आपके साथ की जरूरत नहीं है। यह लीडर आफ दी अपोजीशन ने जो साहस बताया है कि भारत सरकार ने गलती की है, बोल जाओ देखें एक बार भी। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : भारत सरकार के मंत्रियों से परामर्श के वक्त उनके मुंह पर कहा है। मैंने कहा, क्यों पैसा खर्च कर रहे हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, आप कह सकते हैं, मैं तो इनकी बात कर रहा हूं।

श्रीचन्दनमल बैद : यह राजपूत और जाट की लड़ाई में बनिये को कहां फंसा रहे हो आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बिलकुल सही है। हमारी दोनों की लड़ाई के बीच में मत आ जाना नहीं तो बधुआ हो जाओगे।

मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि आज जिस प्रकार की स्थिति है उस स्थिति में जैसा मैंने बताया कि मितव्ययता के आधार पर साधन जुटाये जा सकते हैं, टैक्स लगाकर साधन जुटाये जा सकते हैं, टैक्स की चोरी को रोक करके, लीकेज को रोक करके साधन जुटाये जा सकते हैं, भारत सरकार की अनुमति से बाण्ड्स लेकर साधन बढ़ाये जा सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में, उपाध्यक्ष महोदय, साधन का एक तरीका और था जो शायद पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने जोरशोर से कहा था कि आपकी जितनी भी पब्लिक अण्डरटेकिंग्स हैं जो घाटे में चल रही हैं और व्हाइट एलीफेंट्स हैं, इन सारे व्हाइट एलीफेंट्स को खतम किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, बात कुछ वर्षों पहले तक सही थी, कुछ वर्षों के बाद में स्थिति में परिवर्तन आया है। इसलिए मैं आज सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 1990–91 में इन सार्वजनिक उपक्रमों में 83.6 करोड़ रुपये का घाटा था और 1994–95 में इस घाटे के बजाय 93.48 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। अब यह सही है....

श्री परसादी लाल मीणा : तिलम संघ में ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : घाटा है जो है, कइयों में घाटा है। मैं यह नहीं कह रहा कि घाटा नहीं है। मैं यह नहीं कहता। कई कारपोरेशंस में आज भी घाटा है, कई कारपोरेशंस मैंने बन्द भी किये, कई कारपोरेशंस बन्द करने का विचार भी कर रहा हूं लेकिन विचार के साथ-साथ एक प्रवृत्ति पैदा हो जाये कि वह लाभ देने के लायक बन जाएं तो उस बात की भी कोशिश कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक-एक जानकारी देना चाहता हूं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में 1990–91 तक 47.42 करोड़ रुपये का घाटा था। 1994–95 में पुराने घाटे को पाटते हुए 9.3 करोड़ रुपये का सरप्लस हैं। अब मैं दूसरा कहना चाहता हूं।

श्री किशन मोटवानी : किराया बढ़ा कर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किराया बढ़ाने की तो आपको भी छूट थी, मुझे भी छूट है। किराया तो बढ़ता है, एक बार नहीं क्या मालूम पिछले वर्षों में कई बार, कितनी बार किराया बढ़ा। निरन्तर पांच वर्ष तक लाभ में चलने वाले दो या तीन प्रमुख परिवहन निगमों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम भी शामिल है। आज लोग ताज्जुब करते हैं कि आपके यहां घाटा नहीं हो रहा है। कई कान्फ्रेंसेज में मैं जाता हूं, मैं कहता हूं कि आर.एस.आर.टी.सी. लाभ में चल रही है। वे ताज्जुब करते हैं और ताज्जुब करने के कारण से मैं उनकी बेलेन्स शीट कई बार अपने साथ रखता हूं ताकि ताज्जुब करने वालों को बता दें कि सही है। अब वह फायदे में चल रहा है... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : कांग्रेस कल्चर का एक आदमी सम्भाले हुए था।

श्री रतनलाल ताम्बी : इसलिए घाटा नहीं हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान बीज निगम में 1989–90 तक 9 करोड़ रुपये का संक्षिप्त घाटा था। किसानों को उनके शेयर पर कभी डिवीडेंड नहीं दिया। अब यह शुद्ध लाभ में है। 1995–96 में 3.50 करोड़ रुपये का लाभ इस बीज निगम में होगा। अब इससे आप अन्दाज लगा लें कि एफर्ट्स हमने किये हैं कि इन व्हाइट एलीफेन्ट्स को हम धरती पर उतारें और उतार करके इन्हीं में कुछ व्यवस्थाओं में सुधार करें, परिवर्तन करें, कुछ अंकुश लगाये और लगाने के बाद में, राजस्थान राज्य भण्डारण निगम में 1994–95 में 1.46 करोड़ रुपये का लाभ और 1995–96 में लगभग 3 करोड़ रुपये का लाभ होगा। राज्य पुल व निर्माण निगम में 1994–95 में 3.12 करोड़ रुपये का लाभ होगा। राजस्थान राज्य माइंस एण्ड मैटल में 1993–94 में, 1994–95 में 36 करोड़ रुपये का लाभ होगा। जो केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं, 1993–94 में कुल 26 केन्द्रीय सहकारी बैंकों में से केवल पांच बैंकों में वार्षिक लाभ होता था, 1994–95 में 10 सहकारी बैंक वार्षिक लाभ में आएंगे। इससे आप अन्दाज लगा लें कि इन व्हाइट एलीफेंट्स को भी सही करने की हमने कोशिश की है। मैं गारण्टी नहीं देता कि जो कुछ हमने अर्जित किया है उतना ही हम अर्जित कर सकते थे। हम इससे ज्यादा भी अर्जित कर सकते थे।

श्री परसराम मदेरणा : पांच बैंकों में से एक जोधपुर का सी. सी. बैंक था। जिन पांच का आप जिक्र कर रहे हो और फाइनेन्स कमीशन से इस बात को फाइनल करवा लिया। उसको आपने सुपरसीड किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वे दूसरी बातें हैं। इन चीजों को अब यहां नहीं लायें तो ज्यादा अच्छा है। मैं केवल इतना ही निवेदन कर रहा था कि आज .. (व्यवधान) ले आना बाद में। आज अगर इन सारी चीजों को लेकर चलें तो दूसरे आसपेक्ट पर भी आपने विचार किया होगा। अभी आपने केन्द्रीय सरकार का बजट देखा है, पी. एस. यूनिट्स में डिस इन्वेस्टमेन्ट के लिए उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया, डिस इन्वेस्टमेन्ट कार्यक्रम में जितने फण्ड्स का प्रावधान किया था रिहेबिलिटेशन या मजदूरों के हित के कामों के लिए उसका हिस्सा राजस्थान को नहीं मिला। हमने कई बार कोशिश की कि आप डिस इन्वेस्टमेन्ट की पालिसी बनाते हैं तो राज्यों को भी आप चाहते हैं कि अमुक प्रकार के यूनिट्स हैं जिनको बन्द करना चाहिए तो वह डिस इन्वेस्टमेन्ट की सारी जो स्कीम हैं उस स्कीम का लाभ राजस्थान और अन्य राज्यों को भी दिया जाए। वह नहीं देते। लेकिन इन्होंने एक स्कीम रखी है। अब वह डिस इन्वेस्टमेन्ट करने की सीधी हिम्मत नहीं हो रही है, इसलिए कल आपने वित्त मन्त्रीजी के भाषण में सुना होगा कि डिस इन्वेस्टमेन्ट के कारण से जितना रुपया केन्द्रीय सरकार के खाते में आयेगा वह सारा रुपया सर्विसेज, बिजली, पानी के नाम पर लगाया जायेगा।

श्री चन्दनमल बैद : वह तो टी.एफ.सी. में ही तय हो गया था। आज क्या बता रहे हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, उसमें नहीं हुआ।

श्री चन्दनमल बैद : हो गया था। बिलकुल हो गया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हो गया होगा उसमें तय ..

श्री चन्दनमल बैद : उसमें उन्होंने बता दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसमें तय हो गया होगा यह भी मान लिया। उसमें तो बहुत बातें तय हुई थीं जो इस बजट में नहीं आई। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, आज आप कहते हैं कि पी. एस. यूनिट्स को बन्द कर दिया जाये। यह करना मुश्किल है। मेरे सामने समस्या है कि जो मजदूर वहां काम कर रहे हैं उन मजदूरों की रोटी का प्रबन्ध करूं। उन मजदूरों को कोई आल्टरनेटिव जोब दूं और उसके बाद उन पी. एस. यूनिट्स को बन्द करने का या उनको किस तरीके से रिवाइव किया जाये उस योजना को अपने हाथ में लूं। झटके से बंद नहीं हो सकती। एक तो हमने कह दिया कि सारा स्टाफ यहां से जायेगा। मजदूर कहां जायेगा ? सरकारी कर्मचारी तो दूसरे विभागों में चले जाएंगे लेकिन मजदूर कहां जाएंगे ? वैसी स्थिति में जो कुछ भी इस सम्बन्ध में व्यवस्था हो सकती है, मजदूरों को कान्फिडेंस में लेकर उनके रिहेबिलिटेशन की योजना बनाकर; उनका रिहेबिलिटेशन करके यदि आवश्यकता हुई तो अन्य कारपोरेशंस में भी इस प्रकार की स्थिति पैदा की जायेगी, यह मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक-एक...

श्री चन्दनमल बैद : मैं जरा इन्टरवीन कर रहा हूं। डिस इन्वेस्टमेन्ट का मतलब कोई संस्थान को बन्द करना थोड़े ही है। डिस इन्वेस्टमेन्ट का मतलब तो यही है कि उसके शेयर प्राइवेट लोगों को बेचे जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह सही है।

श्री चन्दनमल बैद : तो बंद करना कहां हुआ ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चन्दनमलजी, दोनों ही बातें हैं। शेयर बेचे जायेंगे लेकिन पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग्स में भारत सरकार किसी प्रकार का इन्वेस्टमेन्ट नहीं करेगी नम्बर एक, यह भी है और दूसरा यह है कि शेयर बेचेंगे, जैसा आप कह रहे हैं शेयर बेचेंगे। उसके पीछे परपज क्या है ? उसका परपज यह है कि आज जो सरकारी कम्पनी है, सरकारी कारपोरेशंस हैं उनको प्राइवेट सैक्टर के हाथ में देना है। प्राइवेट लोगों के हाथ में देना है क्या ? बात यही है, आप कह रहे हैं कि शेयर बेचेंगे। शेयर किसको बेचेंगे ? क्या गवर्नमेंट शेयर खरीदेगी ?

श्री चन्दनमल बैद : स्टेट बैंक आफ इंडिया के शेयर बेचे हैं। स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के शेयर बेचे हैं। वह प्रावेट हाथों में चले गये क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपकी बात को मानता हूं लेकिन शेयर्स में मेजोरिटी किसकी होगी। उसके साथ शेयर का कैपीटल इन्वेस्टमेन्ट किसी भी यूनिट में होता है, उसका मैनेजमेन्ट उनके हाथ में होगा। आज मैं समझता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य यहां बैठे हैं वह कभी भी यह स्वीकार नहीं करेंगे कि आज जो गवर्नमेन्ट अण्डरटेकिंग हैं वह सारे शेयर्स के अ. एक अण्डर हैण्ड तरीके के अ. प्राइवेट सैक्टर के हाथ में चले जाए। प्राइवेट सैक्टर की पहली कोशिश होगी कि जितनी भी इस्टेब्लिसमेन्ट कास्ट है उस कास्ट को घटाया जाये ताकि किसी तरह से उनको नुकसान नहीं हो सके। इन चीजों को कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि आज ऐसी स्थिति में हमने जो कुछ किया है उस करने में और जो करने की इच्छा है उसको आपको एप्रिशिएट करना चाहिए। उसकी आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं गलती कर रहे हैं तो आप रोकिये। कहीं आपके कोई सुझाव हों तो सुझाव दीजिये, उन सुझावों को स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा। कोई कांग्रेस पार्टी का सुझाव देता है या भारतीय जनता पार्टी का सुझाव देता है, सुझाव वाजिब होंगे तो मैं निश्चित रूप से उनकी पालना करूंगा। इन कामों में मैं कभी राजनीति नहीं लाता हूं, न लाने की मेरी इच्छा है।

श्री परसराम मदेरणा : सुझाव के साथ-साथ, मुख्य मन्त्रीजी, अगर थोड़ी-बहुत गलती की आलोचना भी हो जाये तो, मुझे अच्छी तरह से याद है कि 28 तारीख को लोक सभा में आपके तत्कालीन प्रधान मंत्री वाजपेयीजी ने कहा था कि निन्दक नियरे राखिये। अगर हम आपकी आलोचना नहीं करेंगे तो आप खड़े होकर के कहेंगे मैं आपकी स्पीचेज बताऊंगा कि ऐसी लचर डिबेट कभी नहीं हुई। वह चार चीफ मिनिस्टर्स बैठे थे उस वक्त भी आप यह बात कह गये और अभी मैं तो यहां था नहीं, 14 मार्च को आपने गवर्नर एड्रेस पर भाषण दिया कि यहां तो कुछ नहीं बोले। ऐसा मैंने भाषण कभी सुना ही नहीं। आप तो घूम फिरकर हमको ही बांधते हैं। कभी आप कह दो कि ऐसा लचर भाषण दिया, यह डिबेट में पार्टीसिपेट नहीं किया। हमारे जो फाइनेन्स से सम्बन्धित एम. एल. ए. हैं, जो फाइनेन्स मिनिस्टर रहे हैं, कुछ बात कहते हैं तो फिर आपको तिलमिलाहट काहे की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई तिलमिलाहट नहीं है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह तो उत्तर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो उत्तर दे रहा हूं। मैंने कहा कि मैं तो....

श्री परसराम मदेरणा : आप देखिये, उत्तर वैसा दीजिये जैसा रात को जसवंतसिंहजी को चिदम्बरम दे रहे थे, टी. वी. के अन्दर। यह क्रिटिसाइज कर रहे थे वह बहुत मुस्करा कर सुन रहे थे। उनके एक-एक पाइंट का उन्होंने जवाब दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मन्त्रीजी, आप भी एक बार मुस्करा दें।

श्री परसराम मदेरणा : Ex Finance Minister Jaswant Singhji was nonplus on all scores/points the raised.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है। आपने वह देखा बहुत खुशी की बात है। मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि मैं किसी का मुकाबला नहीं कर सकता, चिदम्बरम जी का भी मुकाबला नहीं कर सकता, जसवंतसिंह जी का भी मुकाबला नहीं कर सकता, मैं तो आपका भी मुकाबला नहीं कर सकता हूं, जैसा मैं हूं वैसी ही स्थिति आपके सामने रख रहा हूं। बहुत बड़े–बड़े आदमी हैं उनका कहां मुकाबला करूं। मैं तो इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि जिन परिस्थितियों में राजस्थान की स्थिति है उन परिस्थितियों में हम किस प्रकार से चल रहे हैं। उस चलने में यदि किसी प्रकार की गलती हो तो बहुत स्ट्रांगली क्रिटिक होकर आप कह सकते हैं, मुझे खुशी होगी। प्यार से कहना चाहें तो प्यार से भी कह सकते हैं। लिखित में कोई सुझाव देना चाहें तो सुझाव भी दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी जिक्र किया सरकारी उपक्रमों का सहकारी क्षेत्र में भी इस प्रकार के उपक्रम हैं। सहकारी संस्थाओं के अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋणों में भारी वृद्धि हुई है। 1985 90 तक 473 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण दिये जाते थे, 1990–95 में 905 करोड़ रुपये के दिये गये। अब ऐसी स्थिति में आप हिसाब लगा लें कि कितना बढ़ा। 1995–96 में 400 करोड़ रुपये इन एडीशन और है। 1989 में अल्पकालीन ऋण 89 करोड़ रुपये और 1995–96 में 400 करोड़ रुपये हो, इससे आप अन्दाज लगा लें कि ऋण वितरण में किस प्रकार की व्यवस्था की गयी है। दीर्घकालीन ऋण 1985–90 में 94 करोड़ रुपये और 1990–95 में 183 करोड़ रुपये के हैं। 1989 से 1990 में दीर्घकालीन ऋण 30 करोड़ रुपये है और 1995–96 में 125 करोड़ रुपये है। अब इसमें कुछ संस्थाएं जो काम कर रही हैं उनका भी जिक्र कर देना चाहता हूं। स्पिन फंड के समान हित गुलाबपुरा, हनुमानगढ़ एवं गंगापुर, इन तीन इकाइयों में 1985–90 में 7.31 करोड़ रुपये की हानि हुई थी। 1990-1995 में 10.12 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। यहां भी हमने छाप छोड़ी है कि इनमें, व्यवस्था में सुधार करके इन यूनिट्स को लाभ में चलाया जाय। राजफैड में 1985–90 की अवधि में 6.68 करोड़ का लाभ था और 1990-95 में 10.13 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। वह भी मैंने आपको सारी स्थिति बताई है। राजस्थान सीड्स सहकारी बैंक में 1990–95 में 5.31 करोड़ रुपये का लाभ हुआ और राजस्थान भूमि सहकारी बैंक में 1990-95 में 17.62 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। कोशिश की है कि ये यूनिट्स चलें भी और चलने के साथ–साथ घाटा भी नहीं रहे। इनके घाटे को किस प्रकार रिड्यूस किया जाये और इनको प्राफिट में या सरप्लस में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाये, इसकी कोशिश की गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में यह सब कुछ कर लें लेकिन राजस्थान का जब तक इण्डस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक राजस्थान की बेकारी की समस्या का भी समाधान नहीं होगा और राजस्थान इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में बहुत पीछे रह जायेगा। जब तक इंडस्ट्री नहीं होगी तब तक इन्फ्रास्ट्रक्चर का चर्चा करना और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चिन्ता करना यह आसान स्थिति नहीं होगी। कल आपने सारा बजट देखा होगा। बजट सुना होगा। बजट में आज इन्फ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने एक प्रकार से कमिट किया है। अब इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करेंगे। इसको डवलप करने के पीछे कारण यह है कि ज्यादा से ज्यादा यहां पर पूंजी का विनियोजन हो, कारखानें लगें और कारखानों में लोगों को रोजगार मिले। यह सारी व्यवस्था उस आधार पर चली है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इण्डस्ट्रियल सैक्टर के मध्यम और बड़े उद्योगों में मार्च, 1991 तक 32.33 करोड़ रुपये का विनियोजन हुआ था। 1991 से 1996 तक 9 हजार 268 करोड़ रुपये का विनियोजन हुआ है। इस तरह से आप अन्दाज लगा सकते हैं कि विनियोजन के बारे में राजस्थान एंटरप्रिन्योर को आकर्षित कर पाने में सफल हो रहा है। इसी तरह से लघु उद्योग 1986 से 1991 में 372 करोड़ रुपये के थे और 1991 से 1996 तक 898 करोड़ रुपये का इसमें विनियोजन हुआ है। इसी तरह से अक्टूबर, 1994 से मार्च 1996 तक पूंजी विनियोजन में राजस्थान में जो प्रतिशत वृद्धि हुई है, राजस्थान उसमें चौथे नम्बर पर आता है। 1991 से 1996 तक जितने ज्ञापन आए हैं, उन ज्ञापनों के आधार पर 23 हजार 500 करोड़ रुपये का पूंजी विनियोजन होगा। ढाई लाख नये लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इसलिये हमने पूरी तरह से कोशिश की है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि आज केवल राज्य सरकार के भरोसे चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे न्यूनतम कार्यक्रम हों, यह पूरा करना और कोई यह सोच ले कि कोई भी सरकार कर सकती है, यह असम्भव है। सरकार की अपनी सीमा है, सरकार के रिसोर्सेज की सीमा है, सरकार कितना खर्च कर सकती है उसके लिये तन्त्र की भी सीमा है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हर क्षेत्र में हम जनता को भागीदार बनायें, जनता अपने ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां ले। इस दृष्टि से आपको याद होगा, मैं 1977 में जब मुख्य मन्त्री बना था, हमने अन्त्योदय का कार्यक्रम चालू किया और उसी के साथ काम के बदले अनाज योजना चालू की। उस काम के बदले अनाज योजना के पीछे भाव अनाज नहीं था, उसके पीछे रोजगार नहीं था, उसके पीछे भाव यह था कि जो भी गांव में इस योजना के अन्तर्गत डवलपमेंट होता है उसमें जनता की भागीदारी हो, जनता का सुपरविजन हो, काम पुख्ता हो और शिकायत करने का किसी को मौका नहीं मिले। शिकायतें हुई हैं लेकिन जनता की जितनी भागीदारी होगी उतना ही मैं विश्वास से कह सकता हूं कि काम भी अच्छे होंगे और रुपये का दुरुपयोग भी नहीं होगा। इस दृष्टि से हमने इस बार कई प्रयोग किये हैं और इस प्रयोग में आपको मालूम है, पेयजल में मदेरणा साहब जानते होंगे कि टी. एस. एस. की योजना थी। यह पहली बार सरकारी स्तर पर, चालू तो बहुत पहले से थी, जन्मकाल से ही पहले थी लेकिन सरकारी स्तर पर किस प्रकार से इसको प्रोत्साहन दिया जाए, यह हमने उसका निर्णय लिया। मैं आज भी समझता हूं कि आज राजस्थान में कोई शहर हो, चाहे गांव हो वहां पर कुएं और बावड़ियों

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की कोई कमी नहीं है। पुराने जमाने के जो सोर्सेज हैं उन सोर्सेज को टेप करने का कार्यक्रम यदि युद्ध स्तर के ऊपर लिया जाए तो पीने के पानी की समस्या का समाधान होगा और, साथ ही जो खर्च करने की समस्या है....

श्री चन्दनमल बैद : फिर भी पूरा समाधान नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं उतना नहीं कहता, चन्दनमलजी, सहारा मिलेगा। यह मैं नहीं कहता कि पूरी समस्या का समाधान हो जायेगा।

श्री परसराम मदेरणा : रुपया तो एक करोड़ टी. एस. एस. में रखा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, जितना रखा है वह ठीक है।

श्री परसराम मदेरणा : आज का जो रिएक्शन बजट पर आया है जहां 5 करोड़ रुपये, 6 करोड़ रुपये, 7 करोड़ रुपये, 8 करोड़ रुपये रखे हैं, यहां पर यह 'ऊंट के मुंह में जीरा है', आपने एक करोड़ रुपया रखा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, बिलकुल सही है।

श्री परसराम मदेरणा : एक करोड़ रुपये आपने दूसरी योजना के ऊपर रखे, दो करोड़ रुपये गांवों की पेयजल योजना के संधारण के लिये हैं और जनता अपने हाथ में ले लेती है, जनता योजना के साथ रखा है। यह जो आप एक करोड़ रुपया रख रहे हैं यह "ऊंट के मुंह में जीरा नहीं है क्या ?"

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल सही है आप जो कह रहे हैं। कहां भारत सरकार का बजट 5 करोड़ रुपये और कहां राजस्थान के बजट में मैंने एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन मैं ऊंटों पर चलने वाला आदमी हूं और मैं 1960 तक ऊट पर चलता था और आप भी जानते हैं कांदोजी भगत का ताकला ढीली सी नौखे लजदिवडे बाट थाने मखन मिलाऊं और जहां रेगिस्तान का जहाज के मुंह में आप जीरा-जीरा डाल रहे हो, यह तो जीरा ही नहीं डाला है जीरा का एक दाना डाला है आपने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आखिर कुछ भी हो आपने कुछ डाला ही नहीं था, मैंने कुछ डाला तो है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : यह तो हरे पत्ते पेड़ों के खिला देते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिये कह रहा हूं कि जनता के सहयोग से हम कई कार्यक्रम लेंगे और जनता में यह भावना पैदा करने की कोशिश करेंगे कि सरकारी कामों के साथ–साथ जनता शारीरिक और आर्थिक दृष्टि से अपना सहयोग इन विकास के कामों में दे तो निश्चित रूप से काम ज्यादा से ज्यादा होगा। अब चाहे एक करोड़ रुपये का प्रावधान हो, चाहे दो करोड़ रुपये का प्रावधान हो, एक भावना दी है और उसको कार्य रूप में परिणित करने की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चेष्टा कर रहा हूं। कहां तक सफलता मिलेगी, यह निर्भर इस बात पर करता है कि कितना जनता का सहयोग मिलेगा।

(13.46)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से अब एम्प्लायमेंट जनरेट होता है। राजस्थान में मदेरणा साहब और बाकी के सब माननीय सदस्य जानते होंगे कि हमारे पशुओं में जो ड्राई पशु हैं, वे एक पशु मालिक के सामने बहुत बड़ी समस्या है। सरकार के पशु चिकित्सालय हैं वह पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं कि सब आर्टिफिशियल इनसेमीनेशन का इन्तजाम कर सकें। पशु ड्राई रहते हैं और एक संकट खड़ा होता है। हमने उस दृष्टि से पशु में एक गोपाल योजना चालू की है। उस योजना में गांव के लोगों को ट्रेनिंग दी कि आज आर्टिफिशियल इनसेमीनेशन कैसे हो सकता है। ट्रेनिंग करने के बाद में उनको गांव का काम दिया। आज जिस मालिक को अपने पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान करवाना है, वह उस बात के लिये एक्सपर्ट है, उसके पास इस प्रकार के इक्विपमेंट हैं, उसके पास इस प्रकार की सारी सुविधाएं हैं और सुविधाओं के आधार पर उसको भी रोजगार मिल गया, गांवों में पशुओं की जो एक लाइबिलिटी बन रही थी उस लाइबिलिटी को रोकने में हम सफल हुए हैं। लेकिन व्यापक स्तर पर यह हो जाए उस दिन मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। हम राजस्थान के पशुधन को....

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : मामूली हुआ है। यह आप गलत कह रहे हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हुआ तो है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मामूली हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मामूली तो हुआ ना।

श्री खेतसिंह राठौड़ : डाक्टरों के द्वारा भी आर्टिफिशियल इनसेमीनेशन किया जाता है उसमें भी तीन-तीन दफा होने पर भी वह होता ही नहीं है। फिर इन गांव वालों को सिखा दिया है और गायें बांझ हो जाएंगी।

श्री चन्दनमल बैद : गड़बड़ हो गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गड़बड़ इसलिये नहीं होगी, आपका यह भी कहना मान लूं कि तीन-तीन बार डाक्टरों से भी गड़बड़ हो जाती है, वह गड़बड़ कर लें लेकिन धीरे-धीरे-धीरे सीखते-सीखते इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि इस प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। आज बहुत सीनियर डाक्टर आपरेशन करता है और आदमी मर जाता है तो डाक्टर को थोड़े ही दोष देना है।

श्री चन्दनमल बैद : किसानों पर एक्सपेरीमेंट करके बरबाद कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बरबाद करने का सवाल नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : यह योजना तो अच्छी है। मेरे तो "गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई।" मैं मुख्य मन्त्रीजी एक आपको

(श्री परसराम मदेरणा)

उदाहरण देता हूं। बस्सी में आपका एक फार्म है। मैं एक मई को जा रहा था, मुझे मालूम था कि फार्म बहुत पास में है, गर्मियों का मौसम था। एक मई को मेरी गाय टल गयी थी तो मैंने मेरी धर्मपत्नी को भेजा। वहां पर पूछा, एक महावीरजी मीणे की तीन-चार झोपड़े वाली एक दुकान है वहां मैं चाय पीने के लिए रुका। मैं गया तो वह गाय देखने के लिए 3-4 दिन के बाद गयी। गोपाल योजना के अन्दर आपका बस्सी फार्म है जिसमें चार गायें हैं और उन चार गायों का दूध 3-3 किलो और एक गाय का दूध 5 किलो था और उसका एक थन था ही नहीं। यह तो आपके बस्सी फार्म की बात है, यह हालात हैं। इसलिए राठौड़ साहब कह रहे हैं कि इस योजना को थोड़ा फैलाने के अन्दर इसका मानीटरिंग थोड़ा ठीक होना चाहिए। नहीं तो कोरी सुई लगाते जाओ और मामला कुछ भी नहीं हो तो गड़बड़ होती है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह सही है। केवल सुई लगाएंगे तो मालिक पैसा नहीं देगा। कृत्रिम गर्भाधान के मामले में यदि खेतसिंहजी ने कुछ एक्सपर्टाइजेशन किया है तो मैं उनसे निश्चित रूप से सलाह लेऊंगा।

श्री चन्दनमल बैद : आप भी एक्सपर्ट हो।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं यह नहीं कहता कि खेतसिंहजी बिलकुल ड्राई हैं, ऐसा मैं नहीं मानता।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैंने इस दृष्टि से कहा है, एक क्षेत्र हो, चाहे पेयजल का क्षेत्र हो, चाहे सामान्य शिक्षा में बच्चियों की शिक्षा का काम हो। हमने एक सरस्वती योजना चालू की ताकि गांव में पढ़ी लिखी महिला उन बच्चियों को पढ़ाएं। पढ़ाने में जो कुछ भी सरकार उसकी सहायता कर सकती है वह करे। वह बच्चों को भी पढ़ाए और अपने लिए रोजगार भी उपलब्ध करे। आज वह कुछ नहीं कर पा रही है तो उससे तो लाभ ही होगा। अब, अध्यक्ष महोदय, चाहे कृषि क्षेत्र में हो, चाहे उद्यान क्षेत्र में हो, यहां भी हमने लोगों को ट्रेनिंग देकर इस सरकार के काम में भागीदारी बनाने की बात की है। स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य कर्मी योजना चालू की है। वन विभाग में सामूहिक वन प्रबन्ध समितियों का गठन किया है। पेयजल की व्यवस्था की है। तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में भी कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में आज आप यह कहेंगे कि शिक्षा की दृष्टि से हमने जो कुछ किया है उसका कोई परिणाम नहीं निकला, यह परिणाम दो तो शिक्षा मन्त्री हैं, दोनों भोग रहे हैं। जो सरकारी स्कूल में एक प्रबन्ध की व्यवस्था थी आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन गत वर्ष हमने सोचा कि प्रवेश बहुत ज्यादा हो रहा है; बच्चों का स्टेण्डर्ड बढ़े और शायद 45 पर्सेंट का मार्क रखा था, अब लड़के 45 पर्सेंट से ऊपर आ गये और इतनी बड़ी संख्या में आ गये कि उनका प्रवेश किस प्रकार से किया जाए, डबल शिफ्ट करके किया जाए, नहीं किया जाए और उन क्लासों में लड़कों की संख्या बढ़ायी जाए या नहीं बढ़ायी जाए। तो कम से कम एक जाग्रति तो पैदा हुई और जाग्रति ही पैदा नहीं हुई एक अर्ज पैदा हुई, एक इच्छाशक्ति पैदा हुई, मैं पढ़ू, मेरा परिवार भी पढ़े, मेरे परिवार में कोई

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बालक और बालिका अशिक्षित नहीं रहे। इस प्रकार का अर्ज पैदा करना--यह भी बहुत बड़ी सफलता है। एक अर्ज पैदा हो गयी, वह चाहे सरकारी साधनों से बच्चे पढ़ें, चाहे निजी साधनों से और चाहे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ें लेकिन अर्ज पैदा हो गयी। उस पैदा हुई अर्ज के आधार पर मैं कह सकता हूं कि....

श्री खेतसिंह राठौड़ : बच्चों को पैदा करने की बड़ी अर्ज है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने 40 वर्ष तक लगातार कोशिश कर ली लेकिन कामयाब रहे ही नहीं।

श्री चन्दनमल बैद : दोनों ही नाकामयाब हुए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दोनों ही नाकामयाब हुए। इसलिए मैं कहता हूं कि अर्ज पैदा हो गयी लेकिन पढ़ाने की अर्ज....

श्री परसराम मदेरणा : इतने नाकामयाब नहीं हुए, यह दोनों समकक्ष हैं पण्डित नेहरू के। बेटा होने से कुछ नहीं होता, एक ही बेटी थी और वह थी इन्दिराजी। और राष्ट्र को भी उस बेटी पर गर्व है। आपके इनके बेटियां हैं, बेटा-बेटा क्या होता है। "पूत सपूत क्यों धन संचे, पूत कपूत क्यों धन संचे"। बेटी है, बहुत अच्छी। आप बेटे-बेटी में फर्क रखेंगे तो पंचायत राज और सब जगह आपने जो योजना लागू की है वह फैल हो जाएगी। आपको यह कहना चाहिए। कि हम लड़कों को नहीं चाहते, लड़कियों को चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लड़की हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरा सवाल है मैं तो लड़के-लड़की में अन्तर नहीं करता लेकिन मेरे ठीक सामने जो बैठे हैं....

श्री परसराम मदेरणा : आप कितना ही करें। आप और मेरे जैसों की बुढ़ापे में सेवा लड़की ही करेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई नहीं करेगा।

श्री परसराम मदेरणा : जिस समय हम खाट पर हो जाएंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : परसरामजी, मैं तो इस बात को मानता हूं लेकिन आपके पड़ौस में बैठे हुए खेतसिंहजी मेरे पास आकर कई बार रोते हैं कि उनके लड़का नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कब आकर आपके सामने रोया ?

श्री चन्दनमल बैद : यही बात खेतसिंह जी मुझे आपके लिए कहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन आज आपके भाषण से इनको तसल्ली मिल जाएगी कि बुढ़ापे में लड़की ही सबसे ज्यादा सेवा करने वाली होती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ये हनुमानजी के पास शादी कराने के लिए जा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कल कोई माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे तो प्रश्न आया था, मैं समझता हूं कि फाइनेंस कमीशन के अवार्ड से राज्य सरकार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

को जो लाभ पहुंचाना चाहिए था वह नहीं पहुंचा। मैंने 9 जनवरी, 1996 को मनमोहनसिंहजी को जो पत्र लिखा उसके दो पैराग्राफ पढ़कर सुनाना चाहता हूं;

प्रिय श्री मनमोहनसिंहजी ...

ऊपर पैराग्राफ कुछ और है, "Dear Shri Manmohan Singhji, You would appreciate that some State Governments over the years have displayed a high sense of financial discipline in keeping the interest payment liability in check, specially with reference to revenue expenditure during the period 1990-95 anticipating that the subsequent Finance Commission would also be adopting the same normative approach and will not fall back on the assumption of receipts and expenditures based on the historic dates which rather discourages financial discipline. In other world, the State with little financial discipline going for heavy borrowing continue to get financial assistance in pursuance of T. F. C recommendation. The recommendation of the Tenth Finance Commission for writing off 5% that virtually accounts to paying a premium on the financial inefficiency of certain States. In the long run, this may prove to be counter productive, the better managed States may also feel tempted to Fall in line with others in their anxiety, to seek financial assistance from the Government of India by way of dept relief."

श्री परसराम मदेरणा : कन्क्लूडिंग पैरा क्या है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप चाहें तो मैं इसको पढ़कर सुना दूं। आप कन्क्लूडिंग पैरा सुनें। दूसरा लैटर जो मैंने लिखा था...

श्री परसराम मदेरणा : जिस बात को बजट स्पीच में लिखा गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 13 फरवरी को मैंने जो लैटर लिखा था उसका रेफरेंस दे रहा हूं।

"The State Government has serious reservations regarding implementation of the alternative scheme of devolution, suggested by the T. F. C. because the scheme has recommended : (1) seeks to peg the aggregate share of the State at a fixed per centage for a long period of 15 years, and, (2) eliminate the need for scrutiny of Central Government expenditure by subsequent Finance Commission. I would, therefore, suggest that before taking decision on implementation of alternative scheme of devolution recommended by the T. F. C., the Government of India should spell out all the implications clearly and consult the State Government to ascertain their views in this regard."

इन दोनों पत्रों का रेफरेंस मैंने आपको दिया है। यदि 17 प्रतिशत से ज्यादा घाटे की स्थिति रहती है ...

श्री चन्दनमल बैद : घाटे की नहीं, यदि रेवेन्यू एक्सपेंडीचर में 17 प्रतिशत से ज्यादा ब्याज होता हो तो हाई फिस्कल स्ट्रेस माना है। आपके बगल में जो बैठे हैं उनको पढ़ा दीजिए। यह पेज 57 चैप्टर 12 में है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यही कह रहा हूं। कल आपने जो प्रश्न उठाया था उसी के सन्दर्भ में कह रहा हूं कि 17 प्रतिशत से एबव जो होंगे उन स्टेट्स की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेस्ड है। फाइनेंस कमीशन ने जो अवार्ड दिया है उसमें ऐसी स्टेट्स में राजस्थान शामिल नहीं है। आप कहना चाहते हैं कि फाइनेंशियली हम ज्यादा ब्याज दे रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, कर्ज चुकाने के लिए फिर ब्याज पर कर्ज ले रहे हैं और यह साइकल चल रहा है। लेकिन फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट जब आई उस समय पुराने वर्षों के अकाउण्ट्स के आधार पर राजस्थान को उन स्टेट्स में नहीं माना जिनके बारे में 'स्ट्रेस्ड' शब्द यूज किया था। ये एग्री कर रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : उस समय नहीं था, अब हो गया है, इस साल में निश्चित रूप से हो गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने 19 प्रतिशत का बताया, वह मैंने सुना है। यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यदि हम घाटे की स्थिति में रहते या ब्याज या ऋण चुकाने में किसी प्रकार की कमी रहती तो निश्चित रूप से हमें पांच प्रतिशत की टैक्स रिलीफ मिलती। चन्दनमलजी, अब प्रश्न यह है कि क्या हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा करें या बुरा करके फाइनेंस कमीशन से मदद लें। इसलिए मैंने जिस लैटर का अभी पढ़कर रेफरेंस दिया है उसके अनुसार मैं मानता था कि जिन स्टेट्स की स्थिति ऐसी है कि वे ब्याज चुका सकते हैं, ऋण चुका सकते हैं, कोई बकाया नहीं, जिनका फाइनेंसियल मैनेजमेंट बहुत बढ़िया था उनको तो सजा दी और जिनकी स्थिति ठीक नहीं उनको फाइनेंस कमीशन ने रिलीफ दी।

मैंने यही बात आज से 10 दिन पहले जब मैं प्रधान मन्त्रीजी से मिला तो उनको कही कि बहुत बड़ी एनामली रह गयी है। जिन स्टेट्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा है उनको ज्यादा सहायता, ज्यादा इन्सेंटिव देने चाहिए थे ताकि बाकी के स्टेट्स जिनकी स्थिति ठीक नहीं, वे अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सुधारें, ऋण और ब्याज की अदायगी की अपनी व्यवस्था में सुधार करें।

दुर्भाग्य से पापुलिस्टिक नारों के कारण कई राज्य सरकारों की ऐसी स्थिति हो गयी कि वे सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं चुका सकतीं। वे पापुलिस्टिक नारे हमने नहीं लगाए। हमने राजस्थान का वित्तीय प्रबन्ध करने की जो कोशिश की है उसमें कमियां हो सकती हैं लेकिन उनके कारण ऐसी स्थिति नहीं है कि राज्य का दिवाला निकल गया, राजस्थान को दिवालिया बनाकर छोड़ेंगे।

कल आपने कहा कि 19 प्रतिशत का है। मैं इसको स्वीकार करता हूं, कोई आपत्ति नहीं करता लेकिन यह बजट एस्टीमेट के आधार पर है, रिवाइज एस्टीमेट के आधार पर नहीं है। रिवाइज एस्टीमेट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पर मेरा भरोसा है, I may prove to be correct. बजट एस्टीमेट और रिवाइज एस्टीमेट में there is lot of difference.. रिवाइज एस्टीमेट के बाद एक्चुअल एस्टीमेट में तो बहुत ही अन्तर पड़ जाता है। बजट एस्टीमेट के 19 प्रतिशत की आप जो बात कर रहे हैं कि हमारा दिवाला निकल जाएगा, हम जब आएंगे तो दिवाला निकली हुई सरकार मिलेगी, मैं उन बातों को नहीं कहना चाहता। मैं आपकी तसल्ली के लिए कहना चाहता हूं कि 19 प्रतिशत को कम कैसे किया जा सकता है उसके बारे में कल आपने जो बात कही, मैंने उसको गम्भीरता से लिया है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपने जो आलोचना की है, अगले बजट के समय आप कम से कम यह कहने लायक बन जाएं कि मैंने जो कहा उसको रिलीजियसली फोलो करने की गम्भीर कोशिश की है इतना ही मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : ये बातें अगली दफा भूल जाएंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं याद रखूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मन्त्रीजी, उस वक्त तक तो आपका लैटर भी आगे-पीछे हो जाएगा जो आपने अभी-अभी पढ़ा था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको दोनों ही लैटर दे दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे तो एक बात इस सदन में पूछनी है। इसमें आपने कहा है कि वह स्कीम हमारे फायदे की है। बजट पैरा 6 में लिखा है कि दसवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि केन्द्र सरकार को अपने समस्त करों व शुल्कों से प्राप्त राजस्व में से राज्यों को हिस्सा देना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से इन करों में यथा आयात शुल्क, कस्टम ड्यूटी एवं कम्पनी करों, कोरपोरेशनल टैक्स में वृद्धि हुई है जिसमें राज्य सरकारों को कोई हिस्सा नहीं मिलता है।

(14.00)

इस सम्बन्ध में भी आपने लैटर लिखा है कि अल्टरनेटिव स्कीम को लागू कर दीजिए। फाइनेंस कमीशन ने भी 67 पर अल्टरनेटिव स्कीम को 15 साल के लिए उसकी पैगिंग करने की बात कही है, कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट की बात कही है। पिछले सत्र में भी आप एक प्रस्ताव लाना चाहते थे सर्वसम्मति से सदन में और उस वक्त भी मैंने आपको वार्निंग दी थी कि जो कुछ भी आप करने जा रहे हो, मैं समझता हूं कि यह 29 पर्सेंट का जो आपका फिक्स डिविजिबल पूल में जो शेयर हो जाएगा। आज आपको 29.40 पर्सेंट मिल रहा है और कल के बजट से तो आपके लैटर की तो फूंक निकल गयी। वह इस प्रकार निकली है कि आपने कस्टम ड्यूटी जिसको आप लेना चाहते हैं ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लैटर की फूंक निकल गयी इससे आप खुश हैं या नाराज हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : मेरी बात सुनिये, नहीं निकली है। हवा भर दी उसमें, कह दिया मैंने I am not a master of

(श्री परसराम मदेरणा)

language. 50 पर्सेण्ट से कस्टम ड्यूटी 40 पर्सेण्ट कर दी गयी है। 10 पर्सेण्ट कम की है और वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन, डब्ल्यू. एच. ग्रो. जिसमें 128 देश मैम्बर्स हैं और उसमें राजस्थान भी एक मैम्बर है, उसने एग्रीमेंट किया है, वर्ल्ड ग्रोवर जो कस्टम ड्यूटी को कम करने के लिए दबाव जा रहा है यह अभी कम नहीं हुआ है। कस्टम ड्यूटी डिसेन्डिग आर्डर में ईयर आफ्टर ही की जाएगी और, मुख्य मन्त्रीजी, आप देख लें, I predict that in coming years it will go down the hill up to 7% इसलिए आप सोच करके कहें कल उन्होंने अपने बजट में इसका उल्लेख भी तो किया है। उन्होंने यह बात की है कि अल्टरनेटिव स्कीम के सम्बन्ध में क्योंकि 1 अप्रेल, 1996 से एक साल खतम हो गया है, दसवें फाइनेंस कमीशन की रिकमन्डेशन का और एक साल का पीरियड उन्होंने दिया था, उन्होंने यह बात कही है कि इस सम्बन्ध में मैं एक कमेटी या टीम कांस्टीट्यूट कर रहा हूं और उस सम्बन्ध में मैं चर्चा करूंगा। पार्लियामेन्ट में यह कहा है उन्होंने। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था उनको। तो आप इसमें करने के पहले ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपसे सलाह करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं। कल एक रिएक्शन आया है। दूसरा आप कहते हैं कारपोशन टैक्स की बात। खास तौर से बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य कारपोरेशन टैक्स की बात दो बजटों में, 1994 और 1995 में है लगातार इस सदन में उठाते रहे हैं कि उसमें शेयर नहीं मिल रहा है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : कारपोरेट टैक्स है।

श्री परसराम मदेरणा : वह कारपोशन कहो या कारपोरेट कहो, वह कारपोरेट टैक्स ही है। अब कारपोरेशन का एक्ट कम्पनी ला के नीचे है। अब उसमें क्या है कि कल रात तो रिएक्शन आ रहा था इसमें सरचार्ज 15 पर्सेण्ट से साढ़े सात पर्सेण्ट कर दिया। इण्डस्ट्रीज की जो भी एसोसिएशन्स हिन्दुस्तान में हैं चाहे वह फिक्की हो, चाहे वह सी. आई. आई. हो और चाहे वह एसोचैम (ASSOCHAM) हो, तीनों के लोगों का टी. वी. पर जा रहा था, उनका रिएक्शन यह था कि कारपोरेट टैक्स को आपने कोई राहत नहीं दी है। अगर यह भी कम होगा और कस्टम ड्यूटी भी कम होगी–दोनों का क्यूमुलेटिव इफैक्ट जाकर क्या पड़ने वाला है डिविजिबल पूल के अन्दर इस बात को थोड़ा ध्यान में रखकर चलें। स्टेट इण्टरेस्ट आपके और इस सदन के सामने सुप्रीम है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया था अल्टरनेटिव स्कीम के बारे में ए. एफ. सी. के अन्दर उल्लेख आया, यह अल्टरनेटिव स्कीम पैदा कहां से हुई। पैदा इस बात से हुई कि सैण्ट्रल गवर्नमेन्ट का जो टैक्स स्ट्रक्चर है और टैक्स के फण्ड्स का डिवोल्यूशन करने का मैथड है उसमें कई टैक्सेज हैं जो शामिल नहीं थे। मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान सरकार के जितने भी अब तक फाइनेन्स कमीशन के सामने रिप्रेजेन्टेशन्स हुए हैं वह चाहे चन्दनमल जी ने किये हों और चाहे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भैरोंसिंह शेखावत ने किये हों, चाहे और किसी ने किये हों हमने इस बात की कोशिश की है कि इस टैक्स नैट को वाइड किया जाए जिसके कारण से स्टेट्स को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। यह इसी मांग का परिणाम है जो कन्टीनुअसली बरसों से चली आ रही थी कि कारपोरेट टैक्स इसमें शामिल किया जाए या इस एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस के कारण से जो लाभ होता है उसका कुछ हिस्सा हमको मिले। रेलवे फेयर जो बढ़ गया उसमें हमको हिस्सा मिले। यह लगातार इस तरफ की परिसिस्टेन्ट डिमाण्ड थी स्टेट्स की तरफ से। वह कोई भी स्टेट हो, सबने इस बात की डिमाण्ड की और जब फाइनेन्स कमीशन ने इस डिमाण्ड के आधार पर अल्टरनेटिव स्कीम बनाने की बात कही है तो आल्टरनेटिव स्कीम बनने में जो टैक्स आज डिविजिबल पूल में नहीं है उनको यदि डिविजिवल पूल में डालना है तो कांस्टीट्यूशनल अमेण्डमेण्ट लाना पड़ेगा। यह कांस्टीट्यूशनल अमेण्डमेण्ट किसके लिए आ रहा है। कल जब इस बजट को मैंने सारा सुना था तो सुनने के बाद जब कारपोरेट टैक्स धीरे-धीरे कम किया जा रहा था, कस्टम्स ड्यूटी घटाई जा रही थी तो मुझे ऐसा वहम हो रहा था कि यह डिविजिवल पूल में जा रहा है इसलिए कारपोरेट टैक्स भी घट रहा है, कस्टम्स ड्यूटी भी घट रही है, एक्साइज ड्यूटी भी घट रही है....

श्री परसराम मदेरणा : सुनो तो सही। मामूली सी घटी है टूथ पेस्ट....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक टूथपेस्ट की चिन्ता नहीं करता। मैं एक प्रवृत्ति की बात कह रहा हूं कि वह प्रवृत्ति इस बात की थी कि इसके आधार पर स्टेट्स को मिलने वाली सहायता है सारा अमाउण्ट सम्मिलित है। इसके पहले पहले इस अमाउण्ट को कम कर दिया जाए और लोगों से तालियां बजवा ली जाएं। आज मैं आपको कहता हूं कि इस कारपोरेट सैक्टर में और कस्टम ड्यूटी में कमी हुई है, मैं आज तो नहीं कह सकता लेकिन छोटी-छोटी इण्डस्ट्रीज और घरेलू उद्योग जो हिन्दुस्तान के हैं उनके ऊपर इसका निश्चित रूप से विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आज कई चीजें हैं जिनके ऊपर टैक्स 50 पर्सेण्ट था उसको 30 पर्सेण्ट कम कर दिया और 30 पर्सेण्ट करने के कारण से यदि वह बना बनाया माल हिन्दुस्तान में आया तो इस सारे कर ढांचे में कल जो बजट के अन्दर पेश किया गया है, मैं आज तो दावे से नहीं कह सकता, इतना एक्सपर्ट भी नहीं हूं, एक कामन मैन के रूप में मैं इसको बताता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि यह पापुलिश तो है ही लेकिन साथ ही साथ इस बजट को कारपोरेट सैक्टर में नहीं फारेन कम्पनीज का माल हिन्दुस्तान में कैसे बिके उसके भी हवाले किया गया है। लोकल इण्डस्ट्रीज की हालत देख लीजिए। आज तेल के इम्पोर्ट पर 40 से 30 किया या 50 से 40 किया, मैं कह नहीं सकता इस एक कस्टम ड्यूटी कम करने के कारण से आज जिन्होंने तेल व्यवसाय चालू कर रखा है उनको सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। यह आज जो प्राइवेट सैक्टर भी आ रहा है, यह केवल पूंजी लगाने के लिए नहीं आ रहा है। यह डालर और पौण्ड लेकर नहीं आ रहा है कि अपने डालर्स और पौण्ड्स लगा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दें। उनके देश में जो माल मैनुफैक्चर होता है उस माल को हिन्दुस्तान में मार्केटिंग के लिए लाते हैं और उस मार्केटिंग में लाने के साथ-साथ पूंजी के विनियोजन की चर्चा करते हैं तो आप यह मत समझें कि आज मैं कह रहा हूं, धीरे-धीरे आपको पता लग जाएगा कि जितने भी लोग इस टैक्स का लाभ उठाकर आ रहे हैं वह हिन्दुस्तान में इन्वेस्टमेंट तो करेंगे ही लेकिन अपनी कम्पनियों का माल बेचने का धन्धा उनका प्रमुख रूप से रहेगा। अब रहा कि आप इसमें सावधान रहें। कोई भी कांस्टीट्यूशन का अमेण्डमेण्ट आएगा तो रेटिफिकेशन तो इस हाउस से कराना पड़ेगा। कांस्टीट्यूशनल अमेण्डमेण्ट करने के पहले बजट स्पीच में कहा गया है कि हम एक्सपर्ट्स से भी ओपीनियन लेंगे, इकानामिस्ट्स की एक कमेटी बनाएंगे। मुझे यह भी कहा गया है कि इसमें चीफ मिनिस्टर्स की भी राय ली जाएगी। उस समय हम चीफ मिनिस्टर्स मिलकर जो कुछ भी इसमें कन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं स्टेट्स के हित में, उतना कन्ट्रीब्यूशन करने के लिए मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह मैं इसलिए कह रहा हूं ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : रेटिफिकेशन के लिए फिर सैशन बुलाना पड़ेगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां।

श्री परसराम मदेरणा : They are not amending the Constitution. उससे पहले उन्होंने एक टीम बनाने की बात कही है एक्सपर्ट्स की, उसमें आपको एसोसिएट करेंगे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : There will be an amendment in the Constitution to provide for the recommendations of the Finance Commission-through an alternative scheme. Rest assured for that. If there is an constitutional amendment....

श्री चन्दनमल बैद : और सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स विरोध करेंगे और केवल एक चीफ मिनिस्टर ने इसकी तारीफ की है और उसकी मांग की है और वह है राजस्थान। बाकी सारे चीफ मिनिस्टर्स ने विरोध किया है। 29 का विरोध किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्टेट्स में दो तरह की स्थिति है। कई जैसा मैंने बताया कि घाटे वाले हैं उनको टी. एफ. सी. से सहायता मिलती है वह मेरे साथ क्यों खड़े होंगे ? उनको तो फाइनेन्शियल मिस मैनेजमेन्ट करना है जिससे टी. एफ. सी. से पैसा मिल जाए। मेरा दृष्टिकोण है फाइनेन्शियल मिस मैनेजमेन्ट ठीक करना और करने के बाद में पैसा लेना। दोनों में बहुत बड़ा अन्तर है।

श्री परसराम मदेरणा : आपके और हमारे दृष्टिकोण में बहुत बड़ा अन्तर है। अन्तर इसलिए है कि कल जो बजट आया उसमें यह कौन कम्पनीज अपना माल बेचे और यहां आकर बाजार के अन्दर लोगों को लूटें, यह लैफ्ट फ्रंट वाले कभी इसको बरदाश्त करने वाले नहीं हैं। इन्होंने कल यह बात कही, this is a balanced Budget। एप्रोज जो हुई वह इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के चैलेंज को मीट आउट किया है, सोशल सैक्टर के चैलेंज को मीट आउट

(श्री परसराम मदेरणा)

किया है और एम्प्लायमेंट के चैलेंज को मीट आउट किया है। अब यह बात है कि यह एक पार्टी है हिन्दुस्तान में, भारतीय जनता पार्टी, वह उसका विरोध कर रही है। उस विरोध को किस तरह से येन-केन-प्रकारेण से अनकन्वींसिग आर्ग्यूमेंट और लॉजिक एडवांस करके इस सदन को, हमको कन्वीस करना चाहते हैं। आपके और हमारे दृष्टिकोण में भारी अन्तर है और कहीं मीटिंग पाइंट नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी यह समझ में नहीं आया।

श्री परसराम मदेरणा : आपने यह कहा न कि कांग्रेस सरकार के बजट और आर्थिक पालिसी के नक्शे कदम पर यह बजट है। यह लैफ्ट फ्रंट वाले नहीं कह रहे हैं, आपकी पार्टी कह रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बी. जे. पी. कह रही है। बी. जे. पी. तो तारीफ कर रही है, आप उसमें भी बुरा मानते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : पालिटिकल मोटिव है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपके नक्शे कदम पर चलने की बात कह रहे हैं, आपका उदाहरण दे रहे हैं, आपको आदर्श मानकर कह रहे हैं इसमें कहां दिक्कत आ रही है आपको ?

श्री चन्दनमल बैद : आप क्यों कह रहे हैं वह हम समझ रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आपको तो जवाब देना पड़ेगा। आपको जवाब यों देना पड़ेगा, मुख्य मन्त्रीजी, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिये। आपने परसों एक स्टेटमेंट दिया.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : छोड़ो परसों के स्टेटमेंट को।

श्री परसराम मदेरणा : आपको भी थोड़ा विश्राम देता हूं। इन्होंने स्टेटमेंट यह दिया कि भैरोंसिंह जी का कोई विकल्प नहीं है। मुझे इतने दिन मालूम ही नहीं था कि यह बी. जे. पी. का उपाध्यक्ष डिस्सिडेंट है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गलत सूचना है।

श्री परसराम मदेरणा : मेरी बात सुनिये। अखबारों में बार-बार यह आ रहा था कि यह मंत्री हमारा कहना नहीं मानते, यह स्वच्छंद हो गये हैं। पहले तो आप बोले नहीं, पहले तो इन पर अंकुश नहीं रखा; महावत को ऊपर नहीं लगाया और अब यह मदमस्त हाथी हो गये, आपके पास में अंकुश भी नहीं रहा। आपने खुद ने यह गलती की है इसलिये मैं एक शेर पढ़ता हूं —

'शिकवा सय्याद का, ऐ बुलबुले नाशान न कर।
तू गिरफ्तार हुई है अपनी सत्ता के बायस।'

गिरफ्तार खुद हुए हो तो अब आपको बुलबुले नाशाद करने से क्या मतलब है। इतने साल तो चुप रहे और अब कह रहे हो कि हम कैद हो गये। तो पिंजरे का पंछी है तेरा दर्द न जाने कोई।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : मदेरणा साहब ने जो शेर पढ़ा वह किसी की

(128)

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

समझ में नहीं आया। मेरी तो समझ में आ गया, मैं उर्दू समझता हूं। लेकिन मैं जो शेर पढ़ूंगा वह सबके समझ में आएगा। आपने यह दावा किया था कि 25 की 25 लोक सभा की सीटें हम जीतेंगे और एक ही बार नहीं, रिपीटेडली हर आम सभा में आपने यह वादा भी किया था। नतीजा यह रहा कि 12 आप और 12+1=13 हम। तिवारी हो, चाहे कोई सी भी हो कांग्रेस है, मैजोरिटी हमारी रही। शेर यह था कि देखिये आपके लिये जमीन तंग होती जा रही है; घनश्याम जी, आप मेरा शेर सुनो, यह रोज अखबारों में आपके बारे में, आपके संगठन के बारे में जो चित्रण आता है न, उसको पढ़कर हमारा भी माथा ठनकता है। शेर यह है, कुमार कहता है :—

"तंग धरती है, कदम अपने जमाये रखो।
आसमां बोझ सही, सर पर उठाये रखो।।"

धन्यवाद तो दे दो। इसमें क्या कंजूसी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी जब परसराम जी और श्रीमान् धारीवालजी शेर सुना रहे थे तो बजट स्पीच को मैं पढ़ रहा था कि कहीं इसमें तो यह शेर नहीं आ गये नहीं तो मुझे इसका भी जवाब देना पड़ेगा।

मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि यह जो मैटर है वह अपने आप में जिस प्रकार का है उस मैटर के बारे में चाहे राजस्थान अकेली स्टेट हो, चाहे कोई हो, मैं आपको विश्वास दे सकता हूं कि राजस्थान के हित में होगा वही मैं स्वीकार करूंगा और वही कदम आगे बढ़ाऊंगा जिससे राजस्थान की जनता का हित हो सके। मैं अपनी जिद के कारण से कोई ऐसा काम नहीं करने वाला। यदि यह भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि यदि इधर से हमको कुछ मिल जाये तो लेने की कोशिश करें, इसके पीछे और कोई दूसरा भाव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अभी आपने देखा होगा, मुझे याद है कि पुराने जितने भी स्टेट गवर्नमेन्ट की तरफ से फाइनेंस कमीशन को मेमोरन्डम गये हैं उनमें सब में, कइयों को तो मैंने देखा है, सब की तो मैं नहीं कह सकता, कइयों में इस बात पर जोर दिया गया है कि एडमिनिस्टर्ड प्राइसेज में राज्यों का हिस्सा होना चाहिए। अब आपको मालूम है कि पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो कीमत बढ़ायी है, 8 हजार करोड़ रुपये पैट्रोलियम पूल में उन्होंने जमा किये हैं। 8 हजार करोड़ में राजस्थान को एक पैसा नहीं मिलेगा, किसी राज्य को एक पैसा नहीं मिलेगा। लगभग 700-800 करोड़ रुपये का रेलवे का भाड़ा बढ़ा दिया उसमें एक पैसा हमको नहीं मिलेगा। अब कोशिश तो यह है कि सैण्ट्रल गवर्नमेन्ट के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज में जो कांस्टीट्यूशन में व्यवस्था कर दी उसके बाहर जाने की आवश्यकता है। यह नैट लम्बा किया जाए ताकि स्टेट को भी कुछ सहायता मिले।

अध्यक्ष महोदय, एक फंडामेंटल डिफरेंस है हिन्दुस्तान में और बाकी के अन्य देशों में। हिन्दुस्तान में राज्य सरकारें हैं और केन्द्र सरकार है। कई देश तो ऐसे हैं कि उनकी फेडरल गवर्नमेन्ट, सारी स्टेट्स ने मिलकर सैण्ट्रल गवर्नमेन्ट बनायी है, जैसे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अमरीका में है। अमरीका में अलग-अलग स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स ने कांस्टीट्यूशन बनाया और बनाकर सैण्ट्रल गवर्नमेन्ट का ढांचा खड़ा किया। उन स्टेट्स के पास अपने अधिकार हैं, अपनी पुलिस है, अपनी जुडिशियरी है। वह उसी प्रकार से इन्टेक्ट चल रही हैं, थोड़ा बहुत कुछ परिवर्तन होता है। हिन्दुस्तान में इसके विपरीत हुआ। हिन्दुस्तान में सैण्ट्रल गवर्नमेन्ट पहले बनी है और बाद में स्टेट्स का ढांचा खड़ा किया गया है। तो वहां से हमें पावर्स लेनी पड़ती हैं, वहां हमें साधन लेना पड़ता है। यह फण्डामेन्टल कवेश्चन है जिसका जवाब हिन्दुस्तान की जनता को एक दिन बैठकर तय करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि सैण्ट्रल गवर्नमेन्ट से आप पावर्स की मांग करते हैं, सैण्ट्रल गवर्नमेन्ट को कमजोर करना चाहते हैं। मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि सैण्ट्रल गवर्नमेन्ट कमजोर हो। मेरी यह मान्यता है कि राज्य सरकारें जितनी मजबूत होंगी उतना ही केन्द्र मजबूत होगा। राज्य सरकारें यदि पंगु हो गयीं तो केन्द्र मजबूत होकर भी पंगु रहेगा। ऐसी स्थिति में चाहे फाइनेन्शियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे बाकी के पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, वह इस आधार पर हमको तय करना पड़ेगा कि स्टेट अपने पैरों पर किस प्रकार से खड़ी हो जाये, स्टेट के ऊपर जो लाइबिलिटी आ रही है उस लाइबिलिटी को आफसेट किस प्रकार से किया जाये। इस सम्बन्ध में भारत सरकार और राज्यों को नये सिरे से विचार करना पड़ेगा। भारत सरकार ने पहले सरकारिया आयोग अपाइंट किया उस समय भी यही प्रश्न उठा था। सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट शायद 87 या 88 में आई। उस रिपोर्ट के आने के बाद में रिपोर्ट की रिकमंडेशंस आज तक लागू नहीं हुई तो निश्चित रूप से स्टेट में डिस्सैटिस्फेक्शन होगा। कई प्रकार टैक्सेज का मामला था, कई रॉयल्टी के मामले थे, कई मामले प्रोजेक्ट के क्लीयरेंस के थे, कई पालिटिकल इश्यूज थे। लेकिन आज तो इससे और भी ज्यादा मांगे बढ़ गयीं कि स्टेट और सेण्टर के बीच में किस प्रकार के रिलेशंस रहें। मुझे इस बात की खुशी है कि पहले नरसिंहरावजी ने एक दो बार मीटिंग बुलाई कि सरकारिया कमीशन को कैसे लागू किया जाए और लागू करने के लिए सब-कमेटी बनाई। उस सब-कमेटी का मैं भी सदस्य था। कई गम्भीर चिन्तन के बाद भी उस पर कोई निर्णय नहीं हो सका।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं होगा। सैण्टर को कमजोर नहीं किया जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कमजोरी की बात है, वह अपने-अपने सिद्धांत है। मैं तो समझता हूं कि स्टेट्स मजबूत होगी तो सैण्ट्रल गवर्नमेन्ट मजबूत होगी।

श्री चन्दनमल बैद : वह तो रूस में देख लीजिए कि क्या हुआ। इतिहास से सबक अगर आप नहीं लेना चाहते तो....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रूस में ताकत के बल पर इंटिग्रेशन किया गया था।

श्री अमराराम (धोद) : रूस में इसलिए नहीं हुआ कि स्टेट्स को ज्यादा मजबूत कर

(श्री अमराराम)

दिया। उसके कई कारण हैं। स्टेट मजबूत होने चाहिए जब ही देश मजबूत होगा।

श्री परसराम मदेरणा : अब हिन्दुस्तान का परिदृश्य यह है, दो तो आपकी पार्टी की सरकारें, इधर आन्ध्र में सरकार....

श्री अमराराम (धोद) : तीन हमारे हैं। त्रिपुरा, केरल और बंगाल। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : हां, तो त्रिपुरा वगैरह तो छोड़िये और इधर तेलगूदेशम, और इधर डी.एम.के. और टी.एम.सी. और इधर ए.जी.पी. और हरियाणा विकास पार्टी तो इनकी ही है, मान लो बी.जे.पी., यह मिल जाएंगे इसलिए बाकी मामलों में तो आप खिलाफत करते हैं और इस मामले में मुझे दिखता है कि (व्यवधान) नहीं-नहीं, वह मैं नहीं कह रहा हूं। आप जब खड़े हुए ना तो यह अपनी पार्टी का पाइंट आफ व्यू रख रहे थे और पार्टी का पाइंट आफ व्यू में अब सरकारिया कमीशन इतने दिन तो दबा हुआ था लेकिन अब सरफेस पर तो आया है।

श्री चन्दनमल बैद : है क्या वह ?

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, है, वह काफी है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि इसके ऊपर....

श्री परसराम मदेरणा : इसमें डिविजिबल पूल का भी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, वह ठीक है। वह डिविजिबल पूल का भी है। मैं इसके ऊपर चर्चा में आगे नहीं बढ़ना चाहता। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि स्टेट्स की फाइनेंशिय पोजिशन जिस प्रकार की है, स्टेट्स का जिस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन है और उसमें सैंट्रल गवर्नमेन्ट के कानून से जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए और इस प्रयास की दृष्टि से ही मैंने सारी बात रखी है। मैं ऐसा समझता हूं, अभी मैं आज लाया नहीं, मुझे पता नहीं था कि यह प्रश्न आयेगा पहले की सरकारों ने भी इस प्रकार के कमिटमेन्ट किये हैं। आपने भी खुद ने कई टैक्सेज के मामलों में सुझाव दिये हैं कि यह टैक्सेज भारत सरकार नहीं ले, यह टैक्सेज हमको ही लेने चाहिए। वे कई बातें हैं, उनकी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल इसलिए निवेदन कर रहा था कि आज स्टेट्स की हालत कोई अच्छी नहीं है। अब मैं सैंट्रल गवर्नमेन्ट की हालत को भी अच्छा मानूं, मैं यह कहने को तैयार नहीं हूं....

श्री रामनारायण चौधरी : अच्छी किसकी है, यह बताओ आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छी अपनी है।

श्री चन्दनमल बैद : आपकी कहां अच्छी है। आप तो बीमार हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी कल बैदजी कह रहे थे, राजस्थान में ब्याज की अदायगी का राजस्व व्यय के अनुपात 19 प्रतिशत आपने दिया और इससे दिवाला

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

निकल रहा है, यह बता दिया। अब मैं आपकी जानकारी के लिए....

श्री चन्दनमल बैद : मुख्य मन्त्रीजी, आप कहें मेरी बात को लेकिन मैंने जो कहा है वह कहिये। मैंने कहा कि फाइनेंशियल स्ट्रेस पर आ गये हैं, यह अच्छी बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, अच्छी बात नहीं है, यह मैं खुद स्वीकार करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : दिवालियापन का नहीं कहा इन्होंने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, वह आप नहीं थे ना। उन्होंने साधु को हलवा खिलाकर कमंडल देकर भेज दिया। वह तो ठीक है, मैं तो कमंडल लेकर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा लेकिन आपको कमंडल दे दिया है, वह लेकर घूमते रहो।

श्री परसराम मदेरणा : इनको चिन्ता इस बात की है कि 1600 करोड़ के सैल्स टैक्स, और 1500 कुछ करोड़ का ब्याज, 93 प्रतिशत सैल्स टैक्स और गाय दूब री गंडक न नौकरी दी की बात है। ब्याज में दे रहे हैं सब इसलिए इनको चिन्ता है। अब आप यह समझते हो कि नहीं मैं तो, तो मत करो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, चिन्ता है, चिन्ता है।

श्री परसराम मदेरणा इन्होंने कहा कि समझदारी नहीं है। मैंने पढ़ा है, उन्होंने दिवालियापन का वर्ड यूज नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत नहीं-नहीं, इन्होंने जो बात कही है, मैं खुद ही कहता हूं कि इन्होंने जो बात कही है इससे मैं सावधान हुआ हूं।

श्री परसराम मदेरणा इन्होंने कहा कि यह आपके लिए चिन्ता का विषय है, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं और उचित नहीं है, आप इसको देखिये। यह बात कही है। वह दिवालियापन का वर्ड यूज नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत और, जाने दीजिये, बहुत अच्छा है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा था, हमारे यहां तो 19 प्रतिशत है और भारत सरकार के बजट के कारण से आंकड़े निकालें तो कितना है, 37.01 प्रतिशत। 37.01 प्रतिशत तो भारत सरकार का है और हमारा 19 प्रतिशत है, 18 प्रतिशत ज्यादा है और स्ट्रेस लेवल पर आ गये हम, उसकी कोशिश करेंगे लेकिन ये कोशिश कितनी करेंगे? मैं अब निवेदन करना चाहता हूं....

श्री चन्दनमल बैद : उनके पास रिजर्व बैंक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, वह ठीक है। रिजर्व बैंक नोट छापेगा, इन्फ्लेशन होगा, चीजों के भाव बढ़ेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : आप भारत सरकार के आंकड़ों को लेकर, पहले तो हमारी सरकार थी, तब आपको यह बताता मिला हुआ था, अब आपने यह दूसरी स्टेटों की तुलनात्मक बात रखकर, मोटी रातां रा मोट गरदां, भारत सरकार री बात करें है। उनका दो लाख करोड़ का तो बजट है

(132)

(श्री परसराम मदेरणा)

और यहां छह हजार करोड़ रुपये से आप 12 हजार करोड़ पर आये हैं छह साल में। दो हजार करोड़ का आपका टोटल कंसोलिडेटेड बजट है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इससे तो अच्छा होता, परसरामजी, आप भाषण दे लेते।

श्री परसराम मदेरणा : कहां तो 12 हजार करोड़ और कहां ढाई लाख करोड़ और....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं केवल फिगर्स बता रहा हूं, यहां कोई एडवर्स कमेंट्स करना, यह मेरी इच्छा नहीं है। मैं वस्तुस्थिति बता रहा हूं जो मैंने कल के बजट से देखी है। ब्याज और ऋण का पुनर्भुगतान, राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्थान में है 23.63 और भारत सरकार का है 98.63। अब इससे अंदाज लगा लें और इसी तरह से केवल ब्याज की देनदारियां राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में 20.2 प्रतिशत राजस्थान में और 46 प्रतिशत केन्द्र में है। कुल योजना व्यय में राजस्व खाते का व्यय राजस्थान में 31.37 प्रतिशत है और 61.20 प्रतिशत भारत सरकार में है। पूंजीगत व्यय राजस्थान में 68.13 प्रतिशत है और भारत सरकार में है 28.8 प्रतिशत केवल। अब इससे अंदाज लगा लें। हमारी स्थिति चिन्ताजनक जरूर है, इसमें कोई सन्देह नहीं, हमें उस लेवल से नीचे रहना चाहिये लेकिन....

श्री चन्दनमल बैद : आप चिन्ता बिलकुल मत कीजिये, आप तो आगे बढ़ते जाइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बताता हूं कि मैं आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, राजस्थान आगे बढ़ रहा है, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।

श्री चन्दनमल बैद : राजस्थान को आगे बढ़ाने में आपका जितना हाथ है, उतना हमारा भी हाथ है। आप यह मत समझिये कि आपने ही बढ़ाया है। हमने बढ़ाया है और आप इसको धीरे–धीरे उलटा कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैं मानता हूं। मैं तो 1990–91 में आया हूं, चन्दनमलजी।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्रीजी, मेरी आपसे बहुत ही करबद्ध निवेदन है, एक काम कीजिए आप कि 1990 तक जो भी इकानामिक सैक्टर में, सोशल सैक्टर में काम हुए, बिजली में, सचार में, परिवहन में, राजस्थान के चार नक्शे बनाइये और उसमें अलग–अलग कलर दे दीजिए, एक सड़क का बनाइये, एक स्कूल का और शिक्षा का बनाइये, तीसरा बिजली का बनाइये.... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : यह आपका चीफ व्हिप है, इसको कुछ पता ही नहीं है। आपको यह मालूम है कि चम्बल योजना है, जवाहर सागर और गांधी सागर, दोनों को मिलाने के बाद में पानी का इम्पाउंडमेंट आता है 10 करोड़ एम.ए.एफ. के आसपास, तो न तो गोविन्द सागर में है, न पौंग में है। यह योजना आपने बनायी ? "तौल रहे थे ताकड़ी," आपने बनायी थी क्या ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक नक्शा और बनवा लें भ्रष्टाचार का । 1990 तक कितना भ्रष्टाचार था और 1990 के बाद अब कितना भ्रष्टाचार है ।

श्री अध्यक्ष : धारीवाल साहब, आप विराजिये ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह मैंने कभी नहीं कहा कि 1947 से लेकर 1990-91 तक, ढाई साल हम भी बीच आए थे 1977-80 तक, इस राजस्थान में कुछ हुआ । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हुआ है ।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, मैं यह नहीं कहता, हुआ तो है पर हमारे वाला देखोगे ना, You will pale into insignificance.

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं एक और बता दूं आपको । आप वाला मैं देखकर आपका समय नहीं लेना चाहता । मैंने आपके सामने कई बार आंकड़े रखे हैं । आखिर योजना से पता लगता है, कैपटिल इन्वेस्टमेंट से पता लगता है, आपने कितनी असेट्स बनायीं उससे पता लगता है । यही तो चीजें हैं जिसके आधार पर असेसमेंट कर सकते हैं कि पिछले वर्षों में कितना हुआ और कितना नहीं हुआ । मैं नहीं कह सकता कि आज जो पांच वर्षों में होगा, वह आगे नहीं बढ़ेगा । वह बढ़ाने के लिए तो हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन बढ़ाने की जो गति है, उस गति के लिए जितने फण्ड्स की आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति करना बहुत आवश्यक है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सबको चिन्ता है कि फिस्कल डेफिसिट क्यों हुआ । उसके पीछे कुछ कारण हैं । योजना क आकार में 750 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जो बजट में परिलक्षित की हुई है । प्लान रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में 306.73 करोड़ रुपये टी. एफ. सी. के द्वारा नहीं दिये, जो पहले मिली थी और नहीं दी और न ही केन्द्र सरकार के द्वारा अन्य रूप में प्रतिपूर्ति की गयी, बावजूद योजना आयोग के आश्वासन के यह नहीं दिया गया । नान प्लान रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 98 करोड़ रुपये से घटकर 33.45 प्रतिशत रह गयी और इस साल वह भी बंद हो गयी । योजना वित्त पोषण के लिये ऋण लेने पर, बोरोइंग्स की सीलिंग भारत सरकार ने तय की है । वह राजस्थान की वित्तीय स्थिति, क्रेडिबिलिटी और एब्जोर्प्शन कैपेसिटी, देश की अर्थव्यवस्था की उपलब्ध लिक्विडिटी को ध्यान में रखकर सीलिंग देते हैं । भारत सरकार से प्राप्त योजना वित्त पोषण से सहायता स्वयं ही 70 प्रतिशत ऋण के रूप में दी जाती है, वह भी अनुदान नहीं मिलता है । हमारे द्वारा ब्याज या मूल के भुगतान में कभी कोई डिफाल्ट नहीं किया गया । यह इस बात की क्रेडिबिलिटी का संकेत है कि हमें इस योजना के पोषण के लिये चाहे भारत सरकार ने दिया हो, चाहे और कहीं से लाये हों, यह सारी व्यवस्था इस आधार पर की है और आपको अन्त में इस सारे....

श्री चन्दनमल बैद : माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं जरा माफी चाहता हूं, आपके सत्ता पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि फिस्कल डेफिसिट 2300 कुछ है

(श्री चन्दनमल बैद)

और मैंने फिगर्स दिये थे कि 3800 करोड़ का है, मैं जरा जानना चाहता हूं कि आपका वित्त विभाग क्या कह रहा है इस बारे में ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब वह आपको बाद में बताऊंगा, अभी जोड़-बाकी लगाने का समय मेरे पास नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : एप्रोप्रिएशन बिल पर बता दें। अभी तो जनरल डिस्कशन ही हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह एप्रोप्रिएशन बिल पर ही तो हो रही है ना।

श्री परसराम मदेरणा : यह बजट थोड़ा ही है ?

श्री अध्यक्ष : एप्रोप्रिएशन पर ही चल रहा है।

श्री महावीरप्रसाद जैन : एप्रोप्रिएशन बिल पर ही चर्चा है, उसी का उत्तर है।

श्री परसराम मदेरणा : क्या, थर्ड स्टेज ? विचारार्थ है जनाब, आप रखेंगे न कि पारित कीजिए, हम कहेंगे–नहीं। यह विचारार्थ चल रहा है। पारित आने दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, विचारार्थ चल रहा है। नहीं, आप काहे को कोशिश कर रहे हो, खतम करो, इतनी सी बात से आप प्रवोक हो गये, कोई जरूरत नहीं है उसकी।

अध्यक्ष महोदय, जो चन्दनमलजी ने पूछे थे वह आंकड़े मेरे पास हैं, मैं आपको दे दूंगा।

श्री चन्दनमल बैद : मुझे नहीं चाहिये आपके आंकड़े, मैं तो हाउस में आपका कमिटमेंट चाहता था क्योंकि आपके फाइनेंस सैक्रेटरी साहब भी इस मुगालते में थे कि 2300 का है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, 2887 का है।

श्री चन्दनमल बैद : 3800 का है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, वह तो आप जो पूछ रहे हैं, वह है। मैं तो टोटल बता रहा हूं, आल एक्सपेंडीचर इंक्लूडिंग लोन। मैं इसलिए कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, कि इस सारी स्थिति में जो कुछ भी व्यवस्थाएं की हैं, जो कुछ हुआ है उस सम्बन्ध में हमारी सब की एक इच्छा है कि राज्य में विकास के काम हों, राजस्थान प्रगति करे। उसके लिए कल बैदजी ने भी कहा और सदन के कई माननीय सदस्यों ने कहा। मैं ऐसा समझता हूं कि वह एक विचारणीय विषय है। विचारणीय विषय इसलिये है कि इण्डियन कौंसिल आफ रिसर्च फार इन्टरनेशनल इकानामिक रिलेशन्स ने श्री आर. एन. मल्होत्रा, फॉर्मर गवर्नर आफ आर. बी. आई. के तत्वावधान में सभी राज्यों का अध्ययन किया और उस अध्ययन का रिजल्ट यह निकला कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति अनुदान 836 रुपये था जो राष्ट्रीय औसत 742 रुपये से अधिक है। सब्सिडी का एलीमेंट राजस्थान में बहुत है। अब उसी स्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यह 242 रुपये पर केपिटा है जबकि राष्ट्रीय औसत केवल 200 रुपये पर केपिटा है। राज्य के कुल अनुदान का 71 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रित रहा। हमारा औसत प्रति व्यक्ति 771 रुपये था जबकि राष्ट्रीय औसत 492 रुपये था। अब ऐसी स्थिति में जब हम विकास भी करना चाहते हैं, सब्सिडीज को भी चालू करना चाहते हैं तो अब यह तीन क्वेश्चन्स हैं, आज जितने भी फारेन कम्पनीज आती हैं, चाहे बिजली के क्षेत्र में आएं, चाहे पानी के क्षेत्र में आएं, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में आएं, चाहे इन्फ्रास्ट्रचर के क्षेत्र में आएं, चाहे रोड के क्षेत्र में आएं, वह एक कमिटमेंट चाहती हैं और कमिटमेंट यह चाहती हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं, बिजली पैदा कर रहे हैं, उतनी बिजली एग्रीमेंट के हिसाब से जो रेट तय हुई है उस रेट के आधार पर आर. एस. ई. बी. की खरीदने की क्षमता है या नहीं, सिंचाई में यदि बांध बनते हैं और उसमें यदि फारेन एड लेते हैं तो देने वाला यह कमिटमेंट लेता है, यह गारण्टी लेता है कि इसमें जितना खर्चा होगा उस खर्चे की अदायगी करने के लिए आप तो हां भर रहे हो लेकिन अदायगी करेंगे कहां से, आपका सिंचाई शुल्क इसकी पूर्ति कर सकता है या नहीं कर सकता है। आज इसी तरह चाहे बीसलपुर हो, चाहे कोई योजना हो, जो ड्रिंकिंग वाटर की स्कीम्स बनी हुई हैं उन स्कीम्स में भी इस प्रकार की समस्या खड़ी हो रही है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि रिस्की है यह बात सही है, लेकिन जनता का इसमें सहयोग मिलेगा और सहयोग मिलेगा तभी यह योजनाएं पूरी की पूरी कामयाब हो सकती हैं।

आज प्रश्न आता है बिजली का। बिजली में अगर हम कोई रेट नहीं बढ़ाएंगे तो समस्या खड़ी होगी। सिंचाई में यदि रेट नहीं बढ़ाएंगे तो जैसे माननीय सदस्य सुबह प्रश्नों के ऊपर पूछ रहे थे कि टेल एण्ड पर सफाई नहीं होती, मेन्टीनेंस की कास्ट भी यदि हम वसूल नहीं कर पाए तो इरिगेशन से जितने ज्यादा लोगों को लाभ हो सकता है, उतना लाभ नहीं हो पाएगा। इस दृष्टि से मैं आज तो कुछ कह नहीं सकता, मैं भी इसका अध्ययन कर रहा हूं, लेकिन इस कमी की पूर्ति करना मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है और इस कमी की पूर्ति करनी पड़ेगी। मैं चाहूंगा कि सदन का इसमें पूरी तरह से सहयोग मिले।

अध्यक्ष महोदय, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, चाहे कुछ हो, आज यातायात का मामला है, डीजल की एकदम कीमत बढ़ गयी, यह तो घाटे में चली जाएगी। आज उसी तरह भारत सरकार ने नेफ्था की कीमत बढ़ा दी। अब नेफ्था आधारित बिजली के संयंत्र सारे हिन्दुस्तान में हैं, बिजली का खर्चा उस पर बढ़ेगा, कीमतें बढ़ेंगी। इन सब बातों पर विचार करने के लिए राज्य सरकार भी प्रयत्न कर रही है, राज्य सरकार कुछ मामलों में नतीजों पर भी पहुंची है और मैं खुद यह भी चाहता हूं मैंने भारत सरकार को भी निवेदन किया है, कई मुख्य मन्त्रियों से भी निवेदन किया कि हम सब्सिडी के सम्बन्ध में एक तय कर लें, पानी का मामला है-कितना सब्सिडाइज करना है, बिजली का मामला है-कितनी सब्सिडी देनी है, सिंचाई का मामला है-कितनी सब्सिडी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

देनी है, उस लिमिट तक यदि सब्सिडी का अमाउण्ट सीमित रह जाए और बाकी का खर्चा पूरा वसूल हो जाए तो राजस्थान में न बिजली की कमी रहेगी, न सिंचाई की कमी रहेगी और न पानी की कमी रहेगी। इस दृष्टि से यह विचार मैंने पहले भी इस सदन के सामने रखा था और मुझे खुशी हुई, कई माननीय सदस्यों ने यहां तक कहा, हमें तो बिजली चाहिए, पैसों से कोई मतलब नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : किसने कहा ? नाम बताओ जरा।

श्री चन्दनमल बैद : अन्त में मेरी ही राय पर आए आप। मेरे को बुरा कहते-कहते अन्त में मैंने जो राय दी उसी पर आए आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मान रहा हूं, आपकी राय को लेकर मैं चल रहा हूं। आखिर आप फाइनेंस मिनिस्टर रहे है पांच-छह-सात वर्षों तक, इसलिए आपकी राय न मानूं, मैं ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता हूं। लेकिन आपकी राय मानने से कांग्रेस पार्टी के सदस्य तो आपके साथ हो जाएंगे, वह कम्युनिस्ट तो साथ नहीं होंगे। इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं....

श्री अमराराम (धोद) : नहीं हैं, साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आज इस सारी स्थिति में यह भी कुछ करना पड़ेगा जिसके कारण से राजस्थान में बिजली का विस्तार हो और बाकी की सब चीजें चलें।

अध्यक्ष महोदय, इस सारे बजट की प्रक्रिया में कुछ टैक्सेज के मामले में कहना चाहता हूं, जगह-जगह से मेरे पास ज्ञापन आए हैं, उसके लिए मैं इजाजत चाहता हूं कि पढ़ कर सुना दूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : रेवेन्यू की बाबत एक सुझाव दे दूं छोटा सा। राजस्थान की रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आपको कुछ कानून में संशोधन करने पड़ेंगे। सैल्स टैक्स का बकाया मेरी फर्म पर है, एक्साइज का बकाया मेरी फर्म पर है, लेकिन एक पार्टनर अपनी रकम जमा कराना चाहता है तो आप जमा क्यों नहीं करते ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : करते....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कहां कर रहे हैं जमा ? नहीं कर रहे हैं आप जमा। आप कहते हैं कि पूरी फर्म की रकम जमा कराएं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, कर लेंगे। कोई कानून में कमी है उस कानून की....

श्री अध्यक्ष : विराजें। विराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इससे स्टेट एक्सचेकर को ही नुकसान होता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नुकसान होगा तो नुकसान नहीं हो, इस बात की व्यवस्था कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 1994-95 में सकल घरेलू उत्पादन का 5.89 प्रतिशत कर राजस्व के रूप में संग्रह किया गया था। गत वर्ष यह हिस्सा बढ़ कर 7.39 हुआ। अब चालू वित्तीय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

वर्ष के दौरान यह और भी बढ़ कर 7.99 प्रतिशत होने का अनुमान है। उपर्युक्त दर देश के सभी राज्यों के औसत, भारत के समकक्ष ही है परन्तु यह स्पष्ट है कि राज्य की जनता पर कर का भार एक सीमा से अधिक नहीं डाला जा सकता। सामान्य आर्थिक व्यवस्था में सुधार होने से आर्थिक ढांचा और सुदृढ़ होगा तथा उससे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी। इससे एक तरफ राज्य के जन साधारण का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा वहीं दूसरी ओर राज्य की राजस्व आय में भी वृद्धि होगी। हमारा प्रयास गत वर्षों में यह रहा है कि कर राजस्व में वृद्धि कर की दर बढ़ा कर नहीं बल्कि एक ओर राज्य का समग्र आर्थिक विकास कर तथा दूसरी ओर करापवंचन को रोक कर तथा की गयी कम दरों के अनुसार व्यवहारियों द्वारा पूरे करों के भुगतान को सुनिश्चित करके की जाए। इस सन्दर्भ में मेरी सरकार का यह प्रयास रहा है कि राज्य के कर ढांचे को सुसंगत व तर्कसंगत बनाया जाए ताकि समाज के गरीब तबके व कमजोर वर्ग पर कर का भार कम से कम हो। इसी नीति के अनुसरण में नये बिक्री कर कानून को सरल तथा सुसंगत बनाया गया, चैक पोस्ट हटाई गयी, कर निर्धारण की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया। ऐसा करते समय आम करदाताओं, व्यापार और उद्योग जगत पर विश्वास व्यक्त किया गया एवं यह आशा की जाती है कि देय कर राज्य के खजाने में पूरा जमा होगा। मुझे खुशी है कि इस विश्वास के अनुकूल परिणाम सामने आ रहे हैं। गत वर्षों में करों में प्रयोगात्मक रूप से कुछ छूटें भी दी गयी हैं। यदि कुछ मदों में उक्त छूटों के परिणाम उत्साहवर्द्धक नहीं रहे तो उस पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर गत 4 वर्षों की बिक्री कर राजस्व प्राप्ति की स्थिति काफी उत्साहवर्द्धक रही है। 1993-94 में बिक्री कर से राजस्व प्राप्ति 1,058 करोड़ रुपये रही जो इसके पूर्व के वर्ष के मुकाबले 14.25% अधिक थी। अगले वर्ष यह राशि 126 करोड़ रुपये की और बढ़ी। इसी प्रकार पिछले वर्ष 1995–96 में यह राशि 1400 करोड़ रुपये की हो गयी जो इसके पूर्व वर्ष के मुकाबले 18.09% अधिक थी। इस वर्ष 225 करोड़ रुपये अधिक, अर्थात 1625 करोड़ रुपये राजस्व का लक्ष्य रखा गया और प्रथम तिमाही की राजस्व प्राप्ति से उम्मीद बनती है कि हम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे।

जैसा कि आपको विदित है, मैंने वर्ष 1996–97 के आय-व्ययक अनुमान दिनांक 15 मार्च, 1996 को प्रस्तुत किये थे। तत्पश्चात् विभिन्न कृषक संगठनों, जन-प्रतिनिधियों, उद्यमियों, व्यापारिक संगठनों व व्यवसायियों एवं राज्य के विकास में रुचि रखने वाले अनेक व्यक्तियों द्वारा करों में कमी करने व छूट प्रदान करने व करों को और तर्कसंगत बनाने के बारे में कतिपय ज्ञापन प्रस्तुत किये गये। इन पर विचार करते समय राज्य के कृषि, व्यापार और औद्योगिक विकास की दिशा में निम्न उद्देश्यों की पूर्ति पर बल दिया गया :—

1. कृषि विकास को बढ़ावा।

138

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

2. आम आदमी के उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर कर दरों में राहत।

3. विभिन्न उद्योग-धन्धों में काम आने वाली वस्तुओं पर कर दर में राहत।

कृषि उपकरण—विलोपित राजस्थान बिक्रीकर अधिनियम, 1954 की अनुसूची में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उल्लिखित कृषि कार्यों में इस्तेमाल किये जाने वाले साधारण व छोटे उपकरण राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 20-4-78 के अन्तर्गत कर से मुक्त थे। राज्य में नया सरलीकृत बिक्री कर अधिनियम, 1994 दिनांक 1-10-95 से लागू किया गया। इस अधिनियम में पुराने अधिनियम के प्रावधान सेविंग क्लॉज के अन्तर्गत यथावत भांति कर मुक्त हैं, किन्तु कुछ क्षेत्रों में भ्रम बना हुआ है कि कृषि उपकरण कर से मुक्त नहीं हैं अतः मैं सरकार की मंशा स्पष्ट करना चाहूंगा कि राजस्थान बिक्रीकर अधिनियम, 1954 की अनुसूची में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उल्लिखित सभी कृषि उपकरणों पर करमुक्ति जारी रहेगी। तदनुसार अधिसूचना जारी की जा रही है।

गोबर के कंडे—राजस्थान सैल्स टैक्स ट्रिब्यूनल के द्वारा एक मुकदमे में दिये गये निर्णय के अनुसार कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा गोबर के कंडों पर कर जमा कराने हेतु नोटिस जारी किये गये।

यह मेरा लगाया हुआ नहीं था। आपका ही लगाया हुआ था। लगाया हुआ आपका था लेकिन गोबर के कंडे वाले आम आदमी परेशान थे। उस समय परेशान थे उस समय तो आपने ध्यान नहीं दिया लेकिन अब यह फैसला हुआ है कि वस्तुतः कंडों का ग्रामीण क्षेत्र में खाद व ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है अतः ग्रामीणों के हितों को ध्यान रखते हुए मैं गोबर के कंडों को दिनांक 28 जून, 1989 से, आज से नहीं जब से आपने लगाया था, पूर्णतः कर मुक्त करना प्रस्तावित करता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : बकरी की मींगणी भी जोड़ दीजिये। बकरी की मींगणी भी काम आती है जलाने के लिए, उसको भी जोड़ दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सूत की रस्सी–वर्ष 1995–96 के बजट में जूट की सूतली एवं मूंज से बनी हुई रस्सी को कर मुक्त किया गया है। सूत की रस्सी भी आम आदमी के उपयोग की वस्तु है अतः जूट की सूतली एवं मूंज की रस्सी की भांति सूत की रस्सी जिस पर वर्तमान में 10% की दर से कर संदेय है, को भी कर मुक्त करना प्रस्तावित करता हूं।

सामान्य उपभोक्ता द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले ग्रे क्लोथ पर कर की दर 10% से घटाकर 27 मार्च, 1995 से 4% किया जाना प्रस्तावित है।

लोहे के बने भगोने आदि पर–अब व कोई कंडा छोड़ा न भगोना छोड़ा। प्रदेश भर तथा विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में लोहे के बने भगोने, गागर व मिल्क केन का उपयोग किया जाता है अभी उन पर 10% की दर से कर देय होता है जबकि स्टेनलेस स्टील के बने बर्तनों पर 2% की दर से कर देय है। मुझे यह विसंगतिपूर्ण लगा है, अतः ग्रामीण क्षेत्रों के हित में और कुटीर उद्योगों को

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बढ़ावा देने हेतु मैं लोहे का भगोना, गागर एवं मिल्क केन पर कर की दर 10% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव करता हूं।

बीमार व्यक्तियों के इलाज में काम आने वाली पट्टियों पर 10% से कर देय है। बहुत पुराना है। मैं इसे भूतलक्षी प्रभाव से कर मुक्त करना प्रस्तावित करता हूं।

1989 में कूलर में प्रयोग किए जाने वाले एक अश्व शक्ति क्षमता वाले वाटर पम्प पर 12% एवं इससे अधिक क्षमता वाले वाटर पम्प सेट पर कर की दर 2.5% निर्धारित थी, किन्तु व्यापारियों द्वारा खरीददारों से एक अश्व शक्ति तक के वाटर पम्प पर केवल 10% की दर से कर वसूल किया गया। अतः दिनांक 23 मार्च, 1989 से दिनांक 6 मार्च, 1994 की अवधि में कर दायित्व बाबत विवादों को समाप्त करने की दृष्टि से मैं उक्त अवधि के लिए संदेय 10% अधिक कर दायित्व को मुक्त किया जाना प्रस्तावित करता हूं। यदि किसी व्यापारी द्वारा अधिक दर पर कर वसूल किया गया तो वापस नहीं किया जायेगा और न ही व व्यापारी के कर निर्धारण योग्य राशि में से कम किया जायेगा।

वर्कशाप मीलों तथा अन्य उद्योगों में काम आने वाली बी बेल्ट एवं पट्टे की कर दर 10% से घटाकर 4% किया जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान नॉन वूवन फेब्रिक्स पर 6% की दर से कर देय है अतः लघु उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु कर दर घटाकर 4% किया जाना प्रस्तावित है।

सबमर्सिबल कॉपर वाइंडिंग वायर का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। इस पर 10% की दर से कर संदेय है जिसे घटाकर 4% करना प्रस्तावित है।

शैक्षणिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ती हुई उपयोगिता के कारण इलेक्ट्रोनिक केलकूलेटर्स की कर दर 10% से घटाकर 40% करना प्रस्तावित है।

उद्योगों में काम आने वाला कोल एश की दर 10% से घटाकर 4% किया जाना प्रस्तावित है।

वर्ष 1995–96 के बजट में खुली एवं ब्रांड चाय की कर दर क्रमशः 4% एवं 10% निर्धारित की गयी थी। स्थानीय व्यापारियों द्वारा स्वयं के नाम से पैकिंग कर बेचने पर अतिरिक्त 10% कर के सम्बन्ध में व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं। अतः वर्ष 1996–97 की रेट सूची में इसे बिना ब्रांड वाली खुली चाय के रूप में दर्शाया गया है। इसके बावजूद व्यापारिक क्षेत्रों में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां महसूस की गयीं। अतः यह स्पष्ट करता हूं कि बिना ब्रांड एवं ब्रांड वाली दोनों प्रकार की खुली चाय पर कर की दर 4% ही होगी।

जैसा कि आपको विदित है, औद्योगिक विकास तथा नयी विद्युत परियोजनाओं से राज्य को आत्मनिर्भर बनाने हेतु राज्य सरकार ने हाल ही में अथक प्रयास किये हैं। प्रयासों के क्रियान्वयन को गति प्रदान करने हेतु नेफ्था को कर मुक्त करने का प्रस्ताव कर रहा हूं। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कर अथवा आस्थगन योजनाएं 1987 एवं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

1989 लागू की गई हैं। 1987 की योजना में यह प्रावधान है कि अगर औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध करापवंचना का प्रकरण साबित हो जाता है तो उसे प्रदत्त लाभ वापस लिया जा सकता है, परन्तु 1989 की योजना में अगर सम्बन्धित व्यवसायी करापवंचना के प्रकरण को कंपाउण्ड करवा लेता है तो पूर्व में प्रदत्त प्रोत्साहन आस्थागन वापस नहीं लिया जाता है। यह सुविधा 1987 के अन्तर्गत स्वीकृत इकाइयों को भी प्रदान करने के उद्देश्य से उन्हें वर्ष 1989 की योजना में स्विच ओवर का लाभ प्रदान करने का प्रावधान प्रस्तावित करता हूं।

ग्वार गम इकाइयां–राज्य में शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी ग्वार गम बनाने वाली इकाइयों को पूँजी विनियोजन के आधार पर क्रय कर से छूट दी गई थी। 15 मार्च, 1996 की बजट घोषणाओं में पूंजी विनियोजन की सीमा को समाप्त करते हुए 31 मार्च, 1997 तक वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने वाली नई शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों को कच्चे माल की प्रथम खरीद से 5 वर्ष के लिए कर से छूट प्रदान की गई थी। अब इससे पूर्व स्थापित शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों को भी कच्चे माल की खरीद पर वर्तमान में लागू 4% की दर से कर में कमी का लाभ 31 मार्च, 2000 तक देने का प्रस्तावित है।

बाल व रोलिंग बेयरिंग–बाल बेयरिंग वर्तमान में सभी प्रकार के बेयरिंग्स की बिक्री पर 12% की दर से कर देय है जो अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है जिससे राज्य के व्यापार में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है। ऊंची दर से करापवंचना की सम्भावनाएं बढ़ती हैं, अतः मैं प्रयोग के तौर पर 31 मार्च, 1997 तक सभी प्रकार के बेयरिंग्स पर राजस्थान बिक्री कर की दर को 12% से घटाकर 6% करना प्रस्तावित करता हूं।

ग्रेनाइट उद्योग–ग्रेनाइट उद्योग में राजस्थान अग्रणी राज्यों में से हैं। मैंने 15 मार्च, 1996 को ग्रेनाइट की वृहद् इकाइयों को राज्य में स्थापना को प्रोत्साहन करने के लिये 1990–99 का विक्रय कर प्रोत्साहन एवं आस्थागन योजनाओं का लाभ प्रदान किया था। वर्तमान ग्रेनाइट पर 16% की दर से कर देय है जो अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक प्रतीत होता है। स्थानीय इकाइयां प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियों में टिक पाएं व रूग्ण होने से बचें, उनमें कार्यरत श्रमिकों का रोजगार अक्षुण्ण रहे, अतः मैं प्रयोग के तौर पर 31 मार्च, 1997 तक वर्तमान दर 16% से घटाकर 12% करना प्रस्तावित करता हूं।

कॉटन यार्न यूनिट–नरमा उत्पादन में राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है जिसके कारण राज्य में सूती धागा उत्पादन करने वाले उद्योगों की अच्छी सम्भावनाएं हैं। वर्तमान में काफी मात्रा में कपास बाहर जा रहा है। इस कच्चे माल का उपयोग राज्य में ही हो एवं मूल्य संवर्द्धित उत्पादित माल ही बाहर जाएं, इसको ध्यान में रखते हुए 31 मार्च, 1997 तक सूती धागे के वाणिज्यिक उत्पादन करने वाली नयी इकाइयां, जिनमें कम से कम 50 करोड़ का पूंजी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

विनियोजन हो तो कच्चे माल की प्रथम खरीद की तिथि से पांच वर्ष के लिए कच्चे माल के रूप में क्रय की गयी कपास का क्रय कर से पूर्णतः छूट देगे का प्रस्ताव रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह मैंने इसलिए किया है कि राजस्थान में स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज किसी प्रकार से पनपें। आखिर रोजगार तो उसी से उपलब्ध होगा।

बड़ी इण्डस्ट्रीज के सम्बन्ध में जैसा मैंने कहा है कि काफी इण्डस्ट्रीज के प्रपोजल्स हमारे पास आए हैं लेकिन प्रपोजल आए हैं तो कुछ प्रपोजल में गलतियां रहती हैं और उन गलतियों को एक साथ बता नहीं पाते या उसमें और कई समस्याएं खड़ी होती हैं। इन सबका निराकरण करने के लिए पिछले कुछ वर्षों के प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में निवेश के लिए उत्साहवर्धक वातावरण बना है और राजस्थान अभी इस दृष्टि से अग्रणी राज्यों में है। मैंने निवेश के लिए नीतिमूलक निर्णयों तथा वृहद परियोजनाओं में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में वांछित गति लाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया है कि मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में एक बोर्ड आफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया जाए। इस बोर्ड के सदस्य सम्बन्धित मन्त्रीगण, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, समिति के सचिव होंगे। इस उच्च स्तरीय समिति की प्रत्येक पक्ष में बैठक होगी ताकि नीति सम्बन्धी और सम्बन्धित आवश्यक निर्णय और बड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार का विलम्ब न हो। आशा है इस बोर्ड के गठन से राज्य सरकार के प्रति विश्वसनीयता और सुदृढ़ होगी। मैं, अध्यक्ष महोदय....

श्री परसराम मदेरणा : यह बोर्ड है कि कम्पनी है? भारत सरकार ने तो कम्पनी की बात कही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह कम्पनी का हमने बोर्ड बना लिया।

श्री परसराम मदेरणा : बोर्ड को तो पावर नहीं होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पावर तो वह जो है वही ले सकेगी पावर।

श्री परसराम मदेरणा : कम्पनी नहीं होगी तो आप पैसे नहीं ले सकेंगे। इसमें फंसो तो सही पैसे में कहीं। आप तो बोर्ड बनाकर....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मुझे फंसाने के लिए.... (व्यवधान) आपने यों ही किया तो मैं ...

श्री परसराम मदेरणा : उन्होंने इन्वेस्टमेंट में कम्पनी बनायी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बनायी है। वह मैं आपको बताऊंगा उसके परिणाम क्या निकलते हैं। हम भी समझ लेंगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों को कि राजस्थान की जिस प्रकार की वित्तीय स्थिति है, ईमानदारी से उसको ठीक करने की कोशिश की गयी है। मैं यह महसूस करता हूं कि जब तक हम किसी प्रकार की रिस्क नहीं उठाएंगे, चाहे कर्ज का हो, चाहे और चीजों में सुधार करने का

(142)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हो, चाहे मितव्ययता का हो, राजस्थान के विकास के लिए वित्त पोषण हम नहीं कर सकेंगे । राजस्थान के लिए हमने योजनाओं में और बाकी कामों में वित्त पोषण नहीं किया तो राजस्थान पीछे रह जाएगा। पीछे रहने का परिणाम यह है कि राजस्थान में यदि इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप नहीं हो तो अब सरकारी सैक्टर तो रहा नहीं, पहले केन्द्रीय सरकार कहती थी मैटल इण्डस्ट्रीज वहां लगाओ, वहां पर यह लगाओ, केन्द्रीय सरकार का यह हस्तक्षेप तो बन्द हो गया, अब पूंजी वालों के सामने है और पूंजी जैसे भारत सरकार ने कहा है कि एक वर्ष में 18 हजार बिलियन डालर्स का इन्वेस्टमेंट हिन्दुस्तान में होना है, अब वह इन्वेस्टमेंट वहां ही होगा जहां इंफ्रास्ट्रक्चर होगा या इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट करने के लिए हम प्रयासरत होंगे । ऐसी स्थिति में राजस्थान में मैं आप सब लोगों का विकास की दृष्टि से सहयोग चाहता हूं । कई बार गलतियां भी हो जाती हैं, उन गलतियों की ओर तो ध्यान नहीं दें लेकिन आपको यह विश्वास देता हूं कि यदि आपने मुझे गलती बताने की कोशिश की या बतायी तो ईमानदारी से दुरुस्त करने की मैं कोशिश करूंगा। आप और हम सब मिलकर राजस्थान के विकास में लग जाएं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री जुबेर खान : माननीय मुख्य मन्त्री जी ट्रैक्टर के ऊपर कुछ सैल्स टैक्स कम कर दीजिए किसानों के लिए ।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार की तरह राजस्थान सरकार भी अगर टैक्स कम कर दे ट्रैक्टर पर तो बड़ी उपलब्धि होगी ।

श्री परसराम मदेरणा : आप बीच-बीच में खड़े हो रहे हैं, चिकने घड़े के असर होने वाला है ? मैं दो प्रश्न मुख्य मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं । बजट जो भारत सरकार में कल प्रस्तुत हुआ और आपकी प्रतिक्रिया भी राजस्थान पत्रिका में पढ़ी, उस राजस्थान पत्रिका में पहले 4 मार्च को मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में आपने भाषण दिया उसके सब्स्टांस राजस्थान के सभी अखबारों में आए थे, उसमें आपने एक बात कही थी । मैं इनसे पहला तो यह प्रश्न पूछ लूं कि यह 2466 करोड़ रुपये जो सोशल सैक्टर में दिये हैं इसमें राजस्थान को कुछ न कुछ हिस्सा तो मिलेगा ? ऊंट के मुंह में जीरा है । मैं समझता हूं कि 60–70 करोड़ के आसपास आपको अमाउण्ट मिलना चाहिए अगर कम से कम मिला तो, और आपका क्या असेसमेंट है ? एक प्रश्न ।

दूसरा, आपने उस कांफ्रेंस में एक बात कही, अभी आप एडमिनिस्टर्ड प्राइसेज के शेयर की बात कर रहे थे, वह भी हमको मिलना चाहिए उधर जब आप बढ़ाते हो तो । आपने उस कांफ्रेंस में कहा, यह सुझाव दिया कि यह हिस्सा प्रतिवर्ष सैंट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम के बारे में 15 से 20 प्रतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि मुद्रास्फीति का इस पर दुष्प्रभाव नहीं पड़े । साढ़े 11 हजार करोड़ का आपका योजना का आकार है । आपने पहला पाइंट दिया इन्वेस्टमेंट का । साढ़े 11 हजार करोड़ की जो योजना है, अगर प्रतिवर्ष इन्फलेशनरी ट्रेण्ड इकॉनामी

(श्री परसराम मदेरणा)

में 15 से 28 प्रतिशत है तो उसकी रियल वैल्यू क्या रह गयी है, यह आपने हमको बताया नहीं ? आप आंकड़े ही आंकड़े बता रहे हो, फिजीकल टार्गेट्स कितने अपील करेंगे ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है जो इन्फ्लेशनरी ट्रेण्ड से जुड़ा हुआ है। 15 तारीख को उप मुख्य मन्त्रीजी ने अपने साक्षात्कार में यह बात कही कि यह विनियोजन जो हो रहा है उसमें 50 पैसा तो कांग्रेस के मिनिस्टर डकार जाते हैं, 25 पैसा ब्यूरोक्रेसी खा जाती है, 25 पैसा ठेकेदार ठोक जाता है तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है 25 प्रतिशत का। अब इन्होंने यह पालिटिकल करप्शन को तो बन्द कर दिया और अब 50 प्रतिशत, एक रुपये में से 50 नये पैसे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। क्या आप उनकी राय से इत्तफाक करते हैं कि आपकी जो साढ़े 11 हजार करोड़ रुपये की योजना है उसमें केवल इन्वेस्टमेंट पौने 6 हजार करोड़ का ही होगा, बाकी डाउन दी ड्रेन ? और हमारे पर लगा दिया चार्ज। मुख्य मन्त्रीजी, इस बारे में आप मौन साधे हुए हैं आचार्य तुलसी की तरह। कल वैद जी ने कोई बात कही थी, मैं कोई किसी पर आरोप जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं है बियोंड दी डिल्ट नहीं लगाता। आप ठोकते थे हमेशा, चाहे आपके पास सबूत है या नहीं हैं, साक्ष्य हैं या नहीं हैं। लेकिन अनर्गल चार्ज कांग्रेस के मिनिस्टर पर लगा देना। उसका परिणाम यह है, राजस्थान का उप मुख्य मन्त्री कहे, 50 प्रतिशत विनियोजन हो रहा है। 50 प्रतिशत अभी तक ठोका जा रहा है ऊपर ही ऊपर। तो इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट कहां हो रहा है, यह तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और आपकी तमाम योजना, आपकी तमाम घोषणा, आपकी तमाम कल्पनाओं पर पानी फिर जाएगा। जहां तक हमारा सवाल है, सुन लीजिए, पण्डितजी, आप। आपने हमारे पर निराधार और असत्य इल्जाम लगाया, आप सुनिये, मैं एक शेर कह रहा हूं—

"एक वह है कि लिए अपनी सूरत को बिगाड़ा है,
एक यह है उन्हें तस्दील बरा आती है।"

मैं बहुत छोटा था तब मैंने पढ़ा था, एक आर्य समाज का भजन जो सिखाया था—

"सती औरत का सत न डिगे,
चाहे कामी लोग ललचाया करें,
और चलते हाथी नहीं रुकें
चाहे कुतिया पूंछ भर्राया करे।"

(15.00)

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक प्रश्न और है, मैं पूछना चाहता हूं। कल पार्लियामेंट में वित्त मन्त्रीजी ने यह कहा, सांसदों के लिए एक करोड़ रुपया जो वे अपनी कांस्टीट्यूएंसी में खर्च करते हैं उसके ऊपर बोले थे तो सब खड़े हो गये और उन्होंने यह कहा कि नहीं-साहब, इसमें 2 करोड़ कीजिये, तो उस पर वित्त मन्त्री ने कहा, मैं यह अध्यक्ष महोदय के विवेक पर छोड़ता हूं। हम भी आपसे यह कहते हैं कि 10 लाख रुपये जो आप देते हो वह हमारी जेब में या किसी की जेब में नहीं जाते, एम. एल. ए. उसको अपनी कांस्टीट्यूएंसी में पी. डब्ल्यू. डी. के मार्फत

(श्री खेतसिंह राठौड़)

या किसी आर्गेनाइजेशन के मार्फत ही खर्च करते हैं उसको आप कम से कम 20 लाख तो कीजिए ।

श्री परसराम मदेरणा : एम. एल. ए. के डिस्क्रिशन पर दे रखा है, मुख्य मन्त्री ने क्या किया है कि पेयजल की योजनाओं के साथ उसको डोवटेलिंग कर दिया है । कहा, और किसी पर नहीं दे सको तो पेयजल पर दो । कोई बात नहीं, ठीक है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है । आपने वहां पर मुख्य मन्त्री कांफ्रेंस में भी यही बात कही है कि आप एक स्कीम को एक साथ लीजिए, एक दफा लीजिए । सब सोशल सैक्टर में नहीं है । सात बिन्दुओं पर चर्चा हुई है । एक ड्रिंकिंग वाटर, दूसरी यूनिवर्सल एजूकेशन, तीसरा हैल्थ केयर, इन तीनों को आइडेंटिफाई किया है राजस्थान के लिए और उस 2466 करोड़ में से कितना मिलेगा, यह तो ब्रेक-अप यहां नहीं आया है लेकिन यह 50 पर्सेण्ट जा रहा है और यह लूट मची हुई है राजस्थान में और राजस्थान का उप मुख्य मन्त्री कह रहा है, खींवसिंह कोजरा । जोकर क्या वो जोकी, मैं भूल गया, मुझे याद नहीं रहा, I am very sorry. इसलिए आप मेहरबानी करके यह बताइए कि ग्राउंड रियलटी में, वास्तव में आपके फिजीकल टार्गेट्स अचीव हो रहे हैं या यह 50 पर्सेण्ट यूं ही जा रहा है ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना निवेदन कर रही थी....

श्री अध्यक्ष : विराजें आप ।

श्री चन्दनमल बैद : एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहता हूं । मैं बाद में पूछ लूंगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप अभी पूछ लें ।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने कल एक बात कही थी कि रेवेन्यू एक्सपेंडीचर के तीन खर्चे हैं-एक खर्चा तो आपका एस्टेब्लिशमेंट का है, दूसरा आपका ब्याज का है और इन दोनों खर्चों के ज्यादा होने के कारण से आपका जो तीसरा खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडीचर पर है अपनी परिसम्पत्तियों के रखरखाव का और सम्भालने का वह नहीं हो पा रहा है और हमारी परिसम्पत्तियां खराब हो रही है ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एक मैं भी । उप मुख्य मन्त्री जी ने काफी गहन अध्ययन के बाद यह बयान दिया कि 25 पर्सेण्ट मन्त्री, 25 पर्सेण्ट सरकारी अधिकारी, और 25 पर्सेण्ट ठेकेदार, तो वर्तमान में क्या रेट है, यह तो बता दीजिए ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अभी विपक्ष के नेता ने कहा कि सैंट्रल गवर्नमेंट ने जो कल बजट पेश किया है उसमें सैंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम मे राजस्थान को कितनी धनराशि मिलने का अनुमान है । मै ऐसा समझता हूं कि 2466 करोड़ रुपये इन्होंने बढ़ाए हैं, सैंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम में, उम्मीद यह करता हूं कि 100 करोड़ रुपये राजस्थान को मिल जाएंगे । ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है । कोशिश यह करूंगा कि राजस्थान की परिस्थिति के कारण हमें ज्यादा धनराशि मिले । मिल जाए तो आपका आशीर्वाद होगा और नहीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मिलेगा तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि 100 करोड़ से नीचे नहीं जाए। दूसरा, नाबार्ड के रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के लोन में इरिगेशन हेतु जो प्रावधान उन्होंने रखा है, उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान के लिए हम 100 करोड़ रुपये ले लेंगे। इसी तरह से इरिगेशन एलोकेशन में 800 करोड़ रुपये में से लगभग 40 करोड़ रुपये हम और ले पाएंगे। इतना लेने की कोशिश करूंगा। मैं यह वादा नहीं करता कि इतना समय मिल जाएगा लेकिन हमने रिजनेबल ढंग से असेसमेंट किया है और उस असेसमेंट के आधार पर इस प्रकार के आंकड़े बनते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, केवल 250 करोड़ रुपये आपको एडिशनल मिलेंगे, यह ऊंट के मुंह में जीरा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो नहीं कह रहा न कि जीरा है।

श्री परसराम मदेरणा : आपने अपने स्टेटमेंट में कहा कि यह सब ऊंट के मुंह में जीरा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वो कुछ नहीं, आप उसको जाने दीजिए। जो कुछ हम उम्मीद करते थे, मैं उम्मीद करता हूं वो बता दिया। सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम में आज लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान है, मैं उस वातावरण में यह उम्मीद करता था मैं ही नहीं करता था सब चीफ मिनिस्टर्स यह उम्मीद करते थे, इस प्रकार लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि होगी और 10 हजार की जगह केवल 2466 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई उस दृष्टि से मैंने कहा और ऊंट के मुंह में जीरे के शब्द का प्रयोग इस संदर्भ में नहीं किया है। वो इस सन्दर्भ में कहा है 5–5 करोड़ रुपये, 10–10 करोड़ रुपये, 12 करोड़ रुपये, यह अलग-अलग स्कीम के उन्होंने रखे हैं। हमारी स्टेट को मिलते-मिलते वो 20 लाख या 30 लाख, इससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं कह रहा था।

श्री परसराम मदेरणा : बूढ़े आदमियों की हैल्प के लिए अलग कोष बनाया है, निधियां बनायी हैं। निधियां बनाकर कम से कम समाज के कमजोर वर्ग को आगे बढ़ाने की बात कही है ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसी के सन्दर्भ में मैंने यह बात कही है। बैदजी ने भी रख-रखाव के सम्बन्ध में एक बात कही। यह बात सही है कि रख-रखाव के लिए जितना प्रावधान होना चाहिए, उतना हम नहीं कर पा रहे। हमारी विकास की गति तो बढ़ रही है। कल आपने स्कूलों का जिक्र किया कि टीचर्स नहीं हैं, कहीं डाक्टर्स का जिक्र किया कि हास्पिटल्स में डाक्टर्स नहीं हैं, सड़कों की मरम्मत नहीं होती। यह शिकायतें कुछ सही हो सकती हैं लेकिन आप इतना तो देखें कि लगातार यदि स्कूलों की संख्या बढ़ेगी, लगातार हास्पिटल्स की संख्या बढ़ेगी तो उसमें भर्ती में भी समय लगेगा। मैं एक प्रत्यक्ष उदाहरण बताता हूं। मैंने पिछली बार कई तहसीलें और कई उप खण्ड कार्यालय खोले। आज यह सही है कि आर. पी. एस. सी. से जब तक चयनित अधिकारी नहीं मिलते उस समय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तक मैं उनकी पूर्ति नहीं करा सकता। आज इस बात की कमी है और कमी को लगातार मीट करते जा रहे हैं। यह कमी तो रहेगी। अब इस कमी के कारण जैसे सुबह मैंने पहले जिक्र किया था कि बच्चों की संख्या बढ़ गयी है। संख्या बढ़ गयी, उस अनुपात में टीचर्स की भी कमी अनुभव हो रही है। लेकिन शनैः शनैः इस कमी की पूर्ति करेंगे और रखरखाव के सम्बन्ध में मैं विचार करूंगा कि उसमें कितना प्रावधान किस में से निकाल कर रख-रखाव के बारे में कुछ व्यवस्था की जा सकती है। यह पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर तो रोज मेरा इसी बात का पीछा करते हैं कि रोड्स की मेन्टीनेंस के लिए पैसा और निकालो, पैसा और निकालो। सैंट्रल नेशनल हाई-वे के सम्बन्ध में पैसा अबकि बार मिला है। उसमें भी कुछ राजस्थान को हिस्सा मिलेगा। नेशनल हाई–वे, स्टेट हाई-वे और बाकी के रोड्स में कितना, किस प्रकार धन आवश्यक है, उतना धन....

श्री परसराम मदेरणा : काफी धन मिलेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां मिलेगा। उस फंड से भी कुछ पैसा मिलेगा और भी मिलेगा और उस सन्दर्भ में जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, व्यवस्थाएं करूंगा। मैं परसराम जी का तो जवाब देना नहीं चाहता, लेकिन पूनमचन्द जी को मैं विश्वास से कह सकता हूं कि मेरी जानकारी में और मेरी कोशिश के अनुसार इस प्रकार का कोई प्रतिशत रखा नहीं जाएगा। अगर कहीं आपको शिकायत हो तो मैं उसको रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। जहां तक मदेरणा साहब ने कहा, मैं समझता हूं हाउस के बाहर की बातें हैं। आप हमारे लिए कहते रहें, हम आपके लिए कहते रहें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : चन्दनमलजी ने कहा, पूनमचन्द जी ने कहा और हमने कुछ कहा ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको भी कह रहा हूं कि अभी 10 लाख रुपये मिलते हैं और मदेरणा साहब ने जैसा कहा कि पेयजल की समस्या के समाधान पर यह 10 लाख रुपये खर्च होते हैं, यह बुरी बात नहीं है। पेयजल में इस बार 780 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। उस 780 करोड़ में यदि आपका योगदान होता है तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। आप कोई हैण्ड पम्प लगाते हैं तो हमारे गांव का वोटर भी यह समझेगा कि खेतसिंहजी ने हैण्ड पम्प लगा दिया। हम तो अपना नुकसान उठा रहे हैं और नुकसान करके भी आपको मदद दे रहे हैं। यह बढ़ाना और करना, जब अभी बैद जी ने मुझे कहा कि मेरे ऊपर स्टेट की फाइनेंशियल स्ट्रेस की पोजिशन आ गयी है....

श्री मगराज चौधरी : तो 10 लाख के मुकाबले 20 लाख आपको करने चाहिए। प्राइसेज बहुत बढ़ गयी हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राशि बहुत बढ़ गयी है, सही है। लेकिन आपने बैद जी का कल भाषण सुना होगा, मेरी भी चिंता हुई और मैं समझता हूं कि आपको भी चिंता हुई होगी कि 10 पर्सेण्ट के आने पर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हम फाइनेंशियल स्ट्रेट के दायरे में आ गये। उस समय....

श्री हरजीराम बुरडक : ये तो भारत सरकार की स्कीम है उसमें से दे रहे हो। आप अलग से थोड़े ही दे रहे हो वह जो 10 लाख है, तो सिर्फ भारत सरकार की जो स्कीम उसमें से है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सुनो तो सही। अध्यक्ष महोदय, यहां वित्त मन्त्री जी ने कहा, मैं अध्यक्ष महोदय से सलाह करके और आप लोगों से सलाह करके क्या वृद्धि की जा सकती है उसके बारे में निर्णय करूंगा। बस ठीक है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1996

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 1996 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 1996 को पारित किया जाए ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, आप इसको पारित करवा रहे हैं और मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं। मुख्य मन्त्री जी इस एसोसिएशन बिल से 12 हजार 250 करोड़ 79 लाख 43 हजार का आज आथोराइजेशन हाउस से ले लें। जब सन् 90 में सत्ता में आए थे तो इन्होंने कहा था कि मुझे दिवालिया स्टेट मिला है और छह हजार करोड़ का पूरा बजट ये लाए थे। आज ये 12250 करोड़ का लाए हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चार हजार छह सौ करोड़ का....

श्री परसराम मदेरणा : चार हजार करोड़ का था कि पांच हजार करोड़ के आसपास था, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य को मालूम होगा चार हजार करोड़ का था, शायद ज्यादा था ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : साढ़े चार हजार करोड़ का था।

श्री परसराम मदेरणा : साढ़े चार हजार करोड़ के आसपास होगा। साढ़े सात हजार करोड़ से ऊपर बढ़ गया है और आपने दिवालियापन से इस राज्य को निकाल दिया। मैंने आपसे परिसम्पत्तियों और नक्शे की बात कही, आप मुझे एक तो बता दीजिए कि जयपुर शहर के अन्दर जो परिसम्पत्तियां हमने निर्मित की है, एक असेम्बली बिल्डिंग के अलावा, कहीं एक भी पत्थर आपका है क्या ? अगर इनकी कम से कम वैल्यू की जाए तो आज इनकी वैल्यू कम से कम 3 हजार करोड़ की होगी। इसलिए यह कहना कि कांग्रेस के 40 साल में कुछ नहीं हुआ, यह नितान्त असत्य बात है। उससे आगे बढ़िये और अगर आप बढ़ेंगे तो हमारा ज्ञानवर्द्धन करने के लिए, इन लोगों को जो आप डार्क में रख रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है तो यह राजस्थान का फाइनेंशियल बिजार्ड ही कर रहा है, बाकी तो पहले बंटाधार था, इस तरह वे

(148)

(श्री परसराम मदेरणा)

नक्शे भी बनने दीजिए। मैंने आपसे कहा था कि लोगों को सही स्थिति और स्टार्क रियलटी का मालूम रहे। इसके बाद मुझे इस बजट के तृतीय वाचन पर आगे नहीं कहना है। अगले साल अगर आप और हम दोनों रह गये तो बाद में उस वक्त मैं बोलूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के नेता का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने परिसम्पत्तियों के बारे में कहा। परिसम्पत्तियों की पूरी सूचियां हैं।

श्री परसराम मदेरणा : ये इसके रखरखाव की बात कह रहे थे। यहां की नहीं, बैदजी कह रहे थे कि जो परिसम्पत्तियां हैं, पूरे स्टेट की कह रहे थे, केवल सड़कों की बात नहीं कह रहे थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां पूरे स्टेट की परिसम्पत्तियों के बारे में बिलकुल जानकारी है, अलग-अलग विभाग के अन्दर है, उसको अपडेट करवाकर इस बात की व्यवस्था करेंगे कि हमारी सम्पत्तियां हमारी जानकारी में हों, उन पर कोई अतिक्रमण न कर ले, कोई उनकी तोड़ा-फोड़ी न करे। इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित रूप से करना राज्य के हित में है और मैं निश्चित रूप से करूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : तोड़ा-फोड़ी नहीं, उसके रखरखाव के लिए।

श्री चन्दनमल बैद : रखरखाव किया जाएगा to maintain them. I am not talking about.......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आपका नहीं, मैं तो इनका ...

श्री चन्दनमल बैद : जैसे आपका बांध है, उसका रखरखाव, उसकी मरम्मत, आपके स्कूल हैं, आपका हास्पिटल है, इसमें 27 मशीनें खराब पड़ी हुई हैं। स्वास्थ्य मन्त्रीजी चले गये, सवाई मानसिंह अस्पताल में 6 महीने से 27 मशीनें खराब पड़ी हुई हैं, इनकी बात कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने आपका जवाब देख लिया। (व्यवधान) बहुत दफा बाढ़ आती है, कई मशीनें नष्ट हो जाती हैं। कई बार और कारणों से भी सम्पत्तियां नष्ट हो जाती हैं, इनको किस प्रकार से मेण्टेन किया जाए, मेंटीनेंस का खर्चा बजट में रखा जाता है। लेकिन मैं समझता हूं कि जितनी सम्पत्तियां बन गयीं उनकी मेंटीनेंस के लिए और अधिक धनराशि की आवश्यकता है, उसकी व्यवस्था कर, हमने जो असेट्स बना ली हैं उनको सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मदेरणा साहब को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 1996 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 1996 को पारित किया गया।

शासकीय वक्तव्य

महुआ तहसील में श्रीमती ग्यारसी देवी की हत्या

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री कमलराम मीणा, उम्र 20 वर्ष, निवासी सार्था ने दिनांक 22-7-96 को 11.00 बजे दिन, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि उसकी मां गत दिवस घर से खेत गई थी तथा सारे दिन खेत पर रही। शाम को घर पर नहीं पहुंचने पर उसे खेत में तलाश किया। मां के नहीं मिलने पर मौजपुर में मामा के घर एवं वापस आकर गांव में भी तलाश किया लेकिन पता नहीं चला। प्रातःकाल वापस खेत में तलाश किया लेकिन कहीं खोज भी नहीं मिली। कुएं में गिरने की शंका होने पर कुए में बिलाई डाली तो एक लूगड़ी निकली, पुनः बिलाई डालने पर मां का शव बिलाई में अटक कर बाहर आया जिसकी आंखों पर चोट दिखाई दे रही थी। उक्त रिपोर्ट पर मृग संख्या 6/96 के अन्तर्गत धारा 174, दण्ड प्रक्रिया संहिता, दिनांक 22-7-96 दर्ज किया जाकर श्री सत्यनारायण, सहायक उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रारम्भ की गई तथा घटना स्थल का निरीक्षण एव सम्बन्धित व्यक्तियों के बयान लिये गये। मेडिकल बोर्ड का गठन करवाकर शव परीक्षण करवाया गया। शव परीक्षण रिपोर्ट में मृत्यु का कारण कोमा बताया गया है। मृतका की बांई आंख के ऊपर, दाहिनी आंख के नीचे गहरा गड्ढा एवं अन्य चोटें पाई गई हैं। शव परीक्षण रिपोर्ट आज प्राप्त होने पर अभियोग संख्या 205/96, धारा 302 थाना महुआ, पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया है। पुलिस अधीक्षक, दौसा को घटना स्थल के निरीक्षण एवं अनुसंधान के पर्यवेक्षण हेतु भेजा गया है।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मन्त्रीजी ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें बताया कि 21 तारीख को ग्यारसी देवी खेत पर काम करने गई थी जब वह रात्रि को नहीं आई तो 22 तारीख को उसकी लाश निकाली गई। मेडिकल रिपोर्ट के बारे में आपने कहा कि उसकी दोनों आंखों के ऊपर निशान हैं। यह सही है। उसके स्तन पर भी निशान हैं। गृह मन्त्रीजी, यह जिस तरह की हत्या की गई है वह आपसी रंजिश के कारण है। जिन लोगों ने 6 महीने पहले इसके पति कमल पर हमला किया था, चाकू से वार किये थे, उसका मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें वे लोग नामजद थे, नेहरू, लल्लू, गोपाली और किरकोरी। इनमें से तीन गिरफ्तार किये गये और एक आज भी फरार है। फरार नहीं है, वह गांव में रह रहा है। उसको एक बार पुलिस वाले जब पकड़ने गये तो उन लोगों ने पुलिस का भी मुकाबला किया, पुलिस के भी पत्थर मारे। जब पत्थरबाजी हुई तो पुलिस ने पकड़ने के बाद उसको छोड़ दिया।

उसी गिरोह द्वारा यह हत्या की गई है। उसी गिरोह के द्वारा हत्या करने के कारण आज गांव में बहुत ही तनावग्रस्त स्थिति है। गृह मन्त्रीजी, जिस तरह की यह हत्या की यह हत्या की गयी है, वह अपने आप में एक अमानवीय कृत्य है। वहां की लोकल पुलिस के हालात आप जानते हैं कि डीवाई.एस.पी. पकड़ने जाएं तो उसका सिर फोड़ दें, पत्थर

(श्री परसादीलाल मीणा)

मारकर अपराधियों को छुड़ा लें। इस तरह के हालात में इस मुकदमें की तफ्तीश करना लोकल पुलिस के बस का रोग नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस मुकदमे की जांच क्राइम ब्रांच के एस.पी. से कराएं। जो लोग पहले ही नामजद हैं, इसके पति पर जिन लोगों ने हमला किया था, आप उन लोगों को गिरफ्तार करिए। यह उस तरह का अपराध है जिस तरह तालचीड़ी में कमलेशी की हत्या हुई थी कि उसका ससुर मुकदमे में गवाह था, उस ससुर को रास्ते से हटाने के कारण उस बहू की हत्या की गई। उसी तरह का यह अपराध है। आज दौसा जिले में जिस तरह के हालात बने हैं, अपराधी नामजद होने के बाद पकड़े नहीं जाते, पुलिस उन्हें पकड़ नहीं सकती, अगर पकड़ ले तो वे पुलिस से छुड़ा लिये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह के हालात में जिस तरह की कानून और व्यवस्था दौसा जिले में बिगड़ी है, हालात बहुत खराब हैं, इन चारों अपराधियों को तलाश करा कर इनको पकड़वाएं। क्राइम ब्रांच के एस. पी. स्तर के अधिकारी से जब आप इसकी जांच करायेंगे तभी यह हत्या करने वालों का पता चल सकता है तथा कमलेशी की हत्या का पता भी तभी चल सकता है।

जिस तरह के अपराध दौसा जिले में हो रहे हैं, हम दौसा जिले का मामला बार-बार क्यों उठाते हैं, इसके पीछे कारण है कि वहां अपराधी नामजद होने के बावजूद भी नहीं पकड़े जाते। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस मुकदमे की जल्दी से जल्दी जांच हो इसके लिए क्राइम ब्रांच के एस. पी. को आप वहां पर लगाए और इन अपराधियों को पकड़ें। आप जाब्ते के साथ अपनी फोर्स को भेजें। वहां पर अपराधी पकड़ लिए जायेंगे तो आपकी पुलिस से छुड़ा लिये जाएंगे। इस तरह के हालात हैं। आज कानून और व्यवस्था खराब हो रही है। इसी का कारण है कि यह हत्या हुई। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसमें जल्दी से जल्दी अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज पुलिस में अपराधी नामजद होने के बाद भी पहले वाले मुकदमे में एक को भी गिरफ्तार नहीं किया है। आप अति-शीघ्र इनकी गिरफ्तारी करवायें। तफ्तीश करके सही हत्यारों का पता लगवायें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मन्त्रीजी से कुछ प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। मन्त्रीजी, थानों में दो एफ.आई.आर. होती है। एक रोजनामचा डेली का और एक मृग। मैं पूछना चाहता हूं कि मृग में कौनसे केसेज हैं जिनको दर्ज किया जाता है और एफ.आई.आर. में कौन-से केसेज हैं जिनको दर्ज किया जाता है। इस केस को मर्डर केस नहीं मान करके जैसा कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है, लगता ऐसा ही है कि इसको एक्सीडेंट का केस बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसको मृग में दर्ज किया गया है। तो एक तो मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, यह है कि यह गांव है सार्था। एक महीने पहले एक औरत का और मर्डर हुआ। यह जिस औरत का मर्डर हुआ है, उससे पहले उसके

(श्री हरिसिंह)

पति पर हमला हुआ, जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा। उसमें किरकोरी मीणा नाम का जो अभियुक्त है वह फरार है। गांव में ही रहता है। पुलिस गई नहीं, और एक दिन गई तो पुलिस से जबरदस्ती उसको छुड़ा लिया गया। फिर आपकी पुलिस इतनी भयभीत हो गयी कि उस गांव की तरफ पलट कर नहीं देखा। यह हालत है पुलिस की।

मैं इसके साथ आपके ध्यान में एक बात और लाना चाह रहा हूं कि जो थानेदार महुआ में इस समय तैनात है, आपके पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव के समय, यह उसी तहसील के थाना सलेमपुर पर थे। यह जब थाना सलेमपुर पर थे, बार-बार कमलेश, बाह्मनी, तालचीड़ी से बलात्कार हुआ। डकैती हुई और हत्या हुई उस समय यह श्रीमानजी वहीं थे। उससे पहले एक बनिये का उसी गांव में मर्डर और हुआ था, मुलजिम नामजद थे और उन मुलजिमों को नहीं पकड़ सके, लिहाजा एस. पी. दौसा ने इनको सस्पेण्ड करके लाइन हाजिर कर दिया था। ऐसे निष्क्रिय और निकम्मे थानेदार, जो अफसर खुद यह मानता है कि यह थाने पर तैनात करने काबिल नहीं है, को महुआ जैसे संवेदनशील थाने पर आपने दुबारा तैनाती दे दी तो अपराध नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा ? आपके खुद एस. पी. यह मानते हैं कि यह थानेदार निकम्मा है, यह तालचीड़ी के मुलजिम थे उनको नहीं पकड़ पाया। एस. पी. साहब से मेरी व्यक्तिगत बात हुई, उन्होंने कहा कि मुझे रिपोर्ट पता है और यह तालचीड़ी में जो पुलिस चौकी लगा रखी है, मुलजिम मर्डर केस के आते हैं और वहां बैठ कर के पुलिस के साथ शराब पीते हैं और इस थानेदार की मिलीभगत है इसलिए इसको सस्पेण्ड किया गया। उसको फिर आपने महुआ में तैनात कर दिया। तैनात करने का कारण क्या है, यह मेरी समझ में नहीं आया। मुझे कोई गुरेज नहीं है, आप उसको रखिये अगर अपराध बढ़ाने हैं तो।

मैं इसके साथ ही वहां के थाने के हालात का एक नमूना और दे देता हूं। यह थाना सलेमपुर की एफ. आई. आर. संख्या 112/95 है, नोट कर लें आप मेहरबानी करके, पूरे नौ महीने हो गये, 307 का केस है, आमने-सामने गोलियां चलीं, चार आदमी घायल हुए, मुलजिमों को पुलिस ने पूरा मौका दिया कि वे हाई कोर्ट से अपनी अग्रिम जमानत करवा लें इस नौ महीने में। हाई कोर्ट ने उनकी बेल रिजेक्ट कर दी और इस बात को भी पांच महीने पूरे हो गये। आज तक आपकी पुलिस इन मुलजिमों को गिरफ्तार करने नहीं पहुंची। और नहीं पहुंचने का कारण यह है कि एक बार पुलिस वहां पहुंची और उसकी जीप का हुड फाड़ दिया, थानेदार की पिटाई की। और थानेदार ने इस वाकिये कि कोई रिपोर्ट भी अपनी एफ. आई. आर. में नहीं डाली। जब पुलिस आपकी पिटती है और उसके बाद में कोई एक्शन नहीं हो तो मेरी समझ में पुलिस का इतना मोरल डाउन वहां हो रहा है कि अपराध बढ़ेंगे ही।

श्री अध्यक्ष : कृपया इसको संक्षिप्त करें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : महुआ से एक किलोमीटर दूर सरेआम हरियाणा का

(152)

(श्री हरिसिंह)

व्यापारी दिन-दहाड़े लुट गया, कोई कार्यवाही नहीं हुई । महुआ में चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, कोई कार्यवाही नहीं हुई और यह इस ढंग की आपके पास जो सूचना आई है उसमें तथ्यों को छुपाया गया है । हमारे पास भी सूचना है । आदमी वहां से आये हुए हैं । मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, यह सूचना है कि महिला की आंखें निकाल लीं, उसके स्तन काट दिये, जिसका कहीं उल्लेख नहीं किया । इस प्रकार के नृशंस हत्याकांड हो और आंखें निकाल लीं....

एक माननीय सदस्य: स्तन काट दिये ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : और वह भी मृग में दर्ज किया । मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि वहां की पुलिस के बस का रोग है नहीं । अपराध निरन्तर बढ़ रहे हैं । इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि क्राइम ब्रांच में से किसी एस. पी. स्तर के व्यक्ति को यह तफ्तीश देकर इस समस्या का निराकरण किया जाये वरना अपराध दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं । बम विस्फोट महुआ में हो, चोरी-डकैती की वारदातें हों, महुआ बहुत ही संवेदनशील थाना है और उसकी तरफ अगर आपने, होम मिनिस्टर साहब, ध्यान नहीं दिया तो अपराध और अपराध प्रवृत्ति के लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी ।

इसके साथ ही मैं आपसे एक और निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने मित्रों को कम से कम यह कह दें कि वह अपराधियों को तो न दें । अपराध बढ़ने का मुख्य कारण ही यह है । इसलिए मेहरबानी करके....

श्री अध्यक्ष : माननीय हरिसिंहजी, अब समाप्त करिये आप ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप शक्ति से कार्यवाही करवाइए और इसमें ...

श्री अध्यक्ष : आपने सारी बातें कह दी हैं ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : तफ्तीश आप एस. पी. दर्जे के अधिकारी, जो अपराध शाखा के हों, से करवाइए । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : माननीय शैलेन्द्रजी । एक मिनट पहले आप ।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : उसके अंगों को काट दिया गया है इसलिए सदन को चिन्ता होनी चाहिए और, माननीय गृह मन्त्रीजी, इसको निश्चित रूप से जांच के लिए दें ।

श्री अध्यक्ष : चिन्ता है इसलिए तो मर्डर का 302 में मुकदमा दर्ज हुआ है ।

श्री रामस्वरूप मीणा : इनको चिन्ता नहीं है, गृह मन्त्रीजी साहब को । आपको चिताहै,हमको चिन्ता है,उनको क्या पता क्या दर्द होता है । महिला के साथ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये । आप तो एक दम बीच में चढ़ गये, विराजिये आप ।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना है कि यह जो घटना घटी है उससे चार किलोमीटर

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

दूर ही मेरा निर्वाचन क्षेत्र है जो पूरे महुआ की सरहद से जुड़ा हुआ है। यह ग्यारसी देवी के पति कमल पर जो हमला हुआ यह छह महीने पहले हुआ। यदि छह महीने पहले जो प्राण लेवा हमला, जो यह प्रोफेशनल क्रिमिनल गिरोह ने किया उस पर पूरी सख्ती से कार्यवाही की जाती तो वे बदमाश लोग वापस यह ओफेंस नहीं करते। किन्तु छह महीने पहले जो घटना घटी थी, ग्यारसी देवी के पति पर प्राणलेवा जो हमला हुआ। उसके कारण ही उनके हौंसले बढ़े। महुआ की पुलिस जो प्रोफेशनल ओफेंडर हैं, आदतन अपराधी हैं, उनसे सांठ-गांठ रखती हैं और थाने में यह स्थिति रहती है कि अपराधी अपराध करके आ जाता है और शिकायत करने वाला है उसके बगल में बैठता है, सिगरेट पीता रहता है और शिकायत करने वाला कांपता रहता है। शिकायत करने वाले की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसको बिहाइंड दी बार कई बार कर दिया जाता है। यह स्थिति है। ग्यारसी देवी अपने खेत पर गई थी उसके बच्चे के मुताबिक और बाद में उसकी नृशंस हत्या की, न केवल उसके ब्रेस्ट काटे, न केवल उसकी आंखें निकालीं बल्कि उसको कुएं में डाल दिया गया। कुएं में डालने के बाद जैसा कि आपने बताया, बिलाई से जब ग्रेस आउट किया गया तो उसकी लूगड़ी निकाली, उसके बाद उसकी बॉडी अटक गई और गांव के लोगों ने, सबने कोशिश करके जब बॉडी निकली तो ऐसी स्थिति में 174 सी.आर.पी.सी. की कार्यवाही की गई। अध्यक्ष महोदय, आप तो खुद कानून के ज्ञाता हैं। 174 सी.आर.पी.सी. की कार्यवाही ऐसी जगह की जाती है जहां यह होता है कि किसी ने मारा नहीं और आदमी खुद मर गया हो लेकिन मरने वाले का आगे-पीछे नहीं हो। जब इतना प्रेसर बढ़ा तब आज की तारीख में यह कहा जाता है कि एफ. आई. आर. नम्बर 205/96 दर्ज की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस केस में काज आफ डैथ कोमा बताया गया है जबकि यदि कोई भी ह्यूमन बॉडी जो कि कुएं में पड़ी रहे और पानी में रहेगी तो वह बॉडी के सिमाटम, अपने आप में उसकी जो स्किन है वह दूसरी तरह की हो जायेगी। उसके काज आफ डैथ कोमा आ ही नहीं सकता है। इसमें जान-बूझकर न केवल अपराधियों को इस स्तर पर बचाया गया है बल्कि मेडिकल की जो रिपोर्ट है उसमें भी कान्कोक्टेडनस डवलप की है। उसमें भी वहां जाकर के प्रदर्शन किया गया है और वहां तक भी अपराधी लोग बढ़े हैं। ऐसी स्थिति में जो महुआ की पुलिस है उससे कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। लगातार उस क्षेत्र में तीसरी घटना है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : तो मेरा गृह मन्त्रीजी से निवेदन है कि पहला, आप दौसा जिले की पुलिस पर कतई विश्वास नहीं करते हुए सी.आई.डी. (सी. बी) से जांच करवायें और भारी तादाद में पुलिस पहुंचायें ताकि वहां पर मुलजिमों को गिरफ्तार करके ला सकें। नहीं तो ऐसा गुंडा राज हो रहा है महुआ में कि हमारा पूरा दौसा जिला बदनाम हो रहा है। इसके अलावा मेरी दूसरी मांग

(154)

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

यह भी है कि 174 सी. आर. पी. सी. में मामले को रफा-दफा करने की जिन लोगों ने कार्यवाही की है, उन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ एक्शन लें।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आपको क्या कहना रह गया ?

श्री रामस्वरूप मीणा : महिला का मामला है, साहब।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : बहुत जरूरी कहना है।

श्री अध्यक्ष : महिला का तो है पर यह दौसा जिले की बात हो रही है। फरमाओ आप, फरमाओ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ इतना-सा निवेदन करना है कि जिस नृशंस और खराब तरीके से यह हत्या हुई, इतने अपराधी इसलिए बढ़ रहे हैं कि जब टौंक में एक महिला के साथ इतना खराब व्यवहार किया गया, इतना ज्यादा इसके साथ किया गया और आदमियों को एक-एक महीने तक पकड़ा नहीं गया, क्योंकि वो शराब का ठेकेदार था, यह जो प्रवृत्ति बढ़ रही है यह इसलिए बढ़ रही है कि चाहे कितने ही खतरनाक तरीके से, चाहे कितनी ही नृशंस हत्या की जाए, पुलिस विभाग कोई इसको गम्भीर रूप से नहीं ले रहा है। इस वजह से एक के बाद एक चाहे टौंक हो, चाहे गंगानगर हो, चाहे अलवर हो, महुआ हो, यह महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं। जैसा हमारी माननीय सदस्या कमलाजी ने कहा था, उस पर मन्त्री महोदय ने कहा था कि इनके लिए हम अलग से कोई जांच करने के लिए प्रबन्ध करेंगे. तो मैं मन्त्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि वो यह बताने की कृपा करें कि आगे इस प्रकार की हत्यायें नहीं हों इसके लिए वो क्या प्रबन्ध कर रहे हैं ? इसमें तो जांच करें। इमीजियेटली लेकिन आगे इस प्रकार के काम नहीं हों, इसके लिए क्या करने जा रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय गृह मन्त्रीजी, आप आराम से बैठे हो, ध्यान तो दो इस पर।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, आप तो विराजें। माननीय मन्त्री महोदय। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : अध्यक्ष महोदय, दौसा जिले का मामला है, मैं भी गृह मन्त्रीजी से मेरी बात बोल दूं। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा है कि उन्होंने एस.पी. को यह मामला कार्यवाही करने के लिए सौंप दिया है.... (व्यवधान) डीवाई. एस. पी. ?

श्री कैलाश मेघवाल : एस. पी.।

श्रीमती कमला : एस. पी.।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अभी निर्देश दिये हैं क्या ?

श्रीमती कमला (बैराठ) : तो मेरा यह निवेदन है कि डीवाई. एस. पी. बोले थे और अपन ने नहीं सुना और आप एस. पी. कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें भी मेरा यह निवेदन है कि जो एस. पी. दौसा के हैं उनकी देखरेख में तो यह सारी जांच-पड़ताल और कार्यवाही चल ही रही है और उनकी देखरेख में यह कार्यवाही चलने के बावजूद भी कोई मुलजिम पकड़े नहीं गये हैं, कोई तत्काल कार्यवाही सम्भव नहीं हो रही है तो स्थानीय एस. पी. को यह मुद्दा सौंपने से कोई नतीजा हासिल नहीं होगा इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जैसी माननीय सदस्यों की मांग है, चाहे तो क्राइम ब्रांच के एस पी. को सौंपिए, चाहे सी. आई. डी. को सौंपिए, स्थानीय एस. पी. को सौंपने से कोई नतीजा हासिल नहीं होगा। आपने चाहे छोटे अधिकारी से बड़े अधिकारी को दे दिया, हैं तो स्थानीय। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक तो आप इस पर पुनर्विचार करें।

दूसरी बात जो मैंने सुबह भी आपसे निवेदन की थी, डिमाण्ड के वक्त भी आपसे मांग की थी, मैं आपसे पुनः मांग करना चाहती हूं, पुरजोर ढंग से मांग करना चाहती हूं कि आप महिलाओं पर हो रहे, बढ़ते हुए अत्याचारों को ध्यान में रखते हुए उनकी जांच-पड़ताल के लिए एक अलग से टास्क फोर्स कायम करें। उनकी समरी ट्रायल्स के लिए तत्परता से व्यवस्था करें और अलग से फोर्स कायम करें जिससे कि इन अपराधियों के ऊपर कार्यवाही की जा सके और इनके ऊपर काबू पाया जा सके, दोषियों को दण्डित किया जा सके जिससे कि आगे अपराध होने बन्द हो जाएं। यह मेरा निवेदन है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी कमलाजी की इस बात का समर्थन करती हूं और मैं कहना चाहूंगी....

श्री अध्यक्ष : अब तो हो गया न बहुत। जिन लोगों को कहना था वो कह चुके ... (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : दौसा जिले के अन्दर जो इस तरह से महिलाओं की हत्या हो रही है उसी के सम्बन्ध में अपने को जोड़ते हुए, मान्यवर, सिकराय विधान सभा क्षेत्र के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : आप ने तो पुलिस की ही डिमाण्ड कर दी हो, ऐसा लग रहा है। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : एक महिला की हत्या हुई ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कह चुके हैं। एक मिनट, विराजें अब आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं मेरी एक बात कह दूं, माननीय सदस्य।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक महिला की बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी गयी...

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सदस्य, मैं एक बात कह दूं ... (व्यवधान)

(156)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक महिला कमली नाम की थी वो बलीता बीनने गयी थी, उसकी तीन जून को हत्या कर दी गयी। अध्यक्ष महोदय, मैंने पुलिस की डिमाण्ड के वाले दिन भी कटमोशन द्वारा आप से निवेदन किया था। पुलिस के उच्च अधिकारियों से मैं मिल लिया, एस. पी. साहब से, आई. जी. साहब से, डी. जी. साहब से, गृह मन्त्रीजी से, मुख्य मन्त्रीजी से लेकिन आज तक भी वो हत्यारा खुले आम घूम रहा है, उसको पकड़ा नहीं गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अब प्रधान मन्त्री से भी मिल लो आप।

श्री अध्यक्ष : अब आप डेढ़ महीने की बात को वापस उठा रहे हैं आज। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : वो हत्यारा आज भी है नामजद, घूम रहा है और चैलेंज कर रहा है, हमको भी चैलेंज कर रहा है कि तुमने विधान सभा में बोल लिया, हमारा कौन-सा बाल काट लिया। मान्यवर, इस तरह से हमको चैलेंज मिलते हैं अगर हम किसी अपराधी के खिलाफ बोलते हैं। तो मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय उनके खिलाफ एक्शन लें और उनको पकड़ें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : विराजिये अब आप। रख दी आपने बात।

श्री रामस्वरूप मीणा : उन्होंने विधायक को चैलेंज दिया है।

श्री अध्यक्ष : अब हो गया, विराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : विधायकों को चैलेंज हो गया इसमें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब विराजें आप। हां, आपको क्या कहना है?

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण में सही जांच होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए तथा महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचारों के सम्बन्ध में एक विशेष आयोग गठित किया जाना चाहिए। कई बार महिलाओं के द्वारा भी कुछ कानूनों का गलत फायदा उठा कर गलत कार्य किये जा रहे हैं, यह मेरी दृष्टि में भी आया है और आपकी दृष्टि में भी आया होगा। मैं कहना चाहूंगी, दोनों ही बात का निर्णय हो। इस तरह का कोई न्यायिक आयोग गठित करें जिससे कि ना वो अत्याचार कर सकें और ना उन पर अत्याचार हों। दोनों ही बातों पर आप सामंजस्य बैठा कर न्याय दिलवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। आप और कुछ फरमाएंगे। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपको अलग से बता दूंगी।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, बैठें आप।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल इतना ही कहना है कि विधान सभा में कोई मसला उठे, अब मेडिकल बोर्ड के द्वारा....

श्री अध्यक्ष : कृपया सुनें आप।

श्री कैलाश मेघवाल : मेडिकल बोर्ड के द्वारा मेडिकल एक्जामिनेशन हुआ। मैं यहां

(श्री कैलाश मेघवाल)

इस सदन को तफ्तीशी सदन के रूप में तो परिवर्तित नहीं कर सकता लेकिन जितना बड़ा फैक्ट आपने बताया कि आंखें निकाल ली गयीं और बोबे काट दिये गये, अब यह मेडिकल बोर्ड के डाक्टर नहीं लिखते, यह मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं इस मैरिट्स पर बोलना नहीं चाहता। मतलब यहां केवल तथ्य रखे जाएं और मेडिकल बोर्ड यह कर देगा कि आंखें जिसकी निकाल ली गयीं और वो लिख दे कि नहीं केवल (व्यवधान) देखिये, आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : आपने खुद ने माना है कि दोनों आंखें ... (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : दोनों आंखें फोड़ी हैं। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : ये तो चोटें हैं, मैं कह रहा हूं न।

श्री अध्यक्ष : चोटें हैं। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : चोटें क्या आंखों पर चोटें हैं, क्या स्तनों पर चोटें नहीं हैं ? क्या बात कर रहे हो आप।

श्री अध्यक्ष : विराजें, विराजें। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : मेडिकल बोर्ड कहेगा जो मानेंगे कि आप और हम कहेंगे वो मानेंगे ? (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : मेडिकल बोर्ड को मानें आप (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : आप दूसरा मेडिकल बोर्ड बैठा लीजिए।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें, विराजें। बोलें नहीं आप।

श्री कैलाश मेघवाल : आपने कहा कि बोबे काट डाले। अगर बोबे काट डाले होते तो मेडिकल बोर्ड इसको छिपा सकता था क्या ? मुझे अफसोस यह है कि किसी बात को यहां सनसनीखेज बनाने के लिए तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर रखा जाता है। अब परसों का वाकिया है, कल सवेरे दर्ज हुआ, आज सवेरे मेडिकल रिपोर्ट मिली है और आपको अगर यह है कि मेडिकल रिपोर्ट गलत है तो उनके वारिस होंगे साथ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा फैक्ट मेडिकल बोर्ड छिपा लेगा कि आंखें फोड़ी हुई हैं उसको नहीं लिखे, बोबे काट दिये गये उसको नहीं लिखे। यह मेरी समझ में ... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, आपका जवाब सही आया है क्या ? आप विश्वास करते हैं क्या ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपके पास मेडिकल रिपोर्ट है क्या ? You have got only the informations from the Police.

श्री परसादीलाल मीणा : मेडिकल रिपोर्ट बताइये आप, क्या है ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : मेडिकल रिपोर्ट हो तो बताइये आप ?

(158)

श्री परसादीलाल मीणा : ग्राप बताइये मेडिकल रिपोर्ट में क्या है ?

श्री हरिसिंह (महुग्रा) : ग्रापके पास मेडिकल रिपोर्ट है ? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप ध्यान नहीं देते । (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : एस. पी. को निर्देश दिये गये हैं ....(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : कृपया विराजिये ।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : ग्रापके कोई बात समझ में नहीं आएगी ।

एक माननीय सदस्य : गृह मन्त्रीजी, इस्तीफा दे देना चाहिए।

श्री ग्रध्यक्ष : विराजिये, विराजिये ।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : कोई चीज समझते नहीं है ग्रौर ग्राप कह रहे हैं कि समझ में नहीं ग्राती । (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : मेडिकल रिपोर्ट आपके पास हो तो बता दीजिए ।

श्री कैलाश मेघवाल : ग्रौर एस. पी. बिलकुल स्पष्ट कार्यवाही कर रहे हैं। यह हर मामले को केवल सनसनीखेज बनाने के लिए तथ्यों को तोड़-मरोड़ करके तफ्तीश को बिगाड़ने पर तुले हुए हैं जबकि पुलिस बिलकुल सही तफ्तीश कर रही है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : ग्रांखों पर तो खुद चोट बता रहे हैं ग्राप। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : पुलिस कहां तफ्तीश कर रही है ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप खुद गलत पढ़ रहे हैं, इनकी रिपोर्ट में खुद ग्रांखों को डेमेज बताया गया है । (व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : विराजिये । ग्रब इसको समाप्त करें ।

श्री हरिसिंह (महुग्रा) : अध्यक्ष महोदय, ग्रापकी इजाजत से....

श्री ग्रध्यक्ष : अब इसको....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुग्रा) : ग्रध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से....

श्री ग्रध्यक्ष : नहीं हो तो बाद में ग्राप मन्त्रीजी को मिल लेना ग्रौर तफ्तीश.... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुग्रा) : मैं एक मिनट ग्रापका समय चाह रहा हूं ।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं ... (व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : विराजें ग्रब हो गयी बात ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक मिनट आपका समय चाह रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय, सुबह एक मसला यह था, साथ ही लवाण की एक विधवा का मामला भी यहां मैंने उठाया । यह कह रहे हैं यह तो कल का मामला है, मैं जिसका उल्लेख कर रहा हूं वो....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रब यह तो कोई डिबेट का ग्राउण्ड नहीं है, माननीय हरिसिंहजी ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, दौसा जिले में महिलाओं के साथ जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप तो विधायक हैं, आप जानते हैं विशेष कोई बात हुई है, कल सुबह कोई बात हुई है। उस पर आप चर्चा करवाने के लिए वापस वो की वो ही पुलिस डिमाण्ड की बात कर रहे हैं। विराजिये आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, एक विधवा ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : चयनित परिवार की सदस्य है, इन्दिरा आवास में ... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : गृह मन्त्रीजी, महिलाओं पर जिस तरह अत्याचार हो रहे हैं ....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इन्दिरा आवास में चयन हो गया, वो रुपये लेने गयी....

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उसके साथ बलात्कार हुआ 11 दिन तक जयपुर में। (व्यवधान) मायादेवी का।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री परसादीलाल मीणा : आप मेडिकल रिपोर्ट है तो बताइये न, क्या है ?

श्री कैलाश मेघवाल : बता देंगे। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : पुलिस ने जो जवाब दिया है ....(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, तफ्तीश हो रही है, एस. पी. मौके पर गया है। बिलकुल निष्पक्ष तफ्तीश की जाएगी। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय गृह मन्त्रीजी, आंख के अन्दर चोट है कि नहीं है ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप मेडिकल रिपोर्ट बता दें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आई वुंड नहीं है ? इनकी रिपोर्ट में लिखा है कि आई वुंड है। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : आपने जिस तरह के तथ्य रखे हैं, आप तफ्तीश को बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आप अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप मुलजिम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। माननीय हरिसिंहजी, विराजें आप।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है।

श्री परसादीलाल मीणा : अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजें। कोई नहीं बचाना चाहता।

160

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : मन्त्री महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। अध्यक्ष महोदय, मर्डर के ऐसे मामले को इस तरह से ....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजें, विराजें आप। बस हो गयी बात। आप ने बात रख दी; दैट्स आल।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : दौसा जिला इतना संवेदनशील हो रहा है, (व्यवधान) मर्डर हो रहे हैं। पुलिस का कोई कण्ट्रोल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : ला एण्ड आर्डर की स्थिति खराब हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। अभी बिजनेस लेना है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : और आपने तो यह कहा कि कोमा में ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : और आपको मेडिकल देखना है तो मेडिकल आए जब देख लेना।

श्री शैलेन्द्र जोशी : पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिलकुल कंट्राडिक्ट्री है।

श्री अध्यक्ष : आपने आज का आज उठाया, अभी का अभी वो करो और अभी का अभी सब आ जाएगा ....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : जघन्य अपराध हो रहे हैं, साहब।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमारा जिला अपराध से ग्रस्त हो रहा है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : विधायक को धमकी दी है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : साल भर हो गया, कोई अपराधी नहीं पकड़े गये। ....(व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : दौसा जिला संवेदनशील होता जा रहा है। रात-दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। (व्यवधान) दौसा जिला संवेदनशील होता जा रहा है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : दौसा जिले में लॉ एण्ड आर्डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने एक बात को उठा दी है (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : दौसा जिले में लॉ एण्ड आर्डर नाम की कोई चीज नहीं है ....(व्यवधान) पुलिस राज बिलकुल नाकारा हो गया ... (व्यवधान)

विधेयक पर विचार

राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1995

श्री अध्यक्ष : माननीय हरिशंकरजी भाभड़ा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1995 को विचारार्थ रखेंगे।

श्री शैलेन्द्र जोशी : कानून का राज ... (व्यवधान) हट गया है दौसा जिले से।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्रीजी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसकी तपतीश नहीं हो सकती दौसा पुलिस से। कमलेशी शर्मा की हत्या हुई, आपने अब तक अपराधी पकड़ लिये क्या ?

श्री अध्यक्ष : अब हो गई बात। अब बाद में कह लेना न आप। मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा, परसादीलाल जी।

श्री परसादीलाल मीणा : हमने केवल भाषण देने ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक व्यक्ति के लिए मैं चार घण्टे तक हाउस को रोककर नहीं रख सकता। प्लीज सिट डाउन।

श्री परसादीलाल मीणा : चार घण्टे तक कब रखा आपने हाउस ?

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, चार घण्टे हाउस कब रुकवाया ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, सुबह भी एक घण्टा किया, अब भी एक घण्टा आप खराब करना चाहते हो। कोई इम्पार्टेंट बिजनेस आ रहा है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सुबह 15 मिनट लिये और 15 मिनट अब लिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : No. Not allowed now. कोई अलाउ नहीं होगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पूरा बरबाद हो गया ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं करें आप। हो गयी बात। अगर आपको और बात कहनी है तो आप गृह मन्त्रीजी से मिल लें। विराजें आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : हां, फरमाएं आप। आपने पाइण्ट आफ आर्डर उठाया है।

व्यवस्था का प्रश्न

धन विधेयक, जिस पर राज्यपाल महोदय की अनुशंसा न हो, पर सदन में वाद-विवाद

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि विधेयक संविधान के अनुच्छेद 207 सपठित अनुच्छेद 199 के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है, उनके विपरीत है। इसलिए इस विधेयक पर इस सदन में इस रूप से विचार नहीं किया जा सकता। संविधान का अनुच्छेद 207 में पढ़कर सुनाता हूं, बहुत ही स्पष्ट

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरिसिंह)

है और यह भी मैं समझता हूं कि आपकी काफी महत्वपूर्ण व्यवस्था होगी, श्रीमान् ।

"207 (1) A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of Article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governer, and a Bill making such provision shall not be introduced in a Legislative Assembly"

199 (ए) के अन्तर्गत (ए) से (एफ) तक जो प्रोविजन्स हैं यदि उसके सम्बन्ध में अगर कोई बिल यहां पर आता है तो वह बगैर गवर्नर की सैंक्शन के नहीं लाया जाएगा । संविधान का 199 (I) है :

"For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, namely :-

(a) the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any taxi........"

संक्षेप में सार की बात यह है कि अगर कोई बिल किसी प्रकार का टैक्स राजस्थान की जनता पर इम्पोज करता है तो वह बगैर गवर्नर की सैंक्शन के इस हाउस में इंट्रोड्यूस नहीं होगा । अब टैक्स की परिभाषा भी मैं आपको बताऊंगा कि टैक्स किसे कहते हैं । 207 (ए) का और आगे पढ़ दूं आपके सामने :

"(2) A Bill or amendment shall not be deemed make provision for any of the matters aforesaid by reason only that it provides for the imposition of fines or other pecuniary penalties, or for the demand or payment of fees for licences or fees for services rendered, or by reason that it provides for the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax by any local authority or body for local purposes."

अगर किसी लोकल बॉडी द्वारा लोकल परपजेज के लिये टैक्स लगाए जाएं तो इसमें कवर होगा । अब यह टैक्स है या नहीं और यह प्रोविजन्स क्या कहते हैं, टैक्स की जहां तक परिभाषा है टैक्स, कोई भी बर्डिंग आर्थिक रूप से राजस्थान की जनता पर लगाया जाता है तो वह टैक्स कहलायेगा । टैक्स का मतलब केवल टैक्स शब्द के उपयोग से ही नहीं होता । टैक्स का अगर डिक्शनरी का मीनिंग भी देखें तो आक्सफोर्ड डिक्शनरी के अन्दर टैक्स का मतलब बहुत ही विस्तृत रूप में दिया गया है :

"Something compared to a tax in its incidence, obligation or burdensome, a burden, strain, heavy demand, a charge."

चार्ज शब्द का इस्तेमाल तो इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से किया गया है । अगर वह आर्थिक चार्ज है तो इट इज ए टैक्स । अब इस रूप में यह जो हमारा विधेयक आया है या कोई टैक्स लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, कोई चार्ज लगा रहे हैं अथवा नहीं लगा रहे, राजस्थान की जनता पर कोई आर्थिक भार पहुंच रहा है अथवा नहीं पहुंच रहा, कोई बर्डनसम चीज इसमें है या नहीं, इस सम्बन्ध

(श्री हरिसिंह)

में इसका आप क्लॉज 12 देखें, "Levy of charges or fees :—

For the purpose of providing, maintaining or continuing any amenities in the industrial area, the Authority may, with the previous approval of the State Government, levy such charges or fees, as it may consider necessary, in respect of any site or building of the transferee or occupier there of."

इसको थोड़ा समझाने के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं यह जो विधेयक आप लाये हैं, इसके हिसाब से राजस्थान के अन्दर जो इण्डस्ट्रियल बस्तियां हैं उन्हें डवलप करने के लिये, उनमें और सुख–सुविधा पहुंचाने के लिये आप किसी प्रकार की अथॉरिटीज बनाना चाहते हैं। एक अथॉरिटी नहीं, कई अथॉरिटीज बनेंगी राजस्थान के अन्दर। जहां कहीं आप इण्डस्ट्रियल बस्ती बनाएंगे और उस इण्डस्ट्रियल बस्ती के अन्दर यह जो अथॉरिटी है वह चार्ज लगा सकेगी वहां के रहने वालों के ऊपर, वहां की बिल्डिंग की साइट वालों के ऊपर, वहां के आकुपायर्स के ऊपर। इसमें आपने यह कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेकर लगा देंगे। यह एक प्रोविजन है, इससे बचना चाहते हैं आप। स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से आप चार्ज नहीं लगा सकते। आप लगाइये लेकिन इसके लिये गवर्नर की सेंक्शन लेना बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। आपका पाइंट आफ आर्डर बहुत लम्बा हो रहा है, माननीय।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : पाइंट आफ आर्डर है, किसी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाए या नहीं किया जाए।

श्री अध्यक्ष : You have narrated everything. आप तो वैसे ही बहुत विद्वान हैं, छोटी-सी बात को भी बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : छोटी-सी बात नहीं है, अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी बात है यह।

श्री अध्यक्ष : आप कह रहे हैं कि इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, यही मतलब है-and I must decide something. यही मतलब है आपका that the Chair should decide and Chair should not allow them. All right. मैं आपको रूलिंग दे देता हूं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मेरी बात तो पूरी हुई ही नहीं। या तो आप कह दीजिये कि यह चैक से.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी की सुन लें। अच्छा, आप विराजें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अगर आपको इसमें शक–सुबाह है, तो मैं आपको टैक्स की बता रहा हूं। मैंने टैक्स की परिभाषा भी आपको बतायी। फिर मैं आपको दूसरी बात यह बताना चाह रहा था इसमें यह अथॉरिटी आती है, लोकल अथॉरिटी नहीं है। इसको जहां तक सबमिट किया है इसके लिये the State Government may, by a notificotion, constitute for the purposes of this Act any Industrial

(164)

(श्री हरिसिंह)

Development Authority for any specific industrial area. The authority shall be a body corporate. यह लोकल ग्राथॉरिटी नहीं होती है, यह बॉडी कारपोरेट होगी । अगर लोकल बॉडी होती तो फीस लगा सकता है इसमें । मेरा इसमें जो एतराज है वह इस शब्द के ऊपर है कि ग्राप चार्ज लगाने जा रहे हैं । ग्रगर कोई फीस लगाते तो आप लगा देते, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन यहां 'चार्ज' शब्द है । फीस तो होती है किसी चीज के लिये । इसमें एक नहीं ग्रनेकों रूलिंग्स मिलेंगी ग्रापके लिये । फीस के रूप में ग्राप कोई टैक्स लगा देंगे, वह फीस हो गयी किसी खास परपज के लिये । The condition for exclusion of a fee levied by such authority is that it is either a fee for licence or a fee for services rendered. और वह भी लोकल ग्राथॉरिटी के लिये । अगर किसी सर्विस के लिये फीस है ग्रौर लोकल ग्रथॉरिटी की है तो आप लगा दीजिये । किसी लाइसेंस के लिए फीस है तो ग्राप लगा दीजिये । यहां इस केस के अन्दर मैं ग्रापसे निवेदन करना चाह रहा हूं, राजस्थान के ग्रन्दर जितने भी शहर हैं वहां ग्रापकी इंडस्ट्रियल बस्तियां बनेंगी ग्रौर वहां आपकी लोकल ग्रथारिटी होगी ग्रौर वहां के लोगों पर ग्राप चार्ज लगाएंगे । ग्राप लेने जा रहे हैं इसके अन्दर...

(15.49)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अब बड़ा मुश्किल हो गया । ग्रब मुझे फिर शुरू से समझाना पड़ेगा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मुझे ग्रपना पाइंट ग्राफ आर्डर फिर शुरू से बताना पड़ेगा । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ग्राफ ग्रार्डर यह है कि ...

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट सुनिये । "The Chair is not to decide whether a Bill is ultra-vires or inultra-vires of the Constitution." 6 May, 1958.

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं ग्रल्ट्रा-वायरस की बात कर ही नहीं रहा हूं इसमें । मैं कब कह रहा हूं कि ग्रल्ट्रा-वायरस है ये ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रापका पाइंट ग्राफ आर्डर हो गया, वैलिड है, लेकिन आपने यह देखा नहीं, This is only enabling Bill. इसमें कोई टैक्स लगाने की बात नहीं है, it is not a Einancial Bill. यह फाइनेंशियल बिल की डेफिनेशन में नहीं है । केवल एनेबलिंग बिल है । इस एक्ट में न कोई टैक्स लगाया जा रहा है, न इसमें टैक्स किया जा रहा है, केवल सरकार ग्रधिकार ले रही है ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : यही मैं कह रहा हूं ग्रापसे । आपने यह जो रूलिंग दी वह तो यह दी कि यह कांस्टीट्यूशन के विपरीत बात है । मैं यह नहीं कह रहा । मैं तो यह कह रहा हूं..... (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसमें एनेबलिंग है, ग्राप यही कहने जा रहे हो ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : एनेबलिंग नहीं है ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कहां 207 को लागू कर रहे हो ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : एनेबलिंग नहीं है, साहब ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसमें कोई टैक्स लगाने का अधिकार नहीं ले रहे हैं ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : "For the purposex of providing, maintaining...." मान लिया अगर टैक्स लगाने का कोई अधिकार आप इस बिल से ले रहे हैं तो आप नहीं ले सकते ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नहीं ले रहे हैं, ले ही नहीं सकते ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : नहीं ला सकते न । अब आगे चलिये । उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो रूलिंग दी वह इस बात पर दी कि आप यह तय नहीं करेंगे कि कांस्टीट्यूशनली अल्ट्रा–वायरस है कि नहीं है ? I am not challenging the ultra-vires or otherwise of this Act. यह तो मैं बात ही नहीं कह रहा जो इन्होंने कही थी ।

श्री भंवरलाल शर्मा : पढ़िये, आगे पढ़िये ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हां, अब आप देखिये । Levy of charges or fees. आप लैवी कर रहे हैं, आप लैवी करने का अधिकार ले रहे हैं और वह भी आप इनडिस्क्रिमिनेटरी अधिकार ले रहे हैं । आप यह भी नहीं बताना चाह रहे हैं हाउस के लिए कि आप कितने रुपये लगाएंगे, किस रेट से लगाएंगे, किस पर लगाएंगे ? आप बहुत ही ओपन अधिकार ले रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेट पावर आप लेने जा रहे हैं ।

"For the purpose of providing, maintaining or continuing any amenities in the industrial area, the Authority may, with the previous approval of the State Government levy such charges...."

यह आपके डिस्क्रिशन पर है, कोई भी चार्ज आप लगा सकते हैं, कितना भी लगा सकते हैं कभी भी लगा सकते हैं आप । इस प्रकार के अधिकार लेने के लिए आप इस बिल को लाये हैं और वह भी बगैर गवर्नर की सिफारिश के । यही तो मैं कह रहा था आपको कि आर्टिकल 207 जो है वह स्पष्ट बार करता है इसके लिये । आप गहराई में जाएं, उपाध्यक्ष महोदय, इसको लाइटली मत लीजिये आप । यह रूलिंग आगे चलकर काम देगी आपको । यह तो गवर्नमेंट किसी के लिये ले आयेगी तो आप गवर्नर को बाईपास करने लग जाएंगे टैक्स लगाने के लिये । राजस्थान की जनता को अधिकार है यह कि कोई भी हाउस के अन्दर अगर बिल आएगा तो वह गवर्नर की रिकमण्डेशन के बाद में आएगा टैक्स लगाने के लिये । आप हम पर बर्डन इम्पोज करते चले आ रहे हैं और गवर्नर के पास आप जा नहीं रहे इस काम के लिए । 207 बिलकुल क्लियर कहता है । फिर भी आप कह रहे हैं, आप तो एल. एल. बी. हैं, श्रीमान्,

"A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of the Article 199 shall not be intrdouced or moved except on the recommendation of the Governor."

(श्री हरिसिंह)

199 (ए) के अन्दर टैक्स है और टैक्स का मतलब चार्ज है और चार्ज लगा रहे हैं आप। आप अधिकार नहीं ले रहे हैं चार्ज लगाने के लिए राजस्थान की जनता के ऊपर? आप यह कह दें कि आप चार्ज लगाने का अधिकार नहीं ले रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे बहुत ही स्पष्ट शब्दों में विनम्र निवेदन है कि यह जो बिल है, राजस्थान की जनता पर एनेबल चार्ज लगा रहा है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : Go on repeating.

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इनको अधिकार दे रहे हैं, with the permission of the State Government. गवर्नर से रिकमण्डेशन कराना इस मामले में बहुत जरूरी था, यह मेरा पाइंट ग्राफ ग्रार्डर है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा कांस्टीट्यूशन का ज्ञान ग्राप बता रहे हैं, यह एक फाइनेंशियल बिल नहीं है, It is an enabling Bill. जब भी इस पर हम टैक्स लगाएंगे या कोई बात करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी हमको परमिशन लेनी पड़ेगी according to the Constitution, इसमें केवल एक कारपोरेट बाडी कायम करने का अधिकार मात्र ले रहे हैं। इसलिए it is not a Financial Bill.

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इस सैक्शन को निकाल दीजिए, इसमें से ग्राप।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : ग्राटिकल 199, ग्रभी हम कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं न कोई ग्रापकी रेट तय कर रहे हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : You, please, delete Section 12. आप सैक्शन को बाहर निकाल दीजिए इसमें से।

श्री उपाध्यक्ष : पहले ग्राप पूरा सुन लीजिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : ग्रब आप मुझे बोलने देंगे ? यह कांस्टीट्यूशन के ग्राटिकल 243 से सम्बन्धित है जिसमें कारपोरेट बाडीज बनाई जाती हैं, उनका जुरिस्डिक्शन तय किया जाता है। उसमें कहीं भी यह फाइनेंशियल बिल नहीं है। इसलिए जबरदस्ती खींच-तान करके, क्योंकि ग्रभी नोएडा में रीको सर्विस चार्ज ले रही है, ग्रब आपके लिए फाइनेंशियल बिल लाइये तो इसलिए यह सर्विसिंग चार्जेज जो नोएडा में लिये जा रहे हैं, रीको ले रही है यह कोई फाइनेंशियल बिल की तारीफ में ग्राता नहीं है कि खींचतान करके 199 ग्राटिकल को लागू किये जाने का एक ऐसा प्रयास है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप तो बहुत विद्वान हैं, ग्राप इस बात को समझते हैं कि जब एनेबलिंग बिल है कि इसमें अभी कुछ होना ही नहीं है, केवल सरकार को अधिकार दे रहे हैं, बाद में सरकार जब उसमें एक्ट अपोन करेगी उसके ग्रन्तर्गत रूल्स बनाये जाएंगे फिर टैक्स लगाना होता तो उसकी विधिवत परमिशन ली जाएगी। यह तो अभी बाकी है, केवल एनेबलिंग बिल है, केवल सरकार यह ग्रधिकार ले रही है कि हम इस तरह इण्डस्ट्रियल जोन्स बनाने का अधिकार चाहते हैं। इसलिए इसमें कहा है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : नहीं, लोकल आथोरिटी के पावर्स डेलीगेट कर रहे हैं आप ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : केवल जोन्स बनाने के पावर्स ले रहे हैं ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : रूल्स बनाने के नहीं है यह ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : इण्डस्ट्रियल एरिया है ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : will you not impose charge ? Tell me please, will you not impose charge ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : आज इस एक्ट में नहीं है ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इसमें है ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : नहीं, इस एक्ट में नहीं है ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इसमें है न, पढ़िये आप इसको ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : जब आप एक्ट लायेंगे तब पढ़ लेंगे ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इसमें है ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : जब क्लाज बाई क्लाज आएगा तब पढ़ लेंगे ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : यह है न । जब क्यों पढ़ेंगे ? अभी पढ़ेंगे इसको ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : आप 243 पढ़ लीजिए । जब कोई कारपोरेट बाडी बनती है, आप 243 पढ़ लीजिए....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : 207 पढ़ा है मैंने ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : हां, तो उसको जो अधिकार, अब जो इण्ट्रस्ट्रियल टाउन्स बनेंगे तो they will also choose local bodies. तो जो लोकल बाडीज को अधिकार....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : This is not local body.

श्री हरिशंकर भामड़ा : अभी कुछ नहीं है जब बनेगी तब लोकल....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : This is not local body, Sir. लोकल बाडी में तो प्रतिनिधि होता है, लोकल बाडीज में तो जनता द्वारा चुनाव होता है ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : A local body in the sense to the limited area of the industrial town.

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : लोकल बाडीज के अन्दर तो, साहब, चुनाव होता है ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : फिर वही बात । अब कोई जरूरी है कि चुनाव होता है ? चुनाव नहीं भी होता है, एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : लोकल बाडी के अन्दर यह तो प्रोविजन नहीं होगा ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं लोकल बाडी में ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : एडमिनिस्ट्रेटर तब होते हैं जब....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नहीं हो तो इसलिए इसमें चुनाव की व्यवस्था नहीं है। अब आप उसको खाह्मखाह फाइनेंशियल बिल बना रहे हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : खाह्मखाह नहीं बना रहा हूं, साहब, खाह्मखाह नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : आपका व्यवस्था का प्रश्न रिजेक्ट किया जाता है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : This is again my point of order, Sir. I will seek the right to move the privilege motion. यानि मेरा जो पाइंट आफ आर्डर है उस पर आसन को डिसाइड करने का है, माननीय सचेतकजी इस पर विचार कर रहे हैं, will you allow it, Sir ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं-नहीं, मैं तो बोला ही नहीं हूं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या आप इनको अलाउ करेंगे इसके लिए ? Tell me, Sir. Will you allow it ? सचेतकजी यह कह रहे थे कि the point of order is rejected.

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं 243 पढ़ रहा हूं, सर।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 199 के क्लाज दो को पढ़ लीजिए आप, जिसमें साफ लिखा है :–

"A Bill shall not be deemed to be a Money Bill by reason only that it provides for the imposition of fines or other pecuniary penalties, or for the demand or payment of fees for licences or fees for services rendered, or by reason that it provides for the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax by any local authority or body for local purposes."

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : "....or any local authority or local body. लोकल अथारिटी और लोकल बाडी नहीं है यह ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप पढ़ लीजिए 199.

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : पढ़कर ही तो सुनाया है मैंने।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : क्लाज दो पढ़िये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय उप मुख्य मन्त्री महोदय, are you able to distinguish between the local body and the corporate body ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यहां कहां लोकल बाडी का सवाल आ गया ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : किसी कारपोरेट बाडी के अन्दर और लोकल अथारिटी के अन्दर डिस्टिंग्युइस करेंगे कि नहीं ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : Under Article 199 (2), it is not a Financial Bill.

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आर्टिकल 199 को क्यों आप मिसकोट कर रहे हैं ? आप 207 (2) कोट करिए।

श्री हरिशंकर भामड़ा : फाइनेंशियल बिल की डेफिनेशन, आप 207 पढ़िये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : 207 (2) बोलिए आप।

श्री हरिशंकर भामड़ा : आप पढ़िये। It refers to Article 199. आप 207 पढ़िए। जरा जोर से पढ़िए जो रेफरेंस करता है कि 199 की क्लाज दो में जो फाइनेंशियल बिल होते हैं वह होते हैं। पढ़िए आप।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैंने पहले ही पढ़ा है यह फिर सुन लीजिए। "A Bill or amendment shall not be deemed to make provision for any of the matters aforesaid by reason only that it provides for the imposition of Fines..." अब आप चार्ज और फी में डिस्क्रिमिनेट करिएगा। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : 207 है, "A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clause (a) to (f) of clause (1) of Article 199 shall not be introduced...." यह है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं वही तो पढ़ रहा हूं।

श्री हरिशंकर भामड़ा : तो 199 में बताया गया है कि फाइनेंशियल बिल कौनसे होंगे, कौनसा नहीं होंगे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इसमें कोई चार्ज शब्द लिखा हुआ है क्या फीस के अलावा ? चार्ज और फीस में फर्क है, यही मैं कहना चाहता हूं। चार्ज लिखा हुआ है क्या इसके अन्दर कहीं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : आप दोनों बहस कर रहे हैं इससे फायदा क्या होगा ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : फी के अलावा कहीं चार्ज है क्या ? (व्यवधान) तो मैं यह कह रहा हूं कि you delete the word 'charge' from it.

श्री उपाध्यक्ष : कृपया अब विराजें। श्री हरिसिंह जी ने जो यह पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है वह 199 के अन्दर आता नहीं है इसलिए मैं इसको रिजेक्ट करता हूं। श्री शिवनाथसिंहजी।

श्री हरिशंकर भामड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, फिर सेलिएन्ट फीचर्स बाद में बता दूंगा। बिल के सेलिएन्ट फीचर्स अभी बताऊं, या बाद में बता दूं ?

श्री शिवनाथ सिंह : वह लिख दिये हैं इसमें। आपने लिख दिये थे इसमें।

श्री हरिशंकर भामड़ा : यदि सुनना नहीं चाहें तो कोई बात नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : बाद में रिप्लाई में दे देना, सर। (व्यवधान) यह सब बता देंगे।

श्री हरिशंकर भामड़ा : नहीं-नहीं, इसके अलावा भी सेलिएन्ट फीचर्स यदि आप जानना चाहें तो बताऊं ? मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(170)

विधेयक पर विचार

राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1995

प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : कुछ हम बता दें फिर कुछ आप बता देना बाद में। उपाध्यक्षजी, मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1995 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए, जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करे। (सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जाएगी)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह प्रस्ताव पेश करने की आवश्यकता क्यों पड़ी....

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : यह तो ले डाउन करने के लिए आएगा। यह इस पोजिशन में नहीं है कि आप बोल रहे हैं। अभी तो मेज पर रख देंगे उसके बाद आप बोल सकते हैं। अभी शुरू में ले डाउन नहीं किया तो क्या बात है....

श्री शिवनाथ सिंह : मैं सदन के सामने यह बातें रखना चाहूंगा जिसके कारण से मैं प्रस्ताव पेश कर रहा हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इससे पहले प्रवर समिति कैसे आ जाएगी ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : मैंने जब विचारार्थ का प्रस्ताव रखा उसके पहले ही वह खड़े हो गये थे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह विचारार्थ रखा है उसके बाद जनमत आएगा फिर प्रवर समिति आएगी। आप कहां से आ गये ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आप विचारार्थ रखेंगे तब ही तो हम बोलेंगे।

श्री हरिशंकर भामड़ा : आपने रखने ही नहीं दिया। उसी पर पाइंट आफ आर्डर आ गया था। रखूं तब बोलेंगे आप। आपने रखने ही नहीं दिया पहले पाइंट आफ आर्डर दे दिया।

श्री शिवनाथ सिंह : आपने विचारार्थ रख दिया था।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कहां रखा है, अभी रखा ही नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : रख दिया बहनजी, रख दिया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगर रख दिया तो प्रवर समिति के पहले जनमत आएगा।

श्री शिवनाथ सिंह : वह है नहीं इसमें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : है, मैं बोल रही हूं।

श्री शिवनाथ सिंह : जनमत तो पहले ही हो चुका।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अभी आप बैठ जाइये। मेरे बाद आप बोलिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह छह महीने पहले आ गया था। जनमत भी जान लिया गया है इसीलिए आप बैठिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जनमत तो अभी आया ही नहीं। अभी तो वह प्रस्तुत करने की पोजिशन में थे। उन्होंने अस्वीकार करने की पोजिशन में अपना रखा था कि मैं बोलता हूं, हम नहीं रख सकते हैं। तो मैं जनमत जानने के उस पर बोलना चाहती हूं। यह मेरे बाद आएंगे। प्रवर समिति कहां से आ गयी अभी ?

श्री शिवनाथ सिंह : जनमत के लिए बात हुई थी। जनमत के लिए परिचालित हो चुका, उसकी रिपोर्ट आ गयी इसलिए....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप बैठिए। रिपोर्ट आती तब बात होती। रिपोर्ट करने के लिए तो मैं यह बात कहना चाहती हूं। इतना बड़ा मामला है, यह लाए है....

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आपका किसके लिए है ? यह तो प्रवर समिति के लिए है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप बीच में आ गये, बैठिए। चौधरी जी, आप नहीं जानते कानून के बारे में, बैठ जाओ।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, आप बहनजी को समझाओ। जनमत का कोई प्रस्ताव है ही नहीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा जनमत जानने का प्रस्ताव है।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं हाथ जोड़ता हूं। मैं पांच मिनट में खतम कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं, उजला जी, छह महीने पहले ही आ गया था। जनमत का रिएक्शन आ गया। आप विराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे आने से पहले आ गया ?

श्री रामनारायण चौधरी : अब तो विराज जाओ आप। बिना पढ़े खड़ी हो जाती हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं जब बाहर गयी थी तब आ गया होगा, मुझे मालूम नहीं। आपने पाइंट आफ आर्डर उठाया है अस्वीकार की पोजिशन में। उन्होंने उसको ले डाउन नहीं किया है और आप बोल रहे हैं प्रवर समिति के ऊपर, सारा होच–पोच करने के लिए। मैं कहना चाह रही थी बीच में जनमत की एक पोजिशन है उस पर मैं बोल लूं, आप नहीं बोलने देना चाहते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : वह आ चुका।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह गलत तरीका है आपका। चौधरीजी, आप नहीं समझते हैं तो क्यों बोलते हैं ? हम आपस में बात कर लेंगे।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन कर रहा हूं कि किन कारणों से मुझे अपना यह प्रस्ताव लाना पड़ा। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। आज राजस्थान में औद्योगीकरण की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। औद्योगिक नीति हमारी बनी है और हमारे मुख्य मन्त्री राउण्ड दी वर्ल्ड, राजस्थान में उद्योग लगे, इसका निमन्त्रण देने के लिए भी गये। हमारे उप मुख्य-मन्त्रीजी भी देश के विभिन्न कोनों में इस

(172)

(श्री शिवनाथ सिंह)

बात के लिए गये कि हमारे राजस्थान में उद्योगपति आएं और उद्योग लगें। इसके लिए मैं माननीय उप मुख्य मन्त्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि ऐसा वातावरण बनाने में यह जो बिल आप लाए हैं, एक अच्छा कदम है। इसलिए मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

जब यह बिल ड्राफ्ट हुआ तब आपका ला डिपार्टमेंट या आपका विभाग इसको ड्राफ्टिंग करते वक्त अपने दिमाग में स्थिर नहीं था कि हम क्या प्रोविजन्स लाना चाहते हैं और मैं यह भी कहता हूं माननीय प्रभारी मन्त्रीजी भी कन्फ्यूज्ड स्टेज में थे, आज भी हैं। वह इस प्रकार से हैं, मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा, जब हम इसको देखेंगे तो पता लगेगा कि इस बिल के माध्यम से वह क्या व्यवस्था करना चाहते हैं। आपने जनमत जानने के लिए भेजा उसकी प्रतिक्रिया आई। उन प्रतिक्रियाओं में कुछ तो दम होगा। उन प्रतिक्रियाओं के बाद उनका क्या रिएक्शन हुआ, क्या सुझाव आए, इस बिल में कोई भी समावेश अमेंडमेंट के माध्यम से नहीं किया गया है। मैं जो दुविधा की स्थिति आपके सामने है उस बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष जी, आपने जो कांस्टीट्यूशन का एक प्रोविजन रखा है कि यह जो प्राधिकरण होगा उसका कांस्टीट्शन क्या होगा और उस कांस्टीट्यूशन में आपने अलग-अलग व्यवस्थाएं की हैं—

Authority shall be a body corporate. Authority shall consist of the following :

Secretary to the Government of Rajasthan, Industries Department. चेयरमैन होंगे। उसके बाद जब आप चलते हैं तो मैम्बर्स में क्या होगा—"....Secretary to the Government of Rajasthan, Public works Department hor his nominee...." आप आज के दिन तक भी इस प्रकार का माइण्ड नहीं बना पाए हैं कि इसके मैम्बर कौन होंगे, सैक्रेटरी कौन होगा या उसका नोमिनी होगा। उसके नोमिनी के लिए मैं एतराज नहीं करता हूं क्योंकि नोमिनी कौन होंगे वह आपने दे रखा है। इसलिए माननीय प्रभारी मन्त्रीजी को यह स्पष्ट करना चाहिए था कि इसके मैम्बर हम किसको रखना चाहते हैं, सैक्रेटरी को रखना चाहते हैं या उसके नोमिनी को। यह तो, उपाध्यक्ष जी, हमने देखा है कि एक मैम्बर है उसको हम अधिकार देते हैं कि उसका नोमिनी मीटिंग में जा सकता है लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था इस बिल में हो कि secretaiy or his nominee, मैंने तो कभी देखा नहीं है। एक डेफिनेट व्यक्ति को, डेफिनेट बाई पोस्ट और डेजिग्नेशन को हमको करना पड़ता है। उपाध्यक्ष जी, यह पेज–3 पर आप देख लीजिए।

फिर आपने परिभाषाएं की हैं। वाइस चेयरमैन के अलावा और किसी को आपने डिफाइन नहीं किया है, डेफिनेशन में आपने वाइस चेयरमैन को डिफाइन किया है, मैम्बर्स को डिफाइन नहीं किया है, चेयरमैन को डिफाइन नहीं किया है। वाइस चेयरमैन को डिफाइन करने की आवश्यकता क्या पड़

(श्री शिवनाथ सिंह)

गयी ? या तो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मैम्बर्स को डिफाइन करते"....'Vice-Chairman' means the officer appointed as such under Section 4 of the Act." यह तो कांस्टीट्यूशन में आ ही गया कि वाइस चेयरमैन होगा उसका। फिर आगे एक प्रोविजन आपने रखा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : शासन सचिव उद्योग लिखा है वह तो है ही।

श्री शिवनाथ सिंह : आपके बस का थोड़े ही है। आपने प्रेक्टिस बहुत दिन पहले की थी। मैं आपसे कह रहा हूं उसका चेयरमैन सचिव है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह तो पूर्णकालिक अधिकारी है। एक्चुअल का काम तो उपाध्यक्ष देखता है जो पूर्णकालिक अधिकारी होगा। यह तो जो शासन सचिव था, राजस्थान में अगर बीस नगरों में बनी तो बीसों का प्रेसीडेंट यह होगा और उपाध्यक्ष सबमें अलग-अलग होगा। इसलिए उसको डिफाइन करना जरूरी था।

श्री शिवनाथ सिंह : इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं फिर आपने एक प्रोविजन रखा है, बड़ा विचित्र प्रोविजन है कि जब अथारिटी और वाइस चेयरमैन के बीच में झगड़ा होगा तो उस झगड़े को राज्य सरकार सलटाएगी। एक अथारिटी है, उसका चेयरमैन, उसका वाइस चेयरमैन, उसके मैम्बर्स हैं, वाइस चेयरमैन और अथारिटी में क्या झगड़ा होगा, किस प्रकार के झगड़े की आप कल्पना करते हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : विवाद होगा। क्वारल नहीं।

श्री शिवनाथ सिंह : विवाद, झगड़ा एक ही बात है। क्वारल नहीं, प्रेम की लड़ाई है। मैं यह सोच नहीं पाता कि किस प्रकार की कोई अथारिटी बनती है जिसके वाइस चेयरमैन के और अथारिटी के बीच में विवाद खड़ा होगा और उसको सलटाने के लिए राज्य सरकार को जाना पड़ेगा। अथारिटी अपने हाथ में सक्षम है। अथारिटी का डिसीजन जो सर्वसम्मति से हो, बहुमत से हो उस अथारिटी के डिसीजन को कैरी आउट करने की वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी है क्योंकि वह पूर्णकालिक है। इसलिए इस प्रकार की कल्पना करके आज हम चलते हैं कि उनका झगड़ा होगा और राज्य सरकार सलटाएगी, मेरे समझ में आने वाली बात नहीं है।

उपाध्यक्ष जी, इसी तरह से आपने लैवी आफ फीस वगैरह का कहा। मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा। एक आपने पैनल्टी क्लाज रखा है-15, और पैनल्टी में आपने जो प्रावधान रखा है वह रुपयों का है। मैं एक सैकण्ड में उसको पढ़ देना चाहता हूं कि क्या आपकी पैनल्टी होगी।

(16.00)

"Penalty.-(1) Without perjudice to the provisions of Section 13 or Section 14, any person who contravenes any provision of this Act, or rules or regulations made thereunder or any direction issued under Section 9, shall on conviction by competent court be punishable with fine which may extend

(श्री शिवनाथ सिंह)

to five thousand rupees and in the case of a continuing offence with further fine which may extend to one...." इसका मतलब यह है कि कोई भी कन्ट्रावीन करता है, जो भी आफेन्स करेगा उसकी सजा होगी फाइन। आप देखिये, उपाध्यक्षजी, आपने कह दिया आगे चलकर कि कम्पाउण्ड हो गये, तो वह आदमी ...., इसी का सब क्लाज 4 है :

"...Where an offence has been compounded, the offender, if in custody, shall be discharged and no further proceedings shall be taken...."

'in custody', 'in custody' का मतलब है क्या ? उसको सजा होगी ? जेल में चला गया ? ऐसा कोई भी प्रोविजन, कोई भी आफेन्स आपने नहीं रखा है इसमें कि अमुक आफेंस के कन्ट्राविशन में उसको सजा हो सकती है, उसको कस्टडी में भेजा जा सकता है। यह कहां से नया प्रोविजन आप ला रहे हैं ? जहां फाइन का है उस फाइन का तो हम मान सकते हैं लेकिन कस्टडी का प्रोविजन कहां से आ गया ?

इसी तरह, उपाध्यक्षजी, जो एरिया आप डवलप करना चाहते हैं उसमें तीन तरह की इंस्टीट्यूशन आपने मानी हैं। लोकल अथारिटी मानी है और मैं यह मानकर चलता हूं कि इस प्रकार अथारिटी जमीन लेगी और उसमें पंचायत एरिया से जमीन ले सकती है और लोकल बाडीज के एरिया में से भी ले सकती है। तो वहां अथारिटी आपकी पंचायत होगी और पंचायत के एरिया में ही एक अथारिटी डवलप करेंगे आप। वहां पंचायत होगी, अथारिटी हो गई। पंचायत और अथारिटी दोनों के बीच में झगड़ा खड़ा कर दिया आपने। या तो आप इसमें यह करते कि जितना एरिया आपने अथारिटी के लिए ले लिया है वह पंचायत एरिया से निकाल लिया। ऐसा प्रोविजन आप इसमें नहीं रख रहे हैं। पंचायत का जुरिस्डिक्शन वहां रहेगा, अथारिटी का जुरिस्डिक्शन भी रहेगा। कल्पना करिये आप कि पंचायत के एरिया में आपने टैक्स लगा दिया और वह इस अथारिटी एरिया में जाता है, पंचायत वहां टैक्स वसूल करना चाहेगी, अथारिटी उसको देगी कि नहीं देगी ? यह पंचायत के एरिया में अथारिटी की कल्पना करना और आपके लोकल बाडी में कल्पना करना, इसमें बिलकुल विरोधाभास है। या तो उसको आप निकालो कि पंचायत एरिया से हमने उसको निकाल दिया है, लोकल बाडीज एरिया से निकाल दिया है। वरना आप इस प्रकार की व्यवस्था कहां कर पाओगे।

उपाध्यक्षजी, तीसरी बात में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जमीन लेने का प्रावधान है और जमीन लेने का प्रावधान लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट के प्रावधान के अन्तर्गत है। आज भी झगड़ा इस बात का उठ रहा है कि काश्तकार की जमीन जो ली जाती है उसका उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है। यह अथारिटी है और कामर्शियल परपज के लिए है, रुपया कमायेगी लेकिन काश्तकार की जमीन आप लेंगे उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। मैं माननीय प्रभारी मन्त्रीजी से निवेदन करना

(श्री शिवनाथ सिंह)

चाहूंगा कि इसमें स्पष्ट प्रोविजन होना चाहिए कि जो भी काश्तकार की जमीन ली जायेगी उसको मार्केट वैल्यू पर कम्पेनसेशन दिया जायेगा। आज इस अधिकार से आप ले लेते हैं, आप लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट की धारा के अन्दर इसको एक्वायर कर लेते हैं तो फिर काश्तकारों का झगड़ा जो आज पृथ्वीराज नगर में चल रहा है, दूसरी जगह चल रहा है, इस प्रकार के झगड़े होंगे। काश्तकारों के संरक्षा के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का प्रोविजन इसमें होना चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : सुझाव दीजिये क्या करें।

श्री शिवनाथ सिंह : इसमें प्रोविजन रखें कि जो जमीन एक्वायर की जायेगी उसको मार्केट रेट से वैल्यू, कीमत दी जायेगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तो आलरेडी है।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं है इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। दूसरे भी प्रोविजन हैं, मैं माननीय सदस्या का समय . (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : आप क्या कह रहे हैं, क्या है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट को ही काम में लेंगे यह लिखा हुआ है इसमें जब....

श्री परसराम मदेरणा : क्या लेंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : जमीन एक्वायर करनी होगी, तो लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट के तहत की जायेगी, यह लिखा हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : उससे क्या है। 20 हजार रुपये देते हैं... (व्यवधान) जमीन साढ़े पांच लाख रुपये की है। We are sons of soil. उनको लूट रहे हो आप। लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट कुछ नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : ऐसा प्रोविजन नहीं है। (व्यवधान) मार्केट रेट का उसमें प्रोविजन नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो इसमें कहां करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : आप खड़े होकर बोल देते हो, लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट हम नहीं जानते कि लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट का क्या है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं जानते हो आप, यह किसने कहा।

श्री परसराम मदेरणा : लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट काश्तकार के साथ न्याय नहीं करता। उसको लूटता है। (व्यवधान) इतनी कीमती जमीन जा रही है।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह अलग बात हुई। यह कहिये कि वह एक्ट नहीं लगना चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : काश्तकार को लूटता है, यह पहला रीको है। सरकार के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आने के बाद में मार्केट रेट पर किसानों को पहली बार ढाई लाख, तीन लाख रुपये बीघा की कीमत दी है यहां पर राजस्थान में।

श्री परसराम मदेरणा : रीको है, रीको।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यही नहीं राजी खुशी बात करके दी है। इसका प्रावधान भी वही है, इसमें भी वही प्रावधान है।

श्री परसराम मदेरणा : कहां है प्रावधान ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं बता रहा हूं आपको।

श्री परसराम मदेरणा : मार्केट रेट, रीको, रीको कर रहे हो। हमको क्या पता? रीको हम जानते हैं। मार्केट रेट का प्रावधान स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हो, यह है माननीय सदस्य का कहना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसमें कोई भी संशोधन नहीं है इसके लिए।

श्री जगतारसिंह कंग (श्री करणपुर) : माननीय मन्त्रीजी, आप तो मुआवजा भी पूरा नहीं देते। किसान की जमीन एक्वायर करने के बाद उसको पैसा भी नहीं मिलता।

श्री परसराम मदेरणा : अगर यह संवेदनशील गवर्नमेंट किसान के प्रति है तो ले जाओ यहां से। नहीं लिया हुआ है तो फिर सलेक्ट कमेटी में दो। सलेक्ट कमेटी का प्रावधान है।

श्री शिवनाथ सिंह : एक प्रोविजन इसमें आपने रखा है कि जो अथारिटी होगी, इसमें लास्ट टाइम आपने कहा था, "Five members to be nominated by the States Government from amongst entrepreneurs of the industrial area." उपाध्यक्षजी, इंटरप्रिन्योर्स को रिप्रजेन्टेशन देना चाहते हो आप तो यह प्रोविजन होना चाहिए कि अपने आप में से पांच मैम्बर चुनकर आपको दे दें। उनमें से भी आप ही नामिनेट करेंगे। यह इतना भयंकर है कि आप अपनी मर्जी के, जो आपके पक्ष में बोलने वाले हों, जो उस एरिया के विकास का ध्यान नहीं रखते हों लेकिन आपके जो हिसाब से चलने वाले हों उनको आप करेंगे। यदि उनके पांच मैम्बर्स आप देना चाहते हैं तो अपने आप में से चुनकर वह आपको दें, इस प्रकार की व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते हैं। उपाध्यक्षजी, इतनी एनामलीज हैं इसमें और बहुत सुधार की गुंजाइश है। आज कोई बहुत अर्जेन्सी भी नहीं है। अर्जेन्सी होती तो हम मान लेते। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत-सी बातें इसमें हैं जो सलेक्ट कमेटी में गये बिना ठीक नहीं होंगी, सलेक्ट कमेटी से सुझाव आएंगे, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको सलेक्ट कमेटी में भेजा जाए और अगले सत्र के प्रथम दिन सलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट कर दे, यही मेरा सब्मिशन है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसमें यह निवेदन कर रहा हूं कि सात माह पूर्व परिचालित हो चुका।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हां मालूम है। प्रवर समिति में मेरा संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये पूरा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे तो एक दो बातें कहनी हैं। मुझे कोई ख़ास नहीं कहना है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपका चार नम्बर पर है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे पास आपकी डाक नहीं पहुंची। मैं कहना नहीं चाह रही थी। फालतू की बात करते हो आप।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इसमें कोई संशोधन अभी तक नहीं आया। संशोधन आना चाहिए था। उसके बाद ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : संशोधन की जरूरत नहीं है। इनका प्रवर समिति का प्रस्ताव है।

श्री रामनारायण चौधरी : प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाये।

श्री शिवनाथ सिंह : मेरा प्रस्ताव है, संशोधन यही है इसमें।

श्री परसराम मदेरणा : यह बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : हमारा प्रस्ताव है चार आदमियों का।

श्री परसराम मदेरणा : Four Members have moved a motion that this Bill be referrod to the Select C'n‍‌ittee and this is very much a motion under the rules of procedure. He is the second member now referring to the motion.

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मन्त्रीजी राजस्थान का डवलपमेंट करने के लिए चिन्तित हैं और डवलपमेंट में औद्योगिक डवलपमेंट के लिए एक बिल लाए हैं। मैंने प्रस्ताव इसलिए दिया है प्रवर समिति को भेजने का, क्योंकि मैंने इसको देखा है और प्राधिकरण के गठन में ही मूल रूप से आपत्ति है। शासन सचिव उद्योग विभाग इसके अध्यक्ष होंगे और धारा चार के अधीन नियुक्त अधिकारी इसके उपाध्यक्ष होंगे। फिर शासन सचिव पी. डब्ल्यू. डी. या इनका नोमिनी सैक्रेटरी इनके आर हिज नोमिनी। एक सैक्रेटरी है जो इण्डस्ट्रियल डिपार्टमेंट का है। रेस्ट आर डिप्टी सैक्रेटरीज। जो वाइस चेयरमैन रखा है उसको एक्ट से देखा जाए तो ऐसा मालूम होता है कि वह अथारिटी से भी बड़ी कोई चीज है। वह डेफिनेटली सैक्रेटरी से तो ऊंचा नहीं हो सकता क्योंकि उसका सैक्रेटरी चेयरमैन है। सैक्रेटरी से ऊंचा जाने का नहीं, क्योंकि वह अथारिटी का चेयरमैन है। डेफिनेटली उससे बिलो रैंक का होगा। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि इतने बड़े प्राधिकरण का आप गठन करने जा रहे हैं इसमें कुछ होता, या तो कोई सूची होती या इसका चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होता तब एक इम्पेक्ट आता कि वास्तव में राजस्थान के डवलपमेंट के लिए औद्योगिक डवलपमेंट के लिए राजस्थान सरकार जागरुक है और दिलचस्पी रखती है। इण्डस्ट्रीज मिनिस्टर उसके वाइस चेयरमैन होते। जब जयपुर डवलपमेंट अथारिटी बनी थी तब चीफ मिनिस्टर को

(178)

(श्री रामनारायण चौधरी)

चेयरमैन रखा था। मुझे यह बात जंची नहीं थी कि चीफ मिनिस्टर कहां राजस्थान का है और कहां जयपुर में लाकर चेयरमैन बना दिया, यह अव्यावहारिक है। भंवरलाल जी शर्मा, स्वायत्त शासन मन्त्री वाइस चेयरमैन बने थे। आजकल मेरे ख्याल से यह चेयरमैन हैं क्योंकि उसमें बाद में अमेंडमेंट आ गया। यह अव्यावहारिक हो गया। मैं इसमें व्यावहारिक यह मानता हूं कि इण्डस्ट्रीज मिनिस्टर इसके चेयरमैन होने चाहिए। सैक्रेटरी को चेयरमैन बना दिया। टोटल ब्यूरोक्रेसी, सारी नौकरशाही, पूरी की पूरी नौकरशाही के हाथ में आज भी राज है। कौन रोकता है इण्डस्ट्रियल सैक्रेटरी को। मैं सलेक्ट कमेटी के लिए इसलिए दे रहा हूं कि मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इसका चेयरमैन इण्डस्ट्रीज मिनिस्टर होना चाहिए। इसके मैम्बर जो हैं फलाना सैक्रेटरी, फलाना सैक्रेटरी हो, उसका नोमिनी नहीं होना चाहिए। जब आप राजस्थान का इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो डिप्टी सैक्रेटरीज को आप उसका मैम्बर बना रहे हैं, कोई समझ में आने वाली बात है ? नहीं, वह तो उसमें डिप्टी सैक्रेटरी जोड़ रखा है। डिप्टी सैक्रेटरी को आपने नोमिनी दे दिया तो इसका मतलब आपने इसको गौण कर दिया। इसकी जो महत्ता है उसको समाप्त कर दिया। मैम्बर होता है। मैम्बर इज मैम्बर। उसका डिप्टी क्या होगा ? वह तो आपने उसको जोड़ दिया। उसका असर ही आपने खतम कर दिया। मन्त्री महोदय, आपको इसमें प्रस्तावित करना चाहिए था कि इण्डस्ट्रीज मिनिस्टर इसका चेयरमैन होगा और सैक्रेटरी इसका मैम्बर होगा। दूसरे सैक्रेटरीज जो आपने इसमें रखे हैं, मान्यवर, इसमें सब नौकरशाह ही दे रखे हैं। नौकरशाही ने दुनिया में कहीं क्रान्ति नहीं की। नौकरशाही हमेशा हुक्म की गुलाम रही है चाहे कितना भी बड़ा हो। जब तक इसका पब्लिक करेक्टर नहीं होगा, इसमें जन-प्रतिनिधि चाहे सरकार अपने ही नोमिनी बना दे। हम नहीं कहते कि हमसे, अपोजिशन से पूछकर बनाए, लेकिन आप इसमें जो इण्डस्ट्रियल माइण्ड के लोग हैं, आपकी पार्टी में भी बहुत हैं, घनश्याम जी तिवाड़ी जैसे हैं, जो बहुत फर्टाइल हैं। उनका दृष्टिकोण है और दूसरे लोग हैं वह लाइट में नहीं हैं। बाबूलाल जी वर्मा कल प्रदूषण पर बोल रहे थे उनका कितना अच्छा अध्ययनशील भाषण था। मैं तो उनके भाषण को सुनकर दंग रह गया। कितना अच्छा भाषण था। इस सारी डिबेट के उस दिन वही चैम्पियन थे। तो ऐसे लोग, आपकी पार्टी में भी बहुत प्रतिभा छिपी हुई है। प्रतिभावान वही नहीं है जो मन्त्री मण्डल में आगे की सीट पर आ गये हैं। प्रतिभावान वह हैं जो पीछे बैठते हैं। मन्त्रियों में तो जोड़-तोड़ से आ जाते हैं। चीफ मिनिस्टर अपने सारे समीकरण, इक्वेशन देखता है। प्रतिभावान आदमी तो पीछे छिपे रहते हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यह जो आपने नौकरों से भर दिया, मुझे नौकर शब्द सैक्रेटरीज के लिए हलका शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लेकिन है तो....

श्री परसराम मदेरणा : कौन बोले थे ?

श्री रामनारायण चौधरी : बाबूलाल जी वर्मा।

श्री परसराम मदेरणा : अच्छा, बाबूलाल जी बोले थे।

श्री रामनारायण चौधरी : बहुत अच्छा भाषण दिया था। उस दिन की सारी डिबेट के वही चैम्पियन थे।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो मदान साहब का समझ रहा था।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, मदान जी नहीं। बाबूलाल जी का बहुत अच्छा भाषण था। प्रतिभा बहुत छिपी हुई है। बहिन उजला अरोड़ा हैं, आप इनको कम समझते हो क्या? महिलाओं का इसमें प्रतिनिधित्व हो सकता था। इण्टरप्रिन्योर्स में से लेकर आ सकते थे। इण्टरप्रिन्योर्स में से किसे लें इसमें हमें एतराज नहीं है। उसमें आपकी स्टेट लेवल पर एपेक्स बॉडीज हैं, इण्डस्ट्री वालों की एपेक्स बॉडीज भी हैं और आप दूसरों को भी पकड़ सकते थे। नेशनल लेवल पर फिक्की है उसके प्रतिनिधि को भी आप यहां नोमिनी रख सकते थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसको बहुत लम्बा-चौड़ा रखना चाहिए।

शिवनाथ सिंहजी ने जो इसमें जमीन के बारे में कहा है कि लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट के तहत लें। आप उसी के तहत लें क्योंकि जमीन का नियम ही वह है लेकिन, मान्यवर, उसमें कहीं यह प्रोविजन नहीं है कि मार्केट रेट पर आप लेंगे। वह जो आथारिटी है उसके डिस्क्रिशन पर है कि वह 20 हजार बीघा भी दे सकती है, 25 हजार भी दिला सकती है, 50 हजार भी दिला सकती है। वह देखती है कि प्रिवेलेंट रेट कैसे हैं उस हिसाब से वह देती है। पहले प्रिवेलेंट रेट देखते हैं और रजिस्ट्री देखते हैं। मैं इसमें यह जोड़ना चाहता हूं कि मार्केट रेट हो और इसके अलावा जो काश्तकार बेदखल हों उनको रिहैबिलिटेट करने की जिम्मेदारी इसमें डाली जानी चाहिए। उनको जमीन के बदले जमीन दो। आपके पास जमीन की कमी नहीं है। आपके पास राजस्थान कैनाल पर, इन्दिरा गांधी कैनाल पर जमीन पड़ी है। आप ऐसे लोगों, जो बेदखल होते हैं, को बसाइये। काश्तकारों को, पीजेंट्री को आप समाप्त मत करिये। अगर पीजेंट्री एक बार खतम हो गयी तो इट इज लोस्ट फोर एवट। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पीजेंट्री पर मन्त्री महोदय को बहुत संवेदनशील होना चाहिए। आज जो अन्नदाता है कल आप उसको देकर के डाल देंगे। कहां डाल देंगे? आज जो एम. आई. रोड बनी हुई है यह सब किसानों की थी। आज आपकी वनस्थली मार्ग है, यह सब किसान थे। कहां हैं आज वह? सब आदमियों को आपने डाल दिया। उनका पता ही नहीं है। अता-पता ही नहीं कि वह कहां चले गये। वह खानाबदोश हो गये। उनका डेफिनेट कुछ होना चाहिए। जिनको आप उजाड़ें उनको नौकरियां दो या उनको जमीन के बदले जमीन दो। राजस्थान कैनाल पर या कहीं भी जहां आपको जमीन मिलती हो वहां पर जमीन दो। मैं मुआवजे तक सीमित नहीं रखना चाहता। काश्तकार को उजाड़ो मत। किसान को तबाह मत करो। पीजेंट्री को नष्ट मत करो।

आपने वाइस चेयरमैन के लिए कहा कि उनमें विवाद होगा। अब अथारिटी और वाइस चेयरमैन में कहां विवाद होगा?

(श्री रामनारायण चौधरी)

वाइस चेयरमैन में कहां विवाद होगा ? वाइस चेयरमैन नामिनिटेड बाई दी गवर्नमेंट और सैक्रेटरी टू दी गवर्नमेंट को आपने चेयरमैन बना रखा है। मैं तो उसके भी ऊपर प्रस्तावित करवाऊंगा सलैक्ट कमेटी में कि जब मिनिस्टर उसके चेयरमैन होंगे, उसके बाद उसका वाइस चेयरमैन होगा वह क्या कंफ्लिक्ट में आएगा। फिर बाद में आपने इसमें लिखा है कि जब कभी उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। तब आप इसको डिजोल्व कर देंगे, डिफंक्ट कर देंगे। इसमें यह तो आपने दे दिया कि इसको किस-किस तरह से डिस्पोजल करेंगे लेकिन यह कहीं जिक्र नहीं किया, मेरे ख्याल से मुझे तो मिला नहीं कि उसका जो स्टाफ होगा, सर्विसेज होंगी वह कहां जाएंगे। उनको आप खानाबदोश कर देंगे। उनको घर भेज देंगे कि बिस्तर उठाओ और घर चले जाओ। यह तो कोई बात नहीं हुई। उनके लिए भी इसमें कोई व्यवस्था होनी चाहिए। उनको आप किस तरह से कहां आब्जर्व करेंगे ? आप उनको गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट मानेंगे ? नहीं मानेंगे तो कहां उनको करेंगे ? यह इसमें कहीं नहीं है।

दूसरा, माननीय हरिसिंह जी ने जो आब्जेक्शन किया था, मैं उसका भी हामी हूं कि इसमें शास्ति, फीस और न जाने कितनी-कितनी चीजें आपने डाल रखी हैं। छूट का अधिकार भी आपने दे रखा है। इसमें शास्ति वसूली का है, किस तरह से जुर्माने का, शास्ति का मतलब पैनल्टी को आप कैसे वसूल करेंगे। यह तो डेफिनेटली उसके अन्दर आता है। आपकी फाइनेंशियल की परिभाषा में आता है वह भी इसके अन्दर है लेकिन आपने वह तो रूल आउट कर दिया। अब आपकी वार्षिक रिपोर्ट है। आपने रीको का भी जिक्र किया है। मान्यवर, यह प्राधिकरण बनाना तो तय ही हो गया लेकिन अब तक आपका रीको भी महत्वपूर्ण काम कर रहा था रीको ने भी राजस्थान में बहुत डवलपमेंट किया है, इसकी वैसे कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन आप ले आए। अब हम तो सलेक्ट कमेटी में हिदायत करते हैं। लेकिन कोई वजह नहीं थी कि रीको की बजाय ऐसी एक डवलपमेंट अथारिटी आप लाते। यह भी कोई बुद्धिमानी का कदम नहीं है। उसको ज्यादा जल्दी डिस्पोजल कर दिया। उसने भी बहुत काम किया है। लेकिन उसको तो जाने दीजिए, मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं मुख्य तौर पर जो आपने गठन किया है, मुझे उस पर ही बहुत आपत्ति है। मैं चाहता हूं कि इसके अन्दर जनप्रतिनिधि का समावेश हो।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : वाइस चेयरमैन है वह किसी को लगाना है वह भी ध्यान में कोई इनके हो।

श्री रामनारायण चौधरी : हां, वह कोई इनके ध्यान में हो, नान आफिसियल हो या कैसे क्या हो, वैल डवलप्ड काफी ऊंचे लोग इसमें सलेक्ट होते हैं, सुपर टाइम स्केल के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। लेकिन आपको क्या कठिनाई आई मुझे कोई समझ में नहीं आता। या तो आप कोई ऐसा बोर्ड बनाकर वाहवाही लेना चाहते हैं कि ऐसा बोर्ड बना दिया, हमने यह एक अचीवमेन्ट किया कि हमने बोर्ड बना दिया। बोर्ड

(श्री रामनारायण चौधरी)

का कोई आज तक अच्छा अनुभव तो आया नहीं है डवलपमेन्ट साइड के अन्दर और मेरे ख्याल से आपने कहीं भी आब्जेक्ट्स में लिखा भी नहीं है कि और किसी स्टेट के अन्दर ऐसा है उससे आप प्रेरित हुए हों। आपका जो आब्जेक्ट्स एण्ड रीजंस हैं उसमें यह जिक्र नहीं किया कि कहीं और भी जगह स्टेट में ऐसा है। आपने सिर्फ इतना कहा है, "In order to provide for the integrated and planned development of important areas in the State into well-planned industrial townships and for matters conected therewith, constitution of Development Authorities is considered desirable." यह आपकी एक सूझबूझ से, प्रेरणा से, अन्तर की प्रेरणा से लिया है। ठीक है लिया तो लेकिन रीको से अगर आपकी तसल्ली नहीं हुई हो तो उसके बाद भी रीको अपना काम करता रहेगा। अब एक तरह रीको काम कर रहा है, एक तरफ यह अथारिटी हो जायेगी तो यह समझ में नहीं आता कितना ओवर लेपिंग हो जायेगा। इधर रीको काम कर रहा है, उधर आपकी अथारिटी काम कर रही है उसका आप एमालगेमेट करेंगे नहीं वह तो अलग रहेगा। इधर नगर परिषद है भंवरलालजी आ जाएंगे और एक तरफ नाथूसिंहजी आ जाएंगे। खेतड़ी के अन्दर कई प्रकार के प्रोजेक्ट हैं। वहां न पंचायत है, न नगरपालिका है। उस स्थिति में आप इसको ले आयेंगे तो झगड़ा हो जायेगा। पंचायत अलग टैक्स लगायेगी, नगरपालिका अलग टैक्स लगायेगी, अथारिटी कहेगी हम टैक्स लगायेंगे, हम इसको देंगे नहीं। यह सब चीजें हैं, मान्यवर, जो बड़े अध्ययन की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि किस तरीके से राजस्थान के हित में और किस तरीके से इन उद्योगों को अधिक तरीके से सुविधायें देकर आकर्षित किया जाये। इसमें इस तरीके से अध्ययन की जरूरत है। इसके गठन का और फंक्शन का भी दे रखा है। फंक्शन और अथारिटी यह सब तो ठीक है, कोई बात नहीं है लेकिन जो गठन है यह बहुत ही आपत्तिजनक है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1995 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाये जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करें। (सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी।)

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम (धोद)।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1995 मंत्रीजी ने रखा है उसको सलेक्ट कमेटी को सौंपने के लिए प्रस्ताव मैंने दिया है। उसमें मुख्य रूप से एक तो यह है कि प्राधिकरण बना कर उद्योगों का आप विकास करें उससे किसी को एतराज नहीं है, उनको सुविधायें भी मुहैया करिये लेकिन मैं समझता हूं कि जहां तक औद्योगिक एरिया में विकास किये हैं वह करीब-करीब हाई-वे के ऊपर बनाये गये हैं और ऐसी जमीन सलेक्ट करते हैं जो आज तक रीको करता था या यह जो आप बना रहे हैं वह सलेक्ट करेगा। उसमें जो सदस्य रखे हैं, पदाधिकारी रखे हैं वे सब के सब सरकारी अधिकारी हैं।

(182)

(श्री अमराराम)

किसान की जमीन ली जाती है तो सबसे पहले प्रायोरिटी यह होनी चाहिए कि सरकारी लैण्ड लेने की कोशिश करें उसके बाद ऐसी जमीन लेने की कोशिश करें जो उपजाऊ न हों। लेकिन आज तक देखने में आया है कि सरकारी अधिकारी जहां ज्यादा सुविधा है वहां देखते हैं। स्टेब्लिश होने के बाद किसानों को वहां से महरूम रहना पड़ता है। अधिग्रहण अधिनियम के तहत न तो उसको बाजार के अन्दर पूरी रेट मिलती है और न वह वापस जमीन खरीद सकता है। पहला तो मेरा यह निवेदन है कि अगर यह पास भी हुआ तो उसमें जनप्रतिनिधि नहीं होंगे। आज तक औद्योगिक एरिया विकसित करने के अन्दर किसानों को उजाड़ा गया है उसी तरह से इसमें भी उजाड़ा जायेगा। दूसरा, जब आप इनको सब सुविधायें उपलब्ध करा रहे हैं तो निश्चित रूप से मैन रोड़ से कुछ दूरी पर चार किलोमीटर—पांच किलोमीटर दूरी पर हो सकता है जहां सरकारी जमीन मिल सकती है या अनफर्टाइल जमीन मिल सकती है। एक तो यह कर सकते हैं। दूसरा, उसके अन्दर प्रदूषण फैलता है। आप चले जाइये यहां से सीकर रोड पर और जैतपुरा आते ही आप को पता लग जाएगा कि इण्डस्ट्रियल एरिया आ गया है। तो उनके लिए ऐसी सुविधाओं पर आप चिन्ता कर रहे हैं, सुविधा दी जानी चाहिए लेकिन उस इण्डस्ट्रियल एरिया के आस-पास रहने वाले लोगों को जो इसका प्रदूषण है उससे नुकसान होता है उसके बारे में आज तक विभाग नहीं कर पाया है। अगर प्रदूषण निवारण यंत्र भी लगाये जाते हैं तो भी उनको पूरे टाइम पर चला कर प्रदूषण को नहीं रोका जाता है। इसलिए हम सुविधाओं के लिए व्यवस्था करें लेकिन आम जन-जीवन को जो प्रदूषण से नुकसान हो रहा है उसके लिए भी चिन्ता करें। इसके अन्दर जनप्रतिनिधि शामिल हों जिससे जनता की जो प्रदूषण से और जमीन एक्वायर करने से समस्या है उसका समाधान सही ढंग से हो और औद्योगिक विकास भी हो। इसलिए राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1995 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाये जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करें। (सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी।) यही मेरा अनुरोध है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत आवश्यक था कि वन विंडो सिस्टम के हिसाब से हम कोई प्राधिकरण का गठन करें लेकिन मुझे जो परेशानी महसूस हुई, मैं सुझाव देना चाहती हूं मंत्री महोदय को। इसके गठन में जहां तक आपने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को लेने की बात की है वहां आपने श्रम विभाग के किसी अधिकारी को लेने की बात यहां नहीं की है। औद्योगिक विकास के लिए आपको श्रमिकों में से लेने की बात करनी चाहिए। आपने उद्यमियों के संगठनों की बात की है कि पांच सदस्य लेंगे। तब आपने यह चर्चा नहीं की कि श्रमिकों के संगठन में जो भी अधिकारी चुने हुए होंगे उन अधिकारियों को आप लेंगे। इसकी बात आपने नहीं की। आपने शासन सचिव, नगरीय विकास, नगर आयोजन

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

और विभाग के शासन सचिवों को लेने की बात की है। लगता है आप नगर के नजदीक रहेंगे, पंचायतों की जमीन आप अधिग्रहण नहीं करेंगे। पंचायत विभाग का इसमे कोई व्यक्ति आपने उस दृष्टि से नहीं रखा है यह तो आपने बहुत ही अच्छा किया। अगर पंचायतों का बचाव हो जाता है तो मुझे तो बहुत ही खुशी है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी कि यदि आप स्थानीय निकाय में से किसी जमीन को लें तो सहमति प्राप्त करने की बात करेंगे। अवाप्ति की कार्यवाही की जाती है वहां स्थानीय निकाय की योजनाएं हैं उनके खुद की चाहे पंचायतों की हो और चाहे नगरनिगम, नगरपालिका की योजना हो और उन्होंने किसी काम से भूमि को आरक्षित कर रखी हो। उसमे भी कई बार प्राधिकरण के लोग चले जाते है, क्योंकि मैं स्वय भुगतभोगी हूं जयपुर की, जयपुर विकास प्राधिकरण समन्वय के लिये बनाया गया था और समन्वय के बजाय आपाधापी में जुट गया, मनमानी करने लगा। इस तरह का अनियंत्रित मामला इस प्राधिकरण के क्षेत्र में न हो यह मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी। साथ ही आपने इस गठन में सलाहकारों का कोई स्थान नहीं रखा। लगता है कि शासन सचिव ही यही सारा मामला चलाएंगे। अगर सलाहकार कोई नहीं रखे तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि रखें तो एक अच्छी बात होगी। उस योजना में उनके जो विचार हैं उनका समावेश हो सकेगा। लेकिन यह नहीं किया गया है इसलिये मैं कहना चाहूंगी आप इसमें समावेश करें। विभिन्न तरह के लाइसेंस उद्यमियों को रखने पड़ते हैं। उस प्रकार का ऐसा भी कोई क्षेत्र इसमें समावेश होना चाहिये जो एक ही जगह पर प्राधिकरण सबको उपलब्ध करवा दें। उपाध्यक्ष महोदय, इन चीजों का ख्याल नहीं रखा गया है। आपने अस्पताल का ध्यान रखा, इस क्षेत्र का विकास करेंगे, कालोनी बनाएगे, जल, नल और विश्राम की योजना बनायी, सड़कों की अन्य योजनाएं बनायीं पर यह भूल गये कि उनके बच्चे भी होंगे। उनके लिये कोई स्कूल, कोई ईयर मार्क जमीन, इन बातों का समावेश इसमें होना चाहिये। एक निश्चित दायरे का बिल लाये हैं। इसमें बहुत सोच समझकर काम करने की आवश्यकता है। यह सही है कि हमारी खेती की उपजाऊ जमीन शहरों के नजदीक है उस पर अधिक से अधिक छीना-झपटी होती रहती है। जो जमीन बंजर है जिस पर काम नहीं हो सकता, जो जमीन पथरीली है, जिसकी खुदाई नहीं हो सकती, पत्थर नहीं निकल सकता, ऐसी जमीन पर कारखाने लगाये जायें। ऐसी बात मुझे यहां दिखाई नहीं दी। मेरा निवेदन है कि इन सबका समावेश करके थोड़े दिन सोचकर, बातचीत करने के लिये इसे प्रवर समिति में रखिये। वह जो राय दे उस प्रकार से आप इसका गठन करें जिससे इसको चैलेंज नहीं कर सकें। इसमें वित्त का नियम ही नहीं है। आप निधि की सुरक्षा की रिपोर्ट तक देने की बात कर रहे हैं। इन सारे परिप्रेक्ष्यों में सोचते हुये एक बहुत अच्छा कानून बने इसलिये राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1995 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करें। (सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी।)

184

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री महोदय।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति को सौंपने के विषय को लेकर यह पूरा एक्ट ही लगभग डिस्कस हो चुका है और बहुत अच्छे सुझाव भी आये हैं। इसीलिये मैंने पहले निवेदन किया था कि मैं इसके सेलिएंट फीचर्स समझा दूं तो शायद यहां पर बहुत सी ऐसी बातें पैदा न हों।

मान्यवर, औद्योगिक विकास के लिये जिस तरह से लोग आ रहे हैं उसमें सम्भावना यह लगती है कि सरकार या उसके द्वारा गठित कोई भी प्राधिकरण हैपहेजर्ड वे में जिसमें उद्योगों का प्रदूषण भी हो सकता है, किसानों की जमीन एक्वायर करना भी हो सकता है, इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगा कि किसानों की जमीन को कम से कम लिया जाये। लेकिन जब प्राइवेट लोग आते हैं तो वे सीधे किसानों से लेते हैं और उनको बाध्य करके लेते हैं, किसानों की इस बाध्यता को हटाना भी इसमें आवश्यक है। जैसा अभी चौधरी साहब ने कहा, यह एक नया विचार है। दिल्ली के पास नोएडा में जिस तरह विकास हुआ है उसी पैटर्न पर हमने इसे बनाया है। इसलिये इस बारे में मैं आपको बताता हूं और आपकी जो आपत्तियां हैं उनका भी जवाब दे देता हूं।

राजस्थान का सन्तुलित औद्योगीकरण हो, कहां-कहां, किस किस प्रकार के उद्योगों का विकास करना है, किस प्रकार के उद्योग वहां पनप सकते हैं, उसकी जमीन तय करना, इन सबका हैपहेजर्ड वे में विकास न हो, समेकित रूप से विकास हो इस विचार से इस प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव है। दूसरी बात यह है कि जहां औद्योगिक विकास हो रहा है उनके और वहां की स्थानीय संस्थाओं के बीच ज्यूरिस्डिक्शन कपिलक्ट आते हैं। उद्योग लगाने वाले उद्योग लगाते हैं या एक-दो किलोमीटर दूर लगता है तो वे चुंगी वसूल करने के लिये उस उद्योग को शामिल कर लेती हैं और उसका भार भी उस उद्योग पर ज्यादा पड़ता है। वे उद्योग से चुंगी तो वसूल कर लेती हैं लेकिन उसे उद्योग के विकास पर खर्च करें या अन्य जगह करें यह उन पर है। इस प्रकार कई तरह की कठिनाइयां आ रही हैं।

जहां तक प्रदूषण का प्रश्न है, अलग-अलग स्थान पर इकाइयां लगने से उन पर नियन्त्रण करना जरा कठिन होता है। वैसे तो उद्योग प्रदूषण नियन्त्रण के लिये कानून द्वारा बाध्य हैं लेकिन एक जगह उद्योग लगें तो उनके प्रतिनिधियों की सहमति से वाकई प्रदूषण नियन्त्रण का काम हो रहा है इसकी चिन्ता भी यह प्राधिकरण करेगा।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में हमने पूरे राजस्थान के लगभग सभी इण्डस्ट्रियलिस्ट्स से बैठकर चर्चा की, लॉ डिपार्टमेंट में भी बहुत चर्चा हुई। पहले इसमें हमने कई प्रावधान ऐसे रखे थे जिन पर राष्ट्रपतिजी की सहमति लेनी जरूरी थी। पार्लियामेंट में अभी पंचायत और स्वायत्त शासन एक्ट में जो संशोधन हुए हैं उनको भी एक्जामिन किया है कि कहीं यह प्राधिकरण संविधान के खिलाफ न हो। उनको भी ध्यान रखकर हमने प्रावधान बनाये हैं। पहले इस प्राधिकरण के मामले में सिविल कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन को बार्ड करने का क्लाज रखा था कि सिविल कोर्ट में इसके किसी

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

भी अधिकारी द्वारा वैधानिक काम करने को चुनौती नहीं दी जा सकती। इण्डियन पीनल कोड के अन्तर्गत इसके कर्मचारियों को पब्लिक सर्वेण्ट मानने की बात भी की थी ...

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : यह कौनसे कानून की व्याख्या कर रहे हैं ? 1980 से पहले आया था क्या ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नहीं, मैं इसी कानून में जो आइडिया है उसी की चर्चा कर रहा हूं। ये प्रावधान थे लेकिन इन सारे प्रावधानों में चूंकि राष्ट्रपतिजी की सहमति की जरूरत थी इसलिये उन प्रावधानों को ड्राप कर दिया। मुख्य बात यह है कि यह कानून एनेबलिंग है। इसमें जो भी प्रावधान है उनमें परिवर्तन करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। अभी जो समिति गठित की है वह परमानेंट नहीं है। इस समिति के कांस्टीट्यूशन में राज्य सरकार व्यवहार के आधार पर परिवर्तन कर सकती है। जैसे जिसको वायस चेयरमैन बनाया गया है, लगता है कि वह ठीक नहीं है, दूसरा बनना चाहिये, यह अधिकार राज्य सरकार ले रही है। इसमें व्यावहारिक रूप से जब भी आवश्यक होगा, परिवर्तन किया जायेगा। अभी इसके आधार पर कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी तो रूल्स बनेंगे, सरकार के सामने पूरी रूपरेखा होगी, उसके आधार पर गठन होगा। सरकार केवल मात्र अधिकार ले रही है, बाकी चीजें बहस के लिये हमेशा खुली रहेंगी, आपके सुझावों के लिये हमेशा खुली रहेंगी। समय–समय पर जो सुझाव आएंगे उनका भी उसमें समावेश किया जा सकेगा।

वस्तुत: हम जो प्राधिकरण बना रहे हैं वह रीको को पूरी मदद करेगा। यह रीको के विपरीत नहीं है। भिवाड़ी जिसका सारा डवलपमेंट रीको ने किया है, सबसे पहले हम उस पर एक्सपेरीमेंट करेंगे। अब उसमें और इसमें अन्तर यह है कि रीको के सीमित अधिकार हैं, रीको उद्योग धन्धे लगाने के लिये प्लाट तो दे सकता है लेकिन उन उद्योग लगाने वाले उद्योगपतियों को रहने के लिये मकान नहीं दे सकता, रिक्रियेशन भी नहीं कर सकता। इसलिये यदि एक पूरा टाउन हो जिसमें उद्योगपति आएं, वहां उनको और कर्मचारियों को सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाएं, ये सुविधाएं प्राधिकरण मुहैया करायेगा लेकिन वह सर्विस चार्जेज वगैरह लेगा। किस तरह से इसका वित्त पोषण होगा, यह भी उसमें दिया गया है। सरकार भी उसमें मदद करेगी। वे चाहें तो बाहर से, बैंक से या अन्य किसी व्यक्ति से उधार ले सकते हैं। इसमें कोई व्यक्ति भी आ सकता है कि मुझे इतनी जमीन दी जाए, मैं यहां इण्डस्ट्रियल टाउन डवलप करना चाहता हूं। यह काम भी हम उसको दे सकते हैं। इसके लिये जितना भी इन्वेस्टमेंट हो वह सारा इन्वेस्टमेंट करे। इस तरह का दुनिया में बहुत जगह हो रहा है।

औद्योगिक क्षेत्रों का सुनियोजित विकास हो, उसका खास काम है भूमि अर्जन, व्यावसायिक और रिहायशी सुविधाओं जैसी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त कर सके। म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत का जुरिस्डिक्शन का झगड़ा इसमें एक्सक्ल्यूड कर दिया गया है।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

कोई हस्तक्षेप इनका नहीं होगा तो झगड़े का सवाल ही नहीं है। चूंकि इसका एरिया लिमिटेड होगा इसलिए नगरपालिका या पंचायत का इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा और सारा प्रशासन प्राधिकरण करेगा यद्यपि यह नगरपालिका और पंचायत क्षेत्र में ही होगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि हम 10-12 साल तक इसको चलाकर, एक्सपीरियंस करके अपने पैरों पर खड़ा करके चाहें तो वापस उसी पंचायत या नगरपालिका को सौंप सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा, यह जरूरी नहीं है। सौंप सकती है अगर वह कहे कि हम इसको चला लेंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : गवर्नमेंट के लाने का है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : गवर्नमेंट उन्हीं को देगी। गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन तो किसी न किसी पंचायत और नगरपालिका के माध्यम से ही होगा। तो वह सारी व्यवस्था कर सके यह व्यवस्था भी इसमें है।

श्री रामनारायण चौधरी : इसमें तो आपने सैक्रेटेरियेट को भर रखा है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए। इस प्राधिकरण को हमने केवल एक कारपोरेट बॉडी का लीगल स्टेटस दिया है कि आदमी की तरह से वह काम कर सकता है। वही व्यवस्था हमने इसमें की है। रीको अपना क्षेत्र जो भी डवलप करेगी पूरे डवलपमेंट के लिए उनको सौंप सकती है, जैसे मैंने एक भिवाड़ी का उदाहरण दिया। दूसरा रीको आबूरोड में डवलप कर रहा है उसका भी प्राधिकरण बनाया जा सकता है जहां पर रीको से ज्यादा अधिकार उनको प्राप्त होंगे और उसका डवलपमेंट वह कर सकेगा। इसलिए रीको उनका कहीं कंफिलक्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रीको अपना काम करेगा लेकिन यह तो चुनी हुई जगह पर करेगा। बाकी रीको में तो क्षेत्र बहुत हैं। अभी 210 हैं और भी बढ़ रहे हैं। रीको के क्षेत्र में रीको अपना काम करता रहेगा लेकिन जहां-जहां हम सन्तुलित रूप से डवलपमेंट करना चाहते हैं कि यह स्थान है जहां हमको इण्डस्ट्रियल टाउन डवलप करने हैं उसके लिए यह प्राधिकरण होंगे।

अब इसमें कई सुझाव आए। एक तो आपत्ति यह हुई कि लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट के अन्तर्गत किसानों को पूरा मुआवजा नहीं मिलता। अब यह तो लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट में मार्केट वैल्यू का लिखा हुआ है। अब वह पूरा इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि लोग जब मार्केट वैल्यू की बात करते हैं तो वहां जो बेचान होते हैं उसमें अण्डर वैल्यू करके बेचान करते हैं। इसलिए जब वहां लैण्ड एक्वीजिशन आफिसर आस-पास की रजिस्ट्रियां मंगाता है तो वह सब अण्डर वैल्यू की होती है वह इसी को अण्डर वैल्यू मान लेता है। वस्तुस्थिति यह है कि रुपया ज्यादा लेते हैं और बेचान कम का करते हैं। इसलिए यह प्रावधान रीको में भी है। हम कोशिश यह करते हैं कि किसानों से आपस में सहमति करके, जहां पर हो सकता है तो सहमति करके हम उनको पेमेन्ट कर दें। वह ज्यादा भी हो सकता है। उसमें फिर हमको लैण्ड एक्वीजिशन आफिसर के पास जाना नहीं पड़ता

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

है और अभी रीको बहुत सी जगह यह कर रहा है। प्राधिकरण भी यही करेगा कि जहां भी उनको जमीन लेनी है तो वह किसानों की आपसी सहमति से बातचीत करके, उनको सन्तुष्ट करके फिर उनसे जमीन लेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : वह प्रोविजन डाल दो इसमें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वह तो है आलरेडी। इसमें आने की जरूरत नहीं है। यह इसलिए जरूरत नहीं है जैसा मैंने आपको बताया कि इस प्राधिकरण का स्टेट्स रीको जैसा ही है और इसको आप यह समझने लग गये कि गवर्नमेंट बनाएगी। गवर्नमेंट थोड़े ही बना रही है। रीको जैसा ही इसका स्टेट्स है इससे ज्यादा स्टेट्स नहीं है इसका।

श्री रामनारायण चौधरी : कभी नहीं करेगा। फंस जाएगे इसमें, चन्द्रास्वामी आ जाएगा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मेरी बात सुन लीजिए। उसमें पूरा नियन्त्रण सरकार का रहेगा। सरकार को सब अधिकार हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सुरेन्द्र गोयल (उप मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य-सूची पूरी होने तक बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय सदन की सहमति से बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री हरिशंकर भाभड़ा : चूंकि सरकार को अधिकार है, चूंकि यह एक्सपेरीमेंट है, एक परीक्षण है और इस परीक्षण में अभी जो आप कठिनाइयां बता रहे हैं इसके अलावा भी अनेक कठिनाइयां आ सकती हैं तो उसमें सुधार करने की गुंजाइश इस एक्ट में सरकार को दी हुई है। सरकार जब भी चाहे इसकी कमेटी के कांस्टीट्यूशन में भी परिवर्तन कर सकती है। आज सरकार चाहे तो किसी एम. एल. ए. को इसका चेयरमैन बना सकती है। आपने जहां तक कहा कि मन्त्री को चेयरमैन होना चाहिए। आप जरा सा सोचिए कि एक छोटा सा प्राधिकरण होगा यह, एक पंचायत से भी छोटा होगा और वहां मन्त्री उसका चेयरमैन बने और यह अनेक जगह पर होगा अलग-अलग, यह सम्भव नहीं है और मैं समझता हूं कि क्योंकि वहां के जो लोकल उद्योगपति हैं उनके 5 रिप्रजेन्टेटिव्स इसमें आने वाले हैं तो मुख्य रोल तो उनका होगा। वहां का प्रशासन कैसे चले यह मुख्य रोल एडवाइस करने का काम उनका होगा।

श्री रामनारायण चौधरी : एम. एल. ए. को चेयरमैन बना दें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैंने कहा कि यह अधिकार सरकार को है। यह एक्ट अभी एनेबलिंग एक्ट है। यह सरकार जब

(188)

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

भी चाहे उसमें किसी को भी इनकारपोरेट कर सकती है यह अधिकार है सरकार को। आज इसकी जरूरत नहीं है। आज हम पूरी तरह से बांधना नहीं चाहते। आज तो केवल अधिकार दे रहे हैं सरकार को कि आप इस तरह की टाउनशिप डवलप कर सकते हो। अब उसमें आगे क्या-क्या परिवर्तन करने हैं यह अधिकार सरकार को इसमें दिये हुए हैं। इसलिए बाकी जो भी आप सुझाव देंगे वह सरकार के सामने होंगे।

अभी कहा गया कि वाइस चेयरमैन का और उनका झगड़ा होगा तो फिर यह झगड़ा कैसा होगा।

श्री शिवनाथ सिंह : आपने रखा है झगड़ा।

श्री हरिशंकर भामड़ा : हां तो मैं बता रहा हूं। सुन तो लीजिए। वह कैसा है बता रहा हूं मैं। ई. ओ. है बोर्ड का, नगर-पालिका एक्ट में लिखा हुआ है कि यदि बोर्ड ऐसा कोई प्रस्ताव पास करता है जो कि नगरपालिका एक्ट के प्रतिकूल हो या ई. ओ ऐसा समझता है और यदि ई. ओ. एडवर्स रिमार्क्स लगा देता है, नगरपालिका के द्वारा पारित प्रस्ताव पर तो वह प्रस्ताव पारित नहीं माना जाता। वह कलेक्टर के पास भेजा जाता है और कलेक्टर उसका डिसीजन करता है।

श्री शिवनाथ सिंह : म्यूनिसिपल बोर्ड को और इसको एकसा मत समझिये। इसमें सब गवर्नमेंट सैक्रेटरीज हैं परन्तु वहां इलेक्टेड मैम्बर हैं। इलेक्टेड मैम्बर का विवाद हो सकता है लेकिन यहां तो सब आपके गवर्नमेंट नोमिनीज हैं और सैक्रेटरीज हैं। इसलिए आपका जो वाइस चेयरमैन होगा वह किस हैसियत का होगा सैक्रेटरीज से ऊंचा होकर उसके साथ झगड़ा करेगा, यह है।

श्री हरिशंकर भामड़ा : यह झगड़ा नहीं है। यह मतभिन्नता का सवाल है। आप कोई डिसीजन लेते हैं, एक्चुअली काम तो वाइस चेयरमैन करेगा, चेयरमैन तो कई प्राधिकरणों का रहेगा, तो मुख्य रूप से तो वाइस चेयरमैन ही काम करेगा उसकी राय से और चेयरमैन की राय में अन्तर हो सकता है। झगड़ा कोई कानूनी झगड़ा नहीं होगा। वह कहेगा कि ऐसा होना चाहिए, इस तरह से डवलपमेंट होना चाहिए और वह कहेगा कि नहीं, इस तरह से होना चाहिये। तो इस तरह की मतभिन्नताएं आएंगी तो उसका निर्णय सरकार करेगी। तो मैं समझता हूं कि इस क्लाज में कोई आपत्ति जैसी बात नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : सरकार इसको कैसे बदल देगी। जो अथारिटी का क्लाज 3 है इसको आप कैसे गवर्नमेंट आर्डर से चेंज कर देंगे?

श्री हरिशंकर भामड़ा : इसमें लिखा हुआ है। आगे पढ़ लीजिए "... सरकार अपने आत्यन्तिक विवेक से उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट गठन को परिवर्तित कर सकेगी..."

श्री रामनारायण चौधरी : हां तो यह और भी बेइमानी की बात है।

श्री हरिशंकर भामड़ा : "... भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए ऐसी रीति से भिन्न

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

भिन्न गठनों का उपबन्ध भी कर सकेगी जो कि वह समय-समय पर समुचित समझे।" यह अधिकार दिये हुए हैं सरकार को। यह फाइनल नहीं है। यह तो प्रपोजल किये हैं। यह तो बिगनिंग है। this is a start अब अनुभव के आधार पर इसके कांस्टीट्यूशन में परिवर्तन, इसके पदाधिकारियों में परिवर्तन, यह सब करने का अधिकार सरकार को है। इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूं कि यह केवल एनेबलिंग है। इससे आप यह मत समझिये कि जो एक्ट में लिखा हुआ है वही सब कुछ है। असल में इसका विस्तार और इसका वास्तविक स्वरूप तो सरकार अब तय करेगी। सरकार को जब अधिकार मिल जाएगा कि वह इस तरह के प्राधिकरण का गठन कर सकती है तो फिर जगह-जगह से और भी भारत वर्ष में जहां-जहां इस तरह के टाउन्स बने हुए हैं उनसे अनुभव लेकर और आप लोगों की सलाह तो हमेशा मिलती ही रहेगी उसके आधार पर उसमें परिवर्तन करने का अधिकार सरकार को प्राप्त है।

श्री जुबेर खान : वह स्थानीय एम. एल. ए. होगा मेम्बर के रूप में।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हो जाएगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री जुबेर खान : तो इसमें डालने में क्या है ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसमें लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है कि यह फाइनल नहीं है। सरकार करेगी। यह सरकार को तो केवल अधिकार दे रहे हैं। फिर या तो यह पूरा एग्जास्टिव हो। इसमें सरकार को कुछ भी करने के लिए भी अधिकार नहीं हो। इसलिए केवल यह सरकार को अधिकार दे रहे हैं बाकी उसमें एम. एल. ए. भी हो सकता है, और भी हो सकते हैं। this is open यह कोई फाइनल नहीं है।

अभी श्री शिवनाथ सिंहजी ने कहा, पनिशमेंट की बात। तो यह तो अदालत करेगी। यह तो कारपोरेट बॉडी है जो कि एज ए कम्पमेन्ट जाएगी। पनिशमेंट देगी तो अदालत देगी। इस बॉडी को पनिशमेंट देने का अधिकार नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : आप कम्पलेनेन्ट हैं लेकिन इस एक्ट में कहीं भी यह नहीं है कि अदालत आपकी कम्पलेंन्ट पर उसको सजा कर दे। यह कहां लिखा है ? सिर्फ फाइन कर सकती है। इसलिए जो कस्टडी वाला मामला है वह इसमें कहां आता है ? यह अर्ज कर रहा हूं आपसे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कस्टडी का जब क्लाज आएगा तो हटा देंगे। आज ही आएगा, I will with draw. आपका सुझाव है, कस्टडी वाला हटा देंगे। ठीक है, मुझे आपत्ति भी नहीं है। आपकी जेनुइन बात होगी, मान लूंगा मैं। एक और बात कही गयी कि इसमें अन्त में जो यह लिखा हुआ है कि स्टाफ का क्या होगा जब प्राधिकरण भंग होगा। तो निश्चित रूप से बात है कि जब प्राधिकरण भंग होने की स्थिति में आएगा या उसको सरकार को सौंपने की स्थिति आएगी उस समय इसके ऊपर भी विचार किया जाएगा। जैसा सरकार और, और चीजों के लिए अन्य-अन्य कारपोरेशन्स के लिए सोचती है, उनको भंग करती है तो

(190)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

उनके स्टाफ को कहां लगाया जाए तो निश्चित रूप से उसके ऊपर भी विचार किया जाएगा ।

श्री रामनारायण चौधरी : डाल दो इसमें ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं फिर कह रहा हूं, यह एनेबलिंग एक्ट है, इसमें तो केवल सरकार को अधिकार मात्र दे रहे हैं आप । It is not exhaistive. बाकी तो विस्तार से सरकार इसके रूल्स एण्ड रेगूलेशन्स बनायेगी । विधान सभा की रूल्स कमेटी को निश्चित रूप से अधिकार है वह कर सकती है । आप भी कर सकते हैं ।

(17.00)

सरकार कोई भी रूल बनाती है तो आप भी सुझाव दे सकते हैं; वह ओपन है । इसलिये वह कोई परेशानी की बात नहीं है ।

अन्त में मेरा निवेदन है कि यह छह महीने पूर्व जनमत जानने के लिये भेजा जा चुका था, वहां पर जो सुझाव आए उन सुझावों को अनेक कलेक्टर्स ने हमारे पास भेजा और हमने भी उनमें से कुछ सुझाव जो ठीक थे उनको मानकर अमेंडमेंट भी मूव कर रहे हैं, उनको एक्सेप्ट भी किया है और विस्तार से जो सम्बन्धित लोग हैं उन्होंने इस पर चर्चा की है सारे जिलों में । वह सारी कापी मैं समझता हूं कि आपको भेजी जा चुकी है जहां–जहां से भी सुझाव आए थे और आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं कि किन–किन जिलों से सुझाव आये । उन सुझावों पर गम्भीरता से विचार कर लिया गया है । इसका असली स्वरूप तो जब सरकार रूल्स बनाकर आपके सामने लायेगी उस समय आयेगा । उसमें क्या व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, उस समय आपको कहने का भी मौका मिलेगा और सरकार भी उस पर सोचेगी । अभी तो केवल सरकार अधिकार चाहती है । यदि सलेक्ट कमेटी आप बनाना चाहते हैं तो मेरा निवेदन हैं, चूंकि यह एग्जास्टिव नहीं है, बार–बार मैं कह रहा हूं कि केवल एनेबलिंग एक्ट है इसलिये इसमें सलेक्ट कमेटी की ज्यादा गुंजाइश नहीं है । जब हम रूल्स बनाएगे तब आप अपने सुझाव दे सकेंगे । घूम फिरकर बात तो यह हुई कि सरकार को क्या अधिकार दें । आप तो उसकी डिटेल्स में जा रहे हैं कि इसमें यह होना चाहिये, वह होना चाहिये, हम नहीं करेंगे । यह एग्जास्टिव है ही नहीं, यह तो केवल एनेबलिंग है । बाकी सारा ढांचा सरकार तय करेगी रूल्स के माध्यम से, रेगूलेशंस के माध्यम से । इसमें जो कठिनाइयां......

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सरकार तय करेगी वह हाउस में थोड़े ही आयेगा ।

श्री शिवनाथ सिंह : यह हाउस में तय करना चाहते हैं कि क्या हो । आप हाउस के अधिकार को लेना चाहते हैं कि सरकार कर दे । हम चाहते हैं कि सरकार न करके हाउस करे, इतना ही फर्क है उसमें ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सरकार किसी भी एक्ट के अन्तर्गत यदि रूल्स बनाती है तो इसके लिये सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी विधान सभा की बनी हुई है । अब आप अपना काम ही नहीं करें और कहें, यह क्या बात हुई । विधान सभा को अधिकार

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

है, आपकी कमेटी बनी हुई है और कमेटी रिपोर्ट विधान सभा में रख सकती है, आप उस पर बहस कर सकते हैं, आप चैलेंज कर सकते हैं। वह तो सारे प्रावधान बने हुए हैं। विधान सभा का कंट्रोल तो सर्वोपरि है, वह तो रहेगा ही, वह कैसे हट जायेगा। फिर जैसे हमने अब तक सम्बन्धित लोगों से बैठकर वेरियस स्टेज पर चर्चा की है उस समय भी जब आप चाहेंगे तो चर्चा हो जाएगी। आप जो सुझाव देंगे उन सुझावों को, वास्तविक होंगे, इनकारपोरेट करेंगे जो उसमें इण्टरेस्ट रखने वाले हैं। ऐसी सूरत में मेरा निवेदन है कि अब इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने की जरूरत नहीं है। इसकी अर्जेन्सी भी है। अर्जेन्सी इसलिये भी है कि एक्सपेरीमेंट करने में भी समय लगेगा और इस सरकार के पास तो ढाई साल का समय है। अब उसके बीच-बीच में एक्सपेरीमेंट करके कोई चीज आपको नहीं दे सकें और यह कानून में ही पड़ी रही तो यह हमारा विचार-विचार ही रह जायेगा। इसलिये जो हमने राजस्थान का सन्तुलित औद्योगिक विकास करने की बात सोची है उसको मूर्त रूप देना चाहते हैं तो हमको मौका दीजिये।

एक बात और है। इसके लिये हमने सलेक्ट कमेटी में नहीं भेजने की परमिशन भी स्पीकर महोदय से ली हुई है। स्पीकर से यह परमिशन ले ली है, चूंकि इसको जनमत जानने के लिये हम ले चुके हैं इसलिये इसको सलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा जाकर इस पर विचार किया जाकर इसका पारण किया जाये। इसकी इजाजत भी हमने अध्यक्ष महोदय से प्राप्त कर ली है इसलिये ऐसी सूरत में मेरा निवेदन है कि सलेक्ट कमेटी के लिये जिन्होंने प्रस्ताव रखा है वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें। धन्यवाद।

श्री शिवनाथ सिंह : यह समझ में नहीं आया कि आपने अध्यक्षजी से क्या इजाजत ली है। आपने अध्यक्षजी से यही कहा है, इजाजत ली है कि इसको सलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा जाये। आपने कहा है कि इसको जनमत जानने के लिये परिचालित कर दिया गया था और अब मैंने अध्यक्षजी से इजाजत ले ली है कि इसको सलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा जाये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपको पहले मैं समझा दूं। चूंकि आपने पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस पढ़ी है, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में इस तरह के डिसीजन्स आये हुये हैं कि जनमत संग्रह होने के बाद, जब कोई विधेयक आता है तो सामान्यतया उसको सलेक्ट कमेटी को रेफर करना चाहिये, भेजना चाहिये परन्तु स्पीकर की परमिशन से उस पर सीधा ही विचार किया जाकर उसका पारण किया जा सकता है। यह इजाजत हमने ली है।

श्री शिवनाथ सिंह : पारित तो करा ही रहे हैं बहुमत से।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वह इजाजत हमने ले ली है।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्षजी, मंत्री महोदय ने स्पष्टीकरण दिया है, आपने कहा है कि जो इससे सम्बन्धित लोग हैं उनसे हमने राय की है। उद्योग में जो सबसे बड़ा भाग मजदूरों का है, क्या आपने

(192)

(श्री अमराराम)

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों से भी इसमें कंसल्ट करके उनके विचार जाने हैं, जितने भी यहां हैं ?

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्षजी, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं भी अपनी एक बात कह दूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम नहीं है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि यह तो बाद में गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। कांस्टीट्यूशन ऑफ द अथारिटी के बारे में कैसे रूल्स बनाएगी ? आपने क्लियर कह दिया :— "The Authority shall consist of the following...." आपने 8–10 सैक्रेटरी रख दिये, आप विधान सभा से इसको पास कराना चहते हैं ...

श्री हरिशंकर भाभड़ा : क्लाज (4) पढ़िये। पहले क्लाज (4) तो पढ़ लें।

श्री रमाकान्त शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दें।

श्री जुबेर खान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय प्रभारी मन्त्रीजी ने कहा, क्लाज (4) सिर्फ वाइस चेयरमैन से सम्बन्धित है। आप सैक्रेटरीज को उसमें नहीं ला सकते। विधान सभा के सदस्य और संसद के सदस्य जो स्थानीय होंगे उनको......

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव रखा है, मेरे सुझाव छोड़ते हुए, मुझे आश्वस्त किया गया है मन्त्री महोदय के द्वारा, इसलिये मैं मेरा प्रस्ताव वापस लेती हूं लेकिन मेरे सुझाव आप पर छोड़ती हूं यह ध्यान रख लें।

श्री जुबेर खान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतनी जल्दी मत करिये। एक मिनट के लिये आप तशरीफ रखिये। आपने सैक्शन (4) का कहा है, यह सिर्फ वाइस चेयरमैन के लिये हैं।

मेरा दूसरा पाइंट है, आप जब इस सदन से पास कराना चाहते हैं, माननीय विधायक और माननीय सांसद को रखने में कहां आपत्ति है ? जो भी स्थानीय सांसद और विधायक होगा उसको मैम्बर रखिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमान् जुबेर खानजी, आपका कोई प्रस्ताव नहीं है, आप बोल ही नहीं सकते।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, हमने प्रस्ताव दिया है और टाइम पर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1995 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये ?

(अस्वीकृत)

प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिये जाने का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाये ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : नियम 66 के अन्तर्गत अभी तो प्रवर समिति को सौंपने नहीं सौंपने का तय हुआ है। विचारार्थ तो अब आएगा ही। इसलिये हमें अपने विचार रखने का अवसर मिलेगा इसमें। अब आयेगा न ?

माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा निवेदन है कि जहां तक उप मुख्य मन्त्रीजी का प्रश्न है, राजस्थान में इण्डस्ट्रीज को बढ़ावा देने का, वह तो स्वागत योग्य है। जो बिल आप लेकर आये हैं यह आपको किसी नतीजे पर नहीं ले जा पाएगा, आपकी जो मंशा है उसकी आप पूर्ति नहीं कर पाएंगे और बड़ा होच-पोच काम हो जायेगा। अब मैं एक-एक बात निवेदन करना चाहता हूं। आपने इस अथारिटी के जो कर्त्तव्य लिखे हैं उसके सैक्शन 6 (ई) का आप मुलाहिजा करें— "to provide for civic amenities including transport, electricity, water supply, housing, sewerage and remvoal of waste etc." यानि उस क्षेत्र के अन्दर यह सभी, वाटर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, ट्रांसपोर्ट स्पलाई करेंगे, सीवरेज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, रिमूवल ऑफ वेस्ट करेंगे। उस एरिया के अन्दर से आपने इस सैक्शन (32) के अंतर्गत वहां की जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनका कार्यक्षेत्र समाप्त कर दिया है। मैं पढ़ देता हूं।

"Notwithstanding anything to the contrary contained in any Rajasthan Law for the time being in force, on constitution of an Authority by the State Government by notification under this Act for any industrial area, all the powers and duties being exercised by any Panchayat, Municipality, Notified Area Committee or any other Local Body in respect of that area or any part there of, shall immediately on constitution of the Authority, be exercised and performed by the Authority, instead of the Panchayat, Municipality, Notified Area Committee or the Local Body....."

अब जरा सोचें, मान लीजिये भरतपुर के पास आज जो इण्डस्ट्रियल एरिया है उसमें म्यूनिसिपैलिटी सफाई कर रही है, उसमें म्यूनिसिपैलिटी बिजली दे रही है, उसमें म्यूनिसिपैलिटी वाटर सप्लाई दे रही है, म्यूनिसिपैलिटी सब काम कर रही है, वहां जैसे ही आपकी अथारिटी बनेगी, इन सब चीजों को म्यूनिसिपैलिटी वहां से हटा लेगी। आप जब अथारिटी बना रहे हैं, उसके पास में इन्फ्रास्ट्रक्चर कहां से आ जाएगा, उसके पास में सफाई का इन्फ्रास्ट्रक्चर कहां से आ जाएगा, बिजली देने में कहां से आ जायेगा, ट्रांसपोर्ट देने में कहां से आ जाएगा ? आप राजस्थान भर में एक अथारिटी बनाते तो जगह-जगह एक ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर राजस्थान में खड़ा कर लेते ? अब हर जगह पर, आप बीसों जगह पर ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर कहां से क्रिएट कर लेंगे और अगर आप इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो वह कितना बर्डनसम होगा ? यानि आज भरतपुर म्यूनिसिपैलिटी सभी एरिया के लिए एक इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकती है, सफाई की सुविधा कर सकती है लेकिन आज उस एरिया के लिये अलग से इन्फ्रास्ट्रक्चर पैदा करना चाहेंगे, अलग से आप

(श्री हरिसिंह)

सफाई की सर्विसेज पैदा करेंगे, अलग से नौकरी देंगे वहां पर लोगों को, अलग से वाटर सप्लाई आप पैदा करेंगे तो यह बड़ा हैवी एडमिनिस्ट्रेशन उस एरिया में खड़ा कर देंगे, बर्डनसम एडमिनिस्ट्रेशन आप खड़ा करेंगे। तो यह सम्भव नहीं हो पायेगा और राजस्थान में 20 जिलों के अन्दर यह काम आप नहीं कर पाएंगे। इसमें आप कह रहे हैं कि एनेबलिंग प्रोविजन है, इसलिए यह प्रोविजन कह रहे हैं यानि यथार्थ प्रोविजन नहीं है। आपने म्यूनिसिपैलिटी है, लोकल बाडीज के, पंचायतों के अधिकारों को, जुडिशियरी को समाप्त कर दिया उसके आने से। एक तो मैं यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप किस प्रकार से इसके लिए उस एरिया में प्रोवाइड करेंगे, यह हमें समझा दें।

दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि इसके अन्दर आप राजस्थान के इन्टरप्रिन्योर्स को इन्वाइट भी करना चाहते हैं और उनको आपने किस प्रकार से लिया है। यह तो उनको आने से रोकेगा। कैसे रोकेगा? सैक्शन 29 की तरफ मैं उप मुख्य मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। "The State Government may by a notification under this Act extend the provisions of this Act to any industrial area whether developed by RIICO or private entrepreneurs or by way of joint ventures." अगर कहीं भी आप जाकर अपनी अथारिटी को कायम कर देंगे, उदाहरण के लिए भरतपुर में सिमको एरिया है, सिमको वहां जाकर अपनी अथारिटी कायम कर देगा क्योंकि आपने उसमें प्राइवेट इन्टरप्रिन्योर को पावर दे दी। आप इन्टरप्रिन्योर को अथारिटी कायम करने देंगे, क्यों करने देंगे आप? उस प्राइवेट इन्टरप्रिन्योर ने अपनी अलग इण्डस्ट्रियल बस्ती कायम की है, वह काम कर रही है। वहां अपने अधिकारों के लिए बगैर उनकी मर्जी के, बगैर उनके राजी के, इसमें कसेंटिंग है, बगैर उनकी रिलेशनशिप के आप कैसे कायम करेंगे? यदि आप कायम करेंगे तो फिर राजस्थान में लोग क्यों आना पसन्द करेंगे, वह तो जाएंगे ही। गवर्नमेन्ट ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल कर लेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार से प्राइवेट इन्टरप्रिन्योर ने जहां बस्ती डवलप की है, उसमें आप अपनी लोकल अथारिटी को, मेहरबानी करके नहीं ले जाएं।

तीसरा, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं श्रीमन् आप यह कहते हैं कि हम यह एक्ट नहीं बना रहे हैं, हम तो एक एनेबलिंग एक्ट बना रहे हैं। एक अथारिटी नहीं बना रहे हैं, हम तो सरकार को पावर दिला रहे हैं इस विधान सभा से कि वह बना दे। अब देखिये आप, इसमें आपने किया क्या है। आपने एक कांस्टीट्यूशन बना दिया–"The Authority shall consist of the following..," यह 14–15 सैक्रेटरीज, इतना बड़ा हैवी कांस्टीट्यूशन है इसका। तमाम सैक्रेटरी राजस्थान में हैं और फिर उन्हें सरकार अमूव करेगी तो रहेगा वरना नहीं रहेगा। इस कांस्टीट्यूशन को भी सरकार चाहे जब बदल देगी। फिर विधान सभा से इस एक्ट के अन्तर्गत इस पर मोहर लगाने का परपज क्या है? इस कांस्टीट्यूशन को विधान सभा से आप क्यों अप्रूव करवा रहे हैं। इसके लिए आप एक सेन्टेन्स लिख देते कि एक अथारिटी राज-

(श्री हरिसिंह)

स्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक के अन्दर बनेगी जो सरकार बनायेगी और वह काम वही करेगी जो सरकार चाहेगी और उसके हिसाब से उस प्रकार के कार्म होंगे। सरकार नियम बनायेगी और उसके रेगूलेशन जो भी होंगे, सरकार करेगी। फिर क्या हुआ विधान सभा का ? यानि अभी उप मुख्य मन्त्रीजी कह रहे थे कि एनेबलिंग एक्ट है, हम खुद कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वह तो ढांचा आपके सामने आयेगा, वह तो रूल्स सामने आयेंगे, वह तो कार्यविधि आपके सामने आयेगी, जब इसके नियम बन जायेंगे। फिर हमारी मोहर किसलिए लगवा रहे हो आप ? मैं फिर उस पर एतराज कर रहा हूं। इस तरह विधान सभा से उस एरिया के अन्दर चार्ज लगवाने के लिए अथारिटी ले रहे हैं क्योंकि आप ले नहीं सकते। I steel say, क्षमा करेंगे मुझे, उपाध्यक्ष महोदय, आप किसी एरिया के अन्दर बगैर गवर्नर की सैंक्शन के कोई नया टैक्स नहीं लगा सकते। हमसे वह काम तो आप ले रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि यह एनेबलिंग प्रोविजन है। यह कहां से एनेबलिंग प्रोविजन है ? इसमें आपने म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारों को समाप्त करा दिया, आपने पंचायतों के अधिकार समाप्त करा दिये। इससे राजस्थान में बाहर की जो इण्डस्ट्रीज आ रही हैं, उनके ऊपर अथारिटी कायम करने जा रहे हैं और आप कहते हैं कि यह एनेबलिंग प्रोविजन है। Is this enabling provision ? This is a provision full of lapses. यह बहुत ही लचीला प्रोविजन आप लेकर आ रहे हैं।

इसके अतिरिक्त आपने यह नहीं बताया इसमें कि वर्तमान अथारिटी कायम करने से पहले किसी को एतराज नहीं होगा वहां पर। आप भरतपुर के अन्दर या कहीं पर भी या अलवर के अन्दर जब अथारिटी कायम करेंगे तो वहां पर रहने वालों की इस प्रकार की अथारिटी करेंगे ? उसका नोटिफिकेशन निकाल कर उसके आब्जेक्शन आप इन्वाइट करेंगे कि नहीं करेंगे ? कुछ नहीं करेंगे। यह भी इसके अन्दर प्रोविजन नहीं है और एक अथारिटी कायम करके नोटिफिकेशन गजट में निकालेंगे कि नहीं आप ? यह भी नहीं है इसमें। आप बराबर रख लें और फिर उस पर पैनल्टी लोगों पर लग जायेगी कि हमने यह रूल्स बना दिये, हमने यह काम कर दिया, अथारिटी कायम कर दी है।

मैं दूसरा एतराज कर हूं और पूछना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त आप किस-किस प्रकार से टैक्स लगायेंगे, किस प्रकार से फीस लेंगे ? यह तो हमने बताया है आपको। यानि केवल रूल्स में सब ले रहे हैं। यानि इस विधान सभा को कुछ पता नहीं कि यह अथारिटी कौनसा टैक्स लगायेगी, कौनसी फीस लगायेगी, कौनसा क्या लगायेगी। तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं, इस प्राधिकरण विधेयक के अन्दर बड़ा ही गोलमाल का प्रोविजन है जिससे न तो किसी कांस्टीट्यूशन का पता है, न फंक्शन का पता है और फिर करेगा कैसे फंक्शन ? प्राधिकरण के पास में काम करने की क्षमता नहीं है सिवाय इसके कि यह डबल हो रहा है। रीको आलरेडी काम कर रहा है जो आप करना चाहते हैं। म्यूनिसिपैलिटी भी वही काम कर रही है जो आप करना चाहते हैं।

(श्री हरिसिंह)

आप भी एक अथारिटी कायम कर देते जो इन सबका कोआर्डिनेशन बनाती। सिर्फ कोर्डिनेशन बनाती। उसमें आपने पावर के लिये लैण्ड एक्वीजिशन के। आप कह रहे थे कि कम्पेनसेशन देंगे, यह करेंगे, वह करेंगे। कम्पेनसेशन के सरकार को पावर वहां पर होते हैं, गवर्नमेंट केन अक्वायर लैण्ड। इस अथारिटी को आपने पावर डेलीगेट कर दिया। आप देखें इसके अन्दर, सैक्शन 6 (2) (ए) "to acquire land other properties in the industrial area under and in accordance with the provisions of the Land Acquisition Act..." यह एक्वायर करेंगे आप। यानि राजस्थान में और किसी अथारिटी को ऐसे पावर्स नहीं होंगे, न लोकल बाडीज को होंगे, न किसी म्यूनिसिपैलिटी को होंगे। वह भी स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए एक्वायर कर दीजिए। कम्पनीज को एक्वायर कर देंगे, पब्लिक परपज के लिए एक्वायर कर देंगे। उसमें इनको पावर्स डेलीगेट करा रहे हैं और कह रहे हैं कि एनेबलिंग प्रोविजन है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, श्रीमन्, कि यह बहुत ही खामियों वाला विधेयक है और इसको इस प्रकार से पास करना, मैं समझता हूं, मुनासिब नहीं होगा। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवा) : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ इन्फार्मेशन। मान्यवर, मुझे अभी सूचना मिली है कि बूंदी जिले में बरड़ क्षेत्र में एक आन्दोलन पनप रहा है और, माननीय माइंस मन्त्रीजी विराजमान हैं, वहां पर खानों का आबंटन किया जा रहा है। 50–50 वर्षों से जिनके जमीन कब्जे में है, उन पर आबंटन किया जा रहा है, ताकत के आधार पर कब्जे लिये जा रहे हैं और आन्दोलन ही नहीं, कल धरना भी दे रहे हैं। बरड़ क्षेत्र में, माननीय माइंस मंत्रीजी, आप देखिये, कल की तारीख में हजारों आदमी बूंदी जिले के हैडक्वार्टर पर इकट्ठे हो रहे हैं और लॉ-लेसनेस की स्थिति पैदा होने जा रही है। उसके बारे में सरकार विचार करे और इस बारे में देखें। जो मुझे सूचना मिली है, वह मैंने सरकार को सूचना दी है, सरकार कार्यवाही करे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का मैं स्वागत करता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह लेजिस्लेटिव असेम्बली है और दुर्भाग्य से यह बजट असेम्बली के रूप में परिवर्तित हो रही है। मूल रूप में बजट पास करने के अलावा हमारा जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है उसको बहुत कम हम करते हैं। मै इस बिल का स्वागत करता हुआ 2–4 बातें निवेदन करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि जो भी हम विचार करते हैं उसमें मूल रूप में जमीन जुड़ी हुई रहती है। अब इसमें अथारिटी कायम करेंगे, वह भूमि पर करेंगे और भूमि के सम्बन्ध में सबसे पहला हमला किसान पर होगा। औद्योगिक विकास होना बहुत जरूरी है। भूमि पर वजन भी होना, कृषि पर आधारित लोगों का जीवन-यापन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

होना भी बहुत जरूरी है लेकिन जो किसान आज खेती कर रहा है वह खेती इसलिए नहीं कर रहा है कि खेती उसके लिए प्रोफिटेबल जोब है, खेती उसके लिए हानि का काम है लेकिन कर इसलिए रहा है कि उसके अलावा उसके पास करने को कोई दूसरा साधन नहीं है। अब जब यह जमीन किसान के पास से जाती है, जमीन के जाने के बाद में उसके पास में कोई चारा नहीं रहेगा। इसलिए इसमें मैं माननीय उप मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि विवाद चल रहा है कि भूमि की मार्केट वैल्यू क्या हो। मार्केट वैल्यू, आज तक मैंने 2–3 उदाहरण देखे हूं, वैसे मैं उप मुख्य मन्त्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि रीको ने पहली बार 2–3 जगह इस प्रकार का काम किया है, उन्होंने किसानों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि ली है और तीन लाख, साढ़े तीन लाख, ढाई लाख रुपये करीब कीमत दी। इसके अलावा न तो आवासन मण्डल ने, न जे. डी. ए. ने, न और किसी अथारिटी ने इस प्रकार का निर्णय किया और किसानों को भूमि के उचित मूल्य नहीं दिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला राजस्थान के मामले में हुआ है उसको भी आप देखिये। उन्होंने उसमें मुआवजे के साथ साढ़े बारह प्रतिशत जमीन भी उस क्षेत्र में किसान को देने का तय किया है। अगर आप औद्योगिक क्षेत्र बनाते हैं, औद्योगिक क्षेत्र बनने के बाद में उस जमीन की कीमत बढ़ेगी, तो आप किसान के साथ समझौता करना चाहें तो उस समझौते में इस बात का भी ध्यान रखें कि अधिकतम फायदा किसान को किस प्रकार से मिल सकता है। जमीन जाने के बाद में अपनी एक इण्डस्ट्री वह उसमें लगा सके, इतनी थोड़ी-बहुत जमीन उस किसान को मिल जाए। उसको मार्केट वैल्यू से मुआवजा भी मिल जाये और उसमें थोड़ी-बहुत जमीन भी मिल जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह केवल सरकार की इच्छाशक्ति पर निर्भर है, इसमें नियम भी नहीं बनेंगे। इसलिए एक तो, माननीय मुख्य मन्त्रीजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रत्यायोजित सम्बन्धी जो आपने विधान रखा है, उस विधान में आपने भूमि को लेने सम्बन्धी नियम बनाने का कोई प्रावधान नहीं किया इसलिये भूमि को किसान से अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से नियम बनाने का प्रावधान इसमें करना चाहिये। केवल लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट के आधार पर और अपने आप सहमति से कभी जाकर उससे बातचीत कर लेंगे, नहीं तो आपका लैण्ड एक्वीजिशन आफिसर नियुक्त है, वह मुआवजा तय कर देगा। मुआवजे की अपील होती है। अपील के रूप में चला जाये और किसान के साथ इस प्रकार की बात हो, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण रूप से इस किसान को देखें, और मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात जो अभी कही गयी कि हमारा जो सारा ढांचा है, यह नियम तक तो ठीक है, इसका चिंतन तक तो ठीक है लेकिन यह ढांचा जा किधर रहा है। जैसे माननीय हरिसिंहजी अभी कह रहे थे, आप देखिये, अथारिटी कायम होगी, अथारिटी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

में इतने बड़े-बड़े और इससे नीचे के नहीं, अधिकारी होंगे, राजस्थान में एक जगह तो अथोरिटी नहीं बनेगी, यह कोई एक स्थान पर नहीं बननी है, जहां-जहां रीको के इण्डस्ट्रियल एरिया है वहां भी और नये जहां-जहां औद्योगिक क्षेत्र बनने हैं वहां भी यह अथारिटी कायम हो जायेगी और जब वहां पर इतनी अथारिटीज कायम होंगी तो एक शासन सचिव उसका अध्यक्ष रहेगा। अगर शासन सचिव महीने में एक बार भी मीटिंग होगी तो तीस दिन तक तो उन सौ अथारिटीज की मीटिंग में जाता रहेगा। फिर आपने इसमें कहा है कि डिप्टी सैक्रेटरी से नीचे कोई भी नहीं होगा। तो इतने डिप्टी सैक्रेटरीज को इतने मैम्बर इन अथारिटीज में बनाने की आवश्यकता क्या है। एक-दो में एक्सपेरीमेंट के रूप में आप बना लें लेकिन इतने डिप्टी सैक्रेटरीज को उसमें बनाने की आवश्यकता क्या है। आप इसमें यह प्रावधान करते, मैं उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं, यह इलाका या तो किसी पंचायत में आयेगा, या किसी नगरपालिका में आएगा या किसी नगर निगम में आयेगा तो वहां पर जो आपका लोकल अधिकारी है, रीको के हैं, चाहे आर. एफ. सी. के हैं, चाहे इण्डस्ट्रीज के हैं, चाहे पी. डब्ल्यू. डी. के हैं, चाहे आपका कलक्टर है, चाहे आपके जो लोकल वहां काम करने वाले हैं, जो वहां पर उनको मदद करने वाले हैं, उन लोगों को इसमें मैम्बर रखिये। अगर स्टेट लेवल का बोर्ड होता है, अगर राज्य की आप एक ही अथारिटी कायम करना चाहते हैं तो मैं समझ सकता था कि इन सबको इसमें लिया जाए। लेकिन चूंकि आप राजस्थान में एक ही अथारिटी कायम नहीं कर रहे हैं, राजस्थान में बहुत से स्थानों पर बहुत सी अथारिटी कायम होंगी। उनकी आपने मीटिंग का भी प्रावधान किया रूल्स बना कर, इस अथारिटी की मीटिंग का भी आप कोई प्रावधान करेंगे कि अथारिटी एक महीने में एक मीटिंग करेगी, दो मीटिंग करेगी, दो महीने में एक मीटिंग करेगी। इसमें कोई नियमों में कोरम का भी प्रावधान करेंगे कि इसमें कोरम होगा या नहीं होगा और यह अधिकारी सारे के सारे वहां नहीं पहुंचे, अलग-अलग अधिकारी हैं, और यह कोई नियम नहीं है कि एक दिन में एक ही अथारिटी की मीटिंग होगी, एक दिन में पांच अलग-अलग अथारिटीज की मीटिंग हो जायेगी, उन अथारिटीज की मीटिंग होगी तो दो उधर जाएंगे, कोई माउण्ट आबू वाली में जाएगा, कोई सरिस्का वाली की तरफ जाएगा, कोई बीकानेर की तरफ जाएगा, तो इसमें कोरम का अभाव भी बनेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह इसमें जो आज सरकार अधिकार ले रही है, यद्यपि इसको देना चाहिए, सिद्धांत रूप से यह एकदम से सारे अधिकार लेना, यह शब्दों का प्रयोग किया है,—राज्य सरकार अपने आत्यंतिक विवेक से, एब्सोल्यूट डिस्क्रिशनरी पावर लेना चाहती है, एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन का पावर है, इस पावर में सरकार इन सारों को बदल भी सकती है, तो मेरा सबसे पहला सुझाव सरकार को यह है कि यह जो आप गठन कर रहे हैं, यह गठन विवेक सम्मत नहीं है और व्यावहारिक नहीं है। इसलिए इसकी व्यावहारिकता के आधार पर इसमें परिवर्तन के बारे में सरकार को मानस बनाना चाहिये।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहूंगा कि 73वें और 74वें संशोधन की माननीय उप मुख्य मन्त्रीजी ने अभी बात की। हमने इसमें यह प्रावधान किया है कि प्राइवेट मेम्बर, प्राइवेट व्यक्ति भी इस प्रकार का क्षेत्र बना सकता है। इसमें लिखा है, राज्य सरकार या उसके अभिकरणों या प्राइवेट विकासकर्ताओं द्वारा निवासीय, संचार, शैक्षिक, चिकित्सीय, आमोद-प्रमोद सम्बन्धी, वाणिज्यिक और अन्य समुचित सुविधाओं जैसी सामाजिक अवसंरचना की व्यवस्था के लिए एकीकृत नगरी के रूप में विकास किया जायेगा। इसका अगर सारे का अर्थ देखें तो यह जो बिल है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें म्यूनिसिपैलिटी के काम भी समाविष्ट हैं, इसमें पंचायत के काम भी समाविष्ट हैं, इसमें आर्किटेक्ट का काम भी समाविष्ट हैं, इसमें इण्डस्ट्रीज का काम भी समाविष्ट है। एक जो इन्द्रपुरी थी ना, देवराज इन्द्र की नगरी, स्वयं-भू, वह स्वयं कर्ता-धर्ता था, वैसी औद्योगिक नगरी के रूप में इसका विकास हो रहा है। 32 खण्डों में हम इसको दे रहे हैं। मेरा इसमें निवेदन यह करना है कि अगर ऐसी नगरी विकसित करनी है तो की जानी चाहिए, मैं उसका स्वागत करता हूं, जैसा नोएडा में एक बार हुआ। लेकिन इसमें अपने पंचायत और नगरपालिका भी अगर जोड़ देते हैं कि पंचायत और नगरपालिका भी इस प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर सकती हैं तो उनके औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने में नगरपालिका अपने क्षेत्र में कर सके, पंचायत अपने क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र बना सके। राज्य सरकार के कोई अभिकरण बनाये या प्राइवेट व्यक्ति बनाए। तो पंचायत और नगरपालिका को भी अगर यह अधिकार इसमें दे दिये जाते और पंचायत और नगरपालिका भी अपने क्षेत्रों में इस प्रकार के औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कर सकें, तो वह स्वयं तो अथारिटी थे ही, उनके पास संसाधन जुटाने का अवसर भी प्रदान हो जाता। राजस्थान में औद्योगिक वातावरण बन रहा है, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री विष्णु मोदी : कहां बन रहा है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राजस्थान में। यहां पर।

श्री विष्णु मोदी : क्या बन रहा है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यहां बन रहा है औद्योगिक वातावरण राजस्थान में। उस औद्योगिक वातावरण में बहुत से लोग उद्योग लगाने के लिए आना चाहते हैं। उनके लिए अब महत्वपूर्ण चीज है जमीन। राजस्थान में उनके लिए जमीन उपलब्ध आसानी से हो जाती है। मैं इसमें तीन-चार अपने सुझावों के साथ कहना चाहूंगा कि यह जो बिल है, इस बिल में भूमि अर्जन सम्बन्धी नियमों का प्रत्यायोजित विधान होना चाहिए, एक। नम्बर दो–यह जो अथारिटी आप इसमें बनाने की बात कर रहे हैं इसमें स्टेट लेवल के आफिसर्स के अलावा लोकल लेवल के आफिसर्स को जोड़ा जाना चाहिए और तीसरा–पंचायत और नगर पालिकाओं को भी इस प्रकार की अथारिटी को विकसित करने का अधिकार मिलना चाहिए।

अन्त में मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि इस अथारिटी के निर्माण में आप एक बात भी देखें, उदाहरण के लिए मैं

200

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कहना चाहूंगा, कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां चमड़े का काम करने वाले बहुत लोग हैं और एक्सपर्ट लोग हैं, तो एक-एक क्षेत्र का वह औद्योगिक विकास करे। जैसे आप कहीं पर ग्रेनाइट की, कहीं मार्बल की कर रहे हैं, तो कहीं चमड़े की भी, रंगाई की भी, कहीं हस्तकला के छोटे-छोटे मूर्ति बनाने के कारखाने हैं, मूर्तिकारजी कई बार कहते हैं, इस प्रकार की जो अथारिटी है, उनके लिए भी उस प्रकार के जो समूह हैं, काम करते हैं, उन समूहों से बात करके, उन समूहों की इच्छा शक्ति के आधार पर उसको विकसित करने का मौका मिलेगा तो जो नीचे के तबके के लोग हैं उन लोगों को भी इस कानून का फायदा हो सकेगा। वरना तो मैं कहता हूं कि जमीन का इसमें मिसयूज रोकने का प्रावधान करना चाहिये। कोई प्राइवेट व्यक्ति अगर अथारिटी कायम करेगा, कितनी बीघा जमीन में इण्डस्ट्री लगाएगा, उसमें वह पार्क भी लगा लेगा, उसमें वह स्विमिंग पुल भी लगाएगा, उसमें अपनी सुख-सुविधा, आमोद-प्रमोद के साधन भी करेगा, तो यह भूमि का जो मिसयूज है। वह मिसयूज हम नहीं रोकेंगे। भूमि के मिसयूज को रोकने का अधिकार भी इसके अन्तर्गत होना चाहिए अथारिटी को। इन सब बातों के साथ यह बिल बहुत ही प्रगतिशील है और राज्य को औद्योगीकरण की दिशा में आगे बढ़ाने वाला है। इन सुझावों के साथ मैं इस अथारिटी के बिल का स्वागत करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमाकांत।

श्री शिवनाथ सिंह : सुझाव कैसे होंगे इनक्लूड।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सुझाव दे दिये अब।

श्री शिवनाथ सिंह : देने से क्या होता है।

श्री रमाकांत शर्मा (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल से ऐसा प्रतीत होता है कि रीको का साइज अब एतना बड़ा हो गया कि वह इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करने के अन्दर अपने आपको सक्षम महसूस नहीं कर रहा। सही भी है, 27 वर्षों से रीको कार्य कर रहा है और जहां कैटेलिस्ट एजेंट का काम करता है, जहां इन्टरप्रिन्योर्स को इक्विटी देता है, लोन देता है, वहां साथ-साथ वह इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप भी करता है, औद्योगिक नगरी, औद्योगिक प्रतिष्ठान भी बनाता है परन्तु अब जब आगे स्थिति यह आ रही है कि 10 हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट होने वाला है राजस्थान के अन्दर और आगे और भी ज्यादा आ जायेगा तो वाजिब बात है, सही है यह रीको इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिये। यदि इन्फ्रास्ट्रक्चर में वह रह गया तो जो इण्डस्ट्रीज आने वाली हैं उनको जो सर्विस मिलने वाली है वह सर्विस नहीं दे सकेगा। इसलिये जहां तक सवाल इस बात का है कि रीको से यह काम लेकर और किसी दूसरे को दिया जाए वहां तक तो मैं स्वागत करता हूं परन्तु यह जो विचार किया गया है, जिस तरीके से अथारिटी बनायी गयी है यह अथारिटी जो विचार हैं उन विचारों को कार्यरूप में परिणति नहीं दे सकेगी। सच बात तो यह

(श्री रमाकान्त शर्मा)

है कि इस प्रकार की अथारिटी हमने यदि बनायी तो इन्टरप्रिन्योर्स की डिफिकल्टी, उनकी तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जायेगी। हमने किन्हीं कारणों से, जिनका अभी मैं जिक्र करूंगा, यह अथारिटी का जो स्वरूप लिया है वह गलत है और हमने नकल भी की है तो नौएडा की जहां पर सेचुरेशन हो चुका। वहां न कोई और जमीन लेने की बात है, न कहीं जमीन एक्वायर करने की बात है, न वहां पर इस तरह की बात है कि आधी नौएडा तो जैसे रीको के पास और

(17.30)

(श्री किशन मोटवानी, सभापति, पदासीन)

आधी किसी अथारिटी के पास। यह स्थिति वहां नहीं है। नौएडा से तो बल्कि इण्डस्ट्रीज बाहर जा रही हैं। दिल्ली से 1200 इण्डस्ट्रीज बाहर जा रही हैं। हमको लेना चाहिए था, जब इस तरह की बात है कि रीको यह काम नहीं कर सकती है तो हमको उन प्रदेशों की बात देखनी चाहिये थी जिन प्रदेशों के अन्दर औद्योगीकरण बहुत त्वरित गति से हुआ है। मसलन गुजरात हो चाहे आन्ध्रप्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो। वहां इन सब जगहों पर रीको जैसा जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन है उनके पास औद्योगिक नगरी विकास करने का काम नहीं है। वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कारपोरेशन अलग से है। ठीक इसी तरह से है जैसे सभापति महोदय, राजस्थान में भी एक जमाना था 1980 तक, जब राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन था। उस उक्त देखा गया कि मिनरल डवलपमेंट का काम यदि यहां रहा तो इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट का काम नहीं हो सकेगा तो उस मिनरल को निकालकर उसका राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन अलग कर दिया गया और राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन अलग से हो गया और ठीक तरीके की बात हो गयी। इसी प्रकार यदि हमें वास्तव में इन्टरप्रिन्योर्स की डिफिकल्टी को देखने का है और यह देखने का है कि औद्योगिक नगरी का समुचित विकास हो सके जिससे कि इण्डस्ट्रियलिस्ट्स को सारी सुविधाएं चाहते हैं वे सुविधाएं मिलें तो हमको यहां पर इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन से इस काम को निकालकर एक राजस्थान इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कारपोरेशन बनाना चाहिये। राजस्थान इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कारपोरेशन जैसे गुजरात की लाइन पर हम बनाएंगे तो उसमें इस अथारिटी के अन्दर जो बहुत सारी गलतियां रह गयी हैं वे गलतियां नहीं रहेंगी। अब मसलन इसमें एक बात कही गयी है कि रीको इस तरह की औद्योगिक नगरी बनाता रहेगा और जब चाहेगा जिस नगरी को आधी दे देगा, पौने दे देगा, क्वार्टर दे देगा। आप भिवाड़ी की बात कर रहे हैं। भिवाड़ी के अन्दर यदि मान लीजिये आगे का हिस्सा हमको दे दिया गया, अब सवाल यह पैदा होगा कि जो नया इन्टरप्रिन्योर आ रहा है वह कहेगा कि यह खाली प्लाट पहले वाला है मैं तो इसी को लूंगा। अभी जो आपके रीको के पास में है उसमें से लूंगा। अथारिटी कहती है कि नहीं, हमारे पास आ जाओ हम प्लाट देंगे आपको। एक अथारिटी के अन्दर, रीको के अन्दर कई मामलों के अन्दर प्लाट बिकेंगे भी, इण्डस्ट्रीज सिक होंगी, इण्डस्ट्रियल

(202)

(श्री रमाकान्त शर्मा)

प्लाटों का वापस अधिग्रहण किया जायेगा, कहीं पर मकान नये बनाये जाएंगे, कहीं पर आगे विकास के लिए, इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए उसको इजाजत दी जाएगी। इन सब मामलों के अन्दर अथारिटी और जो रीको है इस रीको के बीच के अन्दर जो डाइकोटोमी के अन्दर जो मिसमैनेजमेंट होता है इतना भयंकर मिसमैनेजमेंट होगा जिस प्रकार से आजकल यू. आई. टी. कोई स्कीम को हाफ कम्प्लीट करके म्यूनिसिपैलिटी को दे देती है फिर उसके बाद सड़क न वह म्यूनिसिपैलिटी ठीक करती है और न यू आई.टी. ठीक करती है। वह न यू आई.टी. के मतलब की रहती है, न म्यूनिसिपैलिटी के मतलब की रहती है। इस प्रकार से इन्टरप्रिन्योर का कोई धणीधारी ही नहीं होगा। वहां पर इन्टरप्रिन्योर की स्थिति यह होगी कि वह कहेगा कि अथारिटी करेगी, अथारिटी कहेगी कि रीको करेगा, यह काम रीको के पास होना चाहिये। तो किसी भी मैनेजमेंट के अन्दर यदि हमने डाइकोटोमी क्रिएट कर दी तो उससे बैड मैनेजमेंट नहीं हो सकता। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि हम एक इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कारपोरेशन बना करके लॉक, स्टाक एण्ड बैरल जो सारा का सारा काम रीको के पास में इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट का है वह उनको दे दिया जाये तो मैं समझता हूं कि यह डाइकोटोमी की बात नहीं रहेगी। ठहरिये साहब। अभी जो

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बात कही थी माननीय तिवाड़ीजी ने कि जो लेजिस्लेटिव असेम्बली है इसको लेजिस्लेशन का काम ज्यादा करने दीजियेगा और डेढ़-डेढ़ घंटे तक और बातों पर दिया जाता है वह नहीं हो।

श्री समापति : जरा ब्रीफ करिये। यह मैंने इंडीकेशन दिया है आपको कि अब समाप्त कर लें।

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं सिर्फ दो-तीन बातें और निवेदन करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। इसमें एक और चीज रहेगी अभी जैसा एनिसेज किया गया है, 10 अथारिटी बनाएंगे, 15 अथारिटी बनाएंगे, यदि 10 या 2 या 5 या 6 अथारिटीज बनायी गयीं और कोई भी राजस्थान के बाहर से आने वाले आदमी, इन्टरप्रिन्योर अपनी इन्डस्ट्रीज लगाना चाहते हैं तो उसके सामने यह बात आयेगी कि फलां जगह की अथारिटी अच्छा काम कर रही हैं, फलां जगह की अथारिटी खराब काम कर रही है, फलां अथारिटी के अन्दर ज्यादा प्लाट हैं, उस अथारिटी के अन्दर कम प्लाट हैं। तो राजस्थान के अन्दर अन्हैल्दी काम्पीटिशन क्रिएट हो जायेगा इंडस्ट्रियल डवलपमेंट के लिये और एक जो यूनिफार्म, एक बैटर तरीके का डवलपमेंट होना चाहिये, सुनियोजित डवलपमेंट होना चाहिये, वह इस अथारिटी के अधिकार क्षेत्र के अन्दर नहीं हो सकेगा। इसलिये मेरा तो निवेदन यह होगा कि इस बिल को वापस लें और इसकी बजाय इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कारपोरेशन का बिल लायें। परन्तु यदि यह जिद ही हो कि इसी को ऐसे का ऐसा रखने का है तो फिर मेरे बहुत ही छोटे–छोटे सुझाव हैं।

(श्री रमाकान्त शर्मा)

एक तो सुझाव यह है कि औद्योगिक नगरी के अन्दर ज्यादा स्टेक आर. एफ. सी. का है, रीको का स्टेक बहुत कम है, रीको तो केवल मात्र लोगों को जमीन दे देता है और उसके अन्दर 90 प्रतिशत इण्डस्ट्रीज जो हैं, स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज, मिडियम स्केल इण्डस्ट्रीज आती हैं जिनको आर. एफ. सी. लोन देती है, तो इसमें आर. एफ. सी. का कहीं नामोनिशान नहीं है। इसमें वेस्टेड इण्टरेस्ट क्रिएट हुआ है। यह बिल इस तरह का बनाया गया है कि जिसके अन्दर रीको अपना काम भी नहीं करना चाहता, करने में सक्षम भी नहीं है, एक अथारिटी को भी देना चाहता है और अपने पास भी रखना चाहता है। इसलिये जो स्थिति पैदा हुई है, मेरा निवेदन यह है कि इसके अन्दर आर. एफ. सी. का ज्यादा इन्वाल्वमेंट होना चाहिये और रीको का इन्वाल्वमेंट कम होना चाहिये और आर. एफ. सी. का इसके अन्दर मेम्बर होना चाहिये।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि रीको हो या इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कारपोरेशन हो, इसके अन्दर जो फाइनेंस के ओरिएन्टेड आफिसर्स लगा दिये जाते हैं तो बंटाधार हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है उसका। यह ठीक इसी तरीके से है कि अक्सर ब्राह्मण दो तरह के काम करते हैं, एक कर्मकांड करता है और एक शादी ब्याह कराता है और पूजा–पाठ कराता है। पूजा–पाठ कराने वाला कर्मकांड नहीं कराता यदि कर्मकांड कर रहा है तो पूजा-पाठ वह नहीं करेगा। तो ये कर्मकांडी जो आदमी हैं, जो फाइनेंस वाले हैं इनको कभी–भी डवलपमेंट के काम में नहीं देना चाहिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पूजा कर्मकांड नहीं होता है क्या? कर्मकांड क्या होता है? कर्मकांड किसको कहते हैं?

श्री रमाकान्त शर्मा : हां, जो मर जाता है उसका कर्मकांड कहलाता है। इसलिये जिन लोगों का ओरियन्टेशन वित्तीय हो, यह यूनिवर्सल लॉ है कि उन लोगों को कभी भी डवलपमेंट का काम नहीं देना चाहिये क्योंकि डवलपमेंट के काम के अन्दर वह बिलकुल नेगेटिव बात पैदा कर लेते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह कर्मकांड नहीं, क्रियाकर्म है।

श्री सभापति : क्या कह रहे हैं आप?

श्री रमाकान्त शर्मा : हां एक ही बात है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक नहीं। है। कर्मकांड तो.... (व्यवधान)

श्री रमाकान्त शर्मा : चलिये, आप क्रियाकर्म कह दीजिये। मगर कर्मकांड की भाषा है वह तो इस क्रियाकर्म करने वालों को विकास के अन्दर आप लगा देंगे। इसके अन्दर यह कहीं प्रोविजन होना चाहिये कि जिस प्रकार के विकास के काम करने वाले आदमी हैं उन्हीं लोगों को इस काम के अन्दर लगाया जाये, नेगेटिव टाइप के जो आदमी हैं उनको इस काम के अन्दर नहीं लगाया जाये।

एक बात और कह कर अपनी–बात समाप्त करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, क्लाज (3) के अन्दर यह लिखा है कि रीको इंडस्ट्रियल कैटेलिस्ट का काम करती रहेगी। तो इसका मतलब यह है कि

(204)

(श्री रमाकान्त शर्मा)

जो अथारिटी ये बना रहे हैं यह तो बिलकुल निश्चित तरीके से दिमाग के अन्दर बना लिया है कि यह इंडस्ट्रियल कैटेलिस्ट का काम नहीं करेगी अर्थात् इडस्ट्रियल कैटेलिस्ट का काम नहीं करेगी तो प्योर सिम्पल एक प्रकार का जमीन खरीदने-बेचने का काम करेगी। यह जो प्रवृत्ति है, यह प्रवृत्ति स्वयं के अन्दर बहुत गलत है। इन्हीं शब्दों के साथ में, आपने मुझे समय दिया उसके लिये बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदय, जहां तक अथारिटी बनाने की बात है तो अथारिटी तो जयपुर डवलपमेंट अथारिटी भी बनी हुई है तो वैसा ही सत्यानाश अगर आपको करना है तो आप यह अथारिटी बनाएं। आपके सैक्रेटरी इण्डस्ट्रीज ...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री विष्णु मोदी : चार-पांच कारपोरेशंस के चैयरमेन है और इसका भी आप चैयरमेन लेकर आए हैं सैक्रेटरी इंडस्ट्रीज को। तो आप सैक्रेटरी इंडस्ट्रीज से इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कराएंगे या अपने यह सिक कारपोरेशन या कारपोरेशंस की चैयरमेनशिप कराएंगे? आप अथारिटी बनाना चाहते हो, आपकी अगर कटिबद्धता है कि आप इंडस्ट्रियल डवलपमेंट को बढ़ाना चाहते हैं तो जो घनश्यामजी ने बात कही है कि आप वहां की नगरपालिका, वहां की पंचायत, वहां के लोकल लोगों को लें। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, सभापति महोदय, इस राजस्थान में जो लोग तकलीफ पाते हैं, उन तमाम से इण्टरएक्शन है। आज चैम्बर आफ कामर्स का आप इसमें रख दें तो आपको कुछ गाइडेंस ही मिलती, कुछ उनकी प्राब्लम्स हैं वह आपको सुनने को मिलती। लेकिन राजस्थान का रवैया शुरू से एक ब्यूरोक्रेटिक रवैया है और इस अथारिटी से सिवाय कंफ्यूजन के और सिवाय इधर से उधर भटके खाने के कुछ नहीं होना। इसकी मात्र मशा यह है कि जो जमीन एक्वीजिशन की अथारिटी है वह हमारे पास है और इसके अलावा इसमें कोई इनका परपज नहीं है। अगर आपने अथारिटी बनाने की आवश्यकता महसूस की तो रीको क्या फेल हो गया? आप दो एजेंसीज क्यों क्रिएट करना चाहते हैं? माननीय सभापति महोदय, रीको अच्छा काम भी कर रहा है लेकिन रीको ने जैसा रमाकान्तजी ने अभी कहा वह निश्चित बात है, बगरू में इण्डस्ट्रियल एरिया बनाया, अच्छा काम है लेकिन बगरू से जयपुर कम्यूनिकेशन की लाइन ठीक नहीं करायी। वह इनका काम नहीं है क्योंकि जमीन खरीदी, जमीन बेची इण्टप्रिन्योर आए, उसकी फैक्ट्री चले या नहीं चले। आज बगरू इण्टस्ट्रियल एरिया बनाया लेकिन बगरू से जयपुर टेलीफोन पर बात नहीं हो सकती। रीको में इस तरह की इंकाम्पीटेंस है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय उप-मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जल्दबाजी में इस बिल को पास नहीं कराएं। इसकी आप एक मीटिंग रखें जिसमें आर. एफ. सी., रीको और चैम्बर आफ कामर्स को और जो दूसरे इण्टरप्रिन्योर्स हैं उनको बुलाकर और एक विस्तृत विचार

(श्री विष्णु मोदी)

करके, इसको डिस्कस करके उस पर इस तरह का आप महसूस करते हैं तो बिल लेकर आए।

श्री सभापति : डाक्टर श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मैं माननीय उप मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगी, जैसाकि आपको विदित है, जब यहां गोयल साहब मंत्री हुआ करते थे, तब केवल एक बार 17 नियम यहां पर उपस्थापित किये गये थे। नियम, उप-नियम, संशोधन, आदेश या विज्ञप्ति कोई भी आपके यहां बाइंड किये हुए नहीं हैं।

व्यवस्था का प्रश्न

सदन में मंत्रिगण द्वारा वार्तालाप

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : ऑन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री सभापति : पाइंट आफ आर्डर। प्लीज बैठें आप।

श्री परसराम मदेरणा : मिनिस्टर इस तरह से खड़े-खड़े बात कर ही नहीं सकते, यह इस सदन की मर्यादाओं के खिलाफ है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप भी खड़े हैं वहां।

श्री परसराम मदेरणा : Hon'ble members of this House cann't talk like this.

श्री सभापति : I upheld your point-of-objection, Sir.

श्रीमती उजला अरोड़ा : हाउस में आना-जाना बन्द है बिलकुल ? गलियारे बन्द हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, खड़े-खड़े इधर पीठ दिये हुए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : और भी कोई काम है, और भी कोई बात कह रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, आप आसन पर नहीं हो, आप तो बोल रही थीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा ध्यान नहीं बंट रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : उधर लोग खड़े नहीं हो सकते।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपका धन्यवाद करती हूं पर मेरा ध्यान बंट नहीं रहा।

श्री परसराम मदेरणा : आप अध्यक्ष बन जाते हैं.....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं जब बात करती हूं, मेरे ध्यान से बात करती हूं।

श्री परसराम मदेरणा : + + +

विधेयक पर विचार

राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विधेयक, 1995

श्रीमती उजला अरोड़ा : बहुत-बहुत धन्यवाद, आप विराजिये।

माननीय सभापति महोदय, उद्योग विभाग के नियमों का कोई बंधा हुआ पोथा

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

नहीं है । कभी तो पुराना कोई आदेश आ जाता है, कभी कोई तात्कालिक आदेश आकर छा जाता है । मैंने पहले भी इस बात के लिए चर्चा की थी कि इस तरह के नियमों से विसंगति पैदा होती है और आप इन्हें बंधवाइये, यहां प्रस्तुत कीजिये सदन में। 17 बार के संशोधन यहां लाये गये, बाकी यहां के सारे संशोधन अभी तक सदन में लाये नहीं गये और आप अभी भी यह कह रहे हैं कि यह जो है यह सम्पूर्ण है, हम तो अधिकार ले रहे हैं आपसे पर इससे सम्बन्धित कोई नियम सदन में नहीं लायेंगे । तो मैं कहना चाहूंगी इस सदन को बाईपास करके आपका विभाग काम करता रहा है, यह उचित नहीं है आप फिर देखें कि जनता के काम में आने वाले सारे विषय विधान सभा में होकर निकलने चाहिये । कोई विसंगति हो तो उसको दूर किया जा सके इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिये था और ध्यान रखना चाहिये ।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगी कि अर्जन किये जाने के बारे में यहां पर आप अधिकार लेना चाह रहे हैं और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इस तरह से पंचायतों में विसंगति पैदा होगी । पंचायतों में वह जमीन किसी और काम के लिये रखी हुई होगी और आप अपने इस अर्जन के अधिकार से उनकी भूमि को लेना चाहेंगे । सरपंचों से या पंचायत समितियों से उनके प्लान के बारे में पूछेंगे नहीं और जो आपने अधिकार यहां रखे हैं स्थानीय निकाय वगैरह के, उनके पास कुछ शक्तियां हैं उनसे वह भूमि अर्जन करवाकर आपको दे देंगे लेकिन वहां उन योजनाओं का क्या होगा ? आपने अभी कुछ दिन पहले यहां पर चर्चा की थी बजट में कि आप स्थानीय रूप से सर्वे करा रहे हैं कि कहां कौन सा उद्योग छोटे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर लग सकता है । यह उसके बाद की चीज थी । अभी आपका सर्वे हुआ नहीं । यह आप अधिकार ले लेंगे । इस अधिकार से कहीं दूसरे के हितों पर अतिक्रमण हुआ तो वह स्थिति अच्छी नहीं रहेगी । मैं समझती हूं कि आप एक विषय में तो बहुत समझदार हैं लेकिन जब अधिकार आप लेकर दे देंगे, तब कहीं आपके हाथ से वह अधिकार निकल गया तो बहुत ही अराजकता होगी । यह उचित नहीं रहेगा । पुराने परिप्रेक्ष्य में जो मैंने पहले सुझाव दिये और जो मैं अब दे रही हूं उन सब को साथ लेते हुए आप विचार करें, आश्वस्त करें सदन को कि आप ऐसा करेंगे तब आपको यह अधिकार दिया जा सकता है अन्यथा नहीं ।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी ।

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, यह पारण की स्टेज चल रही है ?

श्री सभापति : विचारार्थ के पहले की ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह तृतीय वाचन चल रहा है ।

श्री जुबेर खान : तो हम क्यों नहीं बिल पर बोल सकते हैं ?

श्री सभापति : नहीं, बोलिये न आप ।

श्री जुबेर खान : आप यहां बैठे थे मैं तब से हाथ उठा रहा हूं, लौटकर आपने चार आदमी बुलाये और अब मंत्री महोदय को बुलवा रहे हैं ।

श्री सभापति : तो कोई खड़ा नहीं हुआ बोलने के लिये और चेयर के पास कोई नाम तो है नहीं।

श्री जुबेर खान : जब सब का नाम नहीं पुकारा था, सभापति महोदय। ...

श्री सभापति : माननीय जुबेर खान जी बोलेंगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : नहीं, मैं बोलना ही नहीं चाहता अब। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि यह बिल जो लाए हैं मैं इसके खिलाफ नहीं हूं लेकिन, माननीय सभापति महोदय, इसमें जैसे चौमूं हाउस से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चौमूं से। चौमूं हाउस से आने वाले नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : चौमूं हाउस में तो कोई आपको घुसने ही नहीं देगा। वह हाउस का कह दिया इसका मतलब जनरल टर्मिनालोजी में Chomu House is very conspicuous place. The Constituency is Chomu.

श्रीमती उजला अरोड़ा : यानि आप सबको ज्ञात है, वहां का नाम चौमूं नहीं है, वहां का नाम विजयनगर गजट में प्रकाशित कर दिया गया था और वह चल रहा है लेकिन आप सब लोग इस नाम को पता नहीं जान बूझकर मजाक करके किस रूप में लेकर इस बात का उल्लेख करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता।

श्री सभापति : मजाक का न होते हुए भी आप मजाक का करवा देती हैं।

श्री परसराम मदेरणा : यह अपनी मजाक उड़वा रही हैं। यह वह बात कह रही हैं, मैं देख रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसका नाम चौमूं ही रहना चाहिये, मुझे चौमूं ही पसन्द है।

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, सबसे बड़ा इसमें एक्वीजिशन आफ लैण्ड यानि कि किसान जुड़ा हुआ है। एक तरफ इस बिल के एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स में बात की है कि डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से यह बिल लाया जा रहा है। मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपने जितने सैक्रेटरीज बैठा रखे हैं, यही तो आपकी नीति निर्धारण कर रहे हैं, यही पूरे राज को चला रहे हैं, कौनसा सैक्रेटरी इसमें रह गया, जो आपने डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही है। आपने इण्टरप्रिन्योर्स पांच मैम्बर रख लिये, इण्डस्ट्रीज सैक्रेटरी का इसका चेयरमैन बना दिया, पी. डब्ल्यू. डी सैक्रेटरी, यू. ए. डी. सैक्रेटरी और सारे सैक्रेटरी रख दिये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें किसानों की और लोकल आदमियों की बात कौन रखने वाला है-नम्बर एक ? नम्बर-दो, इसमें आप जन प्रतिनिधि को, वह चाहे नामिनेशन सरकार करे, रखिये। ताकि वहां के किसानों की और लोकल लोगों की बात वहां रखी जा सके। नम्बर-तीन, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब इसमें सारे सैक्रेटरी रख रहे हैं तो आप इण्डस्ट्रीज मिनिस्टर को क्यों नहीं इसका चेयरमैन रखें। आप जनप्रतिनिधि भी नहीं रखते हैं, कम से कम मन्त्री अगर इसके चेयरमैन होंगे तो सरपंच,

(श्री जुबेर खान)

प्रधान, जिला परिषद् के सदस्य जहां आप इण्डस्ट्रियल टाउन डवलप कर रहे हैं वहां के एम. एल. ए. या एम. पी. अपनी बात कहीं जाकर तो कह सकते हैं। इस राज में जिस तरह का सैक्रेटरीज का हाल है, माननीय सभापति महोदय, आप जानते हैं कोई जनप्रतिनिधि या कोई किसान अपनी बात जाकर कह नहीं सकता। मैं चौथा निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से राजस्थान के लेबर पर यह राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक लाया जा रहा है, इस तरह से ही जिला लेवल पर लोकल प्राधिकरण बनाना चाहिये तभी सही मायने में लोकल किसानों की बात, लोकल लोगों की बात इसमें रख पाएंगे। जैसे माननीय सदस्यों में से कुछ ने कहा कि मीटिंग ही नहीं हो पायेगी, क्या इसका कोरम रहेगा। इसलिए अगर आप इसकी मंशा रखते हैं कि सब लोगों का विकास हो, जैसा आपने कहा, "Besides this, industrial development of the entire State in a decentralised manner would also become possible so as to have control over the problems arising in a particular area on account of the industrialisation. इण्डस्ट्रियलाइजेशन करने से जो लोकल सुविधाएं या असुविधाएं होंगी, लोगों की जो समस्याएं होंगी उनका समाधान तभी हो सकता है जब आप जिला लेवल पर भी अथारिटीज का गठन करें और उसमें लोकल लोगों को रखें ताकि उनके माध्यम से स्टेट लेवल में जो अथारिटी होगी, उसमें अपनी बात आ सके, दोनों में लिंक हो सके चैनेलाइज हो सके और सही मायने में जो मंशा सरकार की है इस प्राधिकरण को लाने के लिये, उसकी पूर्ति हो सके, यह मैं निवेदन करना चाह रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जब आप सारे सैक्रेटरीज को और उद्योगपतियों को रख रहे हैं। तो आप इसमें जन प्रतिनिधियों को भी रखिए। सरकार नामीनेट करेगी, आप नामिनेट करेंगे, चाहे किसी भी पार्टी के, किसी भी दल के, किसी भी संघ के लोगों को रखिये। कम से कम आम आदमी वहां तक पहुंच सके, ऐसे लोग आप इसमें जरूर रखिये।

श्री सभापति : Would you like to reply ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री): सभापति महोदय, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि यह एक परीक्षण है। इस परीक्षण के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की शंकाएं प्रकट की गयीं। यह अच्छी बात है, जो शंकाएं प्रकट की गयी हैं हम परीक्षण करते समय उन सबका निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। सफल हुआ परीक्षण तो आगे चलेगा, नहीं सफल होगा तो आगे नहीं चलेगा। यह कोई कम्पलसरी तो है नहीं। अनेक प्रकार के सुझाव हैं। खास तौर से किसानों के बारे में सुझाव आया है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने पहले से ही जे. डी. ए. के लिए भी एक समिति बना रखी है और चूंकि लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट में तो मार्केट वैल्यू की बात लिखी हुई है लेकिन किसानों को नुकसान नहीं हो इसके लिये पहले वह सहमति से लैण्ड प्राप्त करने की कोशिश करें, यह व्यवस्था हमने रीको में भी कर रखी है और यही व्यवस्था उसमें होगी। फिर इस प्राधिकरण का इतना लम्बा स्कोप नहीं होगा कि बहुत ज्यादा लम्बी-चौड़ी

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

जमीन ले लेगा। यह निश्चित एरिया में रीको ने जो डवलपमेंट किया है उसी को मजबूत करने का काम है। उसमें पंचायत को या नगरपालिका को जो अधिकार हैं वह भी अधिकार उनको प्राप्त होंगे इसलिये कि वह केवल अपने एरिया को वैल डवलप करें।

तीसरा बात इसमें यह है कि यह मुख्य रूप से इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करने के लिये है। इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करने के लिये पैसा चाहिये, पूंजी चाहिये और पूंजी के लिये उनमें लोकल कलक्टर को बना दीजिये, लोकल एम. एल. एज. को बना दीजिये, सवाल है कि वे पूंजी कहां से लाएंगे ? उसमें इन्वाल्वमेंट होगा मुख्य रूप से इण्डस्ट्रियलिस्ट का। इसलिए इसमें यह प्रावधान भी है कि यदि कोई प्राइवेट इण्डस्ट्रियलिस्ट करना चाहे तो उसको भी हम वह छूट देंगे।

विष्णु जी ने यह कहा कि इस सम्बन्ध में बैठकर बात पहले कर लीजिये। इस सम्बन्ध में चैम्बर ऑफ कामर्स के चेयरमैन और राजस्थान के सारे प्रमुख उद्योगपतियों से कई बार एक-एक क्लाज पर डिस्कशन हुआ है। अभी कोई लम्बा-चौड़ा सारे राजस्थान में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। फिलहाल हम एक-दो जगह एक्सपेरीमेंट करना चाहते हैं और इसमें यह छूट है जैसा आपने कहा, एम. एल. ए. को बनाइये, किसी को भी बनाइये। इसमें कहीं प्रतिबन्ध नहीं है। इस एक्ट में एक कमेटी बना दी, वह ही कमेटी हो, ऐसा नहीं है। इस कमेटी का सारा स्वरूप सरकार बदल सकती है, उसमें एक भी सैक्रेटरी नहीं रहेगा। यदि हमको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो स्वयं ही वहां डवलप करने में सक्षम हैं तो सैक्रेटरी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लोकल भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। यह छूट तो इसमें खुली हुई है। इसलिये जैसा मैंने कहा कि केवल एक्सपेरीमेंट हो रहा है, इसमें किसी तरह का बन्धन नहीं है और किसी तरह से सरकार बाध्य नहीं है कि यह एक्ट पास हो गया तो सरकार को करना ही पड़ेगा। चाहे उसकी वजह से इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप नहीं हो, चाहे एम. एल. ए. की नहीं सुने, चाहे किसानों का नुकसान होता हो, ऐसा कुछ नहीं है। लैण्ड एक्वीजिशन भी जो होगा वह सरकार करेगी, प्राधिकरण नहीं करेगा। जैसे म्यूनिसिपैलिटी को लैण्ड एक्वीजिशन करना है तो सरकार को लिखती है, इसी तरह से सरकार करेगी और सरकार के ध्यान में ये सारी बातें होंगी कि हरेक के हितों की सुरक्षा करते हुए भी काम हो। इसलिये अभी इसमें कोई रिक्त की बात नहीं है, केवल एक्सपेरीमेंट है। सफल नहीं हुआ तो नहीं होगा।

दूसरा, जैसा रमाकांत जी ने कहा, वह भी बिलकुल ठीक है। इस तरह का कारपोरेशन गुजरात में है और यदि हम अफोर्ड कर सकते हैं तो ऐसा कारपोरेशन बनाने के बारे में सोचेंगे। यह कोई रास्ता बन्द नहीं है। यह कोई फाइनल तो है नहीं, केवल परीक्षण है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाये ?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्ड 2 से 7, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 7 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 7 स्वीकार किये गये।

खण्ड 8 प्रभारी मन्त्री संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

खण्ड–8

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हमारे पास जो सुझाव आये हैं, उन सुझावों में खण्ड–8 में हमने इस संशोधन को स्वीकार किया है जनमत के आधार पर। अभिव्यक्ति "नीलामी, आबंटन द्वारा या अन्यथा, विक्रय, पट्टा या अन्यथा, अन्तरण कर सकेगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति 'नीलामी द्वारा, आबंटन द्वारा या अन्यथा विक्रय कर सकेगा, पट्टे पर, उप-पट्टे पर दे सकेगा अन्यथा अन्तरण कर सकेगा।" प्रतिस्थापित की जाए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप यह संशोधन मूव कर सकते थे। हम देख तो सकते थे पहले।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सब मूव किया है।

श्री सभापति : भेज दिये थे ना पहले आपको।

प्रश्न यह है कि खण्ड–8 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मन्त्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड–8 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड–8 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 9 से 32 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 से 32 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 9 से 32 स्वीकार किये गये।

खण्ड–1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड–1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

माननीय हरिशंकरजी भाभड़ा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 1995 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सभापति महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1995 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1995 को संशोधित रूप में पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1995 संशोधित रूप में पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

मोटरयान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1996

मोटरयान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1996.

श्री रोहिताश्व कुमारजी।

श्री रोहिताश्व कुमार (राज्य मंत्री, यातायात) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटरयान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1996 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री सभापति : माननीय श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह : करो साहब पास करो।

श्री सभापति : श्री रामनारायण चौधरी। श्री जुबेर खान। Nobody wants to speak. श्रीमती डाक्टर उजला अरोड़ा। आप बोलना चाहती हैं ना ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं जनमत पर बोलूंगी।

श्री सभापति : हां बोलिये आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे बोलने तो दो।

श्री सभापति : नहीं, यह आसन की तोहीन है, आपको बोलना पड़ेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बोल रही हूं ना।

श्री सभापति : यह कैसे हो सकता है आप नहीं बोलें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : खड़े होने के बाद कोई बैठता है ? ये अच्छा बिल है, यह तो मैं कह सकती हूं।

श्री सभापति : अच्छा अब आप बैठें। प्लीज सिट डाउन। बोलना चाहती हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मैं अच्छाई की बात के लिये तो अच्छा कह दूं। सभापति महोदय, मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि मोटरयान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1996 को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। यह अच्छा बिल है, यह बात तो मैंने मान ली। लेकिन ये जो संशोधन लाए हैं, आप सुनिये, जिस तरह से आयुर्वेद वालों ने कर रखा है कि आज चिकित्सक ने परीक्षा पास कर ली और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

ये कितने दिन बाद रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण करते हैं। चिकित्सक मरा नहीं है, उत्तराधिकार की कोई चीज नहीं है। और ये गाड़ी है, ये 15 साल बाद उसका नवीनीकरण करेंगे। ये लाए हैं बिल। आप ये समझिये। यह बात तो सही है कि कुछ गाड़ियां खराब हो जाती हैं, पड़ी रहती हैं। वे चलती रहती हैं, अंकित रहती है और फिर उनका कुछ होता नहीं। मालिक भी

(18.00)

दु:खी होता है और उनके यहां एक समस्या बनी रहती है। बाद में यह मालूम नहीं कि कितनी सड़क पर चलेगी, कितनी नहीं, लेकिन यह 15 साल बाद नवीनीकरण वाला मामला कुछ जमा नहीं।

श्री सभापति : माननीय मन्त्रीजी जवाब देंगे।

श्री विष्णु मोदी : एक सैकण्ड, श्रीमान् मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : अब फिर क्या हो गया ? आप नहीं बोलेंगे, आपका इसमें कोई संशोधन नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : एक सैकण्ड, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्रीमती उजला अरोड़ा : धारा (41) की उपधारा (7) में उपबन्ध है कि परिवहन यान से भिन्न मोटर यान के बारे में.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बोलिये, मंत्रीजी। माननीय उजलाजी, विराजिये। You have said enough. मन्त्रीजी आपको जवाब दे रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हां–हां, वे जवाब दे दें। लेकिन आप इस तरह से + + + तो मत कीजिए। यह + + + तो नहीं है।

श्री सभापति : सब सही है। मोटरयान एक्ट है, मोटरयान की तरह चलिये।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो रिव्यू कर रहे हैं उनमें से एण्टिक कारों को हटा दें। जो एण्टिक कारें हैं, उनका रिन्युअल न रखें, जो विन्टेज कारें हैं, एण्टिक कारें हैं.....

श्री जुबेर खान : जिनको क्लासिक बोलते हैं, विन्टेज और क्लासिक कारों का इसमें नहीं है (व्यवधान) उनका क्या होगा ?

श्री सभापति : ये तो साहूकारों के चोंचले हैं। एण्टिक कारों की तो सेठों की बातें हैं। ये विंटेज और एण्टिक तो सेठों के, राजा–महाराजाओं के चोंचले हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पुरानी गाड़ी के नाम से प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेंगी, वे नयी गाड़ियां हो जाएंगी।

श्री सभापति : माननीय मन्त्रीजी, बोलिये।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रोहिताश्व (राज्य मन्त्री, यातायात) : माननीय सभापति महोदय, श्रीमती उजला अरोड़ाजी ने इस बिल के पास होने में एक शंका जाहिर की। 15 साल के बाद गाड़ी के नवीनीकरण को वे न्यायसंगत नहीं मान रही हैं। जो हमारा एग्जिस्टिंग लॉ है.....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : शादी 15 साल बाद रिन्यू हो सकती है क्या ?

श्री रोहिताश्व : नवीनीकरण, रिन्युअल, रजिस्ट्रेशन का रिन्युअल.. ...

श्रीमती उजला अरोड़ा : कहीं ऐसा न हो कि आप शादियों का भी 15 साल बाद नवीनीकरण करने लगे।

श्री सभापति : घनश्यामजी, आजकल ब्यूटी–पार्लर हैं।

श्री रोहिताश्व : माननीय सभापति महोदय, मोटर अधिनियम, 1988 की धारा (41) में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का प्रावधान है। इसी प्रावधान की उप धारा (7) में परिवहन वाहनों से भिन्न वाहनों के रजिस्ट्रेशन की दिनांक से 15 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् पुनः नवीनीकरण आवश्यक है। मतलब अदर देन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, अब इसमें स्कूटर, मोटर साइकिल, लाइट मोटर व्हीकल्स ये सब आते हैं। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में गुड्स ट्रांसपोर्ट, बसेज, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, स्कूल की गाड़ियां, ये सब आती हैं। माननीय सभापति महोदय, इस नियम में, जो मोटर व्हीकल अधिनियम है, इसमें..... (व्यवधान)

श्री सभापति : ठीक है, एक्सेप्टेड, बैठिये।

प्रश्न यह है कि मोटरयान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1996 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि मोटरयान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1996 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाये ?

(अस्वीकृत)

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि मोटरयान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1996 को विचारार्थ लिया जाए ?

ले लें या किसी को कुछ बोलना है ?

विधेयक पर विचार

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप बताएं कि आप इससे कितना पैसा अर्जित कर लेंगे ? आपने क्या लक्ष्य बनाया है ? इसके बारे में भी आप बताइये। नवीनीकरण का पैसा तो लेंगे ही।

श्री रोहिताश्व : माननीय सभापति महोदय, इसकी नामिनल रजिस्ट्रेशन फीस रखी है, इसमें आय का प्रबन्ध नहीं है। ट्रांसपोर्ट विभाग के रिकार्ड में जो अननेसेसरी एण्ट्रीज होती जा रही हैं, यह तो उनको छोड़ने के लिए है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सभापति महोदय, मैं बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति : आप इण्टरनेशनल लॉं पर बोलेंगे क्या ? आपको इण्टरनेशनल लॉं पर बोलना पड़ेगा। आप बैठिये अभी।

प्रश्न यह है कि मोटरयान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1996 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्डशः विचार। खण्ड--2.

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह, संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे या नहीं करेंगे ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : क्या हुआ है, मुझे पता नहीं है।

श्री सभापति : कर लो, नहीं तो वापस ले लो।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : क्या मान लिया, मुझे पता नहीं है।

(18.07)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मेरा अमेण्डमेंट स्वीकार किया जाए। मेरा संशोधन प्रस्ताव है,

In Section 41 of the Act as sought to be amended by clause 2 of the Bill. The following proviso shall be added after the existing proviso :

"Provided further that the Vintage cars & Classic cars upto the year 1960 be re-registered without any registration papers & tax (dues); and"

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है। मेरा पाइण्ट आफ आर्डर यह है कि यह बिल हिन्दी में है और इन्होंने संशोधन प्रस्ताव अंग्रेजी में पेश किया है, इसलिये यह स्वीकार नहीं हो सकता है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल हिन्दी में भी है और इंग्लिश में भी है। यह देखो आप, हिन्दी में भी है और अंग्रेजी में भी है। मेरा निवेदन यह है कि इसके 3....

श्री किशन मोटवानी : मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इण्टरनेशनल लॉं में भी विंटेज है कि नहीं है ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : बिलकुल है। ये पुरानी गाड़ियां इण्टरनेशनल ही थीं।

श्री जुबेर खान : साहब, यह तो बताइए कि विंटेज कार किसको बोलते हैं ? माननीय विजयेन्द्रपाल सिंहजी, विंटेज कार और क्लासिक कार क्या होती हैं ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : I am on a point-of-order, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : पाइण्ट आफ आर्डर के बाद दुबारा पाइण्ट आफ आर्डर नहीं आता है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, यह दूसरा है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, यह बिलकुल अलग है, आप मुझे सुनें।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप सुनने के बाद इससे रेलिश करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। पाइंट आफ आर्डर के बाद पाइंट आफ आर्डर नहीं आता है। कृपया आप विराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सदन को इस बात की जानकारी तो होनी चाहिए कि उन्होंने विंटेज कार के बारे में कहा है, क्लासिक कार के बारे में कहा है तो उसकी डेफिनेशन क्या है। किसको तो क्लासिक बोलेंगे, किसको विंटेज बोलेंगे, किस साल की बनी हुई कार विंटेज कहलाएगी, किस साल तक की और किस तरीके की बनी हुई कार को क्लासिक कहेंगे, कम से कम यह तो समझाएं।

श्री विजेन्द्रपाल सिंह : मैं अभी समझाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है। विजयेन्द्रपालसिंहजी, कृपया आप बोलें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे अमेण्डमेंट में 2–3 बातें रखना चाहता हूं। इस बिल के आब्जेक्ट्स और रीजन्स में एक तो यह है कि पहले जितने भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स थे, उनको तो इन्होंने उस परिधि में नहीं रखा था क्योंकि ये जब कार लाये थे, कुछ साल पहले तब वन टाइम टैक्स इन्होंने इन्ट्रोड्यूस किया था और उसके अन्दर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को नहीं रखा था। इसलिए नहीं रखा था क्यों कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का वे हर साल टैक्स लेते थे। उन्होंने सोचा कि सुविधा के कारण हर आदमी, जिसके पास गाड़ी है या स्कूटर है, हर साल अगर वह जाए तो हर वक्त दिक्कत होती थी। हर साल के बाद में रिन्यू कराना पड़ता था। टैक्स के लिए नया टोकन लेना पड़ता था, एक तो यह था। दूसरा मकसद यह था कि सरकार को एक साथ दस साल का टैक्स मिल जाता तो वह भी उनके लिए बहुत बड़ी रकम मिल गयी। दस साल की रकम एक बार मिल गई है तो, अब इन्होंने सोचा कि अब यह जो दूसरे व्हीकल्स हैं उनको भी इस परिधि में लाकर और सैक्शन 59 के अन्दर, इसके दो-तीन और जो फायदे हैं सरकार को उसमें एक तो इन्होंने लिखा है कि परमानेंटली इनकेपेबल यूज, जो गाड़ियां हैं–which remains not on records. पर उसका टैक्स हर साल आता रहता है। वे कहते हैं कि साहब, हमारे टैक्स तो बढ़ता रहता है और हमारे सी. ए. जी. और दूसरे बताते रहते हैं कि साहब, आप लोग टैक्स कलेक्ट नहीं करते और वे गाड़ियां बहुत बार कबाड़ी को जाकर बिक भी जाती हैं, खतम भी हो जाती हैं। अगर उसका मिस यूज होता है क्योंकि वह गाड़ी तो खतम हो गई मतलब चालीस साल पुरानी, पचास साल पुरानी गाड़ी तो खतम हो गई और कबाड़ी को जाकर के रेडियटर अलग बिक गया,

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

मीटर अलग बिक गया, सब कुछ बिक गया। गाड़ी के टैक्स के कागज उसने रख लिये और उसने उस कागज का मिस यूज किया तो इसलिए पहले तो इन्होंने ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को तो नहीं रखा था, अब इन्होंने ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को इसलिए रखा कि एक ट्रक एक्सीडेंट हो गया और वह जाकर कबाड़ी को बिक गया अब वह दूसरा ऐसा ही ट्रक उन्होंने लेकर 1978 का मोडल हो और वह गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ 1986 का तो उसके नाम से उसने ठप्पा लगा दिया इंजन का और उसने दे दिया तो उसको एडवांटेज मिल गया। मिस यूज के लिए आप लोगों ने यह रखा है। ठीक है।

मैंने जो अमेंडमेंट मूव किया है कि विन्टेज कार्स, जैसे अपने पुराने मानुमेन्ट्स हैं, हवेलीज हैं, जैसे अपने फोर्ट्स है वैसे यह विन्टेज कार्स हैं। अब विन्टेज कार्स, अब इन्होंने (व्यवधान) .. मुझे अपनी बात खतम करने दें, मैं समझा रहा हूं न। आप मेरे को बोलने देंगे तो समझाएंगे न, बोलने ही नहीं दोगे तो कैसे समझायेंगे। मेरा निवेदन है कि विन्टेज कार्स क्या होती हैं। विन्टेज कार्स, पहले तो इन्होंने यह रखा था कि तीस साल पुरानी गाड़ियों को विन्टेज कार्स मानी जाती थीं पर फिर इन्होंने एक कट ऑफ डेट रखी, जो सैकण्ड वर्ल्ड वार तक की जितनी भी गाड़ियां बनी हुई हैं, 1939 की, उनको विन्टेज कहा है। तो 1940 से पहले की जो भी कार्स हैं और फर्स्ट वर्ल्ड वार तक, वे तो हैं प्रि-विन्टेज हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले और क्लासिक कार्स के अन्दर आती हैं, सैकण्ड वर्ल्ड वार से 1969 तक। उसके लिए टूरिज्म में हमने एक फेयर रखा था। एक रैली भी रखी थी। बहुत सारे बाहर के लोगों ने आकर भी हमको एप्रीशियेट किया। देखिये, यह कार्स रैली के अन्दर गयीं। बहुत से लोगों ने देखा कि यह पुरानी गाड़ियां घूम रही हैं। एक अट्रेक्शन था और जयपुर के अन्दर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, मैडम नहीं है, यहां पर टूरिज्म मिनिस्टर नहीं हैं (व्यवधान) वे करें या न करें, पर मैंने यह आर्गेनाइज किया था और यह बहुत ही पापुलर हुई थी और उसका मीडिया बी.बी.सी. से लगाकर, जी.टी.वी से, एवरी बोडी एप्रीशियेटेड है, उन्होंने पूरा इन्टरनेशनल कवरेज किया था। अब ऐसी गाड़ियों को क्योंकि यह टूरिज्म पोटेंशियल के लिए बहुत जरूरी है इसलिए मैंने अमेंडमेंट मूव किया है। यह कोई मारुति या फियेट तो हैं नहीं, यह विन्टेज कार्स साल में एक या दो बार निकालते हैं। मेरे पास भी दो गाड़ियां हैं। (व्यवधान) सही बात है, पर मेरा मकसद यह नहीं है। बात तो सुनें आप। मेरा निवेदन यह है कि ऐसी गाड़ियों को रोज तो चला नहीं सकते। आपको दिल्ली जाना है तो आप इनको ले जा नहीं सकते। अजमेर जाना है तो ले जा नहीं सकते। साल के अन्दर एक बार,दो बार, ऐसी कोई रैली हो, शौक के लिए रखते हैं और टूरिज्म पाइंट आफ व्यू के लिए और एक्जीबिशन के लिए रखते हैं। ऐसी गाड़ियों से आपने टैक्स ले लिया, मारुति जैसे या फियेट जैसे तो कितना महंगा पड़ेगा और क्या फायदा होगा? ऐसी गाड़ियां फिर राजस्थान से बाहर चली जाएंगी। बड़े-बड़े सेठ लोगों के पास चली जाएंगी, जो कलेक्शन करते हैं। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आप राजस्थान के लिए एक बहुत

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

बड़ी बात करेंगे। राजस्थान की गाड़ियों को रेस्टोर कर सकेंगे। लाखों रुपये-लगाकर और कबाड़ी से उठाकर के यह गाड़ी को रेस्टोर करते हैं और बाहर से इकट्ठा करके और पार्ट्स लगा करके इसको बहुत अच्छी बनाते हैं पर यह रोज काम में लेने के लिए नहीं, खाली शौक के लिए हैं और टूरिज्म पाइंट ग्राफ व्यू के लिए हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको ... (व्यवधान)....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने जैसा कहा कि विन्टेज कार और क्लासिक कार पर रोड़ टैक्स नहीं लगना चाहिए, यह नहीं लगना चाहिए, वह नहीं लगना चाहिए। इंश्योरेंस जो है, वह अपनी फीस मार्केट रेट पर लेता है। आज आप एक मारुति 800 का इंश्योरेंस करवाने जाएंगे तो किसी भी हालत में आठ हजार, नौ हजार रुपये से कम नहीं लगता। विन्टेज कार कोई ऐसी है क्या कि उसकी कीमत लाख रुपये कम हो, यह बता दो आप। तो इंश्योरेंस कम्पनी उसको इंश्योर्ड कैसे करेगी ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : एक मिनट सुनिये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कैसे करेगी, यह समझा दो आप। जब तक कि रोड टैक्स जमा नहीं हो जाये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सबका रास्ता है, धारीवाल साहब। सब चीज का रास्ता है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, रोड टैक्स जमा नहीं होगा, तब तक उसका इंश्योरेन्स जमा नहीं हो सकता। वह मोस्ट वेल्यूएबल थिंग है। इसलिए उसकी यह सब चीजें होना जरूरी हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : बात तो सुनिये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं क्या सुनूं ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं आपको रास्ता बता देता हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप तो खुद ही विन्टेज हो।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मेरा निवेदन यह है कि आपने एक बहुत वेलिड पाइंट रेज किया है पर जो इंश्योरेन्स की बात है, इंश्योरेन्स आप ऐसी गाड़ियों की करते हैं, जो रोज जाकर के टक्कर लगा दे या कुछ हो जाये। यह तो साल के अन्दर एक बार तो निकलती है, कौनसी टक्कर लगायेगी यह ? तीस माइल से ज्यादा की स्पीड से चल ही नहीं सकती। तो इंश्योरेन्स वाले भी इसको कंसीडर करके कम रेट पर इसको कर देते हैं। (व्यवधान) ऐसी गाड़ी चोरी नहीं होती है। चोरी करते ही पकड़ा जायेगा कि यह विन्टेज कार है। क्योंकि कम ही गाड़ियां रह गयी हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं वाकई आपकी बात से एग्री करता हूं। आपकी बात से इत्तफाक करता हूं, पुरानी चीज वाकई टक्कर नहीं लगा सकती।

(218)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मेरा निवेदन यह है कि एक कबाड़ी से उठाकर और उसको अच्छी तरह से बनाने के लिये गाड़ी लें और उसके अन्दर टायर भी लगाएं, बैटरी भी लगाएं और आप हर साल जाकर या दस साल का ओ. डी. टी. उनसे ले लें तो यह कितनी महंगी पड़ेगी। इसलिए इसको एन्क्रेजमेंट करने के लिए आप उसको ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, कृपया समाप्त करें, विजयेन्द्रपाल सिंहजी।

श्री रोहिताश्व : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तावित किया है, जरा इनको पढ़कर सुनाता हूं—"Provided further that the vintage cars and Classic cars upto the year 1960 be re-registered without any registration papers and tax (dues) ;.... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है, क्योंकि विन्टेज कार्स और क्लासिक कार्स, ये ऐतिहासिक महत्व की गाड़ियां हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कानून में व्यापक संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर इस बिल में हम इसको शामिल करें, कर ही नहीं सकते, क्योंकि विन्टेज कार के लिये, एक्ट में उसको डिफाइन करना पड़ेगा सबसे पहले तो। क्योंकि बिना पेपर्स के यह फैसे तय हो, इसका मालिक कौन है, इसके चेसिस का क्या नम्बर है, इसके इन्जन का क्या नम्बर है। इसलिये इसमें प्रस्ताव अच्छा है। पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से विचार-विमर्श करने के बाद इसमें आगे फिर कभी एक नये बिल के रूप में अगर इसको लाएं तो मेरी समझ में अच्छा होगा।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट दीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में श्री विजयेन्द्रपाल सिंह ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड–2 स्वीकार किया गया।

खण्ड–1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड–1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री रोहिताश्व कुमार, प्रभारी मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि मोटरयान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1996 को पारित किया जाये।

विधेयक का पारण

श्री रोहिताश्व (राज्य मन्त्री, यातायात) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटर यान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1996 को पारित किया जाए।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) दो मिनट बोलेंगे।

श्री परसादी लाल मीणा : अब होने दो न। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयेन्द्रपालसिंहजी, विराजें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : बैठो, आसन खड़ा हुआ है। आप विराजें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : कभी-कभी मान लिया करो।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुनिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मोटरयान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1996 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

मोटरयान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1996 पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

प्रवर समिति को निर्दिष्ट विधेयक राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, 1996

श्री गंगाराम चौधरी, प्रभारी मन्त्री राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, 1996 एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव करेंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है, हमारा प्रस्ताव पहले है कि जनमत जानने के लिये, इसलिये वह पहले आयेगा, इनका बाद में आयेगा। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : एक ही बात (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं-नहीं, एक नहीं है। आयेगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सलेक्ट कमेटी को तो जा रहा है।

श्री नाथूसिंह : पहले सरकार का प्रस्ताव आएगा।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, हमारा पहले आयेगा। उपाध्यक्ष महोदय, जनमत का है वह पहले आयेगा।

श्री नाथू सिंह : पहले सरकार का प्रस्ताव। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, नियम है कि पहले संशोधन सरकार का (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : पहले सरकार का ही प्रस्ताव आता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पहले सरकार का ही प्रस्ताव आता है।

श्री नाथू सिंह : आप रूल्स में देख लें। सरकारी प्रस्ताव पहले आयेगा।

श्री शिवनाथ सिंह : यह देख लो आप। रूल्स में लिखा हुआ है, मैं तैयारी करके आया हूं।

श्री नाथू सिंह : हां निकालो, कौन-सा रूल है बताओ?

श्री शिवनाथ सिंह : पहले हमारा आयेगा।

श्री नाथू सिंह : पहले सरकारी प्रस्ताव आयेगा । (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, पहले सरकार का प्रस्ताव आता है ।

श्री शिवनाथ सिंह : पहले जनमत का आयेगा, उसके बाद में प्रवर समिति का आयेगा । (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कोई भी प्रस्ताव पहले सरकार का आयेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव करिये । प्रस्ताव आने दीजिये ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सरकार का प्रस्ताव पहले आयेगा ।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, 1996 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाये जो अपनी रिपोर्ट तीन माह में पेश करेगी । प्रवर समिति में सदस्यों के नामों की घोषणा बाद में कर दी जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बिना कारण बताए आप इसको भेज रहे हैं । कोई बात नहीं, भेज दें पर कारण तो बताएं ।

श्री शिवनाथ सिंह : यह रूल्स की बात है, उपाध्यक्ष महोदय, पहले जनमत का आयेगा । (व्यवधान) पहले जनमत का आएगा ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, 1996 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया ।

राजस्थान अभिधृति विधेयक, 1996.

श्री गंगाराम चौधरी, प्रभारी मन्त्री राजस्थान अभिधृति विधेयक, 1996 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव करेंगे ।

राजस्थान अभिधृति विधेयक, 1996

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अभिधृति विधेयक, 1996 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए जो अपनी रिपोर्ट तीन माह में पेश करेगी । प्रवर समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा बाद में कर दी जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति विधेयक, 1996 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया ।

सदन की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 24 जुलाई, 1996 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.25 बजे बुधवार, 24-7-1996 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।)

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 732 का विवरण

परिशिष्ट—"क"

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17-4-1995 के द्वारा निदेशक पर्यटन विभाग के पद पर नियुक्ति हेतु किये गये संशोधन का विवरण :—

1. नियम 6 (i) के विद्यमान परन्तुक (iii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

(iii) यह कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी का आयोग के परामर्श से यह समाधान हो जाये कि निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए कोई भी उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो निदेशक का पद भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी से भरा जा सकेगा।

परन्तु यह और कि यदि निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए कोई भी अधिकारी पात्र न हो या उपयुक्त न पाया जाये अथवा सरकार निदेशक के पद को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में से भरे जाने के लिये विचार न करे तो उक्त पद इन नियमों के भाग 10 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर भरा जा सकेगा।

2. उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची में विद्यमान क्रम संख्या 1 और 2 तथा उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7
1	निदेशक	100% पदोन्नति द्वारा	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान या वाणिज्य में डिग्री अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समतुल्य अर्हता और किसी राज्य के पर्यटन विभाग में या ख्याति प्राप्त वाणिज्यिक पर्यटन एजेन्सी किसी उत्तरदायी पद पर 12 वर्ष का अनुभव।	अपर निदेशक	अपर निदेशक के पद पर 5 वर्ष का अनुभव जिसमें उप निदेशक के पद का अनुभव भी सम्मिलित है।	—

(222)

परिशिष्ट—2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न और उनके उत्तर)

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पाली द्वारा स्वीकृत कार्य

738. **श्री भीमराज भाटी** (पाली) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पाली द्वारा मार्च और अप्रेल, 1996 के दौरान कई प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई हैं ? यदि हां, तो इनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या लोकसभा चुनाव, 1996 की अधिसूचना जारी होने के बाद ऐसी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी करना आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं था ? यदि हां, तो क्या यह न्याय संगत है ?

(3) क्या यह सही है कि लोक सभा चुनाव, 1996 की अधिसूचना जारी होने के बाद जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पाली द्वारा स्वीकृत सभी कार्य बन्द करने के आदेश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त आदेश की पालना में सभी कार्य बन्द कर दिये गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या ऐसे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पाली द्वारा मार्च और अप्रेल, 96 के दौरान जिन कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई हैं उनकी प्रतियां संलग्न है।

(2) जी, नहीं। ये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां पूर्व से चालू योजनाओं की है, जिनके लिए पहले से ही बजट प्रावधान था एवं राशि भी उपलब्ध थी।

(3) जी, नहीं। लोकसभा चुनाव, 1996 की अधिसूचना जारी होने के बाद जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पाली द्वारा किसी भी कार्य को बन्द करने के आदेश जारी नहीं किये गये।

(4) जी, नहीं। स्वीकृत कार्य नियमित एवं सामान्य प्रक्रिया के थे।

(5) जी, नहीं।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

सहकारिता विभाग में सहायक रजिस्ट्रार के रिक्त पद

739. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या सहकारिकता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में विभाग में सहायक रजिस्ट्रार के कितने पद गत तीन वर्षों से रिक्त हैं ?

(2) विभाग में पदोन्नति के क्या नियम हैं ? उपरोक्त रिक्त पदों पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के मानदण्ड क्या हैं ?

(3) इन रिक्त पदों को पदोन्नति से भरने हेतु अन्तिम पदोन्नति समिति की बैठक कब हुई ? उसमें कितने पदों को भरा गया ? इसमें आरक्षित सूची में आगे के लिये किन-किन के कितने नाम रखे गये उसके बाद डी. पी. सी. नहीं बैठने का क्या कारण है ? क्या इसमें कोई कानूनी बाधा है ? यदि हां, तो क्या एवं इन्हें कब तक दूर कर दिया जायेगा ?

(4) उक्त अन्तिम पदोन्नति समिति की बैठक के बाद अभी तक पदोन्नति समिति की बैठक नहीं होने के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने उम्मीदवार अपने पदोन्नति के अधिकार से वंचित रहे ?

उत्तर

(1) सहकारी विभाग में सहायक रजिस्ट्रारों के गत तीन वर्षों से निरन्तर 3 पद रिक्त हैं।

(2) विभागीय पदोन्नति राजस्थान सहकारिता सेवा नियम, 1954 के नियम 24 (2) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा निहित प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है। नियमानुसार सहायक पंजीयक के पद पर 50% सीधी भर्ती से राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से एवं 50% पद पर डी. पी. सी. द्वारा निरीक्षक ग्रेड प्रथम को पदोन्नति दी जाती है।

(3) रिक्त पदों को पदोन्नति से भरने हेतु पदोन्नति समिति की अन्तिम बैठक दिनांक 9-1-95 को हुई थी जिसमें 44 सहायक रजिस्ट्रार के पदों को भरने की सिफारिश की गयी। इस समिति द्वारा आरक्षित सूची नहीं बनाई गई थी। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा एक निरीक्षक के प्रकरण में लिये गये निर्णय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक अन्य निरीक्षक के पक्ष में दिये गये निर्णय से विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने में अड़चन उत्पन्न हुई। विधिक राय प्राप्त कर न्यायालय के निर्णय में अंकित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए अब विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा रही है।

(4) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित न होने के कारण किसी वर्ग के पदोन्नति से वंचित रहने का प्रश्न नहीं उठता है। अब भी जिस वर्ष की डी. पी. सी. आयोजित की जाती है, उसी वर्ष से उन्हें नियमानुसार पदोन्नति दी जाती है।

(224)

जिला सिरोही में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण न्यायालय की स्थापना

740. श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : क्या विधि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला–सिरोही में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के कुल कितने मुकदमें कितने समय से विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण हेतु पृथक् से न्यायालय खोलने के क्या मानदण्ड/नियम हैं ?

(3) क्या सरकार सिरोही जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण हेतु न्यायालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला सिरोही मे अनुसूचित जाति/जनजाति के लम्बित मुकदमों की सूची परिशिष्ट 'क' सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) अनुसूचित जाति/जनजाति की सुनवाई हेतु पृथक न्यायालय खोलने के लिए कोई निश्चित मानदण्ड निर्धारित नहीं है। उक्त पृथक न्यायालय खोलने के लिए 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता लम्बित मुकदमों की संख्या, बजट प्रावधान एवं माध्यमिक उच्च न्यायालय का परामर्श उपलब्ध होना आवश्यक है।

(3) फिलहाल सिरोही में अनुसूचित जाति/जनजाति न्यायालय स्थापित करने का मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट–'क'

सिरोही जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति के लम्बित प्रकरणों की सूची।

वर्ष	प्रकरणों की संख
1990	1
1991	2
1992	10
1993	37
1994	42
1995	50
1996	26
कुल योग :—	168

तहसील लालसोट (दौसा) का राजस्व अभियान

741. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) एवं श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दौसा जिले की लालसोट तहसील के विभिन्न गांवों में खेती योग्य सिवाय चक कितनी-कितनी भूमि है ? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सन् 1985 से 1990 तक प्रतिवर्ष राजस्व अभियान

(श्री परसादी लाल मीणा)

चलाकर किसानों की भूमि सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण किया गया था परन्तु पिछले पांच वर्षों से राजस्व अभियान नहीं चलाया गया है ? यदि हां, तो किस कारण सिवाय चक भूमि के आबंटन सहित विभिन्न समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया है ?

(3) क्या सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रति वर्ष राजस्व अभियान चलाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) दौसा जिले की तहसील लालसोट में 41 गांवों में 703 बीघा 12 बिस्वा भूमि खेती योग्य सिवाय चक उपलब्ध है। ग्रामवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) राज्य सरकार द्वारा राजस्व संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु वर्ष 1986, 1988, 1989 व 1990 में राजस्व अभियान चलाकर किसानों की भूमि सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण किया गया था। पिछले पांच वर्षों के दौरान वर्ष 1992 में समस्या शिविर आयोजित किया गया जिसमें भूमि आवंटन सहित विभिन्न समस्याओं का निराकरण किया गया था। वर्ष 1993 में दौसा जिले में "जागरूक प्रशासन शीघ्र कार्य" के नाम से विशाल एवं बहुद्देशीय शिविर आयोजित किये गये थे।

(3) आवश्यकतानुसार जिला स्तर या राज्य स्तर के निर्देश पर अभियान चलाया जाता है। अभियान नियमित कार्य का विकल्प नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

आबू पर्वत को पर्वतीय स्थल का दर्जा

742. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर), श्री जयन्तिलाल कोली (रेवदर) एवं श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) किसी भी स्थान को पर्वतीय स्थल घोषित करने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित हैं तथा यह निर्णय किस स्तर से होता है ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान के एक मात्र पर्वतीय स्थल आबू पर्वत को विधिवत् पर्वतीय स्थल घोषित कर रखा है ? यदि हां, तो कब से एवं नहीं, तो क्यों ?

(3) सरकार इस दिशा में अब क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पर्वतीय स्थल घोषित करने के कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं हैं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(2) जी नहीं। किसी भी स्थल को पर्वतीय स्थल घोषित करने की कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है।

(3) वर्तमान में कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

राज्य के उपखण्ड एवं पंचायत समिति मुख्यालय पर कन्या सीनियर हायर सेकेण्डरी विद्यालयों की स्थापना

743. श्री मदनमोहन (खैरथल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कुल कितने ऐसे उपखण्ड मुख्यालय हैं जहां पर 10+2 बालिका विद्यालय नहीं हैं ?

(2) राज्य में कितनी पंचायत समितियों के मुख्यालयों पर 10+2 बालिका विद्यालय नहीं है।

(3) क्या सरकार जहां पर इस प्रकार के विद्यालय नहीं हैं वहां विद्यालय क्रमोन्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार द्वारा विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में कोई नीति तय की हुई है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में कुल 13 उपखण्ड मुख्यालय ऐसे हैं जहां पर बालिकाओं की 10+2 (सीमावि) विद्यालय नहीं है।

(2) राज्य में 104 पंचायत समिति मुख्यालय ऐसे हैं जहां पर बालिकाओं का 10+2 (सीमावि) विद्यालय नहीं है।

(3) राज्य सरकार अपने उपलब्ध सीमित वित्तीय प्रावधानों के तहत विद्यालय क्रमोन्नति के प्रस्तावों पर निर्धारित मानदण्ड की पूर्ति करने वाले विद्यालयों के प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर समग्र विचार किया जाकर क्रमोन्नत किया जाता है। बालिका विद्यालयों क्रमोन्नति हेतु मानदण्ड में विशेष व्यवस्था है।

(4) जी हां। क्रमोन्नति हेतु निम्न मानदण्ड निर्धारित है :–

	सामान्य क्षेत्र	आदिवासी/रेगि. क्षेत्र
1. जनसंख्या 1991 के आधार पर	5000	4000
2. कक्षा-10 की छात्र सं.		
(छात्र)	50	40
(छात्रा)	40	30
3. फीडर विद्यालय	3	2
4. फीडर विद्यालय की दूरी :	10 किमी.	10 किमी.

5. <u>अन्य आधार बिन्दु :–</u>

1. उपलब्ध वित्तीय प्रावधान
2. क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकता
3. भौगोलिक स्थिति
4. प्रशासनिक आधार
5. माध्यमिक एवं सीमावि का अनुपात

ग्राम जिलिया (नावां) का वाटरशेड एवं मेड़ बन्दी कार्य

744. श्री रामेश्वर लाल चौधरी (नावां) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या भू-संरक्षण कार्यालय कुचामन सिटी स्थित भू-संरक्षण अधिकारी द्वारा ग्राम

(श्री रामेश्वरलाल चौधरी)

जिलिया तहसील नावां में वर्ष 1995-96 में वाटर शेड व मेड़ बन्दी का कार्य स्वीकृत कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त कार्य पर कितनी राशि स्वीकृत की गई ? कितना कार्य किया गया व कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्य स्वीकृत करने से पूर्व ग्रामवासियों व जन-प्रतिनिधियों से राय ली गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त वाटरशेड, क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो किस किसकी लापरवाही से ? दोषियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जल ग्रहण विकास क्षेत्र को स्वीकृत राशि रुपये 47.50 लाख है। वर्षवार कराये गये कार्य एवं व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	वर्ष	भौतिक प्रगति (हैक्टेयर में)	वित्तीय प्रगति (लाखों में)
1.	1994-95	160.00	3.40
2.	1995-96	435	18.00
	योग-	595.00	21.40

(2) जी हां।

(3) ट्रेक्टरों द्वारा जुताई के समय ध्यान नहीं रखने के कारण पशुओं के आवागमन, ग्रीष्मकाल में आंधी के दौरान बालू मिट्टी के क्षरण, वर्षा काल में वानस्पतिक सामग्री का समुचित अंकुरण नहीं होने, आदि के कारण अवरोध, कुछ स्थानों पर मिट्टी के बंड पर वानस्पति स्थापित नहीं होने के कारण बंड की मिट्टी फैल गई है। इसमें किसी का दोष नहीं है।

शासन सचिवालय, जयपुर के अधिकारियों की पदोन्नति में रोस्टर प्रणाली का पालन

745. **श्री भीखाभाई** (सागवाड़ा) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि शासन सचिवालय में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों को उप सचिव/सहायक सचिव/अनुभाग अधिकारियों के पद पर रोस्टर प्रणाली के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है ?

(2) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 से 1995-96 तक शासन सचिवालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उप सचिव/सहायक सचिव/अनुभाग अधिकारी पद की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार सदन की मेज पर रखें :-

क्र.सं.	वर्ष	स्वीकृत पद	कार्यरत अनु. जाति	कार्यरत अनु. जनजाति	वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर कार्यरत अनु. जाति/जनजाति	मैरिट आधार पर कार्यरत अनु. जाति/ जनजाति	योग
1	2	3	4	5	6	7	8

(श्री भीखाभाई)

(3) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के जिन कर्मचारियों को मैरिट आधार पर उप सचिव/सहायक सचिव/अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गई है, को भी आरक्षण लाभ की सीमा में माना जा रहा है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(3) जी, हां। उप सचिव व अनुभागाधिकारी के पद 50% वरिष्ठता एवं 50% योग्यता के आधार पर पदोन्नति से भरे जाते हैं। राज. सचिवालय सेवा नियम, 1954 के नियम 7 (सी) (2) के अन्तर्गत आरक्षित पदों पर भी पदोन्नति उपरोक्तानुसार ही दी जाती है। सहायक सचिव के पदो पर पदोन्नति पूर्ण रूप से वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर ही दी जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पशु संवर्धन कार्यक्रम

746. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं) एवं **श्री बनवारी लाल भिण्डा** (फतेहपुर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार दुधारू पशुओं की पृथक-पृथक संख्या क्या है ? तथा राज्य की जनसंख्या के अनुपात में इनकी संख्या कितनी है ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दुधारू पशुओं की संख्या निरन्तर घट रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सर्वे करवाया गया ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

(3) सरकार पशुधन संवर्धन हेतु क्या विशेष प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) पशु गणना वर्ष 1992 एवं जनसंख्या गणना वर्ष 1991 की सूचना के अनुसार दूध देने योग्य पशुओं की पृथक-पृथक संख्या एवं जनसंख्या के अनुपात में उनकी संख्या की, जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, नहीं। वर्ष 1988 एवं वर्ष 1992 की पशुगणना को देखने से स्पष्ट होता है कि दूध देने योग्य पशुओं की संख्या में कमी नहीं आ रही है।

(3) राज्य सरकार गौ-संवर्धन हेतु निरन्तर प्रयासित है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में योजना मद की 37 प्रतिशत राशि गौ-संवर्धन हेतु खर्च की जा रही है। नस्ल सुधार हेतु दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान में संकर नस्ल सुधार की प्रणाली अपनाई हुई है एव पश्चिमी राजस्थान के गौवंश को उसी नस्ल के श्रेष्ठ सांड तथा वीर्य द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है।

229

जिलेवार दूध देने योग्य पशुओं की संख्या एवं जनसंख्या तथा प्रतिशत

जिले का नाम	दूध देने योग्य पशुओं की संख्या (1992)					जनसंख्या	
	गोवंश			भैसवंश		जिलेवार (1991	
	संकर नस्ल	देशी नस्ल	योग		योग	(हजार में)	अनुपात
1	2	3	4	5	6	7	8
अजमेर	3274	186208	189482	112274	301756	1729	0.17
अलवर	405	94434	99839	317187	417026	2297	0.18
बांसवाड़ा	182	141525	141707	104763	246470	1156	0.21
बांरा	128	139524	139652	78224	217876	810	0.27
बाड़मेर	64	185020	185084	29420	214505	1435	0.15
भरतपुर	711	55674	56385	255579	311964	1652	0.19
भीलवाड़ा	5154	293566	298720	180082	478802	1593	0.30
बीकानेर	527	239299	239826	37811	277637	1211	0.23
बून्दी	341	105078	105419	108316	213730	770	0.28

1	2	3	4	5	6	7	8
चित्तौड़गढ़	1122	252447	253569	196938	450507	1484	0.30
चुरू	198	142997	143195	74090	217294	1543	0.14
दौसा	373	64275	64648	221636	286284	994	0.29
धौलपुर	113	35812	35925	118840	154765	749	0.21
डूंगरपुर	107	93272	93279	86216	179495	875	0.21
गंगानगर	9769	310455	320224	289742	609966	2632	0.23
जयपुर	6366	202224	208590	338025	546615	3888	0.14
जैसलमेर	144	48178	48322	156	48478	345	0.14
जालोर	318	92292	92610	105845	198455	1143	0.17
झालावाड़	89	161297	161386	112258	273644	957	0.29
झुन्झुनूं	774	54997	55771	116254	172025	1582	0.11
जोधपुर	2845	246555	249400	70775	320075	2153	0.15
कोटा	693	97366	98059	78981	177040	1221	0.14

1	2	3	4	5	6	7	8
नागौर	357	260415	260772	147479	408251	3145	0.13
पाली	962	166455	167147	113602	282749	1486	0.19
राजसमन्द	1500	106510	108010	106743	214753	823	0.26
सवाई माधोपुर	41	134920	134961	253920	388881	1803	0.22
सीकर	1690	96561	98251	156014	254265	1843	0.14
सिरोही	293	66684	66977	48309	115286	654	0.18
टोंक	131	135932	136063	106537	242600	957	0.25
उदयपुर	4679	280338	285017	222427	507444	2067	0.25
कुल योग	43060	4487224	4530284	4116237	8646521	44006	0.20

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर का रिसर्च प्रोजेक्ट

747. श्री अरूणसिंह (डीग) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर में सफेद साईबेरियाई सारसों के बारे में कोई रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा हैं ? यदि हां, तो यह प्रोजेक्ट कब से चल रहा है और इस पर केन्द्र एवं राज्य सरकार का कुल कितना व्यय हुआ है ? मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस दौरान कितने ट्रांसमीटर, कब-कब लगाये गये, कितने सारस के बच्चे मर गये ? कितने लापता हो गये, कितने बचे हैं ?

(3) क्या चिड़ियाघर जयपुर में इन सारसों को रखने एवं उनकी देखरेख के लिए किसी संस्था को धन दिया गया है ? यदि हां, तो उस संस्था का नाम, दी गई राशि तथा उद्देश्य क्या हैं ?

(4) क्या सारसों की मृत्यु अथवा लापता होने की घटना की जांच की गयी ? यदि हां, इसमें कौन दोषी है एवं उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

(5) इस रिसर्च प्रोजेक्ट का परिणाम क्या रहा ?

उत्तर

(1) जी हां। यह प्रोजेक्ट वर्ष 92-93 से चल रहा है। इसके लिये केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को राशि आबंटित की गयी थी एवं कुल 4.12 लाख रुपया व्यय हुआ है। यह व्यय केन्द्रीय प्रवर्तित योजना मद में हुआ है।

(2) इस दौरान रिलीज किए गए किसी भी साईबेरियन क्रेन पर ट्रांसमीटर नहीं लगाया गया। केवलादेव नेशनल पार्क में कुल 6 अवयस्क साईबेरियन क्रेन लाये गये थे, जिनमें से दो मर गये तथा 4 लापता हो गये। अब एक भी बच्चा उद्यान में शेष नहीं बचा है।

(3) जी हां। चिड़ियाघर जयपुर में सारसों को रखने देखरेख के लिए 'टयूरिज्म एण्ड वाइल्ड लाइफ सोसायटी आफ इण्डिया' जयपुर को 11,650 रु दिये गये।

इसका उद्देश्य साईबेरिया जैसे अति ठंडे इलाके के इन पक्षियों को जयपुर जैसे उष्ण स्थल पर ठीक से पालने एवं रखने के लिये पर्याप्त अनुभव वाले व्यक्ति की सेवा इस संस्थान के माध्यम से उपलब्ध करना था।

(4) जी हां। दोनों साईबेरियन क्रेन के मरणोपरान्त विधिवत पोस्टमार्टम करवाये गये थे। इसमें किसी कर्मचारी की कोई गलती नहीं थी। शेष चार सारसों के समय–समय पर लापता होने के पश्चात् उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, भरतपुर द्वारा आसपास के सम्भावित इलाकों में विभिन्न टोलियां खोज हेतु भेजी गयी थी। क्योंकि यह पक्षी स्वच्छन्द थे इनके अन्यत्र उड़ जाने के लिये किसी कर्मचारी को दोषी नहीं माना जा सकता है। अतः किसी के भी विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी।

(वन मन्त्री)

(5) इस रिसर्च प्रोजेक्ट के परिणाम इस प्रकार निकले :—

1. ठंडे प्रदेश साईबेरिया के यह सारस यहां राजस्थान की उष्ण जलवायु एवं प्रकृति को अपनाने में सफल रहे हैं, जिससे इस प्रजाति की यहीं पर कैप्टिव पापुलेशन बढ़ाने के प्रयोग की सम्भावनाएँ प्रबल हुयी है।

2. इस प्रकार पाले गये बच्चों को बड़ी संख्या में यहां छोड़े जाने पर इनके द्वारा यहां पर आने वाली कोमन क्रेन्स के साथ एकीकृत (इंटीग्रेट) होने की सम्भावना है।

राजगढ़, थानागाजी (अलवर) एवं डीग (भरतपुर) की सुनिश्चित रोजगार योजना

748. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जनजाति बाहुल्य खण्डों में केन्द्र सरकार द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना चलायी जा रही है ? यदि हां, तो राजस्थान के किन–किन खण्डों में यह योजना कब-कब से चलायी जा रही है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त योजना का प्रारूप एवं मूल उद्देश्य क्या है एवं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार प्रतिवर्ष इस योजना पर प्रति खण्ड कितना व्यय करती है एवं वह व्यय किन–किन मानदण्डों अथवा मदों पर किया जाता है ?

(3) क्या केन्द्र सरकार/राज्य सरकार और अधिक खण्डों का इस योजना के अन्तर्गत चयन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस मानदण्ड के आधार पर एवं कब तक ?

(4) अब तक अलवर जिले के खण्ड (ब्लाक) राजगढ़ थानागाजी एवं भरतपुर जिले के खण्ड (ब्लाक) डीग में उपरोक्त योजना में कितनी राशि का आबंटन किया गया है एवं उसमें से कितना व्यय किस-किस कार्य पर किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य विकास खण्डों में भी सुनिश्चित रोजगार योजना चलायी जा रही है। राजस्थान के 174 विकास खण्डों में यह योजना वर्तमान में चलायी जा रही है, जिनकी सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) सुनिश्चित रोजगार योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उन जरुरतमंद लोगों को जो रोजगार चाहते हैं, गैर कृषि मौसम में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना है।

केन्द्र सरकार/राज्य सरकार प्रतिवर्ष प्रत्येक विकास खण्ड को औसतन 75 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान करती है। योजनान्तर्गत व्यय राशि का केन्द्र एवं राज्य के मध्य 80:20 के अनुपात में वहन किया जाता है।

(राज्य मन्त्री, विशिष्ठ योजना संगठन)

योजनान्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में उपलब्ध कराई गई राशि का व्यय निम्न मद में किया जाता है :—

1. जलग्रहण विकास आधार पर कार्य व गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की निजी भूमि पर बागवानी कार्य
2. लघु सिंचाई कार्य
3. सम्पर्क सड़कों पर
4. आंगनबाड़ी व प्राथमिक स्कूल के भवनों पर

(3) इस योजनान्तर्गत ब्लाकों का चयन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा और विकास खण्ड जिनकी अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या से 25 प्रतिशत अधिक के प्रस्ताव भारत सरकार को इन पिछड़े विकास खण्डों को सम्मिलित करने के लिए भेजे गये हैं, जिन पर भारत सरकार द्वारा ही निर्णय लिया जाता है।

(4) अब तक अलवर जिले के ब्लॉक राजगढ़ एवं थानागाजी में तथा भरतपुर जिले के ब्लॉक डीग में वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 में निम्न प्रकार से राशि का आबंटन एवं व्यय किया गया है :—

जिला अलवर

	वर्ष	ब्लॉक	राशि	(लाखों में) व्यय
1.	1994–95	थानागाजी	37.50	44.470
	1995–96	थानागाजी	75.00	
2.	1994–95	राजगढ़	37.50	61.350
3.	1995–96	राजगढ़	75.00	

जिला भरतपुर (ब्लॉक डीग)

वर्ष	राशि आबंटन	व्यय राशि
1994–95	37.50	12.51
1995–96	75.00	31.32

खण्डवार कार्यवार व्यय की सूचना परिशिष्ट—'अ' पर उपलब्ध है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सहकारी अधिनियम की धारा 139 के तहत बाध्यकारी एवं नियंत्रक धाराओं से उन्मुक्ति

749. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहकारी अधिनियम की धारा 139 के तहत कतिपय बाध्यकारी तथा नियंत्रक धाराओं से उन्मुक्ति दिलवाई गई थी ? यदि हां, तो किस आधार पर एवं इनमें किन सहकारी संस्थाओं को उन्मुक्त किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त उन्मुक्ति समान आधार होते हुये भी प्रदेश की गृह निर्माण सहकारी समितियों को नहीं दी गई ? यदि हां, तो कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उन्मुक्ति दिलवाने के प्रावधान के पश्चात् प्रदेश की सहकारी संस्थाओं को उन्मुक्त किया गया ? यदि हां, तो कितनी संस्थाओं को ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार की दो आज्ञायें क्रमांक फा. 4 (6) सह/65 दिनांक 11-10-95 द्वारा सहकारी संस्थाओं को स्वावलम्बी एवं स्वेच्छिक लोक संस्थाओं के रूप में स्वतन्त्र, समर्थ आर्थिक इकाई के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से कुछ वर्गों की समितियों को छोड़कर ऐसी संस्थाओं को जिन्होंने राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी प्रकार की राजकीय सहायता प्राप्त नहीं की है, उन्हें उक्त आज्ञा के अन्तर्गत उन्मुक्ति का पात्र माना गया है।

(2) जी हां। राज्य सरकार ने कुछ वर्ग की समितियां, जिनके साथ जन सामान्य के लोकहित जुड़े हुए हैं उन्हें उक्त आदेश के अन्तर्गत उन्मुक्ति नहीं दी है।

(3) जी हां। उक्त आज्ञा के अन्तर्गत पंजीकृत व उन्मुक्त की गई सहकारी संस्थाओं का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध करा दिया गया है।

परिशिष्ट 'अ'

राज्याज्ञा दिनांक 11-10-95 के प्रावधानों के अन्तर्गत उन्मुक्त व पंजीकृत की गई संस्थाओं का विवरण

नाम इकाई	संस्थाओं की संख्या
जयपुर	5 नई पंजीकृत
अजमेर	3 उन्मुक्त
उदयपुर	2 ,,
चित्तौड़गढ़	1 ,,
जोधपुर	4 ,,

जिला बून्दी का राजस्व भूमि रूपान्तरण प्रकरण

750. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(236)

(श्री ओम प्रकाश शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि बून्दी नगर, लाखेरी व नैनवां की राजस्व भूमि पर कई आवासीय कालोनियां बन गई हैं ? यदि हां, तो बून्दी जिले एवं बून्दी शहर में ऐसी कितनी कालोनियां हैं जिनमें रहने वाले मकान मालिकों ने भूमि रूपान्तरण का प्रार्थना पत्र दिया हुआ है ? उक्त स्थानों की नगरपालिका की सीमा में रहने वाले लोगों के कितने प्रार्थना-पत्र दर सक्षम अधिकारी के पास कब से हैं ? प्रत्येक नगरपालिका का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि कई मकान मालिकों द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ भूमि-रूपान्तरण की रकम भी जमा करवाई गई है ? यदि हां, तो भूमि रूपान्तरण नहीं किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि भूमि-रूपान्तरण न होने के बावजूद भी राजस्व भूमि पर लोग मकान बनाते हैं ? यदि हां, तो बून्दी शहर में कितने लोग हैं जिन्होंने खातेदारी, गैर-खातेदारी की भूमि पर बिना भू-रूपान्तरण के मकान बना लिये हैं ?

उत्तर

(1) जी, हां । यह सही है कि बून्दी नगर, के. पाटन लाखेरी व कापरेण में निजी खातेदारों/गैर खातेदारों की भूमियों पर आवासीय कालोनियां बन गई हैं । नगरपालिका क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-"अ" में संलग्न है । नैनवां एवं इन्द्रगढ़ में निजी खातेदारों/गैर खातेदारों की भूमियों पर कोई आवासीय कालोनियां निर्मित नहीं हुई है ।

नगरपालिका क्षेत्रवार सक्षम अधिकारी भूमि रूपान्तरण के यहां विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों का विवरण परिशिष्ट-"ब" में संलग्न है ।

(2) प्रश्न के खण्ड 1 संलग्न परिशिष्ट-"ब" के कालम संख्या 6 में वर्णित आवेदकों ने भूमि रूपान्तरण की राशि स्वत: निर्धारण के आधार पर राजकोष में जमा कराई है । संलग्न परिशिष्ट-"ब" में वर्णित प्रकरणों में प्राधिकृत अधिकारी (भूमि रूपान्तरण) द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा, नगरपालिका बून्दी से नियमानुसार राय चाही गई है । जैसे ही विभागों से राय/रिपोर्ट प्राप्त होगी प्रकरणों पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी । कुछ प्रकरणों में आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं की पूर्ति नहीं करने के कारण विचाराधीन है ।

(3) जी, हां । यह सही है कि बून्दी शहर में जिन लोगों ने खातेदारी/गैर खातेदारी की भूमियों पर बिना रूपान्तरण किए मकान बना रखे हैं, उनका विवरण परिशिष्ट-"स" में संलग्न है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

वन विहार अभ्यारण, धौलपुर में निगम द्वारा होटल का संचालन

751. श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर) : क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि वन विहार अभ्यारण, धौलपुर में निगम द्वारा होटल संचालित की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि निगम की लापरवाही के कारण प्राचीन इमारत की स्थिति जर-जर हो रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस इमारत में से अनेकों वस्तुओं की चोरी हो चुकी है ? यदि हां, तो सरकार इस इमारत की देख-रेख के बारे में क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह इकाई हानि में चलने के कारण बन्द कर दी गई है। यह सम्पत्ति वन विभाग को हस्तान्तरित की जा रही है।

(2) जी नहीं।

(3) एक बार इस इमारत में चोरी की वारदात हुई, जिसमें अनुमानित मूल्य रुपये 55000/- के दैनिक उपयोग की वस्तुओं की चोरी हुई जिसकी प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दिनांक 19-6-95 को दर्ज कराई गयी। वर्तमान में चौकीदार की व्यवस्था है। भविष्य में देख-रेख की जिम्मेदारी वन विभाग की रहेगी।

शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, करौली (सवाई माधोपुर) के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

752. श्री बनवारीलाल मिण्डा (फतेहपुर) एवं श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार को करौली के शिक्षा व शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायतों की जांच की गई ? जांच के क्या परिणाम रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) करौली में सामग्री क्रय में हुए घोटाले की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत पर जांच हेतु जांच अधिकारी को नियुक्त किया गया है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जांच में दोषी पाये जाने पर ही कार्यवाही की जा सकेगी।

जिला उदयपुर में कृषकों द्वारा उत्पादित खाद्यान्नों का विपणन

753. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले में कृषकों के उत्पादन खाद्यान्न, यथा, दलहन, तिलहन, फल, सब्जियां आदि विपणन की क्या व्यवस्था है ? विवरण तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विपणन की व्यवस्था पूर्ण नहीं होने से अधिकांश उपज निकटवर्ती राज्यों तथा गुजरात एवं मध्यप्रदेश की मण्डियों में चली जाती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि किसानों को अपने उत्पादन की सही लागत विपणन केन्द्रों के अभाव में नहीं मिल पाती है ?

(श्री महावीर भगोरा)

यदि हां, तो जनजाति क्षेत्र के किसानों को अपने उत्पादन का सही मूल्य मिले इस हेतु क्या योजना प्रस्तावित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) उदयपुर जिले के अन्तर्गत कृषक उत्पादों के विपणन की व्यवस्था के लिये कृषि उपज मण्डी समिति, उदयपुर, फतेहनगर, भीण्डर आती है । मण्डी/गौण मण्डी समितियों का तहसीलवार क्षेत्र का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है ।

(2) जी नहीं । किसान कहीं भी ले जाकर अपना उत्पाद बेचने के लिये स्वतन्त्र है ।

(3) जी नहीं । मण्डियों में उत्पाद नीलामी व्यवस्था से विक्रय होती है ।

परिशिष्ट "अ"

मण्डी/गौण मण्डी समितियों का तहसीलवार क्षेत्र का विवरण

क्र. सं.	नाम मण्डी समिति	नाम गौण मण्डी	तहसील
1.	उदयपुर	उदयपुर फल सब्जी	गिर्वा
		धरियावद	धरियावद
		सलुम्बर	सलुम्बर
		खेरवाड़ा	खेरवाड़ा
		गोगुन्दा	गोगुन्दा
		चावण्ड	सराड़ा
		पलासिया	कोटड़ा
			झाडोल
2.	फतेहनगर	खेमली	मावली
		कुरज	रेलमगरा
3.	भीण्डर	वल्लभनगर	वल्लभनगर
		कानोड़	,,

राज्य कर्मचारियों को राजकीय आवासों का आबंटन

754. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारियों को सरकारी आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई नोर्म्स/नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो नोर्म्स/नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) राज्य में ऐसे कितने कर्मचारी/अधिकारी हैं, जिनके स्वयं के मकान होते हुए भी वे राजकीय आवासों में रह रहे हैं ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या इन कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने सरकार को स्वयं का मकान नहीं होने का लिखित में शपथ-पत्र दिया था ? यदि हां, तो गलत सूचना/शपथ-पत्र दिये जाने पर क्या सरकार उन कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं क्या ?

उत्तर

(1) नियमों की प्रति संलग्न है ।

(2) सूची संलग्न है ।

(3) जी नहीं । राजकीय आवास आबंटन करते समय अधिकारी/कर्मचारी से निर्धारित प्रपत्र में स्वयं का मकान नहीं होने की सूचना विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त की जाती है ।

(नियमों की प्रति एवं सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र मकराना (नागौर) के राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण

755. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्राम मंगलपुरा, अमृतसर, अमरपुरा, धीरजसर, सवाईपुरा, को राजस्व ग्राम घोषित किया गया है ? यदि हां, तो क्या इन ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से, तथा नहीं, तो क्यों व अब कब तक इन ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ?

उत्तर

जी हां। ग्राम खारडिया (कोड नं. 15/7/44) दिनांक 10-11-89 से विद्युतिकृत है। ग्राम मंगलपुरा (15/7/43) ग्राम खारडिया से अलग होने के कारण दिनांक 10-11-1989 से विद्युतिकृत माना गया है। ग्राम मनाणा (कोड नं. 15/7/31) जो कि दिनांक 22-3-1982 को विद्युतिकृत है, से अलग हो कर बने राजस्व ग्राम धीरसर, अमरपुरा व अमरसर ग्राम भी दिनांक 22-3-1982 से विद्युतिकृत घोषित माने गये हैं। ग्राम हरियाजून (कोड नं. 15/8/118) जो कि दिनांक 30-3-89 को विद्युतिकृत हैं, से अलग होकर बना नया राजस्व ग्राम सवाईपुरा भी दिनांक 30-3-89 से विद्युतिकृत घोषित माना गया है।

चूंकि प्रश्न में इंगित सभी राजस्व ग्राम पूर्व में विद्युतिकृत ग्राम से अलग होकर नये राजस्व ग्राम बनने के कारण विद्युतिकृत घोषित माने गये हैं। अतः मांग आने पर इनमें नियमानुसार विद्युत लाइन डालकर कनेक्शन देने का पूर्व में ही प्रावधान है।

ग्राम पंचायत भवन निर्माण प्रकरण

756. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों के पुनर्सीमांकन के कारण पूर्व ग्राम पंचायत दंतौर पूगल, छतरगढ़ व अमरपुरा के क्षेत्रांतर्गत क्रमशः 16,5,4,3 नई ग्राम पंचायतें बनाई गई हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की बैठक में क्षेत्रीय विधायक द्वारा डी. आर. डी. ए. के अधीन नये पंचायत भवनों को प्राथमिकता से निर्मित करने हेतु सुझाव दिया गया जिसे सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया था ? यदि हां, तो उक्त बैठक के बाद अभिकरण की विभिन्न योजनान्तर्गत भवनों के निर्माण की कितनी स्वीकृतियां जारी की गई तथा उपरोक्त पंचायत भवनों के निर्माण की स्वीकृतियां क्यों नहीं जारी की गई ?

(3) क्या सरकार भविष्य में नई पंचायतों के भवनों की स्वीकृतियां देने के बाद ही अन्य भवनों के निर्माण की स्वीकृति देने हेतु निर्देश जारी करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्रामीण पंचायतों के पुनर्सीमांकन के फलस्वरूप पूर्व ग्राम पंचायत

(राज्य मन्त्री, विशिष्ठ योजना संगठन)

दंतोर, पूंगल, एवं अमरापुरा, में क्रमशः 16,5,3 नई पंचायतें बनाई गई है। परन्तु छतरगढ़ में 4 नई ग्राम पंचायतें नहीं बनाई गई है क्योंकि छतरगढ़ को ग्राम पंचायत सतासर से निकाल कर नई पंचायत बनाया गया है।

(2) जी हां। 18-11-95 को आयोजित जि. ग्रा. वि. अ. की शासकीय समिति की बैठक में नवीन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था जिसके क्रम में नवीन पंचायतों में निम्न स्थानों पर अकाल राहत कार्यक्रम 2052 के अन्तर्गत पंचायत भवन बनाये जा जा रहे हैं :—

1. छतरगढ़ = रु. 4.00 लाख
2. पहलवान का बेरा = रु. 4.00 लाख

नवगठित पंचायत मुख्यालयों पर जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत पंचायत भवन बनाने हेतु विभाग के पत्रांक एफ 4 (वियोस/जरोयो/94/16581–632 दिनांक 13-9-94 के द्वारा पूर्व में आदेश जारी किये गये हैं। जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत जिला रक्षित राशि से पंचायत भवनों आदि का निर्माण किया जाता है परन्तु योजनान्तर्गत 29 अधूरे/अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने के पश्चात् पर्याप्त राशि के अभाव में पंचायत भवन की स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी। इन अपूर्ण भवनों को प्राथमिकता पर पूर्ण कराने सम्बन्धी निर्णय उक्त शासकीय समिति की बैठक में लिया गया था। जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत इन कार्यों हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण नवगठित ग्राम पंचायत छतरगढ़ एवं पहलवान का बेरा में अकाल राहत 2052 के अन्तर्गत पंचायत भवन स्वीकृत किये गये थे।

बीकानेर तहसील के अभावग्रस्त घोषित 147 गांवों में से उक्त नवगठित ग्राम पंचायतों में 2 ग्राम पंचायत आती है जिसमें पंचायत भवन का कार्य कराया जा रहा है। अन्य ग्राम पंचायतें कमाण्ड एरिया में आने के कारण अकाल राहत अन्तर्गत कार्य कराना सम्भव नहीं था।

(3) राज्य सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत नवगठित ग्राम पंचायतों में पंचायत मुख्यालय पर पंचायत भवन निर्माण के सम्बन्ध में पूर्व में ही आदेश जारी किये जा चुके हैं।

ग्राम दौलतपुरा (जयपुर) की भूमि खसरा नम्बर 461 पर अतिक्रमण प्रकरण

757. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम दौलतपुरा (बैनाड) तहसील आमेर के खसरा नम्बर 461 सिवाय चक भूमि में रकबा 12 बिस्वा पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री गोपीराम जाट)

(3) खसरा नम्बर 461 में कितने-कितने रकबे पर किस-किस व्यक्ति का कब्जा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । ग्राम दौलतपुरा बैनाड के खसरा नं. 461 रकबा 12 बिस्वा पर श्री छीतरमल पुत्र केशर लाल एवं श्री कैलाश चन्द पुत्र राम सहाय द्वारा किया गया था । अतिक्रमण हटा दिया गया है ।

(2) प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण को पूर्व में हटा दिया गया था । वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है ।

(3) वर्तमान में खसरा नं. 461 पर किसी व्यक्ति का कब्जा नहीं है ।

पंचायत समिति इटावा (कोटा) के आंगनबाड़ी केन्द्रों में महिला पर्यवेक्षकों के रिक्त पद

758. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति इटावा जिला कोटा में बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत कितने पद महिला पर्यवेक्षकों के स्वीकृत हैं ? इन पदों को भरने व चयन करने की क्या शर्तें हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) पंचायत समिति इटावा में अब तक कितनी महिला अभ्यर्थियों का चयन किया गया ? जिनका चयन किया गया उनको कब-कब साक्षात्कार हेतु बुलाया गया तथा कुल कितनी महिला आशार्थियों ने साक्षात्कार दिया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) शेष बचे आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कब तक महिला पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति इटावा, जिला कोटा में बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत महिला पर्यवेक्षकों के 6 पद स्वीकृत हैं । महिला पर्यवेक्षकों के पदों को भरने के लिए समय-समय पर चयन समिति गठित कर कार्यवाही की जाती है । यह चयन समिति रोजगार कार्यालय के माध्यम से प्राप्त सूची के अनुसार साक्षात्कार आयोजित करती है । तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों व योग्यता तथा अनुभव के आधार पर पदों को भरने व चयन करने की कार्यवाही करती है ।

(2) कोटा जिले के लिये 6 महिला पर्यवेक्षकों का चयन किया गया है, जिसमें पंचायत समिति इटावा के पांच रिक्त पद भी सम्मिलित थे । इटावा परियोजना के लिए चयनित समस्त 5 महिला पर्यवेक्षकों को 25-1-96 को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया । कोटा जिले के लिए कुल 102 महिलाओं के साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, जिसमें से 68 महिलाएं साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुई । विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । (परिशिष्ट "अ")

(3) शेष एक महिला पर्यवेक्षक का पद पंचायत समिति इटावा में रिक्त है जिसे शीघ्र ही भर दिया जावेगा ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला अजमेर का स्थानान्तरण प्रकरण

759. श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर सम्भाग के अजमेर जिले में फर्जी स्थानान्तरण हुए हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि अजमेर जिले में हुए फर्जी स्थानान्तरणों की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई है ?

(3) सरकार ने फर्जी स्थानान्तरण प्रकरण में दोषी कर्मचारी समूह के प्रति क्या कार्यवाही की ? कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार कार्यवाही नहीं करने वाले दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय सराधना की वरिष्ठ अध्यापिका श्रीमती सावित्री गुप्ता का सराधना से अजमेर फर्जी स्थानान्तरण आदेश प्रसारित हुआ है।

(2) जी हां। उक्त स्थानान्तरण बाबत रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई है।

(3) इस प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये गये कर्मचारी के विरुद्ध एफ. आई. आर. दर्ज करा दी गई है। पुलिस द्वारा गहन जांच की कार्यवाही की जा रही है। जांच के निष्कर्ष के आधार पर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जानी सम्भव हो सकेगी।

कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में प्रोफेसर एवं एसोसियेट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति

760. श्री मोहनलाल बाकस्पाल (बायल): क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर ने 1995 में विभिन्न विभागों में प्रोफेसर एवं एसोसियेट प्रोफेसर के कितने-कितने पद विज्ञापित किए थे तथा उनमें कौन से विभाग में कितने-कितने पद अनुसूचित जाति/जन जाति व अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित थे ?

(2) क्या कृषि विश्वविद्यालय के उपरोक्त विज्ञापन संख्या 2/95 के तहत प्रोफेसर व सह प्रोफेसर के पद चयन द्वारा भरे गये ? यदि हां, तो इनमें कुल कितने पद अनुसूचित जाति/जन जाति व अन्य पिछड़े वर्ग के कौन से विभाग में भरे गये ? प्रोफेसर व एसोसियेट प्रोफेसर के कुल पदों का विज्ञापन, आरक्षित व चयन का ब्यौरा विभागवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभागवार पदों को विज्ञापित करने एवं आरक्षित पदों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। विज्ञापन संख्या 2/95 के तहत प्रोफेसर, सह प्रोफेसर के पद भरे गये तथा उनमें से आरक्षित पदों को भरने का ब्यौरा परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(सूची एवं ब्यौरा विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु योजनायें

761. श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : क्या मुख्य (सैनिक कल्याण) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ बनी स्वरोजगार योजनायें यथा, पेंक्सम, प्रौढ़ शिक्षा, सेमेपेक्स नं. 1, 2 व 3 को बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो उनके क्या-क्या कारण रहे तथा विकल्प के रूप में सरकार द्वारा कौन-कौन सी नई नाजनायें बनाई गई हैं ?

(2) वर्ष 1994-95 एवं 1995–96 में उपरोक्त किन-किन योजनाओं के माध्यम से कितने भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनके आश्रितों को स्वरोजगार दिलाया गया ?

(3) उक्त वर्षों में कितने भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी व अर्धसरकारी संस्थानों में तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी में रोजगार उपलब्ध कराया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पेंक्सम योजना 1 मई, 96 से बन्द की गयी है क्योंकि यह योजना कोस्ट इफेक्टिव नहीं थी एवं इसे बन्द करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा गठित समिति ने सिफारिश की थी। इसका लाभ राज्य के केवल 7 जिलों को ही मिल रहा था।

इस पेंक्सम योजना के विकल्प के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा प्री-रिलीज ट्रेनिंग प्रारम्भ की जा रही है। पूर्व सैनिकों के लिए राष्ट्रीय साक्षरता अभियान केवल एक बार 89–90 में ही चलाया गया था। पूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ स्व-रोजगार की योजनाएं सैम्फेक्स प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय राज्य में चालू है।

(2) वर्ष 94–95 एवं 95–96 में पूर्व सैनिकों को दिलाये गये स्व-रोजगार की सूचना निम्नानुसार है :—

योजना का नाम	94–95	95–96
(1) पेंक्सम	174	254
(2) सैम्फेक्स–1	33	13
(3) सैम्फेक्स–2	3	18
(4) सैम्फेक्स–3	3	1

(3) वर्ष 1994–95 में 557 एवं 1995-96 में 344 पूर्व सैनिकों को विभिन्न सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थानों में रोजगार दिलाया गया है। सरकारी व अर्द्ध सरकारी संस्थाओं के अनुसार सूची संलग्न है।

केन्द्र व राज्य सरकार के विभागों/अर्द्ध सरकारी संस्थानों में वर्ष 94-95 एवं 95-96 में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर पूर्व सैनिकों को दिलाये गये नियोजन की सूची

क्र. सं.	विभाग	वर्ष 94-95 में नियोजित पूर्व सैनिकों की सं.	वर्ष 95–96 में नियोजित पूर्व सैनिकों की सं.
1–	केन्द्र सरकार के विभाग	30	54
2–	राज्य सरकार के विभाग	243	102
3–	केन्द्र/राज्य सरकार के अर्द्ध सरकारी संस्थान	284	188
	कुल :	557	344

(244)

सहायक अभियन्ता कार्यालय, खींवसर (नागौर) का कार्यक्षेत्र

762. श्री हबीबुर्रहमान (मूण्डवा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में गत वर्ष कितने नये सहायक अभियन्ता कार्यालय कहां-कहां पर किस-किस आधार पर नये खोले गये ?

(2) नागौर जिले के ग्राम खींवसर में खोले गये सहायक अभियन्ता कार्यालय में कौन-कौन से गाव सम्मिलित किये गये ?

(3) क्या सरकार की नीति के अनुसार उक्त सहायक अभियन्ता कार्यालय के अधीन सम्मिलित किये गये गांव उचित हैं ? यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) मण्डल के आदेश संख्या 226 दिनांक 17-1-95 द्वारा बढ़े हुए कार्यभार के आधार पर अधीनस्थ विंगों में तकनीकी सहायक के पदों का समन्वय कर सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने हेतु विभिन्न जोनल चीफ्स को अधिकृत किया गया था। इस आदेश के तहत 62 कार्यालय स्थापित किये गये, जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है। सहायक अभियन्ता कार्यालय स्थापित करने में वहां की आय, विद्युत भार, क्षेत्रफल, उपभोक्ताओं की संख्या आदि बातों का ध्यान रखा जाता है परन्तु सारे राज्य के लिये एक मापदण्ड नहीं रखा जा सकता है। उदाहरण के लिये औद्योगिक क्षेत्रों तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों के एक से मापदण्ड नहीं हो सकते हैं।

(2) नागौर जिले के खींवसर में खोले गये सहायक अभियन्ता कार्यालय में 64 गांव सम्मिलित किये गये हैं। सम्मिलित किये गये ग्रामों की सूची परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) खींवसर में खोले गये सहायक अभियन्ता कार्यालय के अन्तर्गत जिन 64 ग्रामों को सम्मिलित किया गया है, वे निर्धारित मापदण्डों के अनुसार उचित हैं। अतः इसमें और कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्रामीण विकास अभिकरण, सवाई माधोपुर द्वारा संचालित योजनाएं

763. श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाई माधोपुर में वर्ष 1995–96 व 1996–97 में कौन-कौन सी पंचायत समितियों में किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत कौन–कौन से कार्यों के लिए कब-कब स्वीकृतियां जारी की गई ? प्रत्येक पंचायत समिति को विगत दो वर्षों में कितनी–कितनी राशि स्वीकृत की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण विकास अभिकरण, सवाई माधोपुर द्वारा पंचायत समितियों को दी गयी राशि में असमानताएं बरती गयी हैं ? यदि हां, तो

(श्री हरिनारायण बैरवा)

1996–97 में प्रत्येक पंचायत समिति को दी गयी राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर की विभिन्न पंचायत समितियों को वर्ष 1995–96 एवं 1996-97 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के लिए जारी की गई स्वीकृतियों का योजनावार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। प्रत्येक पंचायत समिति को विगत दो वर्षों में की गई स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) ऐसा प्रतीत नहीं होता।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला बूंदी के राजस्व ग्राम

764. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बूंदी के ग्राम कल्याणपुरा, मजरा मूंडली मीणों की झोपड़ियां उर्फ गेन्डोली की झोपड़ियां, मजरा, गेन्डोली, ग्राम संग्रामगंज मजरा आंतरदा ग्राम केदारा की झोपड़ियां मजरा आंतरदा की वर्तमान आबादी 250 या इससे अधिक है? यदि हां, तो उक्त को राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए कार्यवाही कब तक प्रारम्भ कर दी जायेगी?

(2) क्या यह भी सही है कि भील आदिवासी बाहुल्य ग्राम कल्याणपुरा तथा ग्राम संग्रामगंज को राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया जाने से सरकार द्वारा प्राथमिक पाठशाला नहीं खोलने के कारण इन ग्रामों के बालक/बालिकाएं शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं? यदि हां, तो सरकार राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए राजस्व मण्डल के माध्यम से प्रस्ताव कब तक तैयार करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जिला बूंदी की तहसील नैनवां के ग्राम कल्याणपुरा मजरा मूंडली ग्राम संग्रामगंज मजरा आंतरदा की वर्तमान आबादी 250 से कम है।

ग्राम केदारा की झोपड़ियां मजरा आंतरदा को नवीन राजस्व ग्राम घोषित कर अधिसूचना दिनांक 9-5-96 को जारी की जा चुकी है।

तहसील केशवरायपाटन के मीणों की झोपड़ियां उर्फ गेण्डोली की झोपड़ियां, गेण्डोली का एक मजरा है, जिसकी वर्तमान आबादी 250 से अधिक है, जिसे राजस्व ग्राम घोषित करने के प्रस्ताव जिला कलक्टर, बूंदी के द्वारा राजस्व मण्डल, अजमेर के मार्फत राज्य सरकार को प्रेषित करने पर प्रस्ताव का परीक्षण कर राजस्व गांव घोषित करने की तत्परता से कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) निर्धारित मापदण्ड 250 से कम आबादी वाले ग्राम कल्याणपुरा तथा संग्रामगंज को नवीन राजस्व गांव घोषित नहीं किया जा सकता है, परन्तु इन ग्रामों से एक–एक किलोमीटर की दूरी पर ग्राम केदारा की झोपड़ियां व मूंडली में प्राथमिक शाला होने से बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ने की सम्भावना नहीं रह जाती है।

२४६

उच्च प्राथमिक विद्यालय, श्योपुर, नेवटा एवं कुम्हारियावास (जयपुर) का क्रमोन्यन

765. श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम श्योपुर, नेवटा, कुम्हारियावास (जयपुर) के स्कूल पिछले 3 वर्षों से क्रमोन्नत नहीं किये गये ? यदि हां, तो क्यों ? इन्हें मिडिल स्कूल से माध्यमिक स्कूल में कब तक क्रमोन्नत कर दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। गांव श्योपुर, नेवटा तथा कुम्हारियावास (जयपुर) के विद्यालयों को निर्धारित सभी मानदण्ड की पूर्ति नहीं करने के कारण क्रमोन्नत किया जाना सम्भव नहीं हो सका है। उक्त विद्यालयों की क्रमोन्नति के प्राप्त प्रस्ताव के मानदण्डों की पूर्ति करने पर उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों की परिसीमा में गुणावगुण के आधार पर आगामी वर्षों में अन्य प्रस्तावों के साथ विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

कृषि उपज मण्डी समिति फतेहनगर (राजसमंद) द्वारा निर्मित सड़क

766. श्री शांतिलाल चोईवाल (राजसमंद) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कृषि उपज मण्डी फतेहनगर द्वारा निर्मित अधूरी सड़क कुरज जुणदा, तहसील रेलमगरा का निर्माण पूरा कराये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो इसे पूर्ण कराने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) सम्पर्क सड़क कुरज से जुणदा निर्माण हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति दिनांक 11-12-91 से 1.5 किलोमीटर बनवाई जाने हेतु जारी हुई थी, जबकि इन ग्रामों के बीच की वास्तविक दूरी 6.00 किलोमीटर है। ग्राम कुरज तथा जुणदा वर्तमान में सड़क से जुड़े हुये हैं। अतः यह सड़क निर्धारित नीति के अनुसार वरीयता में नहीं आती है। परन्तु चूंकि सड़क पूर्व में स्वीकृत थी अतः शेष 4.50 किलोमीटर सड़क को भी वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर निर्मित कराने पर विचार कर लिया जायेगा।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति, फतेहनगर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से तथा निर्धारित नीति के अनुसार वरीयता में नहीं आने से इस शेष सड़क की शेष लम्बाई अब तक स्वीकृत नहीं हो सकी।

जिला बाड़मेर में पोस्त डोडों का वितरण

767. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या मुख्य (आबकारी) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला बाड़मेर में पोस्त डोडों का वितरण

(श्री अमराराम चौधरी)

उपभोक्ताओं को किया जा रहा है ? यदि हां, तो प्रति उपभोक्ता कितने पोस्त डोडों का वितरण किया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि उपभोक्ता को पोस्त डोडा प्राप्त करने के लिए चिकित्सक का प्रमाण पत्र लेना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या चिकित्सक के प्रमाण-पत्र के आधार पर ही पोस्त डोडा उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा जिला बाड़मेर में पोस्त डोडा के उपभोक्ताओं को उपभोक्ता परमिट चिकित्सक की राय तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा पर जारी किये जा रहे हैं। प्रति उपभोक्ता को चिकित्सक द्वारा डोडा पोस्त की अलग-अलग मात्रा निर्धारित की जाती है उसी अनुसार डोडा पोस्त दिया जाता है।

(2) जी हां। यह सही है कि डोडा पोस्त उपभोक्ता को डोडा पोस्त प्राप्त करने हेतु नियमानुसार चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होता है, उसी प्रमाण पत्र के आधार पर उपभोक्ताओं को डोडा पोस्त क्रय कर सकने का परमिट दिया जाता है डोडा पोस्त के परमिट जारी करने हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति में चिकित्सा अधिकारी को भी सम्मिलित किया गया है।

ग्राम देवावास (जालौर) में 33 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन

768. श्री मगराज चौधरी (आहोर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले की आहोर तहसील के ग्राम रायथल, भवरानी, माद्राजून ग्रिड सब-स्टेशन से एवं ग्राम सराणा, बेडीया, आइपुरा संखवाली ग्रिड सब-स्टेशन से एवं ग्राम ओडवाड़ा, पाणवा, देवावास, आदि गोधन ग्रिड सब-स्टेशन से जुड़े हुए होने से विद्युत लाइनें बहुत ही लम्बी होने के कारण इन ग्रामों में उचित वोल्टेज एवं विद्युत आपूर्ति बनाये रखने की कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए देवावास ग्राम में एक नया 33 के. वी. का ग्रिड सब स्टेशन बनाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव विद्युत मण्डल को भेजा गया है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार इसे स्वीकृत कर देवावास ग्राम में नया ग्रिड सब स्टेशन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिले की तहसील के वर्णित ग्रामों में विद्युत व्यवस्था में सुधार हेतु ग्राम देवावास में एक 33/11 के. वी. सब स्टेशन बनाने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(2) ग्राम देवावास में 3.15 एम.वी.ए. 33/11 के. वी. के सब स्टेशन के निर्माण हेतु तकनीकी स्वीकृति जारी की जा चुकी है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार इस सब स्टेशन का निर्माण कार्य करवाया जायेगा। प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसका परीक्षण कर योजना साध्य पाये जाने पर केवल मात्र उसकी तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी जाती है, ताकि भविष्य में संसाधनों की उपलब्धता एवं आवश्यकतानुसार प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए

(ऊर्जा मन्त्री)

उस योजना को आगामी वर्षों के वार्षिक फेज्ड प्रोग्राम में सम्मिलित करने में सहुलियत हो सके। अतः तकनीकी स्वीकृति को वित्तीय स्वीकृति मानना उचित नहीं होगा। कार्य में गति लाने के लिए किसी एक वर्ष की आवश्यकता से तीन-चार गुणा अधिक तकनीकी स्वीकृतियां दे दी जाती हैं ताकि साधनों की उपलब्धता के अनुसार उन योजनाओं को साथ में लिया जा सके।

ग्राम जैसला (जोधपुर) में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत निर्मित विद्यालय भवन

769. **श्री श्रवण कुमार** (पिलानी) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, बाप (जोधपुर) के ग्राम जैसला में सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत राजकीय माध्यमिक विद्यालय में कमरे का वर्ष 1995–96 में निर्माण कराया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि घटिया निर्माण सामग्री के कारण पट्टियों सहित कमरा ध्वस्त हो गया।

(3) क्या यह भी सही है कि ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद उक्त निर्माण कार्य घटिया सामग्री से जारी रखा गया था एवं एक अन्य कमरे का निर्माण और घटिया सामग्री के कारण सरपंच द्वारा कराये जाने पर वह भी गिर गया ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार अब उक्त सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जोधपुर जिले की बाप पंचायत समिति के ग्राम जैसला की पश्चिमी ढाणी में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 95-96 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में एक कमरा मय बरामदा के निर्माण हेतु रुपये 1.14 लाख राशि की स्वीकृति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के आदेश दिनांक 24-6-95 द्वारा दी गई थी।

(2) जी नहीं। पश्चिमी ढाणी के निर्माण कार्य के ध्वस्त होने की शिकायतें प्राप्त होने पर जिला ग्रामीण विकास अधिकारी, जोधपुर के अधिशाषी अभियन्ता द्वारा जांच करने पर गलत पाई गई तथा यह कमरा मौके पर आज भी बना हुआ है।

वस्तुतः ग्राम जैसला में वर्ष 94-95 में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालय में एक कमरा मय बरामदा की स्वीकृति दी गई थी तथा यह कमरा सरपंच ग्राम पंचायत जैसला द्वारा निर्मित होने के 10 दिन के भीतर ध्वस्त हो गया था।

(3) जैसला राजकीय माध्यमिक विद्यालय में वर्ष 94–95 में सरपंच जैसला द्वारा निर्मित हाल घटिया सामग्री के उपयोग तथा तकनीकी त्रुटियों के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था जिसके सम्बन्ध में सरपंच जैसला के विरुद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर द्वारा जांच की जा रही है।

(राज्य मन्त्री, विशिष्ठ योजना संगठन)

इस सम्बन्ध में विकास अधिकारी बाप ने भी थानाधिकारी भोजासर को सरपंच श्री रामसुख के विरुद्ध एक एफ. भाई. भार. दर्ज करने हेतु अनुरोध किया था।

वर्ष 1995-96 में जैसला की पश्चिमी ढाणी के प्राथमिक विद्यालय में निर्माणाधीन अन्य कमरे के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होने पर अभिकरण के अधिशाषी अभियन्ता द्वारा की गई जांच में कुछ तकनीकी त्रुटियां पाई गई थी, जिनको दूर करवाकर अब यह कार्य पंचायत समिति बाप के कनिष्ठ अभियन्ता के तकनीकी नियंत्रण में पूर्ण कराया जा रहा है।

पश्चिमी ढाणी में निर्मित कमरे के क्षतिग्रस्त होने की शिकायत गलत पाये जाने पर इस मामले में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(4) पश्चिमी ढाणी के निर्माणाधीन कार्य के सम्बन्ध में अभी कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

जैसला माध्यमिक विद्यालय में क्षतिग्रस्त कमरे के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, जोधपुर द्वारा की जा रही जांच पूर्ण होने पर दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार किया जाएगा।

नरसिंह बाबा कच्ची बस्ती क्षेत्र जयपुर में संचालित क्रेशर मशीनें

770. श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पुराना घाट नारहसिंह बाबा कच्ची बस्ती जयपुर में हिन्दुस्तान क्रेशर एवं महावीर क्रेशर को हटाने के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक उक्त ज्ञापनों पर क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त दोनों मशीनों के द्वारा गिट्टी तोड़ने से वहां के निवासी भयंकर रूप से दमे एवं टी. बी. जैसी घातक बीमारियों से ग्रसित होकर मृत्यु के शिकार हो चुके हैं ? इस संबंध में अब तक कार्यवाही नहीं किये जाने हेतु कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी हैं ? अब सरकार उक्त मशीनों को कब तक वहां से हटाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

1. मैसर्स हिन्दुस्तान क्रेशर जिला उद्योग केन्द्र से पंजीकृत उद्योग एवं मैसर्स महावीर क्रेशर पंजीकृत नहीं है।

2. हिन्दुस्तान क्रेशर एवं महावीर क्रेशर वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत बिना राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से सम्मति प्राप्त किये ही उत्पादन कर रहे थे एवं वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु कोई संयंत्र स्थापित नहीं कर रखे थे। इसलिये राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा दिनांक 21-3-91, 26-11-91, 26-3-96 एवं 30-6-96 को नोटिस दिये गये। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा दिनांक 27-5-96 के पत्र द्वारा जिलाधीश, जयपुर को इन दोनों स्टोन क्रेशर को आवासीय बस्ती से औद्योगिक क्षेत्र में स्थानान्तरित करने हेतु लिखा गया।

(राजस्व मन्त्री)

3. खान विभाग द्वारा इन दोनों क्रेशर धारकों के नाम किसी प्रकार का खनन पट्टा घाट की गुणी क्षेत्र में स्वीकृत नहीं है एवं न ही क्रेशर स्थापित करने की अनुमति खान विभाग द्वारा दी गई है। इन क्रेशरों को बन्द करने हेतु जिला कलक्टर, जयपुर एवं उद्योग विभाग द्वारा कार्यवाही की गई जिसके विरुद्ध दोनों कम्पनियों ने उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त किये हैं।

4. जिला कलक्टर कार्यालय में अति. कलक्टर–नगर–प्रथम, जयपुर द्वारा संबंधित स्टोन क्रेशर के मालिकों को उनके पत्र क्रं. न्याय–3/1031 दिनांक 17-7-96 द्वारा नोटिस जारी किया जा चुका है। संबंधित पक्षकारों की सुनवाई पश्चात् समुचित कार्यवाही की जायेगी।

(2) जी नहीं। दमें अथवा क्षय रोग के भयंकर प्रकोप होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

मुख्य विद्युत निरीक्षक के पद पर नियुक्ति

771. **श्री उदयलाल आंजना** (निम्बाहेड़ा) एवं **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में मुख्य विद्युत निरीक्षक का पद रिक्त है ? यदि हां, तो कब से और इस पर कार्यवाहक रूप में कौन अधिकारी कब से कार्यरत है ?

(2) क्या यह भी सही है कि कार्यवाहक अधिकारी को मुख्य निरीक्षक की शक्तियां दी हुई हैं ? यदि हां, तो कब से तथा इस संबंध में राज-पत्र में जारी अधिसूचना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) मुख्य निरीक्षक कार्यालय में कौन-कौन अधिकारी नियुक्त हैं तथा उनको क्या-क्या शक्तियां प्रदत्त हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि मुख्य निरीक्षक को विद्युत मण्डल द्वारा सम्पादित कार्यों के निरीक्षण का भी अधिकार है ? यदि हां, तो विद्युत मण्डल के अधिकारियों को इस पद पर कैसे लगाया गया ?

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य में मुख्य विद्युत निरीक्षक का पद नहीं है। विद्युत निरीक्षणालय में विभागाध्यक्ष का पद विद्युत निरीक्षक का है, जिस पर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 22 (9) ऊर्जा/92 दिनांक 16-4-94 के द्वारा श्री बी. एस. झा, मुख्य अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 36 के अन्तर्गत विद्युत निरीक्षक नियुक्त किया जाकर विद्युत निरीक्षक का अतिरिक्त पदभार दिया गया है।

(2) जी नहीं। वरन राजस्थान राज पत्र विशेषांक दिनांक 16-4-94 में प्रकाशित राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 22 (9) ऊर्जा/92 दिनांक 16-4-94 (प्रति संलग्न है) द्वारा भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 36 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री बी. एस. झा, मुख्य अभियन्ता (परि. एवं संधा.) राजस्थान

(ऊर्जा मन्त्री)

राज्य विद्युत मण्डल को उक्त अधिनियम के तहत राजस्थान राज्य में विद्युत निरीक्षक के अधिकारों एवं कार्यों के निष्पादन करने हेतु विद्युत निरीक्षक नियुक्त किया गया है।

(3) विद्युत निरीक्षक कार्यालय (मुख्यालय) में एक सहायक विद्युत निरीक्षक तथा एक सहायक लेखाधिकारी पद स्थापित है सहायक विद्युत निरीक्षक तकनीकी एवं प्रशासनिक तथा सहायक लेखाधिकारी वित्तीय प्रकरणों में विद्युत निरीक्षक के सलाहकार के कार्य करते हैं।

(4) विद्युत निरीक्षक को भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 46 एवं 63 के अन्तर्गत विद्युत संस्थानों के निरीक्षण का अधिकार है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार के विभाग/अर्धशासकीय संस्थाएं तथा निजी उपभोक्ताओं के विद्युत संस्थापन सम्मिलित हैं। विद्युत मण्डल के अधिकारी को इस पद पर लगाये जाने पर कोई कानूनी आपत्ति नहीं है।

राजस्थान सरकार
ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

जयपुर, 16 अप्रेल, 1994

संख्या प. 22 (9) ऊर्जा/92:— भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, श्री बी. एस. झा, मुख्य अभियन्ता (परि. एवं संधा.) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को, उक्त अधिनियम के तहत राजस्थान राज्य में विद्युत निरीक्षक के अधिकार एवं कार्यों का निष्पादन करने हेतु विद्युत निरीक्षक नियुक्त करती है।

आज्ञा से,

आर. के. अग्रवाल

शासन विशिष्ठ सचिव

परिशिष्ट–3

अतारांकित प्रश्न संख्या 722 का विवरण।

किशून हाउस मार्केट किशनपोल बाजार से सम्बन्धित इन्डेक्स के अनुसार सूची.

वर्ष 1	पंजीयन नम्बर 2	दिनांक 3	प्रथम पक्ष 4	द्वितीय पक्ष 5	दस्तावेज का प्रकार 6	कीमत 7	मलियत 8
1991	1401	23-4-91	श्रीमती सरोज कुमारी	श्रीमती कांतादेवी।	विक्रय पत्र	60000/-	108500/-
"	2204	20-8-91	श्री भंवरसिंह	" रामप्यारी देवी	"	162750/-	162750/-
"	2205	20-8-91	श्री भंवरसिंह	" आशादेवी	"	162750/-	162750/-
"	2206	20-8-91	श्री भंवरसिंह	श्री श्याम सुन्दर शर्मा	"	162750/-	162750/-
"	2207	20-8-91	श्री भंवरसिंह	श्री किशोर कुमार शर्मा	"	162000/-	162750/-
1992	1114	9-4-92	श्री मनोहर साबू	श्री माणकचंद गर्ग	लीज डीड	1500/-प्रतिमाह	
"	1447	5-6-92	श्री रणवीरसिंह	श्री मैसर्स सीताराम-रामपाल	विक्रय	49501/-	75000/-
"	2056	4-8-92	श्री करणजीत सिंह	श्री माणकचंद बज	लीज डीड	15000/-	
"	2057	7-8-92	श्री मेड़ता बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स	श्री बज एण्ड कम्पनी	"	1865/-प्रतिमाह	

1	2	3	4	5	6	7	8
1992	2412	12-10-92	मैसर्स अहिंसा सेल्स मार्केट	श्री नरेन्द्र बज	लीज डीड	1300/-प्रतिमाह	
"	2403	12-10-92	मै. एस. एन. मार्केटिंग	श्री नरेन्द्र बज	"	1100/-प्रतिमाह	
1993	102	4–2–93	श्री मनोज कुमार माहेश्वरी	श्री सुरेन्द्र कुमार बज	"	1100/-प्रतिमाह	
"	244	3–3–93	श्री श्रवण कुमार बज	श्री नरेन्द्र कुमार बज	"	1240/-प्रतिमाह	
"	1947	8–11–93	श्रीमती नरेन्द्र कुमारी	श्री सुभाष गुप्ता	विक्रय	40000/-	70500/-
1994	1528	11–7–94	श्री मेहता बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स	श्री बज एण्ड कम्पनी	लीज डीड	55200/-	
1995	3250	10-11-95	मै. अहिंसा सेल्स मार्केटिंग	श्री नरेन्द्र कुमार	"	401400/-	
1996	401	27–2–96	मै. एस. एल. मार्केटिंग	श्री नरेन्द्र कुमार	"	—	
"	817	21–3–96	श्री मनोज कुमार	श्री नरेन्द्र कुमार	"	41960/-	
"	818	21–3–96	श्री देवेन्द्र कुमार	श्री बज एण्ड कम्पनी	"	70800/-	

(254)

परिशिष्ट-4

अतारांकित प्रश्न संख्या 723 की प्रति

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–8) विभाग

क्रमांक : प. 6 (13) रेवे./6/92/10 जयपुर, दिनांक 18-5-93

अधिसूचना

राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम 3) की धारा 257 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान अभिधृति (सरकारी) नियम, 1955 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है और उक्त अधिनियम की धारा 259 की उप धारा (1) के परन्तुक के प्रति निर्देश से आदेश देती है कि इस संशोधन को पूर्व प्रकाशन से अभिमुक्त रखा जाये क्यों कि राज्य सरकार का यह विचार है कि इसे तुरन्त प्रवृत्त किया जाना चाहिए अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

7 चरागाह भूमि का आबंटन या पृथक रखा जाना-(1)

कलक्टर, पंचायत के परामर्श से अधिनियम की धारा 5 की उप धारा (28) में यथापरिभाषित किसी चरागाह भूमि या राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम 15) की धारा 92 के अधीन पृथक रखी गई किसी चरागाह भूमि के वर्गीकरण को कृषिक या किसी अकृषिक प्रयोजन हेतु आबंटन के लिए अनाधिमुक्त खेती योग्य सरकारी भूमि (सिवाय चक) के रूप में परिवर्तित कर सकेगा :

परन्तु ऐसे मामले में जहां इस प्रकार आबंटित या पृथक रखे जाने के लिए ईप्सित भूमि का क्षेत्रफल 4 हैक्टेयर से अधिक हो वहां कलक्टर राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करेगा :

परन्तु यह और कि ऐसी कोई भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना, खनन या नमक के प्रयोजन के लिए आबंटित या पृथक नहीं रखी जायेगी ।

परन्तु यह और भी कि जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 अधिनियम सं. 25) में यथापरिभाषित जयपुर क्षेत्र की सीमाओं के अन्तर्गत या किसी नगरपालिका की 2 कि.मी. की परिधि के अन्तर्गत आने वाली किसी ऐसी भूमि को किसी लोकोपयोगी संस्था के प्रयोजन या आबादी विस्तार के प्रयोजन में सिवाय आवंटित नहीं किया जायेगा।

2. जहां किसी चारागाह भूमि का वर्गीकरण उप-नियम (1) के अधीन परिवर्तित कर दिया गया हो वहां, कलक्टर, अनविमुक्त खेती योग्य सरकारी भूमि का उतना ही क्षेत्र, यदि उपलब्ध हो तो, उसी गांव में चारागाह भूमि के रूप में पृथक रख सकेगा।

राज्यपाल के आदेश से,
ह०
(आर. सी. रूंगटा)
उप शासन सचिव, राजस्थान

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक : प. 6 (13) रेवे./6/92/19 जयपुर, दिनांक 3-12-1993

अधिसूचना

राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम सं. 3) की धारा 257 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान अभिधृति (सरकारी) नियम 1955 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है और उक्त अधिनियम की धारा 259 की उप धारा (1) के परन्तुक के प्रति निर्देश से आदेश देती है कि इस संशोधन को पूर्व प्रकाशन से अभिमुक्त रखा जाये क्योंकि राज्य सरकार का यह विचार है कि इसे तुरन्त प्रवृत्त किया जाना चाहिए, अर्थात :-

संशोधन

उक्त नियमों में :—

नियम 7 के उप नियम (1) के द्वितीय परन्तुक को हटा दिया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,
ह०
(के. पी. सिंघल)
उप शासन सचिव, राजस्व

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 727 की प्रति एवं सूची

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

निमित्त :

1. निबन्ध, राजस्व मण्डल,
   राजस्थान, अजमेर ।
2. समस्त जिलाधीश ।

क्रमांक :–एफ 9 (11) राज./ग्रुप–1/84 जयपुर, दिनांक 1 अगस्त, 1984

परिपत्र

राज्य सरकार के जानकारी में आया है कि कई राजस्व गांवों में इस प्रकार के आबादी क्षेत्र हैं जो कि मुख्य आबादी से दूर बसे हुए हैं परन्तु इन क्षेत्रों की जनसंख्या पर्याप्त होते हुए भी इस क्षेत्र की जनता को जलप्रदाय योजना, औषधालय, बिजली, स्कूल, डाकघर, यातायात, रेल्वे स्टेशन, विकास कार्य आदि विशेष सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इनको अलग से राजस्व गांव घोषित नहीं किया गया है और न ही यह क्षेत्र किसी विशेष राजस्व गांव से सम्बद्ध है ।

राज्य सरकार के पास जनप्रतिनिधियों तथा जिलाधीशों द्वारा नवीन ग्राम व ढाणी को राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु समय-समय पर प्रस्ताव प्राप्त होते हैं जिन पर विचार कर राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 की धारा 3 खण्ड 5 के प्रावधानों के अनुसरण में राजस्व गांव घोषित किये जाने के आदेश प्रसारित किये जाते हैं, परन्तु इस प्रकार के प्राप्त प्रस्तावों में एकरूपता नहीं होती हैं, इसलिए यह निर्देश दिये जाते हैं कि इस प्रकार के आबादी क्षेत्रों की जिनकी कि आबादी 250 या इससे अधिक है तथा जो मुख्य आबादी से दूर बसे हुए हैं उन्हें राजस्व ग्राम घोषित किये जाने हेतु निम्न बिन्दुओं पर सूचना भेजा जाना नितान्त आवश्यक है :—

1. जिले का नाम
2. मूल गांव का नाम
3. मूल गांव के साथ जुड़े हुए मजरे का नाम
4. नं. 3 में बताये गये मजरे का प्रस्तावित गांव के रूप में नाम

5. नं. 4 में प्रस्तावित गांव की जनसंख्या

6. (अ) नं. 4 का क्षेत्रफल

(ब) नं. 4 की आबादी का क्षेत्रफल

7. नं. 4 का एक फसली क्षेत्र का रकबा

8. नं. 4 का दो फसली क्षेत्र का रकबा

9. नं. 4 का भू-राजस्व

10. प्रस्तावित गांव में डाकघर, बिजली, जलप्रदाय योजना, रेल्वे स्टेशन, यातायात, पुलिस स्टेशन/पुलिस चौकी, औषधालय आदि की सुविधा है या नहीं तथा वर्तमान में रेल्वे स्टेशन तथा डाकघर आदि की दूरी।

11. रेल्वे स्टेशन तथा डाकघर के नाम जिन्हें कि प्रस्तावित गांव घोषित किये जाने के फलस्वरूप बदला जाना आवश्यक होगा।

12. नया गांव घोषित किये जाने के फलस्वरूप पंचायत मुख्यावास पटवारी तथा गिरदावर के मुख्यावास में कोई परिवर्तन होगा अथवा नहीं।

13. प्रस्तावित गांव की आबादी की वर्तमान गांव से दूरी।

इस प्रकार के समस्त पेंडिंग प्रस्ताव उपरोक्त सूचना संलग्न करते हुए 31 अगस्त, 1984 तक सीधे राज्य सरकार को प्रेषित कर दिये जाएं तथा भविष्य में इस प्रकार के प्रस्ताव संकलित कर राज्य सरकार के पास राजस्व मण्डल, अजमेर के माध्यम से भेज दिये जाएं।

हु०

(आर. वी. सोनटके)

राजस्व सचिव,

राज्य में विगत दो वर्षों में घोषित नये रास्व ग्रामों के ग्रांकड़ों की जिलेवार सूची :—

क्र सं.	नाम जिला	विगत दो वर्षों में घोषित राजस्व ग्रामों की संख्या
1.	ग्रजमेर	23
2.	ग्रलवर	1
3.	बांसवाड़ा	26
4.	बाड़मेर	188
5.	बारां	—
6.	भरतपुर	17
7.	भीलवाड़ा	37
8.	बीकानेर	102
9.	बूंदी	2
10.	चित्तौड़गढ़	11
11.	चूरू	4
12.	दौसा	4
13.	धोलपुर	9
14.	डूंगरपुर	10
15.	गंगानगर	—
16.	जयपुर	2
17.	जैसलमेर	1
18.	जालौर	29
19.	झालावाड़	—
20.	झुन्झुनूं	14
21.	जोधपुर	179
22.	कोटा	—
23.	नागौर	60
24.	पाली	6
25.	राजसमन्द	28
26.	सवाई माधोपुर	1
27.	सीकर	43
28.	सिरोही	—
29.	टौंक	—
30.	उदयपुर	19
31	हनुमानगढ़	—
	योग :	816

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 730 की प्रति

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक : प 5 (4) राज./ग्रुप–4/77/5 जयपुर, दिनांक 30 मार्च, 1991

आदेश

विषय :–बारानी कृषि भूमि पर लगान तथा अधिकार में छूट ।

राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि खरीफ सम्वत् 2048 (वित्तीय वर्ष 1991–92) से :—

1. कृषकों से बारानी भूमि पर भू-राजस्व एवं उस पर देय अधिभार नहीं लिया जायेगा, तथा
2. जिन कृषकों की जोत में बारानी तथा अन्य प्रकार की भूमि सम्मिलित हों, उन कृषकों द्वारा देय अधिभार उनके जोत की बारानी भूमि को छोड़कर शेष भूमि के भू-राजस्व पर राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) अधिनियम, 1960 की धारा 3 के अनुसार गणना कर लिया जायेगा ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि जो भूमि देहरी, सेवज, खादिन सैलाबी, तालाबी पेटा, कछार, खातली भूमि भू-अभिलेख में दर्ज है, इस प्रकार की भूमियों पर भू-राजस्व तथा अधिभार पूर्ववत लिया जायेगा ।

आज्ञा से,
ह./–
राजस्व सचिव

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 734 की सूची

कस्बा आमेर स्थित मन्दिरान की सूची

क्र. सं.	नाम मन्दिर	क्र. सं.	नाम मन्दिर
(1)	मन्दिर श्री रामेश्वरजी, आमेर	(20)	मन्दिर श्री महादेवजी
(2)	,, श्री माताजी मावलियान, आमेर	(21)	,, श्री रघुनाथजी
(3)	,, श्री मंशामाताजी, आमेर	(22)	,, श्री हनुमानजी
(4)	,, श्री नृसिंहजी, आमेर	(23)	,, श्री सीतारामजी
(5)	,, श्री शीलमाताजी, आमेर	(24)	,, श्री गोविन्ददेवजी
(6)	,, श्री दिगम्बर जैन मन्दिर नेमीनाथजी सांवलाजी	(25)	,, श्री लक्ष्मीनारायणजी
		(26)	,, श्री मोहन लालजी
(7)	,, श्री गणेशजी, आमेर	(27)	,, श्री महादेवजी
(8)	,, श्री अम्बकेश्वरजी, आमेर	(28)	,, श्री मुरली मनोहरजी
(9)	,, श्री भूतेश्वरजी	(29)	,, श्री रघुनाथजी
(10)	,, श्री जगतशिरोमणीजी	(30)	,, श्री शालिगरामजी
(11)	,, श्री शिवनाथ मैया के	(31)	,, श्री नरबदेश्वरजी
(12)	,, श्री वीर हनुमानजी	(32)	,, श्री दादु द्वारा
(13)	,, श्री जैन मन्दिर	(33)	,, श्री राम लक्ष्मणजी
(14)	,, श्री वटुक भेरूजी	(34)	,, श्री गोपेश्वरजी
(15)	,, श्री नया महादेवजी	(35)	,, श्री नृसिंहजी विजयबाग
(16)	,, श्री कीरथ बम्ब के नसिया जी	(36)	,, श्री हर्षनाथ भेरूजी पुरोहित-पाड़ा सागर रोड
(17)	,, श्री सीतारामजी		
(18)	,, श्री बडली के	(37)	,, श्री दादू का भेरूजी पुरोहित-पाड़ा सागर रोड
(19)	,, श्री बनखण्डी महादेवजी	(38)	,, श्री विरह माताजी व हनुमानजी

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 736 का विवरण

परिशिष्ट "क"

सीकर जिले की मण्डी समितियों द्वारा दिसम्बर, 1993 से मई 1996 तक निर्माण करायी गयी सड़कों का विवरण

व्यय (लाखों में)

क्र सं.	मण्डी समिति का नाम	सड़क का नाम	निर्माण पर व्यय	पूर्ण/अपूर्ण
1	2	3	4	5
1.	सीकर	1. स. स. चन्द्रपुरा	8.10	पूर्ण
		2. उस. स. सीकर सालासर सूतोद	6.19	पूर्ण
		3. स. स. सीकर सालासर से मोलासी	10.83	पूर्ण
		4. स. स. सीकर सालासर रोड तूनवा	5.47	पूर्ण
		5. स. स. सीकर सिमोट बड़ी से टाटनवा	10.28	पूर्ण
		6. स. स. शिशु से मियां की ढाणी	5.20	अपूर्ण
		7. स. स. घोद रोड से रामपुरा	4.50	अपूर्ण
		8. स. स. पाटोदा से हापास	7.71	अपूर्ण
		9. स. स. कुदन से यालसर	11.43	अपूर्ण
2.	श्रीमाधोपुर	1. स. स. मूण्डक से गोठा	8.20	पूर्ण
		2. स. स. नहरवास का बास से न्यारे	8.26	पूर्ण
		3. स. स. गढटकनेत से त्रिलोकपुरा	11.38	पूर्ण
		4. स. स. रीगस उदयपुर वाटी रोड से बस्सी	8.68	पूर्ण
		5. स. स. कल्याणपुरा से ढावा वाली	12.93	पूर्ण

1	2	3	4	5
		6. स स. रींगस उदयपुर वाटी रोड से ढालिया बास	8.06	पूर्ण
		7. स. स. खण्डेला से अगलोई	16.92	अपूर्ण
		8. स. स. पलसाना खण्डेला रोड से रोयल	12.10	अपूर्ण
		9. स. स. एन. एच. 13 से जुगराजपुरा	8.43	अपूर्ण
		10. स. स. श्रीमाधोपुर कोटली रोड से पृथ्वीपुरा	1.58	अपूर्ण
3.	नीमकाथाना	1. स. स. नीमकाथाना छावनी रोड से चेला की ढाणी	2.74	पूर्ण
		2. पाटन डाबला रोड से बेगावाला	2.50	पूर्ण
		3. स. स. रायपुर रोड से नानक का बास	3.19	पूर्ण
		4. स. स. मोठ का रोड से पोखर की ढाणी	2.50	पूर्ण
		5. पाटन डाबला रोड से देवी माई का मन्दिर पांच खटकडा	2.14	अपूर्ण
		6. स. स. नीमकाथाना से बडेल कोटडा बाया मीरा आश्रम	3.26	अपूर्ण

(263)

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न 742 की सूची

डेगाना तहसील में संचालित राज. उच्च प्राथमिक शालाओं की सूची

क्र. सं.	विद्यालय का नाम		क्र. सं.	विद्यालय का नाम	
1.	राउप्रावि.	डेगाना जंक्शन	2.	राउप्रावि.	डेगाना गांव
3.	,,	जालसू कला	4.	,,	चान्दारूण
5.	,,	पुन्दलोता	6.	,,	किरोदा
7.	,,	चूई	8.	,,	चूवा
9.	,,	चांदनी	10.	,,	डाबोलीमिठी
11.	,,	लंगोडे	12.	,,	बंवरला
13.	,,	नयाबड़ा	14.	,,	सारसण्डा
15.	,,	चम्पाखेडी	16.	,,	रामसरी
17.	,,	पालियास	18.	,,	निम्बालोकंला
19.	,,	पालडीकंला	20.	,,	मेवडा
21.	,,	राजलोता	22.	,,	हुरसोर
23.	,,	माण्डलजोधा	24.	,,	बुटाटी
25.	,,	निम्बडी चांदावत	26.	,,	ईग्यासनी
27.	,,	राजोद	28.	,,	हिरणी ढाणी
29.	,,	आंतरोलीकंला	30.	,,	झगडवास
31.	,,	गोरेडी करना	32.	,,	बच्छवारी
33.	,,	तिलानेस	34.	,,	थाटा
35.	,,	पूनास	36.	,,	चौसली
37.	,,	राबाउप्रावि. डेगाना गांव	38.	,,	राज बा बाप्रावि. हुरसोर
39.	,,	चान्दारूण	40.	,,	सांजू
41.	,,	मांझी			

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 755 का विवरण

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान राज्य में वर्ष 1995–96 के दौरान जिलेवार विद्युतीकृत किये गये ग्रामों की संख्या

क्र. सं.	जिले का नाम	विद्युतीकृत किये गये ग्रामों की संख्या 1995–96	1996-97 (जून–96 तक)
1	2	3	4
1.	अजमेर	1	1
2.	अलवर	10	1
3.	बांसवाड़ा	8	—
4.	बारां	13	1
5.	बाड़मेर	9	—
6.	भरतपुर	11	—
7.	भीलवाड़ा	3	—
8.	बीकानेर	—	—
9.	बूंदी	16	2
10.	चित्तौड़गढ़	47	—
11.	चूरू	7	—
12.	दौसा	41	—
13.	धौलपुर	1	—
14.	डूंगरपुर	16	—
15.	जयपुर	60	—
16.	जैसलमेर	12	—
17.	जालौर	—	—
18.	झालावाड़	36	4
19.	झुन्झुनूं	—	—
20.	जोधपुर	—	—
21.	कोटा	12	3
22.	नागौर	12	—
23.	पाली	—	—
24.	राजसमन्द	6	—
25.	सवाई माधोपुर	16	2
26.	सीकर	—	—
27.	सिरोही	—	—
28.	श्री गंगानगर	196	5
29.	हनुमानगढ़	139	2
30.	टौंक	30	2
31.	उदयपुर	58	5
	योग :	750	28

परिशिष्ट-11

परिशिष्ट "अ"

अतारांकित प्रश्न संख्या 761 की सूची
विधान सभा क्षेत्र के 61 गांवों की सूची जिनमें विद्युत प्रदाय मध्यप्रदेश शासन द्वारा किया जाता है

क्र. सं.	गांव का नाम	क्र. सं.	गांव का नाम
1.	पिड़ावा	32.	मीरपुरा
2.	रूपपुरा	33.	बालदा
3.	लिस्मितपुरा	34.	नारायण
4.	जबेलेन	35.	इल्लाहीपुरा
5.	कोटडी	36.	खेजड़िया
6.	धाराखेड़ी	37.	बासखेड़ी
7.	सारंगाखेड़ा	38.	डडेरा
8.	रूपाखेड़ी	39.	कोलियाबारी
9.	बोलाई	40.	खेड़ी
10.	हनोतियाकोटड़ी	41.	सागतखेड़ा
11.	भूरखेड़ी	42.	दांता
12.	खारपाखुर्द	43.	पीपलिया
13.	कल्याणपुरा	44.	खेड़कपुरा
14.	दिलावरा	45.	ढाबलाभोज
15.	सुराड़िया	46.	सेम्ली चौहान
16.	खेरपुरा	47.	हरनावदाराजा
17.	आदाखेड़ी	48.	हरनावदापीथा
18.	रामपुरिया	49.	फतेपुर
19.	सरखेड़ी	50.	अलीपुर
20.	लक्ष्मीपुरा	51.	राजपुरा
21.	कराडिया शेरपुर	52.	जेताखेड़ी
22.	अमीरपुरा	53.	डोला
23.	परसपुरा	54.	गर्दनखेड़ी
24.	सरोनिया	55.	फरियाखेड़ी
25.	अजीतपुरा	56.	मायाखेड़ी
26.	बंजारी	57.	खेराना
27.	धारुखेड़ी	58.	खटखट
28.	घरोनिया	59.	जियाजियां
29.	निम्बाहेड़ा	60.	ओडियाखेडी
30.	कच्छाराखेडी	61.	दौलतपुरा
31.	फतेगढ़		

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 764 की प्रति

परिशिष्ट–ए

अंश प्रति संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 30-1-74

संघ के कर्मचारियों के लिये राजस्थान सेवा नियम, राजस्थान यात्रा भत्ता नियम राजस्थान सिविल सर्विस (क्लासीफिकेशन एण्ड कण्ट्रोल एण्ड अपील राजस्थान गवर्नमेंट सर्वेन्ट एण्ड पेंशनर कंडक्ट रूल्स लागू करने पर विचार एवं इनमें वर्णित विभागाध्यक्षों की शक्तियां जनरल मैनेजर को प्रदत्त करने पर

संचालक मण्डल ने यह निर्णय लिया कि संघ के कर्मचारियों के लिये संघ के नियम होने चाहिये। जब तक संघ द्वारा अपने स्वयं के नियम नहीं बना लिये जावे तब तक राज्य सरकार के निम्नलिखित नियम संघ के कर्मचारियों पर लागू होंगे तथा इनमें विभागाध्यक्ष की जो शक्तियां प्रदत्त की गई हैं उनका प्रयोग जनरल मैनेजर द्वारा किया जायेगा।

1. राजस्थान सेवा नियम (पेंशन नियमों को छोड़कर)
2. राजस्थान यात्रा भत्ता नियम
3. राजस्थान सिविल सर्विस (क्लासीफिकेशन कन्ट्रोल एण्ड अपील) रूल्स।
4. राजस्थान गवर्नमेंट सर्वेन्ट एण्ड पेन्शनर कंडक्ट रूल्स।

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 769 का विवरण

परिशिष्ट "क"

अरावली वृक्षारोपण परियोजना में जिलेवार किये गये आवंटन का विवरण

(राशि लाख रुपये में)

जिले का नाम	1992–93	1993–94	1994–95	1995–96	1996–97
अलवर	92.40	169.75	298.756	377.43	240.55
बांसवाड़ा	77.43	204.37	375.075	485.53	277.29
चित्तौड़गढ़	134.63	321 10	513.787	838.51	484.23
दौसा	8.48	29.86	96.924	125.61	84.16
जयपुर	446.48	655.93	902.945	951.35	552.35
नागौर	75.65	182.92	263.834	296.81	188.10
पाली	62.27	76.82	164 303	296.83	110.54
सीकर एवं झुन्झुनूं	156.62	336.19	451.096	575.14	372.83
सिरोही	46.38	105.55	156.510	291.45	182.83
उदयपुर	361.36	737.36	1145.410	1276.95	779.34
योग :	1461.5	2819.85	4369.504	5515.61	3272.22

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 774 का विवरण
बन्धक श्रमिकों की संख्या व व्यय राशि

नाम जिला	पुनर्वासित बन्धक श्रमिक	व्यय राशि
1. अजमेर	7	109485
2. अलवर	48	204000
3. बांसवाड़ा	आई. आर. डी. पी. के तहत पुनर्वासित	
4. बारां	135	982500
5. बाड़मेर	8	98550
6. भरतपुर	11	44800
7. भीलवाड़ा	1	18450
8. बीकानेर	—	—
9. चित्तौड़गढ	195	938106
10. बूंदी	31	94360
11. चूरू	25	394660
12. दौसा	2	21700
13. धौलपुर	—	—
14. डूंगरपुर	—	—
15. जयपुर	3	50200
16. जैसलमेर	2	25370
17. जालौर	—	—
18. झालावाड़	2	11500
19. झुन्झुनू	18	130120
20. जोधपुर	66	361941
21. कोटा	114	375000
22. नागौर	34	590920
23. पाली	—	—
24. राजसमन्द	7	241000
25. स. माधोपुर	—	—
26. श्रीगंगानगर	—	—
27. सीकर	13	71006
28. सिरोही	—	—
29. टौंक	49	859100
30. उदयपुर	—	—
31. हनुमानगढ़	—	—

परिशिष्ट—15

अतारांकित प्रश्न संख्या 95 का विवरण

परिशिष्ट-"1"

आमेर व झोटवाड़ा पंचायत समितियों के क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 1985-86 से अब तक हुये गबन की राशियों का विवरण

पंचायत समिति-आमेर

क्र. सं.	नाम समिति		राशि
1	2		3
1.	सेवापुरा ग्राम सहकारी समिति लि.		1,76,648.58
2.	नागल पुरोहितान	,,	1,91,624.55
3.	सोराबीसल	"	5,117.00
4.	सन्नीतुरा	"	30,803.37
5.	अनोपपुरा	"	4,050.00
6.	जाल्होता	"	14,954.00
7.	देवगुढा	"	17,225.05
8.	सेवापुरा	"	13,669.05
9.	दण्ड	"	817.72
10.	खोरा श्यामदास	"	57,301.00
11.	राधाकिशनपुरा	"	39,056.36
12.	अनोपपुरा	"	3,942.85
13.	सिबसली	"	8,800.00
14.	खोराबीसल	"	58,036.37
15.	चन्दवाजी	"	14,921.10
16.	जयश्री रायथल	"	19,571.00
17.	देवगुढा	"	58,050.00
18.	जयश्री रायथल	"	46,203.31
19.	देवगुढा	"	19,080.00
20.	जाहोता	"	40,640.96
21.	रोजटा	"	1,06,275.00
22.	जाहोता	"	27,014.13
23.	सेवापुरा	"	2,17,166.88
24.	चन्दवाजी	"	27,670.37
25.	अनोपपुरा	"	4,743.90

1	2		3
26.	ढण्ड	"	36,880.00
27.	देवगुढा	"	22,604.97
28.	चन्दबाजी	"	31,342.00
29.	जाहोता	"	15,848.83
	पंचायत समिति—झोटवाड़ा		
30.	निवारू ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.		37,341.76
31.	सिरसी	"	38,100.92
32.	कालवाड़	"	16,482.87
33.	बावड़ी	"	15,486.00
34.	मीनावाला	"	6,147.05
35.	घानक्या	"	25,540.90
36.	सिवार	"	4,681.00
37.	घानक्या	"	5942.95
38.	सिरसी	"	12,003 20
39.	पचार	"	42,525.49
40.	निवारु	"	8,000.00

परिशिष्ट 2

आमेर व झोटवाड़ा पंचायत समितियों के क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के नाम, जिन्हें निलम्बित किया और दूसरी समितियों में लगाया और जिनके द्वारा वहां भी गबन किया

क्र. सं.	नाम व्यवस्थापक	ग्राम सेवा सहकारी समिति का नाम		वर्तमान स्थिति
		जहां पूर्व में नियोजित था एवं गबन किया	जहां दुबारा लगाया तथा पुन: गबन किया	
1	2	3	4	5
1.	श्री बालचन्द यादव	बीनावाला ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. झोटवाड़ा	रोजदा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. आमेर	निलम्बित—दिनांक 12-3-94 से

परिशिष्ट—16

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

[श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)]

हिंगोण्या, श्यामपुरा एवं हड़सोली में पेयजल समस्या

महोदय, बारां जिले की पंचायत समिति अन्ता के ग्राम हिंगोण्या, श्यामपुरा, हड़सोली का पूरा क्षेत्र अनकमाण्ड है । इस कारण यहां पर पानी का स्तर काफी नीचे रहता है और गर्मी के मौसम में यहां पर जो हैण्डपम्प लगे हुए हैं, उनमें पानी सूख जाता है । जिससे इस क्षेत्र में जनता व जानवरों दोनों को ही तीन-चार माह तक पेयजल की विशेष परेशानी रहती है और यहां की जनता एक-एक बूंद पानी के लिये तरसती रहती है । आज भी यहां पर पेयजल का स्थाई समाधान नहीं हो पाया है, जिससे यहां की जनता में काफी आक्रोश है ।

अतः शेष की जनता का पेयजल के स्थाई समाधान के लिये इन गांवों में ट्यूबवेल स्वीकृत करने का कष्ट करें । सधन्यवाद ।

[श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)]

सरकार से मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाओं में अनियमितताएं

उपरोक्त विशेष उल्लेख के जरिए मेरा आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से जयपुर शहर की सरकार से मान्यता प्राप्त अथवा निजी शिक्षण संस्थाओं, उदाहरण के तौर पर वैदिक बालिका उच्च माध्यमिक व दयानन्द पब्लिक स्कूल, मानसरोवर, जयपुर में व्याप्त अनियमितताओं एवं असुविधाओं के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं की ओर संकेत कर निवेदन है कि :—

1. इन संस्थाओं में जैसे कि वैदिक बालिका एवं दयानन्द पब्लिक स्कूल में किताब एवं कापियों का काउण्टर खुला हुआ है जहां से छात्र-छात्राओं को पुस्तकें और कापियां खरीदना आवश्यक हैं तथा जिनका बाजार मूल्य से अधिक पैसा वसूला जाता है ।

2. ऐसी शिक्षण संस्थाओं में मनमाने तरीकों से फीस वसूली तथा पूरे वर्ष की फीस वसूल की जाती है । जबकि उक्त दोनों स्कूलों में तो प्रत्येक विद्यार्थी को फीस की दो रसीदें दी जाती हैं एक तो स्कूल के नाम से तथा दूसरी विद्या समिति, आर्य समाज आदर्श नगर–ए के नाम से ।

272

3. चालू सत्र में ही स्कूल का निर्माण कार्य भी चल रहा है जिसमें पिछले सत्र में दो-तीन बार बच्चे दुर्घटनाग्रस्त हो गये थे तथा स्कूल के पूरे ग्राउण्ड में सरिये व ईंट पत्थर आदि पड़े हुए हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। बीच रास्ते में पड़े होने के कारण कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है।

उपरोक्त अनियमितताओं के अतिरिक्त उक्त दोनों तथा ऐसी अन्य संस्थाओं में भी बच्चों को कापी–किताबों के अलावा ड्रेस, जूते मौजे व अन्य इसी प्रकार की सामग्री खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त विकास शुल्क, खेलकूद शुल्क आदि के नाम पर लूटा जा रहा है।

अतः इन उपरोक्त अनियमितताओं को तथा शिक्षा को व्यवसाय बनाकर जनता को लूटे जाने वाली प्रकृति पर अंकुश लगाने का मेरा सरकार से निवेदन है। ताकि गरीब तबके के व्यक्तियों को कुछ राहत मिल सके। इस विशेष उल्लेख के जरिये मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से आग्रह कर आशा करता हूं कि सरकार ऐसी भ्रष्टाचार में लिप्त शिक्षण संस्थाओं पर काफी सीमा तक नियंत्रण करने में ध्यान देगी। सधन्यवाद।

[श्री हरिसिंह (कुम्हेर)]

बरोलीघाट ग्राम पंचायत के सरपंच का जनहित में निलम्बन

महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत लोक महत्व का विषय सदन में उठाना चाहता हूं।

ग्राम पंचायत बरोलीघाट जिला भरतपुर के लिए सांसद कोटा से कच्ची सड़क निर्माण हेतु दो लाख छब्बीस हजार रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी जिसका निर्माण कार्य मजदूरों से मस्टररोल पर नहीं कराया गया बल्कि ठेके पर कराया गया तथा उसमें अनियमितता हुई और फर्जी मस्टररोल भरी गई। राजस्थान सरकार को शिकायत होने पर राज्य सरकार की आज्ञा से जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा जांच कराई गई। जिला कलक्टर ने बाद जांच निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर को सरपंच ग्राम पंचायत बरोली-घाट पंचायत समिति नदबई जिला भरतपुर को निलम्बित कराने की सिफारिश की है। अभी तक राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही जिला कलक्टर की सिफारिश पर नहीं की है।

अतः सरकार को जनहित में सरपंच बरोलीघाट पंचायत समिति नदबई को निलम्बित करना चाहिये।

[श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़)]

बिहारीपुरा ग्राम को माण्डलगढ़ नगर से सम्पर्क सड़क से जोड़ना

महोदय, आज से करीब दस-पन्द्रह वर्ष पूर्व माण्डलगढ़ नगरपालिका का गठन आसपास के हरेडा, तिरोली, तिरोली का झोपड़ा, कर्णपुरा, तिरोली, फलासिया, बलदरखा, कोतवाल का खेडा, गेठोली, बिहारीपुरा, धाकड खेडी राहयाखेडा, जुझारपुरा, जापरपुरा आदि गांवों को मिलाकर किया गया। नगरपालिका का गठन तो कर दिया गया परन्तु आय के साधन नहीं होने से इन गांवों का जीवन नारकीय हो गया। यहां पर न तो सम्पर्क सड़कें हैं, न बिजली है, न सफाई की समुचित व्यवस्था है।

उक्त बिहारीपुरा ग्राम में सड़क की व्यवस्था नहीं होने से आने-जाने वाले लोगों को काफी कठिनाई रहती है। बरसात में चिकित्सा के अभाव में कई मौतें हो जाती हैं और इन गांवों का सम्पर्क शेष संसार से कट जाता है। माण्डलगढ़ नगरपालिका के पास इतनी आय नहीं है कि वह ग्रामों के विकास पर कोई राशि खर्च कर सकें। अतः बिहारीपुरा ग्राम को माण्डलगढ़ नगर से सम्पर्क सड़क से जोड़ने हेतु राज्य सरकार विशेष राशि स्वीकृत कराये।

————

[श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली)]

कोटपूतली के नगरपालिका पार्क की दुर्दशा

महोदय, कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र के कोटपूतली शहर के बीच में एक सार्वजनिक नगरपालिका पार्क है। इस पार्क के नीचा होने के कारण आधा शहर का गन्दा पानी इस पार्क में आकर इकट्ठा हो जाता है। यह पार्क सड़क से काफी नीचा है। पेड़-पौधे बिलकुल ही नहीं हैं। यहां पर शहर के आवारा पशु भी इकट्ठे हो जाते हैं एवं काफी गन्दगी भी करते रहते हैं। गन्दे पानी के कारण काफी मच्छर शहर में हो रहे हैं क्योंकि यह पार्क शहर के मध्य में स्थित है जिससे शहर में बीमारियां फैल रही है। सरकार की तरफ से कोई भी इस पार्क के विकास में सहयोग नहीं दिया गया है। क्या सरकार का इस पार्क को सुधारने का नैतिक कर्त्तव्य नहीं बनता है? सरकार इस पार्क के विकास में योगदान के लिए क्या विचार रखती है?

अतः इस लोक महत्व के विषय के लिए मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिसकी मुझे सदन में चर्चा करने की अनुमति प्रदान करावें। धन्यवाद।

————

(274)

[श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)]

मछली बांध परियोजना के लिए अवाप्त भूमि के मुआवजे का निर्धारण

महोदय, बून्दी जिले की मछली बांध परियोजना में ग्राम सहण, अर्जुनपुरा, फटकड़ा, खेड़ी, खजूरी की भूमि अवाप्त की जा रही है। इस क्षेत्र की भूमि काफी अधिक उपजाऊ है तथा अनुमानतः पचास हजार रुपये प्रति बीघा की कीमत वर्तमान में है। उक्त बांध की भूमि की मुआवजा राशि का न्यायोचित निर्धारण नहीं करके सिंचाई विभाग ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है। ऐसी स्थिति में भूमि की पूरी मुआवजा राशि अदा की जाने के पश्चात् ही कार्य करवाया जाये ताकि गरीब किसानों को राहत मिल सके। अभी तक भी पूरी भूमि का वर्तमान बाजार दर जो कि पचास हजार रुपये प्रति बीघा है के मुताबिक मुआवजा अदा नहीं किया जाने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। कनिष्ठ अभियंता, मछली परियोजना द्वारा दिनांक 18-4-96 को सहायक अभियंता, सिंचाई उपखण्ड नैनवां को मछली परियोजना की डेम लाइन, बोरो एरिया में आने वाली भूमि के मुआवजा प्रकरण के विषय में लिखे गये पत्र के तथा अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड बून्दी द्वारा सहायक अभियन्ता, नैनवां को लिखे गये पत्रांक 2954 दिनांक 9-7-96 के सम्बन्ध होने वाली त्वरित कार्य अभी तक भी नहीं की गई है।

बांध में आने वाली अधिकांश भूमि इस समय सिंचित हो रही है तथा मौके पर कुए खुदे हुए हैं। पेड़ खड़े हैं; क्वाटरें बनी हुई हैं। फिर भी मौके की आज की स्थिति का सही मुआवजा अभी तक भी नहीं किया गया है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र के भीतरी भाग में रहने वाले किसानों को न्याय मिलना असम्भव हो रहा है। भूमि के मुआवजे की जो राशि अदा की गई है वह पूरी तरह से अपर्याप्त है क्योंकि भूमि की कीमत निर्धारण के लिए जो जोन निर्धारित किया गया है वह बिना उचित जांच के ही किया गया है। बांध का कार्य वर्ष 1996 में प्रारम्भ किये जाने से इस वर्ष जो भूमि सिंचित है, उसका मुआवजा आज की स्थिति तथा वर्तमान बाजार दर अनुमानतः पचास हजार रुपया प्रति बीघा के मुताबिक निर्धारण करवाया जाने पर ही किसानों के साथ न्याय हो सकेगा।

अतः इस समय की मौके स्थिति के मुताबिक ही भूमि की सिंचित/असिंचित स्थिति का, कुओं का, फसल का, मकानात का तथा पेड़ आदि का मुआवजा निर्धारित करके अदा किया जाये तथा मुआवजा राशि की अदायगी के बाद ही बांध कार्य किया जावे। इसके साथ ही ग्रामवार भूमि का विवरण, भूमि की वर्तमान स्थिति, कुओं, पेड़ों आदि का विवरण भी जारी किया जावे। इसी तरह की भूमि इस समय किस दर पर क्रय की जा सकती है, यह देखकर ही मुआवजा राशि का पुनर्निर्धारण करवाया जाने की कृपा करें। धन्यवाद।

———

[श्री रामेश्वर भाटी (सुजानगढ़)]

आबसर ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच

महोदय, सरपंच, ग्राम पंचायत आबसर, पंचायत समिति सुजानगढ़ (चूरू) द्वारा वित्त वर्ष 1995-96 के आय व्यय बजट में अनुदान राशि में से 29820/- रुपये खर्च होना बताया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि इस मद में से इस प्रकार की कोई राशि खर्च नहीं की गई है, जो कि एक सरकारी अनुदान गबन करने का स्पष्ट संकेत है। इसके साथ ही वित्त वर्ष 1995-96 के आय व्यय बजट में से रा. उ. प्रा. विद्यालय आबसर में 21 कुर्सियां ग्राम पंचायत द्वारा विद्यालय में देने की घोषणा की गई और कुर्सियां खरीदने का बिल भी पंचायत के रिकार्ड में मौजूद है लेकिन अभी तक स्कूल में उक्त कुर्सियां उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इनकी कीमत रुपये 4800/- है। इसके अतिरिक्त विकास कार्यों में सरपंच द्वारा अपनी मनमर्जी करके सरकारी पैसे का दुरूपयोग किया जा रहा है।

अतः नियम 295 के अन्तर्गत श्रीमान् पंचायती राज मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सरपंच, ग्राम पंचायत आबसर, पंचायत समिति सुजानगढ़ द्वारा की जा रही घोर अनियमितताओं की किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जांच करवाई जाये ताकि जनता में व्याप्त आक्रोश और उग्र रूप न लेवे।

[श्री प्रभूराम गरासिया (पिण्डवाड़ा)]

नितोड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच

महोदय, वर्ष 1987-88 में प्रदेश में अकाल की स्थिति से निपटने के लिए तात्कालीन राज्य सरकार ने पशुधन को बचाने हेतु पशु शिविर खोलने की एक महत्व-पूर्ण घोषणा की थी। तदनुसार अकालग्रस्त जिलों में से सिरोही जिला भी एक नम्बर पर अकालग्रस्त घोषित था। जिसमें राज्य सरकार के निर्देशानुसार अकाल सहायता शाखा (केन्द्र) जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर की अध्यता एवं निर्देशानुसार अकाल राहत केन्द्र खोले गये थे, उनकी देख-रेख करने हेतु कार्यरत थे।

सिरोही जिले में मेरे वर्तमान क्षेत्र आबू पिण्डवाड़ा में पशु शिविर खोले गये थे जिसमें ग्राम पंचायत-नितोड़ा तहसील पिण्डवाड़ा के सरपंच श्री शिवराम रावल ने भी पशुओं की सेवा करने हेतु जिला कलक्टर, सिरोही से नितोड़ा में भी एक पशु शिविर खोलने की मांग की थी जिसे जिला कलक्टर, सिरोही ने स्वीकृति देकर सिर्फ 500 (पांच सौ) पशु रखने के आदेश प्रदान किये थे।

ग्राम पंचायत नितौड़ा में स्वयं श्री शिवराम रावल, सरपंच उक्त पशु शिविर का संचालन करता था जिससे जिला अकाल सहायता शाखा द्वारा प्राप्त धन राशि से पशुओं हेतु घास-चारा खरीद कर भुगतान किया जाता था। जिसका पंचायत की रोकड़ बुक में जमा खर्च लिखा जाता था। सरकार द्वारा प्रति पशु प्रतिदिन के हिसाब से चारा खरीदने हेतु एक दर निर्धारित थी। एक पशु के लिए प्रतिदिन घास-चारा डालने का वजन कुछ किलोग्राम भी निर्धारित था।

लेकिन उक्त शिवराम रावल, सरपंच–नितौड़ा उक्त समय में कांग्रेस (आई) का ब्लॉक अध्यक्ष था एवं राज्य सरकार भी कांग्रेस (आई) की चल रही थी इसलिए श्री शिवराम रावल उक्त राज्य सरकार के सभी निर्देशों को एक तरफ फैंक कर अपनी मनमानी चलाई और पशु शिविर में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली चारा अनुदान राशि में पशुओं की संख्या अधिक बताकर, बड़े-बड़े बिल बनाकर अपनी सत्तापक्ष के प्रभावी नेता लोगों की मदद लेकर, अधिकारियों को भी डरा-धमका कर, फर्जी बिल बनाकर पास करवा दिये और घास-चारे की गाड़ियां बेचकर अपनी जेब भर ली और पशुओं को भूखे मारकर मौत के मुंह में फैंका। भा ज. पा. के एवं गौमाता के भक्तों ने ऐसी शिकायतें लिखकर जिला एवं राज्य प्रशासन को अवगत कराने पर तात्कालीन जिला कलक्टर, सिरोही श्री रोहित आर. ब्राउन ने जिलाधिकारियों को मौके पर भेज कर रिकार्ड सीज कर जांच कराई एवं जांच सही पाये जाने पर उक्त भ्रष्ट सरपंच के खिलाफ पुलिस में एफ. आई. आर. नं. 166 दिनांक 22-11-90 को दर्ज आई. पी. सी. की धारा 408-420-467-468 के तहत सरूपगंज थानाधिकारी ने मुकदमा दायर कर जांच पूर्ण कर पत्रावली अभियोजन स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त करने हेतु एस.पी. सिरोही के मार्फत जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा जयपुर भेजने के बावजूद भी यहां से राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से कोर्ट में चालान पेश नहीं हो पाने से भ्रष्ट बच रहा है।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के माध्यम से यह स्पष्ट जानना चाहता हूं कि उक्त भ्रष्ट सरपंच शिवराम रावल, ग्राम पंचायत नितौड़ा को इतने लम्बे समय से कौन बचा रहा है जबकि आज तक भी उक्त पत्रावली मात्र अभियोजन स्वीकृति के अभाव में एस. पी. सिरोही के टेबल पर पड़ी हुई है।

ग्राम पंचायत, नितौड़ा के रिकार्ड की सन् 1987–88 के सिर्फ एक वर्ष की स्पेशल जांच सहायक निदेशक, अंकेक्षण विभाग जोधपुर द्वारा कराई गयी जिसमें करीब 44 पृष्ठ की ऑडिट रिपोर्ट बनी। उसमें काफी अनियमितताएं, गबन, घोटाला, लाखों रुपयों की निर्माण कार्यों में धोखाधड़ी कर राज्य सरकार की राशि का भारी दुरुपयोग पाया जाकर जिला प्रशासन सी. ई. ओ, एवं बी. डी. ओ से ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर राशि की रिकवरी करने के सख्त निर्देश देने के बावजूद भी आज तक पैसा वसूल नहीं किया गया, जिसके बारे में मेरे द्वारा श्री नाथूसिंहजी गुर्जर, पंचायती राज राज्य मंत्री

महोदय को भी बार-बार लिखित में देने एवं मौखिक रूप से निवेदन करने के बावजूद मात्र आश्वासन दिये जाते रहे हैं और कोई ठोस कदम नहीं उठाने से लम्बे समय तक उक्त भ्रष्ट सरपंच को कौन और कहां से बचाया जा रहा है।

दिनांक 14-1-96 को उक्त सरपंच ने अपनी मनमानी पूर्वक एक सार्वजनिक बगीचे में से पुराने हरे, छायादार एवं फलदार करीब 20 पेड़ कटवा दिये जिसकी पूरे जिला प्रशासन को शिकायत लिखी गयी लेकिन जिला प्रशासन ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की और राज्य सरकार की वन एवं पर्यावरण नीति को एक तरफ फेंक कर भ्रष्ट सरपंच को जिला प्रशासन द्वारा बचाया जा रहा है जो सत्ताधारी सरकार को खुली चुनौती देकर राज्य प्रशासन का मजाक उड़ाया जा रहा है।

अन्त में अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पंचायती राज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट सरपंच को अविलम्ब सस्पेन्ड कर चालान पेश किया जाये।

———

[श्री गोपीचन्द गुर्जर (नगर)]

राजस्थान रिकार्ड में हुई हेराफेरी के दोषियों को दण्ड

महोदय, भरतपुर जिले की पहाड़ी तहसील के अन्दर जिला प्रशासन की मिली-भगत से भारी मात्रा में राजस्व रिकार्ड में हेरा-फेरी कर गरीब बेसहारा किसानों का शोषण किया जा रहा है। गैर खातेदारी से खातेदारी व व्ययनामा के दाखिल खारिजों पर नियमों को ताक में रखकर भयंकर रूप से भ्रष्टाचार पनप रहा है। (कस्टोडियम) और गैर खातेदार को खातेदारी के लिए ए. डी. एम. प्रशासन की एन. ओ. सी. आवश्यक कर रखी है जो नियम विरुद्ध है जिसमें से स्पष्ट भ्रष्टाचार की बू आती है।

इसी प्रकार ग्राम थोमरी के अन्दर खसरा नं. 1757/18 व 1782 का व्ययनामा किया गया। इन्तकाल दर्ज कर फैसला नहीं किया गया। उससे पहले ही जमा बन्दी में अमल कर दिया गया जो कि नियम विरुद्ध है। यह भूमि एस. सी. की जमीन है और रिकार्ड पर एस. सी. के नाम ही व्ययनामा किया गया है किन्तु मौके पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति का कब्जा है और स्वर्ण जाति के ही प्रभाव में आकर हल्का पटवारी ने जमा बन्दी में अमल कर आगे जमाबन्दी में हेराफेरी कर जाति बदलने का भी ठेका ले रखा है। पहाड़ी तहसील के अन्दर इस तरह के घटनाक्रम रोजमर्रा की आम बात हो गई है।

(278)

इन कृत्यों को रोकने के लिए जिला प्रशासन को कितनी ही बार शिकायतें दी गई लेकिन कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। अतः माननीय पुनर्वास मंत्री एवं माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान में इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राज. सरकार यह स्पष्ट करे कि भरतपुर जिले की पहाड़ी तहसील के अन्दर इस तरह की हेराफेरी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है और कौन कितना दोषी है ? दोषी को कब तक दण्डित किया जा रहा है ? स्थिति स्पष्ट करें।

———

[श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)]

मारगिया बांध की डूब में आई भूमि का मुआवजा

महोदय, डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में मारगिया बांध है। इस बांध के बनने से बांध में डूबने वाली समस्त भूमि आदिवासियों की है और किनारे पर सारे आदिवासी काश्तकार पड़े हुए हैं। इनके पास पहाड़ी जमीन के अलावा कुछ भी नहीं है। बांध के वेग वाटर में ऐसी जगह है वहां जंगलात विभाग और बांध के वेग वाटर के बीच में है।

अतः मेरी आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्रीजी से मांग है कि डूब में जाने वाले आदिवासी काश्तकारों को उक्त जमीन दिलायी जाए ताकि बेसहारा आदिवासी काश्तकारों को राहत मिल सके। धन्यवाद।

———

[श्री रघुवीरसिंह (सराड़ा)]

सलूम्बर मुख्यालय से सराड़ा क्षेत्र में अतिरिक्त बसों का संचालन

महोदय, सलूम्बर सब डिवीजन हैड क्वार्टर है। यहां पर कई विभागों के महत्वपूर्ण अधिकारी बैठते हैं जिनसे क्षेत्र की जनता व जनप्रतिनिधियों को लगातार सम्पर्क बनाकर विकास कार्यों हेतु निवेदन आदि करना पड़ता है तथा अपनी समस्या का निराकरण करवाना पड़ता है। यह क्षेत्र सम्पूर्ण जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। मेरे विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां से सलूम्बर हैड क्वार्टर पर पहुंचने हेतु कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्राइवेट बसें आदि भी इस क्षेत्र में पर्याप्त नहीं होने से यहां की जनता को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

1. निवेदन है कि परसाद, चावण्ड, केजड़, समतडा बड़गांव से सलूम्बर तक बस चलाई जावे जो परसाद से प्रातः 9 बजे चले तथा 5 बजे सलूम्बर से चलकर परसाद होती हुई वजावदा या सरू (गिर्वा) में होल्ट करें ।

2. परसाद से चावण्ड, सराड़ा, सेमारो होती हुई देव सोमनाथ, डूंगरपुर तक पहुंच कर पुनः आवे ।

3. उदयपुर से प्रातः 8 बजे चलकर जयसमंद, बाडोल, डिंगरी, सल्लाडा होती हुई सलूम्बर पहुंचे ।

कृपया उपरोक्त मार्गों पर बस चलाकर सराड़ा क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करायें । धन्यवाद ।

[श्री हरिनारायण (खण्डार)]

रेफरल अस्पताल, राजगढ़ में अधिकारियों की लापरवाही से टीकाकरण सामग्री का बेकार होना

महोदय, राजगढ़ (अलवर) के रेफरल हास्पिटल में कर्मचारियों की लापरवाही एवं तत्कालीन प्रभारी अधिकारी डा. एस. सी. शर्मा के संरक्षण के कारण गत वर्ष लाखों रुपये के पोलियो, डी. पी. टी, बी. सी. जी., खसरा, टी. बी. इत्यादि की टीका टीकाकरण सामग्री बेकार हो गई । प्रभारी अधिकारी एवं सम्बन्धित कर्मचारी ने मिलकर इस प्रकरण में जिला अधिकारियों तक को अंधेरे में रखा गया । इस कारण जिम्मेदार कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही एवं नष्ट हुई सामग्री की राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से नहीं हो सकी । माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वे इस दिशा में कार्यवाही करें ।

[श्री अमराराम (धोद)]

विद्युत कनेक्शनों की जांच में अनियमितता

महोदय, उपरोक्त विषय में लेख है कि वर्ष 1994-95 में सीकर जिले के सहायक अभियन्ता लक्ष्मणगढ़ (ओ. एण्ड एम.), सहायक अभियन्ता लक्ष्मणगढ़ (ग्रामीण), सहायक अभियन्ता पिपराली (ओ. एण्ड एम.), सहायक अभियन्ता रींगस (ओ. एण्ड एम.) में दिये गये घरेलू एवं कृषि कनेक्शनों की जांच मण्डल मुख्यालय द्वारा भेजी गई टैक्नीकल ऑडिट टीम द्वारा की गई थी । उसकी क्या रिपोर्ट आयी, उसकी प्रति देने

का कष्ट करें तथा जिन अधिकारियों ने तकनीकी सहायता नहीं होने के बाद भी कनेक्शन देने एवं तकनीकी सहायता बनाने के लिये गलत कार्य किये गये हैं। उन पर क्या कार्यवाही की गई, उससे अवगत करायें तथा आज तक कार्यवाही नहीं होने के लिये कौन दोषी है ? उन पर क्या कार्यवाही की जावेगी, जिससे यह सबक मिले कि आइन्दा इस प्रकार की गलती कोई और अधिकारी नहीं करें तथा कार्यवाही होने से नहीं रुके।

सीकर वृत्त में पिछले तीन वर्ष के कनेक्शनों की क्या बोर्ड से और जांच भी की गयी है तथा उनमें कौन अधिकारी दोषी पाये गये हैं तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

———

[श्री हीरालाल मीणा (बामनवास)]

बामनवास की सिंचाई समस्याओं का समुचित समाधान

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बामनवास में सिंचाई सम्बन्धी निम्न समस्याओं की ओर इस विशेष उल्लेख के जरिये आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन है कि :—

1. तहसील बामनवास के काश्तकारों की नहर में अधिग्रहण की गई भूमि का मुआवजा 30 वर्ष गुजर जाने के बाद भी नहीं दिया है। जो काश्तकारों के साथ धोखा है। यह मुआवजा दिलाया जावे।

2. मोरेल बांध की पूर्वी नहर के अन्त में टेल पर पानी पहुंचाना है। विभाग को टेक्नीकल सुधार हेतु तीन पत्र लिखे थे जिन पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। तहसील बामनवास के ग्राम बटोदा, सुन्दरी, ठीकरी, भावड, बालदो, फुलवाड़ा को पानी नहीं मिलता है। पूर्व में दिये गये सुझाव के मुताबिक नहर का सुधार किया जाये ताकि उपरोक्त गांव के काश्तकारों को सिंचाई हेतु पानी मिल सके।

3. मोरेल बांध को 5 फीट ऊंचा उठाया जावे, ढील बांध को तीन फीट ऊंचा उठाया जावे, पिपलाई बांध की वेस्ट वेयर को 3 फीट ऊंची उठायी जावे। चूंकि उपरोक्त बांधों में मिट्टी भर जाने से भराव की क्षमता कम हो गई, ऊंचा उठाने से भराव क्षमता बढ़ेगी एवं सम्पूर्ण कमांड एरिया के काश्तकारों को सिंचाई का पानी उपलब्ध हो सकेगा।

4. तहसील बामनवास के आंकोदिया बांध एवं संकर बांध गूजर ठीकरिया गत 15 वर्षों से टूटे पड़े हैं। मेरे द्वारा बार-बार सरकार से निवेदन करने पर भी उक्त

बांधों को बंधवाने की स्वीकृति जारी नहीं की गई है। उपरोक्त बांध टूट जाने से इस क्षेत्र के 15 गांवों के काश्तकार प्रभावित हुए हैं। उपरोक्त बांधों को बंधवाकर काश्तकार की भूमि की सिंचाई हेतु राहत दिलवाई जावे।

5. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में सिंचाई विभाग के छोटे व बड़े बांध हैं। इन बांधों पर, नहरों पर हर वर्ष मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च दिखाया जाता है और मौके पर कोई काम नहीं होता है। लाखों रुपये का दुरुपयोग होता है। उपरोक्त सभी बांधों की नहर के स्थायी निराकरण हेतु पुख्ता बनवाई जावे। इससे जो पानी व्यर्थ होता है वह नहीं होगा और काश्तकारों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सकेगा।

6. तहसील बौंली के ग्राम बागडोली नहर के रिसाव से सैंकड़ों बीघा जमीन खराब हो रही है। इस समस्या का निराकरण हेतु ढील बन्ध की नहर को बागडोली नदी के पास 500 मीटर नहर को पुख्ता करवाई जावे। ताकि सैंकड़ों बीघा भूमि कृषि उपयोग में आ सके।

7. तहसील बौंली में पहाड़ के पीछे के क्षेत्र में तहसील के 1/2 हिस्सा में जनता निवास करती है। उक्त क्षेत्र में काफी नाला होने के कारण हर वर्ष वर्षा के समय नाला हर बार रास्ता बदल देते हैं, जिसके कारण काश्तकारों की हजारों बीघा जमीन खराब हो जाती है। उक्त समस्या का निराकरण हेतु छोटे-छोटे एनीकट बनाने की सिंचाई विभाग से अनुमति प्रदान करें। ताकि एनीकट बनने से भूमि का कटाव रुकेगा और कृषि के उपयोग में आने वाले कुओं का जलस्तर भी ऊंचा उठेगा। चूंकि इस क्षेत्र का पानी मोरेल बन्ध व ढील बन्ध में जाता है जो केचमेन्ट के नाम से फिजिबिल्टी नहीं दी जाती है जो दी जावे।

8. सवाई माधोपुर जिले की तहसील सवाई माधोपुर, बौंली, बामनवास क्षेत्र की असिंचित भूमि को सिंचित करवाने हेतु आपके विचाराधीन ईसरदा बांध का प्रोजेक्ट है। जिसको स्वीकृति प्रदान कर बन्ध बनवाया जावे, ताकि लाखों हैक्टेयर भूमि सिंचित हो सके।

9. सवाई माधोपुर सिंचाई खण्ड के अधिशाषी अभियन्ता को वर्ष 1994-95 से 1995-96 के दौरान किन-किन योजना के अन्तर्गत कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है और स्वीकृत कार्यों पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गई है, सूची उपलब्ध कराई जावे ताकि इस भारी घोटाले को उजागर किया जा सके। मेरी यह भी मांग है कि उपरोक्त प्रकरण की जांच करवाई जावे। धन्यवाद।

[श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर)]

चकबन्दी के कार्य पूर्ण नहीं होने से किसानों को असुविधा

महोदय, इस विशेष उल्लेख के जरिए आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि पूरे राज्य में पिछले लम्बे समय से चकबन्दी चल रही है। किन्तु अभी तक कुछ तहसीलों में यह कार्य पूरा नहीं किया गया है इसलिए रेवेन्यू मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि इन तहसीलों में यह कार्य अधूरा क्यों है और इन तहसीलों में यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा।

इस चकबन्दी में भ्रष्टाचार के कारण कितने ही गरीबों की जमीनें गलत नामों में जोड़ दीं गई हैं। उनकी जांच की गई है। उस जांच में दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई।

आज किसानों को जमीद खरीद-फरोख्त में रजिस्ट्री में खुलेआम रिश्वत देनी पड़ रही है। क्योंकि चकबन्दी न होने के कारण चकबन्दी विभाग से नो-ऑब्जेक्शन लेना पड़ता है। धन्यवाद।

————

[श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा)]

अन्य पिछड़ा वर्ग में कुछ और जातियों को शामिल करना

महोदय, कुर्मी सौंधीया लोढा व दांगी समाज जो मुख्यत: कृषक समाज की जातियां हैं इनमें से लगभग 99% किसान, या खेतिहार मजदूर हैं। इनकी जीविकोपार्जन केवल खेती से होती है उक्त जातियां आर्थिक रूप से काफी पिछड़ी होने से इनका शैक्षणिक, सामाजिक या अन्य क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाया। ये जातियां अन्य जातियों की तुलना में हर क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं। उक्त जातियों में अभी भी पर्दा प्रथा, मृत्यु भोज, नाता, अशिक्षा आदि कुप्रथाएं प्रचलित हैं।

माननीय अध्यक्षजी, कुर्मी जाति कुलमी, पाटीदार, पटेल आदि नामों से जानी जाती है। यह जाति राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार आदि राज्यों में विद्यमान है। इस जाति को राजस्थान के अलावा सभी राज्यों ने अन्य पिछड़ा वर्ग में घोषित किया हुआ है लेकिन राजस्थान में कई बार आवेदन किये जाने एवं अन्य राज्यों के उदाहरण दिये जाने के बावजूद अभी तक कुर्मी पाटीदार जाति को ओ. बी. सी. में शामिल नहीं किया गया है। कुर्मी पाटीदार, सौंधीया, लोढा, दांगी राजस्थान प्रदेश में बहुत कम संख्या में है। लोढा जाति तो केवल झालावाड़ जिले में ही मिलती है। उक्त जातियां प्रदेश में अल्पसंख्यक भी हैं और पिछड़ी हुई भी हैं।

माननीय अध्यक्षजी, कुर्मी, पाटीदार, सौधीया, लोढ़ा तथा ढांगी समाज को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किये जाने के लिये मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा ताकि ये जातियां भी प्रदेश की अन्य जातियों के समकक्ष आ सके और अपनी शैक्षणिक आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि क्षेत्रों में उन्नति कर प्रदेश के नाम को गौरवान्वित कर सकें। धन्यवाद।

———

[श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर)]

राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम में आवंटित गेहूं में गबन

महोदय, निवेदन है कि राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1995 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय 33 एम. एम. एफ. ग्राम पंचायत पक्का, सहारण तहसील हनुमानगढ़ में स्कूल के विद्यार्थियों को निःशुल्क 100 ग्राम गेहूं प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाना था, जिसके लिये प्रधानाध्यापक श्री विजयसिंह गोदारा एवं सरपंच श्री सुखदेवसिंह को कूपन जारी किये गये थे। गेहूं का वितरण क्रय-विक्रय सहकारी समिति, पक्का सहारण द्वारा किया जाना था। कूपन्स पर प्रत्येक छात्र के अभिभावक के हस्ताक्षर किये जाने थे।

परन्तु उक्त स्कूल द्वारा उक्त कार्यक्रम के तहत वर्ष 1995 में आवंटित गेहूं का किसी भी विद्यार्थी को आवंटन नहीं किया गया और सारा का सारा गेहूं प्रधानाध्यापक, सरपंच एवं व्यवस्थापक क्रय-विक्रय सहकारी समिति, पक्का सहाकरण ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर गबन कर लिया। इस सम्बन्ध में ग्रामीणों द्वारा जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ और निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को लिखा है परन्तु अभी तक इन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई। अगर समय रहते कोई कार्यवाही नहीं की गई तो जो फर्जी रिकार्ड तैयार किया है, ये व्यक्ति उसको भी खुर्द-बुर्द कर देंगे। मान्यवर, आपके माध्यम से पंचायत राज मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित कर यह अपेक्षा करता हूं कि इस प्रकरण में अविलम्ब कार्यवाही कर दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाय।

———

[श्री अमरचन्द मिढ्ढा (सूरतगढ़)]

काश्तकारों की भूमि पर अधिकारियों की मिलीभगत से कब्जा

महोदय, तहसील सूरतगढ़ के गांव पिपासर व अमरापुरा में सन् 1985 में या उससे थोड़ा बहुत पहले सैटलमेन्ट हुआ था। उस सैटलमेन्ट में प्रभावशाली लोगों ने

अधिकारियों से मिलीभगत करके अच्छी किस्म की भूमि पर कब्जा कर लिया, जिस पर दूसरे गरीब लोगों का कब्जा था। उन लोगों ने उच्च अधिकारियों के सामने शिकायत की कि हमारी अच्छी किस्म की भूमि पर प्रभावशाली लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। सैटलमेन्ट के बहाने से मिलीभगत करके रिकार्ड में कब्जा अच्छी किस्म की भूमि पर जमाना चाहते हैं। इस पर सम्बन्धित काश्तकारों ने उच्च अधिकारियों से इस प्रकरण की जांच करने व न्याय देने की मांग की। उच्च अधिकारियों ने इस पर अधीनस्थ अधिकारियों को जांच के आदेश दिये। उसके बाद में कब्जा करने वाले व्यक्ति एक राय होकर राज्य सरकार के पास आये और राज्य सरकार के आगे अपना तर्क वितर्क करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया तथा वर्ष 1985 में दिनांक 2-4-85 को सचिवालय से स्थगन आदेश कोलोनाइजेशन कमिशनर बीकानेर को भेजा गया व कोलोनाइजेशन कमिशनर ने क्रमांक 4481/दिनांक 4-4-85 को डी. सी. सूरतगढ़ को स्थगन आदेश भेज दिया जो आज तक यथावत चल रहा है। जिसकी वजह से गरीब लोग अपनी जमीन से महरूम हो गये हैं। अतः मेरा माननीय राजस्व मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि इन लोगों का स्थगन आदेश तुरन्त निरस्त करके असली मालिकों को कब्जा दिलाकर न्याय करें। इस आशा और विश्वास के साथ ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, कार्यवाही करने का श्रम करें।

———

[श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा)]

ऋषभदेवजी के मन्दिर की कृषि भूमि पर ग्रीन मार्बल हेतु जारी एन. ओ. सी. में अनियमितता

महोदय, उदयपुर जिले के केसरियाजी गांव में राजकीय मन्दिर श्री ऋषभदेवजी की कृषि भूमि पर ग्रीन मारबल के लिए एन. ओ. सी. प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व वर्ष 1993 में कोई विधिवत् एवं नीतिगत प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। वर्ष 1985 के पूर्व लगभग 20 आवेदक खानों की मांग कर रहे थे। परन्तु उनको नजर-अंदाज कर 16 ऐसे व्यक्तियों को जो एक ही जाति के हैं. उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये, जिन्होंने सीधे ही राज्य स्तर पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया और उनका विधिवत् प्रार्थना पत्र पंजीकृत ही नहीं हुआ। कई आवेदनकर्ताओं के हस्ताक्षर भी जाली बनाए गये। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया एक माह से भी कम अवधि में पूरी कर दी गई। इन 16 व्यक्तियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के तत्कालीन पश्चात् 5-1-94 व 20-5-94 को एन. ओ. सी. जारी करने की नीति बनाई गई।

ऐसा भी ज्ञात हुआ है कि उक्त 16 एन. ओ. सी. वाले पट्टाधारकों ने एक लाख में ली गई खान को 50 लाख से एक करोड़ रुपये तक पुनः हस्तान्तरित कर

दी जो अनुबन्ध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन था। क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने जांच कराई ? जांच में आयुक्त, देवस्थान ने बिन्दुवार जांच की क्या रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट पर सरकार कब तक कार्यवाही करेगी ?

राज्य सरकार ऐसे मामले में क्या कार्यवाही कर रही है तथा उक्त 16 पट्टाधारकों के पूर्व और पश्चात् आवेदकों के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया जा रहा है ? सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

साथ ही 29-3-96 को संजीव गुप्ता नामक व्यक्ति को माननीय सर्वोच्च के निर्णय की आड़ में 41/2 खानों की एन. ओ. सी. मात्र तीन लाख रुपये में जारी कर दी गई जबकि इनका बाजार मूल्य 4 करोड़ के लगभग है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के क्या निर्देश थे। पूर्व में लम्बित प्रार्थना पत्रों को एवं 20-5-94 की नीति को अनदेखा कर इस व्यक्ति को अनापत्ति जारी करने का क्या कारण रहे ? क्या ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुकूल निर्णय था ? इस सम्बन्ध में सहायक आयुक्त, देवस्थान, उदयपुर, आयुक्त, देवस्थान उदयपुर के क्या राज्य सरकार को रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार क्या कार्यवाही कर रही है एवं कब तक ? इस सम्बन्ध में देवस्थान मन्त्री का विशेष उल्लेख के जरिए ध्यान दिलाना चाहूंगा। धन्यवाद।

———

[श्री कालूलाल गूजर (माण्डल)]

कृषि भूमि के खातेदार को सरकार द्वारा मुआवजा

महोदय, ग्राम, मेजा, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा के जिला कलक्टर के आदेश संख्या 8359 दिनांक 10–5–59 के द्वारा खेत संख्या 1381 की भूमि को बिला नाम घोषित करके खेत में से सड़क संख्या 1375 का निर्माण किया गया किन्तु अभी तक भी खेत मालिक को 37 वर्ष के उपरान्त भी मुआवजे का भुगतान जिला कलक्टर कार्यालय, भीलवाड़ा द्वारा नहीं किया गया है जो बहुत ही खेद का विषय है।

उपरोक्त जिला कलक्टर के आदेश के क्रम में निवेदन है कि उपरोक्त खेत संख्या 1381 के मालिक को अविलम्ब मुआवजे का भुगतान मय ब्याज के करने हेतु राजस्व मंत्री महोदय को निवेदन करता हूं।

———

[श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर)]

सवाई माधोपुर के सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताएं

महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्तावों का विभाग ने उत्तर दिया है कि माननीय मंत्रीजी आपके विभाग के उच्च अधिकारियों को बचाने का प्रयास करते हुए आपको व मुझे गुमराह करने की कोशिश की है, जबकि सत्यता यह है कि :—

1. सन् 1995–96 में अतिवृष्टि के नाम पर इमरजेन्ट वर्क में गंगापुर उपखण्ड ने एक लाख का एग्रीमेन्ट पांच प्रतिशत बिलो पर किया जिसको बढ़ाकर 7 लाख कर दिया। मात्र चार बांध क्षतिग्रस्त, उनको बचाया भी नहीं जा सका, सारा फर्जी भुगतान किया।

2. इमरजेन्ट वर्ष में खाली कट्टों की सप्लाई का कार्य भगत कन्सट्रक्शन कम्पनी, करौली को दिया था। कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने हेतु 13500 बोरी व कट्टे ऊंची दर पर क्यों खरीदे।

3. ईस्ट कैनाल मोरेल की मरम्मत हेतु सहायक अभियन्ता, गंगापुर द्वारा विरोध करने के पश्चात् भी रुपये 1,22000 का भुगतान क्यों व किसको किया जबकि मरम्मत नहीं की गई थी।

4. अतिवृष्टि से हुई नहरों की मरम्मत हेतु लाखों रुपये का भुगतान आपस में मिल-जुलकर लिया। इस सम्बन्ध में ग्रामवासियों ने मुझसे शिकायत की तो मैंने दिनांक 22-10-95 व दिनांक 19-11-95 को अधिशासी अभियन्ता को पत्र लिखा जिसका जवाब मुझे दिनांक 6-12-95 को दिया कि जांच करवा रहा हूं। आपको जांच से अवगत कराऊंगा। आज तक क्या कार्यवाही की, मुझे नहीं बताया।

5. विभाग ने स्पष्ट आदेश दे रखे हैं कि विभाग के किसी भी कर्मचारियों के रिश्तेदारों का वर्कआर्डर पर कार्य नहीं दिये जावें। आदेशों के उल्लंघन करते हुए रामस्वरूप मीना, कमलेश शर्मा, छीतर यादव व लक्ष्मण पाल को क्यों दिया।

6. अप्रेल, 1995 से आज तक 55 से 78 लाख तक वर्क आर्डर पर कार्य दिये हैं, जांच का विषय है।

7. अतिवृष्टि में जिलों में 78 बांध क्षतिग्रस्त बताये हैं जबकि हकीकत यह है कि अनुमान से अधिक नुकसान बताकर तखमीना बनाकर विभाग को प्रस्तुत किये

हैं। तीन-तीन बार निविदा निकालने के पश्चात् रिवाइज्ड की है। आवश्यक लाखों रुपयों का फर्जी भुगतान किया है।

8. माननीय मंत्री जी, आप निष्पक्ष जांच करावे जो उपरोक्त तथ्यों के अलावा सैकड़ों फर्जी काण्ड सामने आयेंगे। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, राजस्थान से जांच करा लेवें। अधिकारियों के कार्यों व सम्पत्ति का भी ब्यौरा आपको मिल जायेगा। धन्यवाद।

———

[श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)]

जयपुर ग्रामीण की आवासीय कालोनियों में पेयजल संकट

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में जोरावर सिंह गेट के बाहर गोविन्द नगर पूर्व, गोविन्द नगर पश्चिम, शंकर नगर, परशुराम द्वारा, तकिया कालोनी, जय प्रकाश कालोनी गूजरघाटी, फकीरों की बस्ती, सीताराम पुरी, प्रतापनगर कालोनी, अर्जुन नगर कालोनी, कृष्णापुरी, राधा माधव, कृष्णा माधव कालोनी, गोविन्द पुरी, सन्तोष सागर, लक्ष्मी नगर आदि कालोनियों में पाइप के अभाव व अनेक स्थानों पर छोटी पतली (एक इंच) लाइन होने व अनेक स्थान पर लाइन डाल देने पर भी वर्षों तक लाइन नहीं जोड़ने व डली हुई लाइनों में मिट्टी भर जाने से तथा पेयजल की ऊंची टंकियों के अभाव में नागरिक बेहद परेशान हैं। इस क्षेत्र में पचास हजार से अधिक नागरिक रहते हैं। यहां हैण्डपम्प लग नहीं सकते। क्योंकि इस क्षेत्र में तीन घण्टे में नाखूनों या चम्मच जैसी चीज से एक छोटी "कुई" खोदी जा सकती है। चौपड़ से सारा पानी व गन्दा पानी बह कर यहां आता है। यह निचला इलाका है। लोगों ने यहां हर घर में सोक पिटा (मलटैंम) बना रखे हैं। जमीन के नीचे का पानी पीने योग्य नहीं है। नागरिक कुओं का पानी पी नहीं सकते हैं। हैण्डपम्प लग नहीं सकते। लगें तो पानी प्रदूषित है, पीने लायक नहीं है। इस स्थिति में पूर्ण दबाव से पाइप लाइने सुव्यवस्थित डालकर पानी उपलब्ध करना जरूरी है। वर्षों से प्रयास के बाद भी टंकी न बनाये जाने, पानी उपलब्ध न कराये जाने, लाइनें नहीं जोड़े जाने से जनता पेयजल के अभाव में बेहद परेशान है। जनता में बेहद आक्रोश है। कृपया आज की कार्यवाही को रोक मुझे इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान करें।

———

(288)

[श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल)]

पंचायती राज भवन की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

महोदय, जयपुर रेल्वे स्टेशन के ठीक सामने नये बने पंचायतीराज भवन के समीप एक बहुत बड़ा सरकारी भूखण्ड खाली पड़ा है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 10 से 15 हजार वर्गगज होगा। जिस पर अतिक्रमण हो रहे हैं। यदि यही गति अवैध कब्जों की रही तो वह समस्त भूमि ही कब्जे में आ जायेगी और बाद में अतिक्रमण करने वालों को हटाना सरकार के लिये काफी कठिन हो जायेगा।

पंचायती भवन के साथ ही लगे हुए कुछ सरकारी क्वार्टर हैं। वहां जो भी सरकारी अधिकारी रहता होगा वहां होटल चल रहे हैं। इतना ही नहीं, होटल के बड़े-बड़े बोर्ड लगा रखे हैं उन्हीं कर्मचारियों ने ही सामने इसी खाली भूमि में अतिक्रमण किया हुआ है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इस भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को तुरन्त हटावें और इस जमीन के चारों ओर दीवार बनायें। साथ हीं सरकारी बंगलों में चल रहे होटलों की भी जांच करावें। उनके द्वारा किये गये अतिक्रमण की भी जांच करावे। यदि इसका तत्काल पुख्ता इन्तजाम नहीं किया गया तो वहां मूल रूप से बसे पास की बस्ती के नागरिक भी प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे। जिसके परिणामों से भी सरकार पर दबाव बढ़ेगा जो उचित नहीं रहेगा। मेरा पुनः सरकार से अनुरोध है कि इसकी तत्काल कार्यवाही कराकर जमीन पर अतिक्रमण होने से बचावें।

इस भूखण्ड की सरकार की कोई योजना है या नहीं। यदि सरकार की कोई योजना नहीं है तो वहां के निवासियों के लिये इसको पार्क के रूप में विकसित किया जाय। यह वहां की प्राथमिक आवश्यकता है। वहां के निवासी भी सहभागिता को तैयार हैं। मेरा आग्रह है कि पार्क विकास के निर्णय से भी सरकार की योजना बन जाये तो बहुत स्वागत योग्य कदम होगा।

———

[श्री भगवान दास डोसी (चौहटन)]

खसरा नं. 642 की भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण

महोदय,

1. यह कि चौहटन गांव तहसील मुख्यालय है और वहां की आबादी की भूमि बहुत ही कीमती है। गांव के पास लगती हुई भूमि खसरा नं. 642 की गोचर की थी और वक्त सेटलमेंट पड़त बिला कब्जा दर्ज कर दी गई। यह खसरा तीन हजार बीघा से ज्यादा का था जिसमें से 300 बीघा भूमि आबादी में परिवर्तन करायी गई और बाकी पूरा खसरा पंचायत के ऊजरदारी पर गैर मुमकिन गोचर दर्ज किया गया। इसी खसरा नं. में डाक बंगला, बिजली घर, होमगार्ड ऑफिस, समाज कल्याण छात्रावास बनाये गये और खसरा नं. अलग-अलग पड़े और इसी खसरा में चौहटन से बाखासर सड़क भी निकाली गई।

2. कि इसी खसरा नं. 642 में से, जो गांव की आबादी की लगती जमीन और रोड, नाड़ी व बिजली घर की बीच की जमीन खसरा नं. 642/3/2 पड़ा यह जमीन बहुत ही कीमती है, लगभग 2 करोड़ रुपये की है जो नाप में 18 बीघा 5 बिस्वा है इस जमीन को हड़पने के लिए श्री फतेहसिंह व हेमसिंह के नाम से दावा पेश कर गलत तथ्य पेश कर फैसला खेत का हासिल कर लिया।

3. कि गैर मुमकिन गोचर का फैसला जब हासिल किया तो तहसीलदार ने रेफरेंस के लिए कलक्टर, बाड़मेर को निवेदन किया परन्तु कलक्टर, बाड़मेर श्री मुकेश शर्मा ने रेफरेंस पेश न कर तहसीलदार का दावा खारिज कर दिया।

4. कि गलत तथ्यों के आधार पर गलत खसरा नं. फैसला में लगने के कारण तहसीलदार, चौहटन ने म्यूटेशन खारिज कर दिया तो कलक्टर बाड़मेर श्री संजय दीक्षित ने अपील मंजूर कर म्यूटेशन भरवा दिया।

5. कि खसरा नं. 642/3/2 जो फैसला हासिल किया वह जमीन कभी खेत नहीं रही न काश्त के काबिल है जमीन पथरीली कंकरीली बजरी वाली है इसमें न कभी फसल बोई गई न फसल उगती है।

6. कि इस जमीन को जागीर रिज्यूम के समय पहले श्री खेमसिंह ने अपनी निजी सम्पत्ति में लिखाई थी और बाद में पंचायत के एतराज पर खुद ने उसे विड्राल की।

7. कि श्री रूपसिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत चौहटन का सरपंच था और आज भी है। उसने गोचर के मुकदमे में पैरवी नहीं की और मिलजुल कर फैसला अपने हक में करवा लिया। रूपसिंह पेशे से वकील भी है।

8. कि जमीन गैरमुमकिन गोचर की है और गांव के पास होने से बहुत ही कीमती है। वह आबादी बसाने के व जन उपयोगी कार्यों के काम में ली जा सकती है।

9. कि जमीन गांव व नाड़ी के पास होने से हमेशा मवेशी चराने के काम आती रही है।

10. कि इसी जमीन पर हेमसिंह व उनके परिवार व भाइयों ने पहले बाड़े बनवाकर कब्जे किए जिस पर धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अनुसार मुकदमे चले और समय-समय पर जुर्माने हुए तारीख 29-9-82 को फैसला हुआ। उसमें तहसीलदार, चौहटन ने आबादी के लगती जमीन मानकर वर्गफुट के हिसाब से लगभग एक लाख रुपये का जुर्माना किया और फिर हेमसिंह ने इस जमीन का अपने कब्जा नक्शा अमीन सुखराम से आबादी भूमि के कब्जे का बनाया और दावा किया तब वहीं नक्शा पेश कर खेत का फैसला लिया।

11. यह भूमि काबिल काश्त नहीं है, गांव के नजदीक है और इस जमीन को आबादी के प्रयोजन से ही हड़पी जा रही है और प्लाट बनाकर भू-माफिया महंगे भाव से बेचने का इरादा रखते हैं। जिससे करोड़ों रुपये का फायदा उठायेंगे।

12. कि यह प्रकरण भू-माफिया द्वारा सरकारी भूमि हड़पने का षडयन्त्र है और गांव के भूतपूर्व जागीरदार का आतंक है, अफसरान की मिलीभगत एवं रिश्वतखोरी का मामला है, इसलिए लोक महत्व का प्रश्न है।

माननीय राजस्व मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि इस पर तुरन्त कार्यवाही कर करोड़ों की जन सम्पत्ति बचाने की व्यवस्था करावें एवम् जिन अधिकारियों की इसमें मिलीभगत है एवम् वे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करवाने के आदेश प्रदान करावें।

[श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)]

चिड़ावा के राजकीय अस्पताल में डाक्टर दम्पत्ति द्वारा भ्रष्टाचार

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि उक्त भ्रष्ट चिकित्सक दम्पत्ति के भ्रष्टाचार एवं मनमानीपूर्ण रवैये से स्थानीय जनता काफी त्रस्त हैं। उक्त दम्पत्ति रुपयों एवं अपनी राजनीतिक पहुंच के बल पर अपने खिलाफ उठने वाली शिकायतों को अधिकारियों से मिलकर वहीं दबा देते है।

चिड़ावा नगर के पार्टी पदाधिकारी एवं जनता गत 2 वर्ष से इनकी शिकायत कर रही है लेकिन चिकित्सा मंत्री कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

गत 10 वर्ष से यहीं लगातार कार्यरत डा. कुसुमलता शर्मा एक मात्र महिला चिकित्सक होने का पूर्ण लाभ उठाते हुए गरीबों का खुला आर्थिक शोषण कर रही हैं। उनका विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

डा. कुसुमलता शर्मा

1. प्रसव सम्बन्धी महिला रोगियों से एक हजार से तीन हजार रुपये तक लिये जाते जाते हैं। मरीज द्वारा इतने रुपये देने में असमर्थता व्यक्त करने पर उन्हें देखती तक नहीं हैं, जिसके फलस्वरूप कई निर्धन मरीजों की मृत्यु हो भी चुकी हैं।

2. महिलाओं की डी. एण्ड सी. कराने के भी 500 रुपये से एक हजार रुपये तक लेती है। उदाहरण के तौर पर 16 नवम्बर, 93 को श्री हंसराज झाझड़िया (घरडाना कलां) अपनी पत्नी माया कौर (26) की डी. एण्ड सी. कराने डा. कुसुमलता के पास अस्पताल गया। डाक्टर ने 2000 रुपये मांगे। मरीज द्वारा 1100 रुपये दे दिये गये तथा 900 रुपये सुबह देने की हां भर दी जबकि डाक्टरनी ने सैलाइन लगा दी और मरीज को बेड पर डाल दिया और मरीज के रक्तस्राव होने के कारण स्थिति खरीब होने लगी लेकिन डाक्टर ने व स्टाफ ने कोई सम्भाल नहीं की। फलस्वरूप मरीज की मृत्यु हो गई। उसके इन्डोर नं. 2494 दिनांक 16-11-93 हैं।

(292)

3. डा. कुसुमलता शर्मा गत करीब 10–11 वर्ष से यहीं कार्यरत है। अस्पताल में कभी समय पर ड्यूटी पर नहीं मिलती है। यद्यपि अपने निवास पर चल रहे क्लिनिक में मरीजों को बुलाती हैं।

4. राज. सरकार द्वारा लड़का-लड़की की सोनोग्राफी जांच करने पर पाबन्दी होने पर भी प्रति शुक्रवार भिवानी से सोनोग्राफी मशीन मंगवाकर अपने निवास पर लड़का-लड़की की जांच उच्च दामों पर करती है।

5. डा. कुसुमलता शर्मा एम. सी. डब्ल्यू. सी. एवं पी. पी. सी. सैक्टर की प्रभारी हैं। इनके 1986 से 1996 तक के कार्यकाल में आयी राजकीय दवाइयों का कोई लेखा-जोखा उपलब्ध नहीं है। राजकीय दवाइयां अपने घर ले जाकर वहां भर्ती मरीजों को रुपये देकर वसूलती है।

6. एक मात्र महिला डाक्टर होने का लाभ उठाकर कमीशन के चक्कर में बेवजह जांच एक्सरे एवं सोनोग्राफी लिखकर मरीजों का आर्थिक शोषण कर रही हैं।

7. जिला कलक्टर, झुन्झुनूं के निर्देश पर तत्कालीन ए. सी. एम. श्री अर्जुनराम चौधरी एवं उप मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी महावीर कुणीया ने जुलाई, 95 में अचानक राज. अस्पताल चिड़ावा का निरीक्षण किया। उस समय डा. कुसुमलता शर्मा एवं डा. लक्ष्मीकांत शर्मा तथा कुछ कर्मचारी अनुस्थित मिले तथा उपस्थिति रजिस्टर में श्री चौधरी ने अंकित भी कर दिया था लेकिन अपने प्रभाव का प्रयोग कर इन्होंने अपने खिलाफ होने वाली कार्यवाही को कागजों में ही दबा दी।

8 दिनांक 25-6-96 को चिड़ावा वार्ड नं. 1 के निवासी श्री पूर्णमल हरिजन अपनी पत्नी की डिलीवरी कराने अस्पताल में सायं को डा. कुसुमलता शर्मा के पास ले गया। डाक्टर ने पचास रुपये अस्पताल के चैक करके फीस ली तथा मरीज को अपने घर ले चलने को कहा। मरीज को घर पर देखकर कहा कि 2000 रुपये की व्यवस्था कर लो।

श्री पूर्णमल ने 400 रुपये देकर कहा कि बाकी रुपये सुबह दे दूंगा या 2-3 घण्टे में लाकर दे दूंगा। आप डिलीवरी तो कराएं। लेकिन डाक्टर ने

मना कर दिया। मरीज मजदूर ने मोहल्ले में जाकर लोगों से रुपये मांगे तो 10–20 युवक उसके साथ आकर डाक्टर को समझाया तो इस दौरान डाक्टर ने मरीज को देखा तक नहीं। दो घण्टे गुजर जाने से मरीज की हालत बिगड़ती देखकर डाक्टर ने उसे अन्यत्र ले जाने को कहा। मोहल्ले के युवकों ने तत्काल पिलानी भर्ती कराया। आपरेशन से डिलीवरी हुई। यदि 20 मिनट भी और देरी हो जाती तो महिला-बच्चे दोनों की मृत्यु हो जाती। नागरिकों के एक प्रतिनिधि मण्डल ने जिला कलक्टर एवं मु. चि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी से भेंट कर इस शिकायत का ज्ञापन दिया कि तत्काल उक्त महिला चिकित्सक को निलम्बित किया जाये। जिला कलक्टर ने उक्त प्रकरण की जांच उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनूं को करने को निर्देश दिये लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मरीज व गवाहों के बयान होने के उपरान्त भी अभी तक कार्यवाही न होना यह सिद्ध कर रहा है इस जांच को भी दबाया जा रहा है।

डा. लक्ष्मीकांत शर्मा

9. डा. लक्ष्मीकांत शर्मा (क. चि. सर्जरी) गत समय राष्ट्रपति शासन के दौरान चिड़ावा में (क. चि. मेडिसिन) के पद के विरुद्ध तबादला करा कर आये थे। तभी से अस्पताल को राजनीति का व भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। चिकित्सा कम एवं राजनीति अधिक करते हैं।

गत दिनों जनता द्वारा शिकायत करने पर क. चि. मेडिसिन के पद पर श्रीमान् मुख्य मंत्रीजी के निर्देश पर डा. अनिल चौधरी (क. चि. मेडिसिन) को चिड़ावा लगाया गया तो डा. लक्ष्मीकांत ने पुनः चिकित्सा मंत्रीजी से सांठ-गांठ करके एस. एम. ओ. के पद पर लगे डा. रतनसिंह चाहर को चिकित्सा अधिकारी (चिड़ावा में ही) के पद पर स्थानान्तरण करवा कर आप स्वयं एस. एम. ओ. के पद के विरुद्ध अपना तबादला करवा आये।

अतः मैं माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इसकी मुझे अनुमति प्रदान करावें। धन्यवाद,

———

[श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा)]

अध्यापकों के पद रिक्त होने से जनता में असन्तोष

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के छीपाबड़ौद सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल जो कि बारां जिले में जो बारां के बाद दूसरे नम्बर का स्कूल है। उसमें काफी लम्बे समय से निम्न पद रिक्त चले आ रहे हैं, जिसके अभाव में शिक्षण कार्य एवं अन्य प्रवृत्तियां नगण्य हो रही हैं। रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है :—

1.	उपप्रधानाचार्य	1 पद
2.	प्राध्यापक हिन्दी	2 पद
3	प्राध्यापक संस्कृत	1 पद
4.	प्राध्यापक इतिहास	1 पद
5.	प्राध्यापक भूगोल	1 पद
6.	प्राध्यापक गणित	1 पद
7.	कार्यालय सहायक	1 पद
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3 पद

उक्त पदों के रिक्त होने से छात्रों एवं छीपा-बड़ौद की जनता में रोष व्याप्त है। कृपया इन रिक्त पदों को शीघ्र भरवाने की व्यवस्था करें ताकि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ न हो सके एवं जन हित के लिए यह बहुत ही आवश्यक कार्य है।

————